D-1

Rojnamcha (Daily Diary) entry

27.9.91

No. 2882 Time 4.25 a.m Inf. by telephone
(Hudeo)

SI G N Dube reports that Basant from MIG II/2-73 Hudeo phoned that some person has shot Shankar Guha Niyogi in MIG I/35. He has been taken to Sector 9. Senior officials informed.

SI G N Dube and Constable Jagannath 509 left for the p place of incident.

1 Basant Sahu
2 Ramesh Kumar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मध्य प्रदेश शासन, पुलिस विभाग D-3 | 9 Sheets

प्रथम सूचना प्रतिवेदन

(धारा 154 दं.प्र.सं.)

पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 40

थाना भिलाई नगर .... अपराध क्रमांक 580/91 धारा 307 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट

नाम जगन्नाथ .... पिता का नाम श्री [illegible] सिंह बोरा जाति गोंड

आयु 28 साल धन्धा नौकरी पता थाना भिलाई नगर

घटना की तारीख और समय 28/9/91 के 3:45 बजे घटना का स्थल, थाने से दूरी और दिशा एम०आई०जी० 1/55 हुडको

सूचना देने की तारीख और समय 28/9/91 के 6:20 बजे, वह स्थान जहाँ सूचना दी गई थाने में

सूचना के ब्यौरे

मैं थाना भिलाईनगर में आर० के पद पर कार्य रहा हूँ उप निरी०जी०एन०दुबे के साथ में हुडको गया था । उप निरी०जी०एन०दुबे साहब ने मुझे थाने में देने के लिये अप०क्र० 0/91 धारा 307 भा०द०वि० के नाकलत दिये थे जिसे लाकर पेश कर रहा हूँ जो जैल है जगन्नाथ बोरा

क्रमांक 509

देहाती नालसी धारा 154 जा०फौ०थाना भिलाई नगर अप०क्रमांक 0/91 धारा 307 भा०द०वि० 25, 27 आर्म्स एक्ट नाम [illegible]राम पिता का नाम लखन साहू उम्र 29 साल पेशा ड्रायवरी पता एम०आई०जी० 1/55 हुडको दिनांक समय घटना 28/9/91 के 3•45 बजे घटना स्थल एमआईजी 1/55 हुडको 4 कि०मी० पश्चिम दिनांक समय सूचना 28/9/91 के 5/15 बजे सुबह कहाँ लिखा हुडको । मैं राजहरा कोन्टे पावर हाउस कालोनी में रहता हूँ और शंकर गुहा नियोगी का जीप एमबीटी 7571 में ड्रायवरी का काम करता हूँ एम०आई०जी० 1/55 हुडको में नियोगी जी ने किराया से बंगला उठाया है और उसी में रहते हैं कल दिनांक 27/9/91 जीप आरिफा एम०आई०जी० 1/273 में खड़ी कर करीबन 9 बजे मैं घर आया हूँ मकान की चाबी मुझे बसन्त ने दिया था रात खाना बनाकर मैं और अनूप साहू दोनों खाये थे करीबन 9/30 बजे अनूप अपने घर चले गये मैं घर में अन्दर सोया था रात में शंकर गुहा नियोगी अपनी कार

SB6.

.......2/....

D-3/2

एम0आई0आर 227 में ड्रायवर सरकार के साथ घरपर आये और आवाज देकर दरवाजा खुलवाया और बोले कि तुम सो जाओ सरकार कार लेकर चला गया और गुहा नियोगी बाबू अपने कमरे में सो गये । रात मुझे ठांय से गोली की आवाज सुनाई पड़ी अन्दर आने से गुहा नियोगी ने चिल्लाया कि भागो की आवाज सुनकर उनके कमरे में गया दरवाजा खुला था बत्ती जल रही थी पंखा चल रहा था मच्छरदानी के अन्दर नियोगी जी लेटे थे मैं बाबू बाबू कहकर आवाज दिया । तो वह मेरे साथ कोई बात नहीं किये । तब मैं अपने कमरे का दरवाजा अन्दर से खोलकर बाहर आया सामने का लोहे का गेट बन्द था । जिसे खोल कर मैं बाहर सामने वाले दादाजी का गेट पकड़कर जोर से हिलाया तो वह अन्दर से बोले कि क्या बात है । मैंने कहा कि मेरा दादा कैसा कैसा कर रहा है वह मेरे साथ नियोगी के कमरे में गये तो देखा कमरे की खिड़की बाहर की ओर खुली थी मच्छरदानी हटाकर मैंने देखा तो शंकर गुहा नियोगी के बांये कन्धे के पास से खून निकल रहा था हम लोगों से कोई बात नहीं किये सांस चल रहा था, हम दादा दोनो बाहर आ गये । तो सामने वाले दादा ने कहा कि इन्हें सेक्टर 9 अस्पताल ले चलते हैं मैंने कहा कि आफिस में और आदमी सोये हैं पहिले उन्हें खबर कर देता हूं मैं दादा के साथ स्कूटर में बैठकर एम0आई0जी0 273 गया वहाँ उठाकर बसन्त, एल.एन.यादव, सरकार बाबू हेमूराम साहू को बताया कि जल्दी चलिये शंकर गुहा नियोगी को किसी ने गोली मार दिया है वह अपने बिस्तर पर तड़प रहे हैं । कि हम सब लोग कार जीप से भाग कर शंकर गुहा नियोगी को उनके कमरे से उठाकर कार में डालकर सेक्टर 9 अस्पताल उपचार कराने ले जा रहे थे कि उसी समय अस्पताल की एम्बुलेंस आ गई। और उसमें डालकर सेक्टर 9 अस्पताल केजवल्टी ले गये । ड्यूटी डाक्टर ने इन्हें सीरियस होने से आई.सी.यू. में भरती कर दिया है मकान के बाहर की खिड़की खुली थी किसी ने बन्दूक से गोली मारकर उनके ऊपर प्राण घातक वार किया है जिसका रिपोर्ट करता हूं मेरा रिपोर्ट पढ़ कर देखा जैसा बताया है लिखा गई जांच की जाये ।

सही जी0एन0दुबे
उप निरी0
28.9.91

सही बहलराम

सह निरी0
28.9.91।

नकल रोजनामचा आम थाना भिलाई नगर क्र. [illegible]

D-4

[illegible]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
१२:२२ [illegible] अप. क्र. २४०/८९ धारा ३०७ भा.द.वि. ५५-५६ आर्म्स एक्ट [illegible] सूचना [illegible] रिपोर्ट [illegible] [illegible] ASI [illegible]	[illegible]	१२:२२ / [illegible]	अप. क्र. २४०/८९ / ३०७ भा.द.वि. ५५-५६ आर्म्स एक्ट	x	x	x	[illegible] MIG [illegible] [illegible] [illegible] १२:२२	[illegible] MIG	अज्ञात	[illegible]	ASI [illegible]	[illegible]	[illegible]

६:१० [illegible] सूचना ASI को [illegible] कि दिनांक [illegible] समय [illegible] पर [illegible] [illegible] धारा ३०७ भा.द.वि. ५५-५६ आर्म्स एक्ट [illegible] कि कोई अज्ञात [illegible] [illegible] को [illegible] को गोली [illegible] [illegible] प्राणघातक प्रहार [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गया। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] गई। [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] CSP [illegible] [illegible] [illegible] गई [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] गई)।

[illegible] प्रतिलिपि [illegible]

(V.K. SHARMA) २५/१२/८९
थाना प्रभारी
भिलाईनगर, जिला दुर्ग (म.प्र.)

D-5

दिनांक [illegible]

[illegible]

[illegible] (मौका) [illegible]

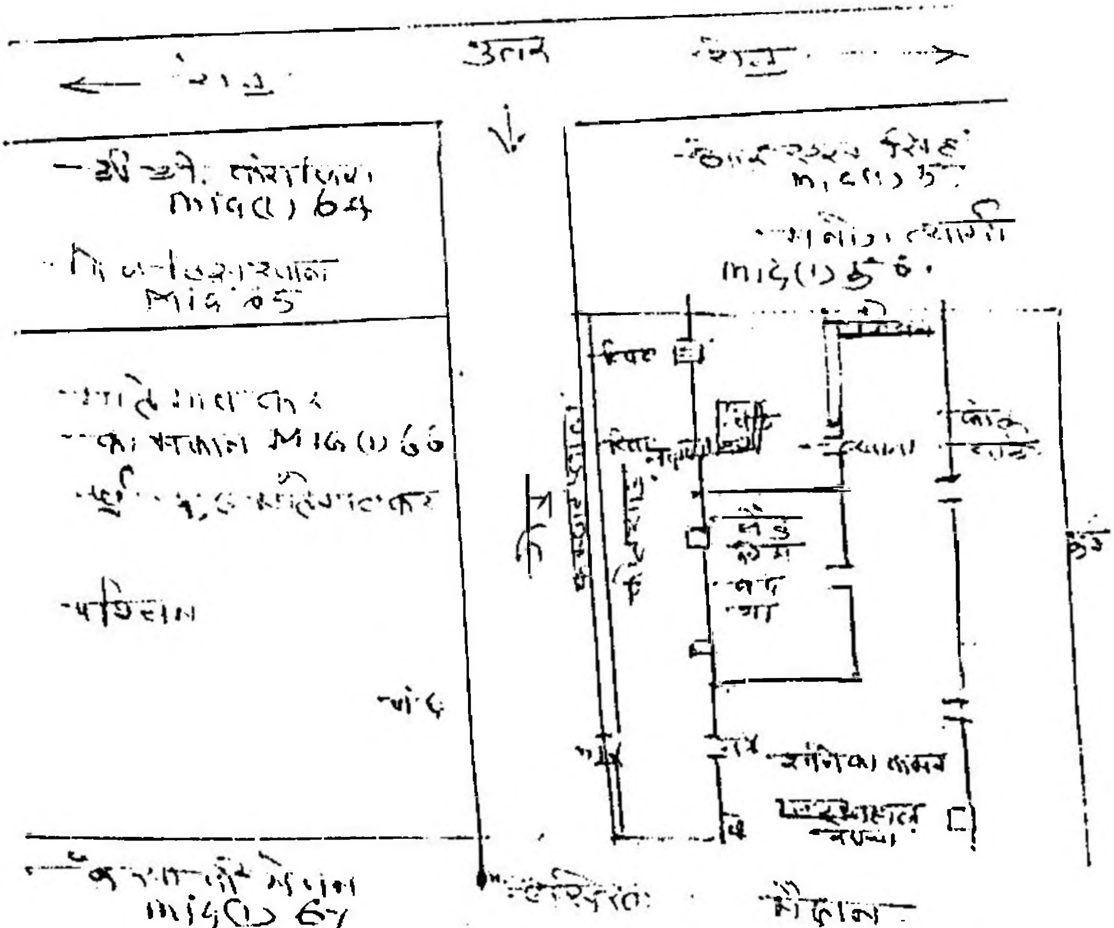

- [illegible] MIG(I) 55 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] MIG(I) [illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

2 Sheets

<u>जप्ती पत्र</u>   D-6/1

थाना भिलाई नगर   जिला दुर्ग

अपराध क्रमांक 580/91 धारा 307 भा•द•वि•25,27 आ० एक्ट

दिनांक समय स्थान 28/9/91 के 7 बजे सुबह एम•आई•जी•1/55

<u>गवाहान</u>:-(1) खेमूराम साहू पुत्र शिवाराम साहू उम्र 28 साल सा० बानिया टोला चांदाडोंगरी माईन्स थाना छिपोला जि० राज०

(2) बहाल राम पुत्र लखन साहू उम्र 28 साल सा० कोंडु पारा हाउस कालोनी राजहरा जिला दुर्ग म०प्र•

<u>किसने जप्त किया</u> :- उ० निरी० आर० एन० दुबे थाना भिलाई नगर

<u>किसके पास से जप्त किया</u>:-शंकर गुहा निवासी के मकान नं० एम•आई•जी• 1/55 हुडको से घटना स्थल से बजह सबूत में मुताबिक जप्ती पत्र के

<u>माल तफसील</u>

1• एक सफेद कलर का मच्छर दानी जिसमें एक कोने पर बड़ा सा छेद है किनारा काले रंग का हो गया है । बारुद की गंध है ।

2• कारतूस के बेडन (पैकिंग) जिसमें एक गोल कागज में अंग्रेजी में एलजी लिखा ।

3• मच्छरदानी के जले हुए टुकड़े जिसमें बारुद की गन्ध है । जप्त कर सील बन्द किया गया ।

4• पैकिंग के कार्क के टुकड़े (2) एक गोल टुकड़ा गत्ता सा है जप्त कर सील बंद किया । 6 टुकड़े सफेद कागज के ।

5• एक टुकड़ा गोल खून सना है जप्त कर सील बंद है ।

6• एक अमूल अंजन का शीशा डिब्बे खाली ।

7• एक माचिस चाबी छाप खुला हालत में ।

8• एक सिगरेट पैकेट चार्मिस का जिसमें 4 सिगरेट है ।

9• एक तकिया लाल सफेद पट्टे वाला जिसमें खून लगा है बजह सबूत में ।

10• एक ऊंट का ~~[illegible]~~ चादर जिसमें सिरहाने तरफ खून लगा है सील किया गया ।

11• एक गद्दा जिसमें भी खून लगा है ।

SBS   ...2/...

D- 6/2

12. एक जोड़े हवाई चप्पल नियोगी का है। घटना स्थल से जप्त किया गया।

13. कमरे घटना स्थल की वस्तुएं हटवा कर ताला बंद।

हस्ताक्षर गवाहान

घटना स्थल से

1. सही/-
   के.आर.साहू
   28/9/91

   सही/-
   28/9/91

2. जाहिल

SBS

[illegible] D-7

२८.१२

[illegible]

मर्ग क्र०

[illegible]

[illegible] पंचनामा

[illegible]

ASI उइके

1	2	3	6	8	9	10	11	12	13
[illegible]	२८.१२ [illegible]	मर्ग क्र [illegible]	से ९ BSP अस्प	डा० साहू से BSP अस्प	मृतक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	\	ASI उइके	२८/१२ [illegible]	

[illegible] [illegible] सूचना ASI उइके को है कि [illegible] [illegible] [illegible] कालम नं ८ के [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] कि कालम नं ९ के मृतक को [illegible] हालत में उपचार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सूचना पर से मर्ग कायम कर पंचनामा में लिया गया। [illegible] सूचना ADM [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible]।

([illegible])
[signature] [illegible]
२९/१२/९१

(V.K. SHARMA) थाना प्रभारी
[illegible], [illegible] दुर्ग (म. प्र.)

बिना नम्बरी आकस्मिक मृत्यु की सूचना॥ D-8

थाना भिलाई नगर   जिला दुर्ग

क्रमांक 0/91

दिनांक समय स्थान सूचना	:-	28.9.91 के 5.30 बजे केजुअल्टी सेक्टर 9 बी.एस.पी. अस्प०
दिनांक घटना समय घटना स्थल	:-	28.9.91 के 4/15 बजे के पूर्व हुडको सेक्टर एम.आई.जी.1/55.
सूचना कर्ता का नाम	:-	डा० सा० एस० घोष, मेडिकल आफिसर केजुअल्टी, भिलाई से.9 बीएसपी अस्पताल.

....

डा० सा० एस० घोष ने रिपोर्ट किया कि 28.9.91 के 4/15 बजे पेशेंट शंकर गुहा नियोगी पुत्र एच० के० गुहा नियोगी 49 वर्ष एमआईजी. 1/55 हुडको सेक्टर को इलाज के लिये एन.एल.यादव लेकर केजुअल्टी आये थे तथा पेशेंट को गोली लग गया है बताया जिसे चेक किया । शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु हो चुकी थी जिसकी जानकारी एन.एल.यादव को दिया शंकर गुहा नियोगी के बाँए तरफ कंधे के नीचे पीठ में 6 घाव के निशान हैं शव मरचुरी में रखवा दिये हैं । सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

श्रीमान एस० डी० एम० महोदय,
दुर्ग
को सूचनार्थ प्रेषित है ।

सही/-
28.9.91

SBS

14/2/39

नक्शा पंचायतनामा D-9

स्टेशन हाउस भिलाई नगर तारीख 28.9.91.

फौतशुदा (मरे हुए) आदमी का नाम शंकर गुहा नियोगी पुत्र एच0के0गुहा नियोगी 49 वर्ष एम0आई0जी0-1/55, हुडको सेक्टर, थाना भिलाई नगर.

मरने का समय----

उन आदमियों के नाम जिनके सामने सुपुर्द निकाला गया व मुलाहिजा किया गया.

(1) बसंत पुत्र राम प्रसाद 22 वर्ष मोतीपुर थाना राजनांदगांव, जि0 राजनांदगांव हाल एम0आई0जी0-2/273 हुडको सेक्टर थाना भि0नगर जि0 दुर्ग.

(2) शाहिद खान पुत्र कलन्दर खान 20 वर्ष ठेकेदार, सिम्पलेक्स कंपनी यूनिट 3, थाना राजनांदगांव जि0 राजनांदगांव.

(3) विष्णुदास पुत्र रघुवीर दास 30 वर्ष जिलाहू टोला थाना चिचोला, जि0 राजनांदगांव.

(4) एस0आर0सिंह पुत्र आर0एन0सिंह 46 वर्ष, मेल नर्स, से.9, बी0एस0पी0 अस्प0.

(5) ईश्वरी प्रसाद साहू पुत्र फिरतूराम साहू 40 नयापारा दुर्ग हाल हास्पिटल अटेन्डेंट नर्सिंग से.9, थाना भि.नगर, जि0 दुर्ग.

माल की तफसील जो फौतशुदा के साथ बरामद हुआ.

(1) एक बनियान खून आलूदा (2) एक लुंगी अलग से जप्त कर सील बंद किया गया ।

फौतशुदा के रिश्तेदारों के नाम, अगर कोई हाजिर है, उस आदमी का नाम जिसके सुपुर्द माल किया गया ।

दस्तखत जिसके सुपुर्द माल किया गया:

पंचों की राय और दस्तखत.

हम पंचान ने हमराह पुलिस इंस्पेक्टर राजेश तिवारी के साथ मृतक शंकर गुहा नियोगी का शव देखा। गर्दन दाहिना ओर झुका हुई आंख बंद, मुंह बंद, नाक से खून निकल कर सूख गया है. दोनों हाथ सीधे कमर की ओर और दोनों पैर सीधे समान शव को पलट कर देखा बांये तरफ कंधे के नीचे पीठ पर (पुट्ठे) पर गोली लगने के 6: निशान है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। मृतक के मृत्यु का सही कारण जानने के लिये शव परीक्षण कराया जाय ।

(1) सही/- शाहिद खान 2. सही/- विष्णुदास 3. एस.आर.सिंह सही/- 4. ईश्वरप्रसाद सही/- 5. सही 28.9.91.

SRS

D-9

पुलिस अधीक्षक की राय और दस्तखत जिसने पंचायतनामा लिखा मय तारीख

......

मैं निरीक्षक राजेश तिवारी हमराह मुस्त पर नामांकित पंचान गवाहान के मृतक शंकर गुहा नियोगी के शव का शव परीक्षण कर पंचायतनामा लिखा। मृतक का शव मरचुरी में फ्रीजर में रखा था जिसे बाहर निकलवा कर फर्श पर रखवाया था। शव अस्पताल की सफेद चादर से लिपटी हुई है। जिसमें मृतक के नाम की पर्ची लगी हुई है। चादर हटवाया गया। मृतक के शव को पंचान गवाहान ने पहचान किया। सिर पूर्व की ओर पैर पश्चिम की ओर चित्त हालत में हैं गर्दन दाहिने ओर झुकी हुई है आँखें बंद नाक से खून निकल कर सूख गया है। दोनों हाथ ऊपर की ओर बदन से चिपके हुए बायें हाथ की उंगलियाँ थोड़ी मुड़ी ऊपर से लगी, दाहिने हाथ की उंगलियाँ हल्की मुड़ी हथेली फर्श की ओर दिखी हुई दोनों पैर सीधे बायाँ पैर का पंजा तथा दाहिने पैर का पंजा बायां ओर थोड़ा मुड़ा हुआ है। गुप्तांग सामान्य। शव को पलट कर देखा गया। बायें कंधे के नीचे पीठ पर (पुट्ठे में) 4 से० मी० करीब जगह पर 6 घाव (चोटें) दिखाई पड़ रहे हैं सुराख (छेद) हैं जिससे खून रिस रहे हैं ऊपर 3 जगह काले निशान दिखाई पड़ रहे हैं घाव के आस पास चमड़ी निकली सी हुई तथा जलने के काले से पड़ गए दिखाई पड़ रहे हैं।

राय पुलिस अधिकारी- पंचों की राय से सहमत हूँ। मृतक की मृत्यु गोली लगने से हुई है। मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने के लिये शव परीक्षण फार्म भर कर मृतक का शव शवपरीक्षण हेतु आर० रविलाल क्र० 921 के जरिये शास० जि० चि० दुर्ग भेजा जाता है।

खिदमत में अनु० दण्डा० महोदय, दुर्ग

SBS

सही/-

28/9/91.

सी०पु० फा०-24

पुलिस

D-9

मध्य प्रदेश पुलिस

दरख्वास्त वास्ते मुलाहिजा जख्मी शख्स के

नम्बर

धारा भा०द० 307

अज तरफ इन्चार्ज थाना थाना प्रभारी भिलाई नगर सेक्टर -6 बनाम असिस्टेंट/सब-असिस्टेंट सर्जन सेक्टर 9 बी.एस.पी.अस्प० भिलाई हुजूर मेहरबाना से शंकर गुहा नियोगी सा० मकान हुडको एम.आई.जी.1/55 भिलाई जिसे अस्पताल में तारीख------ को भेजा है उसका मुलाहिजा करके इस चिट्ठी का पुश्त पर खाने पूरी करके हमारे पास मुनासिब कैफियत के साथ, जिससे आपकी राय इस बारे में साफ जाहिर हो कि जख्म किस किस्म का है और किस हद तक पहुँचाया गया है, भेज देवें।

इस मुकदमे के बारे में मुख्तसर कैफियत जो इस वक्त मालूम हुई है, नीचे लिखा है:-

विवरण इस प्रकार है कि मृत० शंकर गुहा नियोगी एम.आई.जी.1/55 को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दिया गया है उपचारार्थ अस्प० से० 9 बी.एस.पी. अस्प० में भर्ती है जिनका मुलाहिजा कर नतीजा प्रदान करने की दया करें।

पुलिस स्टेशन भिलाईनगर

तारीख 28/9/91

सही/-

हस्ताक्षर आफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन

28/9/91.

SB

5 Sheets

मो०पु०प०
पुलिस

मध्यप्रदेश शासन
पुलिस विभाग

D-9/1

पुलिस थाना_भिलाई नगर____ जिला_दुर्ग________________________

तारीख_28:2:21:______.

पंचायतनामा (मृत्यु जाँच) में उपस्थित होने के लिये आवेदन-पत्र

(धारा 175 दं०प्र०सं०)

नाम और पता (1) अशोक, (2) तौहिद खान, (3) किशुन दास, (4) एस०

ओ० सिंह, (5) ईश्वरी प्रसाद आदि, (6) पूर्ण आवश्यक

पता पृष्ठ पर दर्ज है ।

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता पुलिस अधिकारी धारा में कथित अकाल मृत्यु के बारे में जाँच/पड़ताल कर रहा हूँ, मुझे मृतक शंकर गुहा नियोगी पुत्र एच०के० गुहा नियोगी, एम०आई०जी० 1/55, हुडको मालूम हुआ है कि आपको इस घटना के संबंध में जानकारी है । मुझे आपकी उपस्थिति में जाँच/पड़ताल करना है ।

अतएव आप यह आदेश पत्र मिलने पर मेरे समक्ष निम्नांकित स्थान पर उपस्थित हों ।

आपको सतर्क किया जाता है कि आप उपस्थित होने के लिये और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिये कानूनन बाध्य हैं ।

उपस्थित होने का स्थान : मरचुरी जे०एल०एन० अस्पताल, से०9, भिलाई०

सही/-

S.B.S.

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
और पद नाम

D-9

(1) अशोक पुत्र राम प्रसाद 22 वर्ष,
मोतीपुर रेलवे क्रासिंग के पास,
खि.राजनांदगांव जि.राजनांदगांव — सही/-
हाल आफिस इंचार्ज एम.आई.जी.2/273. — 28.9.91.

(2) तौहिद पुत्र कमरुद्दीन 20 वर्ष,
ठेकेदार सिम्प्लेक्स कंपनी, यूनिट 3 — सही/-
मु.राजनांदगांव (देहात) जि.राजनांदगांव — तौहिद खान
ग्रा. कुलफापुर थाना दिनारा जि.रोहतास — 28.9.91
बिहार.

(3) विष्णुदास पुत्र रघुवीर दास, 30 वर्ष — सही/-
निवासी टोलाथा पिचोला — विष्णु दास
जि.राजनांदगांव, थाना डोंगरी — 28.9.91

(4) एस.आर.सिंह पुत्र आर.एन.सिंह, — सही/-
46, रिसाली सेक्टर 30। ई मि.
भिलाई जि.दुर्ग मेट्रन से.9 अस्पताल

(5) ईश्वरी प्रसाद साहू पुत्र फिरतु राम — सही/-
साहू 40 वर्ष नयापारा दुर्ग — ईश्वरी प्रसाद
हास्पिटल अटेन्डेंट भिलाई से.9

SBS

D-10 - जप्ती पत्रक द्वारा ज्यू०एम०सि० D-10

थाना- भिलाईनगर . जिला - दुर्ग

अप०क्र० 88/08 धारा 302 भा०द०वि०

दिनांक, समय (जप्ती) ... अपराध ... (जुर्म) ... बजे सुबह

किसने जप्त किया - . उनि ... रामशतेवारी

किसके समक्ष जप्त (1) बसंत ... रामभुलावन ... पिता ... 22 वर्ष ... राजनांदगांव ... जि० राजनांदगांव
MIG - II / 273 ... भिलाईनगर

(2) मोहिद खान पि० ... 20 वर्ष ...
... राजनांदगांव जि० राजनांदगांव

किसने जप्त किया - ... शेखर ... नाम व पता
... गवाहों के समक्ष ...

विवरण - (1) एक ... मृतक ... (मोम्मा) के ... से ... ऊपर ... HEERA ® PANNA CALCUTTA 90 SUPERFINE ... लिखा है ... हुआ है।

(2) ... हुआ है

(1) ... जांच
(2) मोहिद खान

हस्ताक्षर (जप्तकर्ता) ...

3 Sheet

D-11 (6)

Shim Shanker Guha Neogi

Brought Dead

Casualty 28/9/91

№ 012261

D-11

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
BHILAI STEEL PLANT
MEDICAL DEPARTMENT
Police Intimation report

To

The Officer-in-charge,

.........Sector 6..Police Station.

This is for information that an individual named Shri/Smt./Ku...Shanker Guha Neogi

Male/Female, aged about.......49...............years, Son/Daughter/Wife of H.K. Guha Neogi

.................................of (Address)....MIG. 55. HUDCO.

....

brought by Shri/Smt.........N.L. Yadav ....

(Address) ....

at ....4.15 AM hrs. on.......28/9/91......................has been

attended to and discharged admitted in ...... was Brought Dead. .... Ward in the Hospital.

Brief details of the case with place of occurence with date and time.........................

....

..........Pt. was shot in the neck region.........

....

and was brought to this hospital direct/referred from...................................

....Medico-legal procedures were done/not done there.

Patient's condition at present is fit/unfit to give any statement.
Informed for needful please.

....
Dr. C. S. Ghosh
Signature of the Medical Officer with designation. (in black letter).

CASUALTY DEPARTMENT
MAIN HOSPITAL
B.S.P.

Time : 6.30 AM.

Place :

Signature & Designation of receiving Police Officer on duty

28/9/91

6/6005

(2)

D-11

ACCIDENT / BROUGHT DEAD CERTIFICATE
MEDICAL DEPARTMENT BHILAI STEEL PLANT BHILAI

(To be filled in triplicate)

The body alleged to be of Shri/Smt./Km. Shanker Guha Neogi

S/o or W/o H. K. Guha Neogi age 49.

sex Male Relation with employees

P.No. Designation Department

Residential Address MIG. 55 HUDCO

Brought to Casualty, Main Hospital, Bhilai

By 1. N. L. Yadav

2.

was examined at(time) 4.15 AM/PM on dated 28/9/91.

He/She was found dead.

The dead body has been (1) Handed over to police for legal formalities.

(2) Kept in mortuary. for PM.

(3) Handed over to the party.

Name Relation

Medico legal information given to police station Sector 6.

Through Shri (Name who attended telephone)

Place CASUALTY DEPARTMENT MAIN HOSPITAL B.S.P.

Date :

Signature [signature]

Name in Full Dr. C. S. Ghosh

Copy to :

1. Manager(S&A) two copies(One for Sr.Health Officer).

2. Party (Name)

D-12 (११)

प्रति

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Body to be kept in mortuary

[illegible]

[illegible] 28/9

CASUALTY
C.M.O.
J.L.N.
B.S.P.

डी-15

नौकरी पत्र

नाम कर्मचारी :- आर० रतीलाल 921

नौकरी :- मृतक शंकर गुहा नियोगी के शव का शव परीक्षण कराने दुर्ग शास० जि० चि०

दिनांक समय रवानगी :- 28/9/91 के 9/30

दिनांक समय वापसी :- 2949--- दि 29/80
28.9.91

कर्म० को आदेश दिया गया कि अभी रवाना होकर मृतक शंकर गुहा नियोगी का शव लेकर शव परीक्षण फार्म के साथ शास० जि० चि० दुर्ग जाके डाक्टर साहब के पास पेश कर शव परीक्षण कराने बाद शव अन्त्येष्टि हेतु उसके वारिसान के सुपुर्द करे बाद शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर वापस थाना आ आमद देवे ।

सही/-
28.9.91

S.B.S.

(93)

D-14

फोपइ-७१
राजप

मध्यप्रदेश शासन

पुलिस विभाग

शव परीक्षण के लिये आवेदन

थाना ......भिलाईनगर...... जिला ....दुर्ग.......... तारीख ..24.9.91

प्रति,

जिला चिकित्सा अधिकारी / सहायक चिकित्सा अधिकारी,

............दुर्ग..........

आपके पास शव परीक्षा के लिये एक शव, जिसका विवरण नीचे दिया गया है. भेजा जा रहा है, कृपया परीक्षा कर मृत्यु के कारण के संबंध में अपना मत शीघ्रातिशीघ्र मेरे पास भिजवायें.

मृतक शफरुल्ला नियोगी S/O एस. के. गुहा नियोगी 60 [illegible] MIG 55 [illegible] भिलाईनगर (जि. दुर्ग

शव के साथ निम्नांकित वस्तुएं भी परीक्षा के लिये भेजी जा रही हैं

वस्तुओं का विवरण :—

मृतक के शरीर के अंदर पाए जाने वाली गोली को प्रिजर्व कर भेजने की कृपा करें।

[signature] 24.9.91
(गिरीश तिवारी)

शव परीक्षा के लिए आवेदन

शव का विवरण

भिलाईनगर थाना 28-9/89

नाम, पिता, उम्र, जाति : शेख गुलाम [illegible] S/o स्वर्गीय शेख गुलाम [illegible]

शव मिलने का स्थान : [illegible] MIG-1/55 [illegible]

ग्राम : मृत्यु सेक्टर 9 हॉस्पिटल थाना : भिलाई नगर

उस स्थान से परीक्षा के लिये शव भेजने का समय : दिनांक 29.9.89 के 9/30 बजे

जिस पुलिस अधिकारी के साथ शव भेजा गया उसका नाम : आर० रतीलाल 929

शव के साथ आने वाले रिश्तेदार इत्यादि का नाम जो उसे पहिचान सके : (1) [illegible] (2) [illegible]

शव और मृत्यु संबंधी जानकारी, जो अब तक पुलिस को मिल पाई है : दिनांक 28-9-89 को रात्रि में MIG-1/55 में [illegible] कि [illegible] मृतक [illegible] की आवाज सुनकर [illegible] घायल अवस्था में सेक्टर 9 B [illegible] अस्पताल [illegible] लेकर आये व जहां डाक्टर साहब ने [illegible] मृत घोषित किया। मृतक के [illegible] के नीचे, पीठ में, पुट्ठे पर गोली लगने [illegible] घाव के निशान [illegible] मृत्यु के संबंध में राय देने की कृपा करें।

नोट- मृतक के शरीर में पाई जाने वाली गोली [illegible] तथा [illegible] 2 डाक्टरों की टीम द्वारा शव परीक्षण करने की कृपा करें।

अन्वेषण जांच अधिकारी के हस्ताक्षर. (राजेश तिवारी)

उक्त शव, परीक्षा के लिए तारीख .... समय .... बजे प्राप्त हुआ और शव पुलिस को सौंपा गया.

....

डाक्टर के हस्ताक्षर.

(92)

D-14

मध्यप्रदेश शासन

पुलिस विभाग

Shanker Guha Niyogi S/o H. K. Guha Niyogi ...... 49 yrs

Bengali Hindu ...... MIG 1/55 Hudco Sector

Bhilai Nagar

Bhilainagar P.C. Ratilal No 921

पत्र क्रमांक ......Nil...... तारीख 28-9-91

के साथ, शव परीक्षा का ... तारीख 28-9-91 10/20 A.M.

बजे प्राप्त हुआ.

पहिचान और जाति चिह्न :—

(1) P.C Ratilal No 921, P.S- Bhilai Nagar

(2) Basant Sahu S/o Ram Prasad, 22 yrs R/o MIG 2/273 Hudco.

(3) Tohid Khan S/o Kamruddin Khan, 20 yrs R/o Tedesara P.S. RJN.

नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने शव तारीख ..28-9-91 को 10/30AM बजे ...

और उस समय ......As follows...... था.

Freshbody of male, good built and height, eyes closed, Pupil dilated, mouth closed, tongue inside the mouth. Rigor mortis is present in both the limbs.

(... बहुत ... बाते ... की.)

Blood Stain on the (L) Side of Back Seen

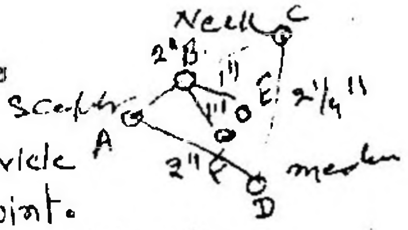

Injuries:→ Gun Shot injury present on the upper and medial part of the (L) Scapular region 12 C.M. from the middle part of the (L) Clavicle and 14 Cm. from the Tip of (L) Shoulder Joint.

Six numbers of Entry wounds of gun shot are placed in the Triangular area as shown in the diagram. Each wound are 3/4 C.m. in diameter, round in Shape c̄ inverted margins and having Circular Zone of abrasion and Charring of Skin. Blood trickling from the entry wounds.

Three numbers of Superficial burn semilunar in shape ½"x¼" each present on the apex of the Triangle c̄ Concavity towards Gun Shot wound area. (Continue on Separate paper)

continue from Page no (5)

-ible marks of Charred Skin of Pin head size, blackish in Colour present over the nape of the neck, upper thoracic region and (L) Scapular area.
Gun shot wound no B, C and D are Communicating c̄ the (L) Thoracic cavity through its posterior and upper part.
Injury no B has penetrated through and through the body of Scapula bone. The direction of the wounds are forwards, downwards and medially. Wounds number A E F have penetrated the scapular and paravertebral muscles.
Muscles of the (L) Scapular region and neck are Contused c̄ extravassation of blood.
(L) Thoracic Cavity is full of Blood.
Two Lacerations present on the (L) upper pole of the lung measuring ½ c.m x ½ c.m. c̄ collapse of (L) lung.
Tear present in the posterior part of the Pericardium c̄ massive Haemopericardium. C ½ cm x ½ cm
One punctured wound ½ cm x ½ cm in the to (L) ventricular Cavity deep present on the (L) ventricle of Heart. All the Chambers of Heart are empty.
Three metalic Pallets recovered from the (L) Thoracic Cavity lying freely in the lower portion of the thoracic Cavity.
All above described injuries are Antemortem in nature Could be Caused by Firearms.

[signature]
25-9-91
(Dr V.R. Meshram)

[signature]
डा ...
[illegible]

[signature]
Dr H C Mahesh

शव परीक्षा प्रतिवेदन

शव परीक्षा तारीख 28-9-91 को 10/30 A.M. .... प्रारम्भ की गई.

तारीख 28-9-91

(signature) हस्ताक्षर 28-9-91

निरीक्षण

एक—बाहरी रूप

टीप.—सभी अंगों की स्थिति का निरीक्षण करें और यदि कोई बीमारी या चोट न पाई जाए तो "स्वस्थ" लिख दें.

1. शारीरिक हाल—तगड़ा, दुबला, विघटित आदि Good Built
2. घाव कहां है, आकार, स्वरूप Allready described.
3. चोट कहां लगी है, आकार, स्वरूप Allready described.
4. गर्दन पर गांठ के निशान, विच्छेदन आदि Healthy

दो—कपाल और मेरुदण्ड

टीप.—जब तक मेरुदण्ड में कोई रोग या चोट के चिह्न दिखाई न दें तब तक उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है.

1. खोपड़ी, कपाल और कशेरुका का Healthy
2. झिल्ली Healthy
3. मस्तिष्क और मेरुरज्जु Pale

तीन—वक्ष

1. परदा, पसली और कोमलास्थि Described
2. फुफ्फुस Described
3. कंठ और श्वास नली Healthy
4. दाहिना फेफड़ा Pale
5. बांया फेफड़ा Described
6. पेरिकार्डियम Described
7. हृदय Described
8. वृहद् वाहिका Healthy

चार—उदर

1. परदा Healthy
2. आंतों की झिल्ली Healthy
3. मुंह तथा ग्रासनली, ग्रसनी Healthy

(72)

D-14

4. पेट और उसके भीतर की वस्तुएं Churnedup food material Healthy about 300 c.c.

5. छोटी आंत और उसके भीतर की वस्तुएं Semidigested food, Healthy

6. बड़ी आंत और उसके भीतर वस्तुएं Faeces Healthy.

7. यकृत Pale

8. प्लीहा Pale

9. गुर्दा Pale

10. मूत्राशय Empty, Healthy.

11. भीतरी और बाहरी जननेन्द्रियां Healthy

पेशियां और अस्थियां

1. चोट

2. बीमारी या विकृति

3. हड्डी का टूटना

4. हड्डी का सरकना

चोट या बीमारी का ब्योरेवार विवरण और उसकी प्रवधि और कारण के संबंध में मत :— Already described.

शरीर में पाई गई वस्तुओं (जैसे गोली आदि) की सूची और विवरण और उनके संबंध में अभियुक्ति :—
Three Metalic Pallets round shaped recovered from body and handed over to the Police under Seal and Cover bottle. Advised to Send for expert (Ballestic) opinion

शव के साथ जांच के लिए भेजी गई वस्तुओं के संबंध में अभियुक्ति :—
Skin flap containing the Gun Shot wounds preserved and handed over to Police under Seal and Cover c̄ advised to Send for expert (Ballestic) Opinion.

आंत को सुरक्षित रखने के संबंध में और रसायन विश्लेषण, सीरम विज्ञानी या अन्य विशेषज्ञ द्वारा वस्तुओं की आगे जांच कराई जाने के संबंध में मत :— Portions of the both lungs, liver, Spleen, Kidney, small gut and Stomach c̄ its Contents preserved in rectified Spirit + Advised to Send it for Chemical examination Handed over to Police c̄ duly sealed and Cover c̄ Sample of Spirit.

मृत्यु का कारण और उसका प्रकार (आत्महत्या या हत्या) के सम्बन्ध में चिकित्सालय सहायक/सहायक सर्जन का मत :—

In our Opinion the Cause of Death is Haemorrhage and Shock as a result of Antemortem Gun Shot injuries. Duration of death is within Twenty Four hours from the time of Post-mortem.

तारीख 28-9-91

(Dr M C Mahant)

(हस्ताक्षरित) 28-9-91

सहायक सर्जन/चिकित्सालय सहायक.

(Dr. V.R. Meshram)
Asstt Surgeon
Distt Hospital Durg

DR A.B. Ursankar

इसकी एक प्रति वस्तुएं भेजनेवाले अधिकारी को तत्काल भेजी जायेगी और दूसरी प्रति पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित की जानी चाहिए.

तारीख............

(हस्ताक्षरित)....................

सिविल सर्जन.............. (स्थान).

डी-16

शव सुपुर्दनामा

मैं अशोक साहू पुत्र राम प्रसाद साहू 22 वर्ष मोतीपुर वि० राजनांदगांव जिला राजनांदगांव हाल एम.आई.जी. 2/273 हुडको सेक्टर आफिस इन्चार्ज छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ भिलाई का हूँ जो कि बाद शव परीक्षण मृतक शंकर गुहा नियोगी पुत्र एच0के0गुहा नियोगी 49 वर्ष का शव अन्त्येष्टि हेतु सुपुर्दनामा पर प्राप्त किया। सुपुर्दनामा लिख कर दिया कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

सही/-

28.9.91

T. C.

SBS.

जप्ती पत्र धारा 457 जा० फौ०

थाना भिलाई नगर, सेक्टर 6, जिला दुर्ग
अप० क्र० 580/91 धारा 302 ता० हि०

दिनांक,समय,स्थान,जप्ती :- 30/9/91 के 12/00 बजे, कोतवाली से० 6.

किसने जप्त किया :- एन० जा० अग्रवाल
उप पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव
कैम्प भिलाई नगर, भिलाई.

किसके समक्ष जप्त किया :- ॥1॥ सूरज कुमार पुत्र केजूराम साहू उम्र 30 वर्ष सा० भरदा थाना साजा जिला दुर्ग.

॥2॥ विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा उम्र 28 वर्ष, सा० मोहदी थाना भिलाई 3, जिला दुर्ग.

किससे जप्त किया :- आर० के० मिश्रा पुत्र श्री राम गोपाल मिश्रा, उप निरी० थाना अकला के पेश करने पर.

तफसील माल :- ॥1॥ एक सील बंद शीशी में 3 नग गोली के छर्रे, ॥2॥ एक सील बंद शीशी में मिट्टी, ॥3॥ एक सील बंद शीशी में उस स्थान की मृतक की चमड़ी जहाँ गोली लगी थी। ॥4॥ एक सील बंद शीशी में सेम्पल मिट्टी बतौर सबूत के जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया।

हस्ताक्षर गवाहान:

॥1॥ सूरज कुमार साहू
॥2॥ विजय कुमार शर्मा

T.C.
SDS.

सही/-
30.9.91
डी.एस.पी.
कैम्प भिलाई

D-17

नकल रोजनामचा थाना [illegible] [illegible]
दिनांक 30/1/91 [illegible]

संख्या	[illegible] रिपोर्ट	समय	विवरण —
१३०८	रिपोर्ट [illegible] श्रीमती [illegible] हत्या के आरोपी के बारे में [illegible] [illegible] मामला [illegible]	[illegible]	[illegible] में [illegible] है कि मैं [illegible] [illegible] चौधरी [illegible] समय में [illegible] थाना [illegible] श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की हत्या के षडयंत्र में [illegible] [illegible], फूलचंद भाई, अरविन्द भाई, [illegible] भाई, [illegible], [illegible] विजय [illegible], ~~[illegible]~~, [illegible] तथा विजय [illegible] आदि के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के संबंध में [illegible] [illegible] की हत्या का आरोप [illegible] किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के थाना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रिपोर्ट [illegible] [illegible]

सत्यप्रति
[illegible] [illegible]
थाना [illegible]
30/1/91

थाना प्रभारी,

आरक्षी गृह -राजहरा·

महोदय :- मैं आशा गुहा नियोगी पत्नी स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी, उम्र 40 वर्ष, निवासी भोला पारा कैम्प- दल्ली राजहरा पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज करती हूँ।

मेरे पति को भिलाई में हमारे निवास, एम·आई·जी· 2/55 में 28/9/91 के सुबह 3·45 बजे, खिड़की से गोली दाग कर हत्या कर दिया गया है। मेरे पति के पूर्व वक्तव्य के आधार पर उनको मारने के लिए भिलाई में षड़यंत्र रचा जा रहा था। और इस षड़यंत्र के पीछे उन्होंने कुछ मालिकों का नाम भी लेते थे, जो नाम इस प्रकार हैं। कैलाशपति केडिया, मूलचन्द शाह, अरविन्द शाह, नवीन शाह, बी·आर·जैन, एच·पी·खेतान, विजय गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, विनय केडिया आदि।

आपसे अनुरोध है कि इस रिपोर्ट के आधार पर मेरे पति के कातिलों पर उचित कार्यवाही करें।

दिनांक:
30/9/91

हस्ताक्षर
आशा गुहा नियोगी

गणेश राम पुत्र आशाराम चौधरी,
उपाध्यक्ष, सी·एम·एम·एस· राजहरा
द्वारा प्रस्तुत

टी·आई· शुक्ला द्वारा लिया गया।

सही/-
30/9/91

सही/-
30/9/91
एस·एच·ओ·

T.C.
SBS.

9 Sheet

D-19

कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल केन्द्र शिविर, दुर्ग (म०प्र०)
क्रमांक/एफ०एस०एल०/टीजी/दुर्ग/149-बी/91 दिनांक 3.10.91.

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला दुर्ग

विषय:- अप०क्र० 580/91 धारा 302 भादवि एवं 25, 27 आर्म एक्ट थाना भिलाई नगर के घटना स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन।

....

1-	घटना दिनांक	:- 23.9.91 लगभग 4.00 बजे
2-	सूचना का माध्यम दिनांक एवं समय	:- नियंत्रण कक्ष द्वारा 4.50 बजे
3-	घटना स्थल	:- एम०आई०जी०-1-55, हुडको, भिलाईनगर
4-	घटना स्थल की स्थिति	:- सुरक्षित
5-	निरीक्षण दिनांक	:- 28.9.91
6-	विवेचक	:- नगर निरीक्षक भिलाई नगर
7-	फोटोग्राफी	:- आर०(फोटो) प्रभात शर्मा
8-	मृतक	:- शंकर गुहा नियोगी
9-	घटना का संक्षिप्त विवरण	:- विवेचक के अनुसार मृतक को किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोते हुये गोली मार कर हत्या कर दी है।
10-	घटना स्थल का निरीक्षण	:- घटना स्थल का सूक्ष्मता पूर्वक

निरीक्षण किया सर्वप्रथम घटना स्थल के सभी कोणों से आवश्यक फोटोग्राफ लिये गये तत्पश्चात् घटना स्थल एवं वहाँ प्राप्त वस्तुओं की स्थिति के अनुसार मेजरमेंट लिये गये (नक्शा संलग्न है) घटना स्थल का विवरण निम्न प्रकार है:-

घटना स्थल एक एम०आई०जी० टाईप क्वार्टर है सामने दाहिनी तरफ एक दरवाजा व चार खिड़कियाँ हैं सामने कोर्टयार्ड व गेट है (फोटो नं.1) बाँयी तरफ से खिड़की नं० 2 को रात में खुला होना पाया गया इस खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई हैं एवं पर्दा पड़ा हुआ था मकान के बाँयी तरफ के कमरे में मृतक सोया हुआ था। खिड़की नं० 2 के सामने व कोर्ट यार्ड के बीच पेड़ पौधे आदि लगे हुये हैं सामने कोर्ट यार्ड की ऊँचाई लगभग 3 6" है

T.C.
S.B.S.

.....2/....

 D-19/2

जिससे आसानी से खिड़की तक पहुँचा जा सकता है इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह देखने में आया कि उक्त खिड़की के ठीक सामने कोर्ट यार्ड की अंदर की ओर किनारे पर मकड़ी का जाला आदि साफ पाया गया जबकि कोर्ट यार्ड की शेष किनारे पर घटना के बाद का जाला लगा हुआ पाया गया खिड़की से कमरे के अंदर (जहाँ मृतक सोया था) देखने पर खिड़की के बांयी तरफ दीवाल एवं खिड़की की बांयी तरफ सटा हुआ लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था एवं खाकी रंग की मच्छरदानी लगी हुई थी उक्त मच्छरदानी के बांये तरफ निचले कोने के पास एक स्थान पर लगभग 5"x5" के क्षेत्र में सुराखनुमा हिस्सा कटा एवं जला हुआ पाया गया (फोटो क्र0 1) जिसके किनारे पर लगभग एक इंच की चौड़ाई में कालापन दिखाई दिया (फोटोग्राफ क्र0 2,3,4,5) मच्छरदानी के जले हुये हिस्से से बिस्तर के अंदर खून व कारतूस के वेड्स आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे खिड़की के बांये किनारे से मच्छरदानी की दूरी लगभग 6" एवं दीवार से मृतक के तकिये के मध्य बिन्दु की दूरी 18" रही होगी उक्त कमरे की अंदर जाकर निरीक्षण किया गया मच्छरदानी को हटाकर बिस्तर का निरीक्षण किया बिस्तर पर तकिया के दाहिनी तरफ दीवाल से 8" एवं बिस्तर से नीचे की तरफ 16" दूरी पर काफी मात्रा में खून बहा हुआ पाया गया (फोटो क्र6) इसी स्थान पर दो वेड्स रक्त रंजित मिले थोड़ा नीचे की ओर भूरे रंग के कागज के कुछ और वेड्स व कारतूस के प्लास्टिक मटेरियल मिला जिसमें एक गोलाकार कागज पर एलजी एलजी एलजी अंकित पाया गया बिस्तर के पिछले हिस्से में भी एक प्लास्टिक का गोलाकार टुकड़ा व अन्य टुकड़े प्राप्त हुये (फोटो ग्राफ क्र0 7,8,9,10) मच्छरदानी में अंदर की ओर से निरीक्षण करने पर कई स्थानों पर मच्छरदानी के जले टुकड़े चिपके हुये पाये गये थे। टुकड़े बिस्तर पर भी यहाँ वहाँ बिखरे हुये पाये गये वेड्स व उनके टुकड़े बिस्तर पर दाहिनी तरफ अर्थात मृतक के पीछे की ओर एवं पैरों की लम्बाई तक फैले हुये पाये गये।

मच्छरदानी के वेड्स या गोली बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं मिला मच्छरदानी में निर्मित छिद्र की फर्श की सतह से ऊँचाई 3 1" पाई गई खिड़की के दाहिने कोने से छिद्र की तिरछे में लंबाई 2 80" पायी गई।

<u>स्पाट परीक्षण</u> :- स्पाट पर निम्न प्रारंभिक परीक्षण किये गये।

T.C.
SBS

...3/....

D-19/3

1- नाइट्रेट_परीक्षण_:- यह परीक्षण मच्छरदानी के जले हुये भाग के आसपास दीवार(पश्चिम) व लिहाफ जो तकिया व दीवार,(पश्चिम) के मध्य रखा था पर धनात्मक पाया गया ।

2- लेड_परीक्षण_:- मच्छर दानी के निकाले हुये टुकड़ों पर धनात्मक पाया गया।

3- बेंजीडीन_परीक्षण_:- बिस्तर पर मिले रक्त के लिये धनात्मक पाया गया ।

मृतक_पर_आई_चोटों_का_परीक्षण_:- मृतक को बांयी तरफ आंख पर पैलेट्स से आई चोटों का अध्ययन स्केल के साथ फोटोग्राफ लिये (फोटो क्र0 12,13,14,15,16) व पैलेट्स के बिखराव का पैटर्न व क्षेत्रफल नापा गया बिखराव के क्षेत्र का डायामीटर 6 से0मी0 व पैटर्न त्रिभुजाकार पाया गया घावों के आसपास टेटोइंग मार्क पाये गये ।

विवेचक को सलाह दी गई कि पोस्टमार्टम के दौरान पैलेट्स शरीर से निकाले जाकर सुरक्षित कराये जावे साथ ही पैलेट्स के घाव के चारों ओर की चमड़ी निकलवा कर सुरक्षित रखवाया जावे एवं बिसरा सुरक्षित करावें ।

घटनास्थल_से_प्राप्त_भौतिक_साक्ष्य_:- घटना स्थल पर संभावित पद चिन्ह अंगुल चिन्ह व औजार चिन्ह की खोज की गई किन्तु कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हो हो सका घटनास्थल से निम्न सामग्री परीक्षण हेतु जप्त किये जाने की सलाह विवेचक को दी गई ।

1- मच्छरदानी जिसमें फायर करने पर एक स्टार नुमा छेद हो गया है जिसके चारों ओर कालेपन का निशान है ।

2- बिस्तर पर पड़े हुये बेड्स व उनके टुकड़े ।

3- मच्छरदानी के छोटे से टुकड़े जो फायर AK के द्वारा छितरा गये हैं ।

4- खून आलूदा कपड़े रक्त परीक्षण हेतु ।

विवेचक को दी गई सलाह :- विवेचक को सलाह दी गई कि घटना स्थल एवं पोस्टमार्टम पश्चात् मृतक से जप्त वस्तुयें परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भिजवायें एवं घटना स्थल के रिकंस्ट्रक्शन, रेंज आफ फायर व लाईन आफ फायर ज्ञात किये जाने हेतु एफ0एस0एल0 सागर से स्थल बेलास्टिक एक्सपर्ट बुलवायें जावें बिसरा परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 सागर भिजवायें साथ ही प्रकरण की विवेचना के दौरान यदि संदिग्ध अपराधी के हथियार व खाली कारतूस प्राप्त होता

T.C.
S.B.S.

D-19/4

है तो वह परीक्षण हेतु एफ०एस०एल० सागर भिजवाये जाने की सलाह भी दी जाती है ।

क्रमांक/एफएसएल/टीओ/दुर्ग/149-अ/91 दिनांक 3.10.91

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, [illegible] रायपुर को सूचनार्थ। (एफ०एस०एल० यूनिट)

2. थाना प्रभारी भिलाई नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न:- 1. फोटोग्राफ 16 प्रति

2. घटना स्थल का नक्शा ।

T.C.

S.B.S.

P.S - Bhilai Nagar
CR No. 580/91
U/S - 302 IPC

MAP OF THE SCENE OF CRIME

D-17

Scale 1 foot = 1/2"

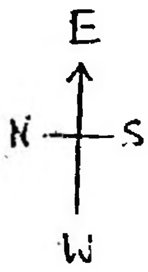

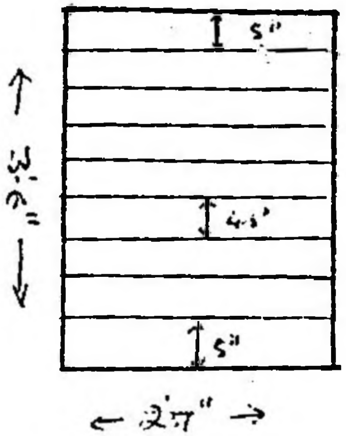

The window

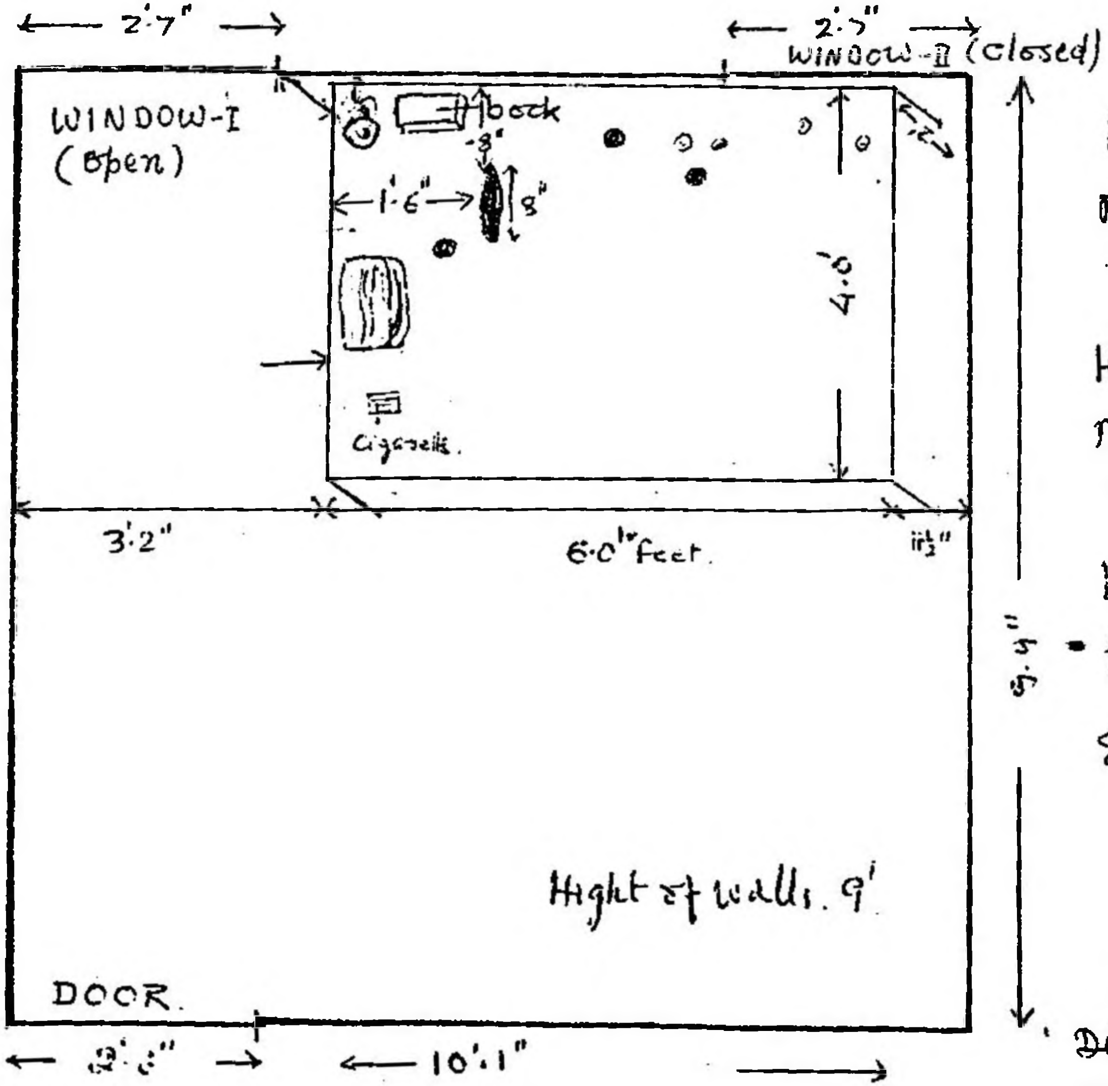

Distance of Pillow from west wall = 1'8"

Hight of hole in mosquito net is from ground level | 3'1"

Hight of hole in mosquito net from cot + cloth. 10 + 2 = 1'

Hight of window from ground level 3'5"

Size of hole 5" x 5"

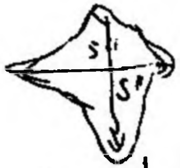

Distance of hole from wall (west) 6"
Distance from window

Hight of door = 6' 8"

Sd/- 3/10/91

2 W-19

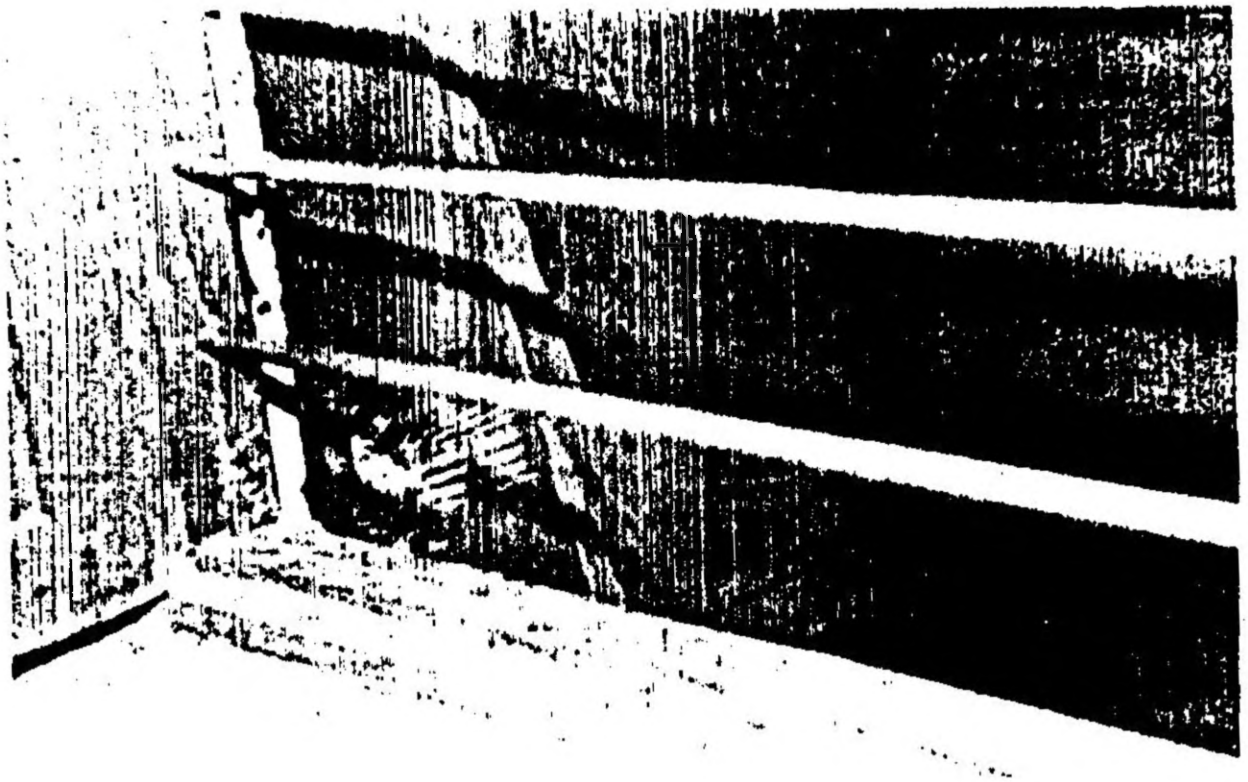

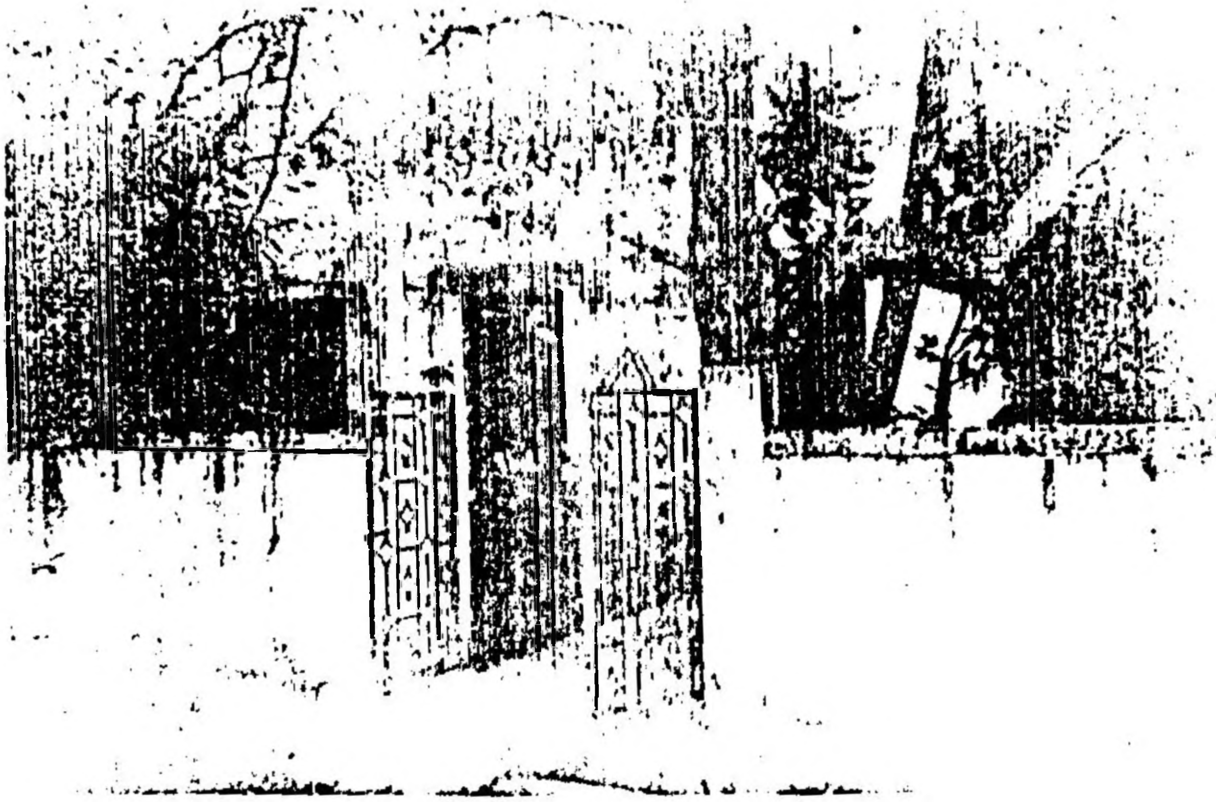

4

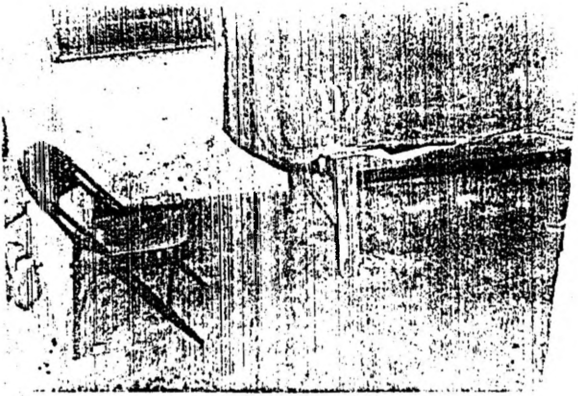

3

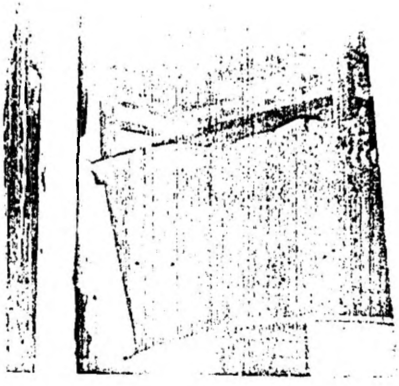

5 D 19

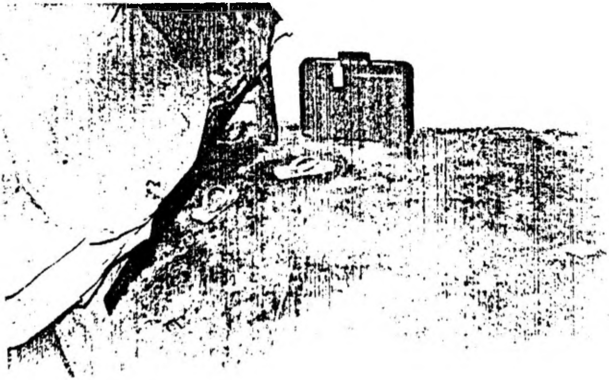

6

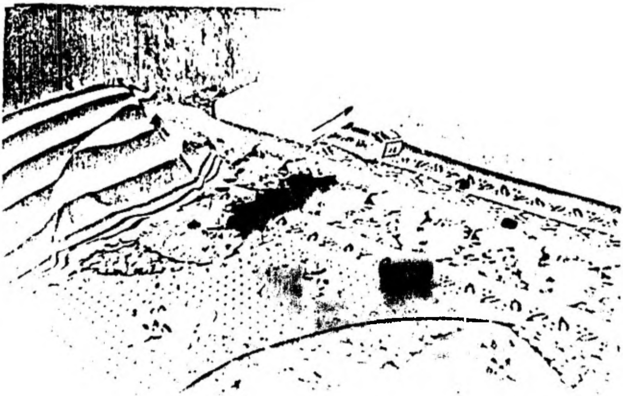

5

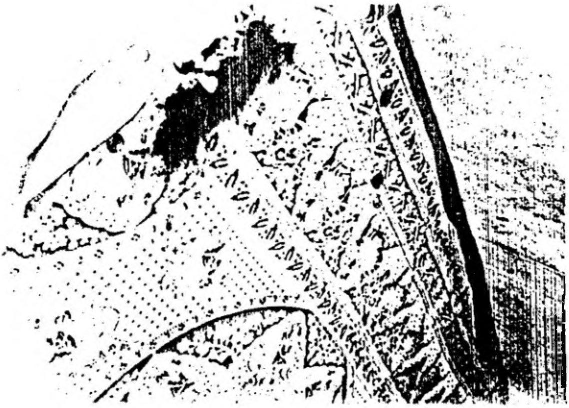

7

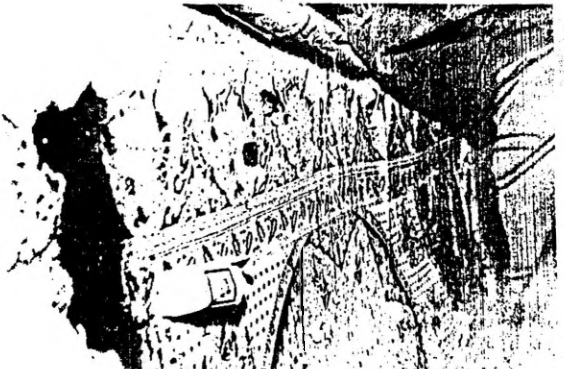

18 Q 19

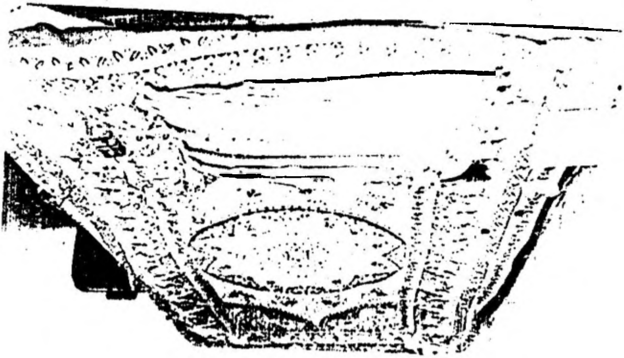

9

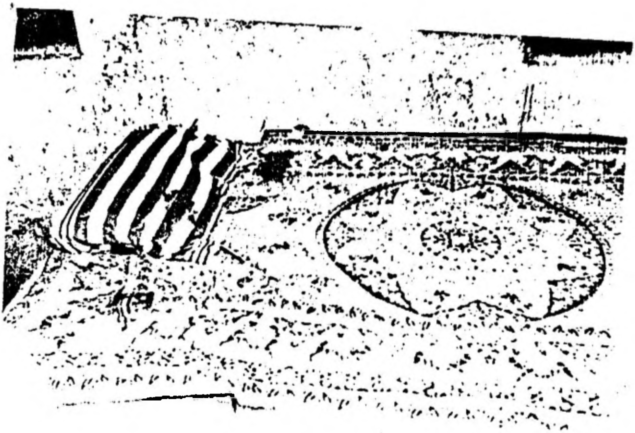

11

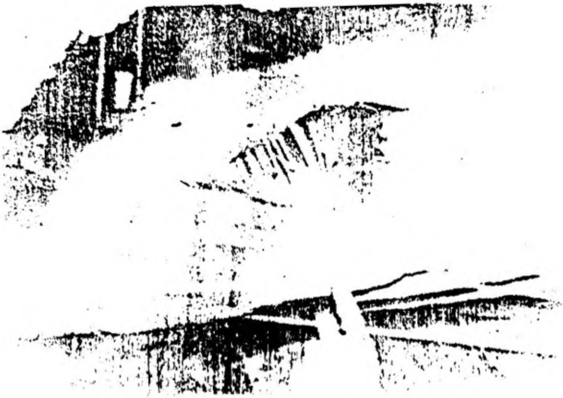

12

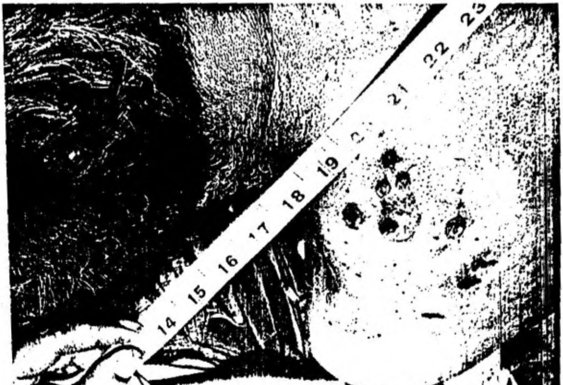

14 D-79

13

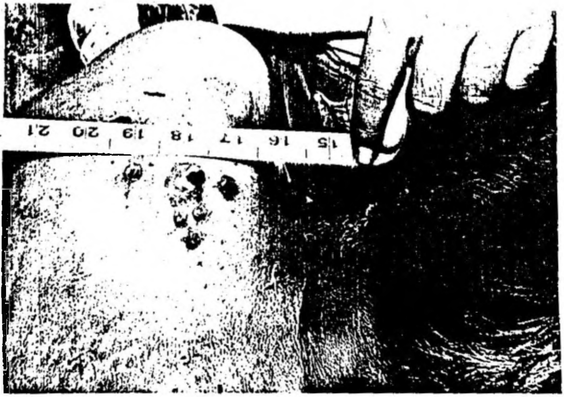

16 D-19

15

1 Sheet

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
दुर्ग ।

D-20/1

विषय:- घटना स्थल निरीक्षण ।

संदर्भ :- अप0क्र0 580/91 धारा 302 भा द वि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट थाना भिलाई नगर के स्थल निरीक्षण हेतु विवेचना संदेश एफ0एस0एल0/2378/91 दिनांक 1.10.91

मृतक :- शंकर गुहा नियोगी

घटना दिनांक :- 28.9.91.

घटना स्थल :- एम0आई0जी0 1/55 हुडको भिलाई नगर, जिला-दुर्ग.

....

दिनांक 4.10.91 को श्री जी0 एस0 दुबे उप निरीक्षक पुलिस थाना भिलाई नगर, रेन्ज विधि अधिकारी एम0एस0एल0 मो0 यू0 रायपुर तकनीकी अधिकारी एफ0एस0एल0 मो0यू0 दुर्ग, श्री जी0एल0पटेल फोटोग्राफर के साथ घटना स्थल पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया ।

विवेचना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना स्थल क्वा0 एम0आई0जी0 1/55 हुडको भिलाई नगर था (फोटो 1) जिसके एक कमरे में मृतक तख्त पर बिस्तर पर सो रहा था एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई । श्री उप निरी0 जी0एस0दुबे द्वारा मच्छर दानी, चादर एवं बेडशीट के टुकड़े एवं मच्छर दानी के अधजले टुकड़े, तीन पैकेटों में सील बन्द स्थिति में घटना स्थल पर प्रस्तुत किये गये जिनको खोलकर निरीक्षण किया गया । मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटो कापी भी प्रदाय की गई जिसका अध्ययन किया गया ।

एफ0एस0एल0 मोबाइल यूनिट दुर्ग के घटना स्थल निरीक्षण (दिनांक 28.9.91) के प्रतिवेदन क्र0 एफ0एस0एल0/टी0अ0/दुर्ग/149-बी/91 दिनांक 3-10-91, घटना स्थल स्केच एवं फोटो ग्राफ के आधार पर स्थिति रख कर घटना का रिकन्सट्रक्शन किया गया । (फोटो 2,3) इस हेतु एक डमी रखकर विभिन्न फोटो ग्राफ लिये गये व आवश्यक मेजर मेंट लिये गये ।

घटना स्थल के स्केच में प्रदर्शित खिड़की डब्लू(डब्लू 1) की तरफ वाले किनारे पर मच्छर दानी में एक छेद 5"x5" (लगभग) था । इस छेद के किनारे अनियमित आकार के थे व किनारों पर जलने एवं आस पास

बाहरी सतह पर कालापन था । फोटो (4) इसकी ~~ऊँचाई~~ जमीन से ऊँचाई 3 फीट 1 इंच थी । खिड़की (डब्लू 1) की ऊँचाई फर्श (जमीन) से 3 फीट 5" थी । खिड़की (डब्लू 1) में कुल आठ आड़े लोहे के राड लगे थे इसमें खिड़की (डब्लू 1) के लकड़ी के फ्रेम एवं सबसे नीचे वाले राड के बीच की दूरी 5" तथा उससे ऊपर वाले राड की दूरी क्रमशः साढ़े चार इंच थी । तख्त (6फुट x 4 फुट) की फर्श से ऊँचाई 2 फुट तथा तख्त से मच्छर दानी के छेद (मध्य भाग) की ऊँचाई 1 फुट 1" अर्थात छेद की कुल ऊँचाई 3 फुट 1" थी ।

मृतक की स्थिति में डमी को रखकर मृतक के पीठ पर बाईं ओर ऊपर स्थित पैलेट्स से आई चोटों (मध्य भाग) से मच्छरदानी स्थित छेद (मध्य भाग) से आगे बढ़ाकर लाइन आफ फायर खिड़की के कोने पर लकड़ी के फ्रेम एवं निचले राड के बीच से बाहर की ओर जाता है अतः इस लाइन आफ फायर में ही मच्छरदानी के बाहर ~~छेद~~ एवं छेद के पास फायर आर्म रहा होगा -(फोटो 5,6,7)

मच्छर दानी के छेद के आकार (लगभग 5"x5") इसके किनारों पर जलने के निशान एवं आसपास बाहरी सतह पर कालापन है (जिसमें नाइट्रेट की उपस्थिति थी) के आधार पर यह गन शाट होल है। इससे मजल के अगले छोर की दूरी 6" से कम रही होगी । मच्छरदानी के इस छेद से मृतक को पैलेट्स से आई चोटों की दूरी 1 फुट 6" के लगभग थी । तद्अनुसार मजल के अगले छोर से टारगेट की दूरी 2 फुट के लगभग रही होगी । शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 6 छर्रों की अधिकतम फैलाव शरीर पर 6 सेमी है । ये तीन सुपर फाइन/मल इंजुरी पेलेट्स द्वारा आ सकता है । टेट्ठइंग के आस पास थी । एल0जी0 कारतूस (12 बोर) की एक ओवर शाट वेड व अन्य वेड्स या उनके टुकड़े बिस्तर पर मृतक के शरीर के बाईं ओर बिखरे पाये गये थे । इनके प्राथमिक परीक्षण से यह 12 बोर कारतूस की वेड्स (एल0जी0) के भाग होना पाये गये ~~थे~~। छर्रे 12 बोर कारतूस (एल0जी0) के होना संभावित है ।

अतः मृतक को आई चोटे ~~गन~~ शाटगन इंजरी है जो 12 बोर के कट्टे द्वारा कारतूस फायर करने से आना संभव है । मजल के आगले सिरे से दूरी लगभग 2 फीट (दो फीट) एवं फायर करने की दिशा

T.L.
SBS.

D - 20/3

तिरछी एवं कुछ नीचे की ओर रहा होगा ।

संलग्न: फोटोग्राफ 1 से 7
घटना स्थल का नक्शा ।

(जे० पी० निगम)
सहा०संचालक (बेलेस्टिक्स)
एवं सहा०रासायनिक परीक्षक
म०प्र० शासन
विधि विज्ञान प्रयोग शाला
सागर
कैम्प- भिलाई/दुर्ग।

D-20

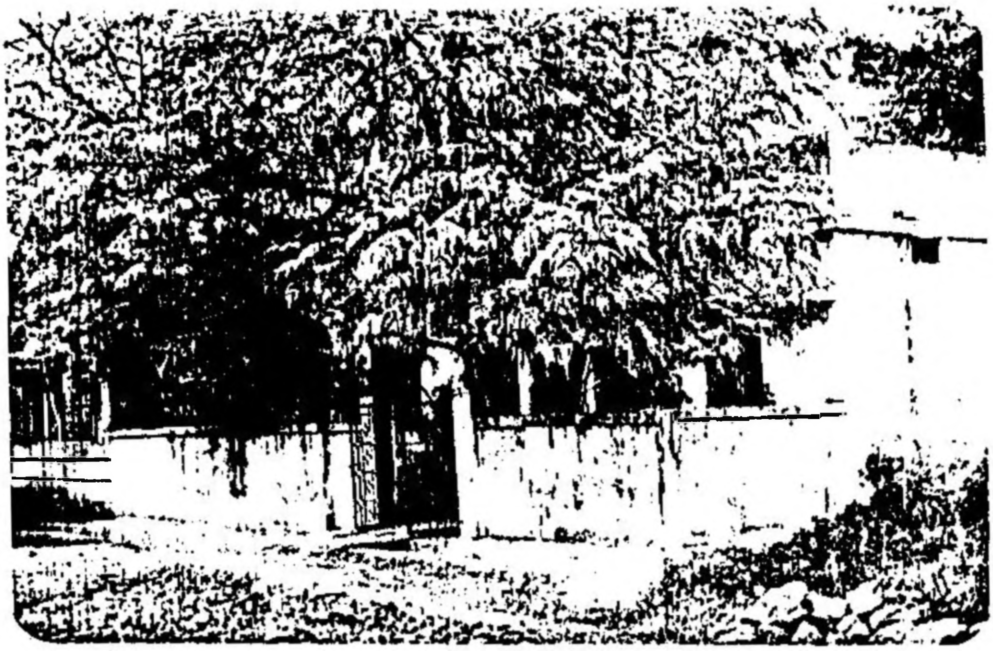

D-20

2

5

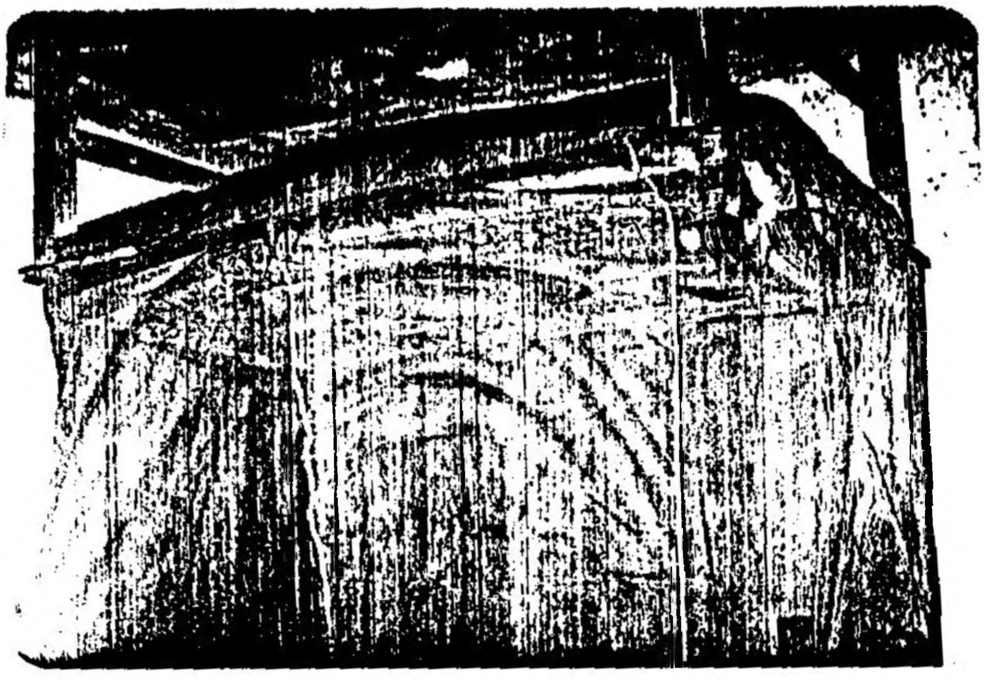

4

D-20

6

7

3

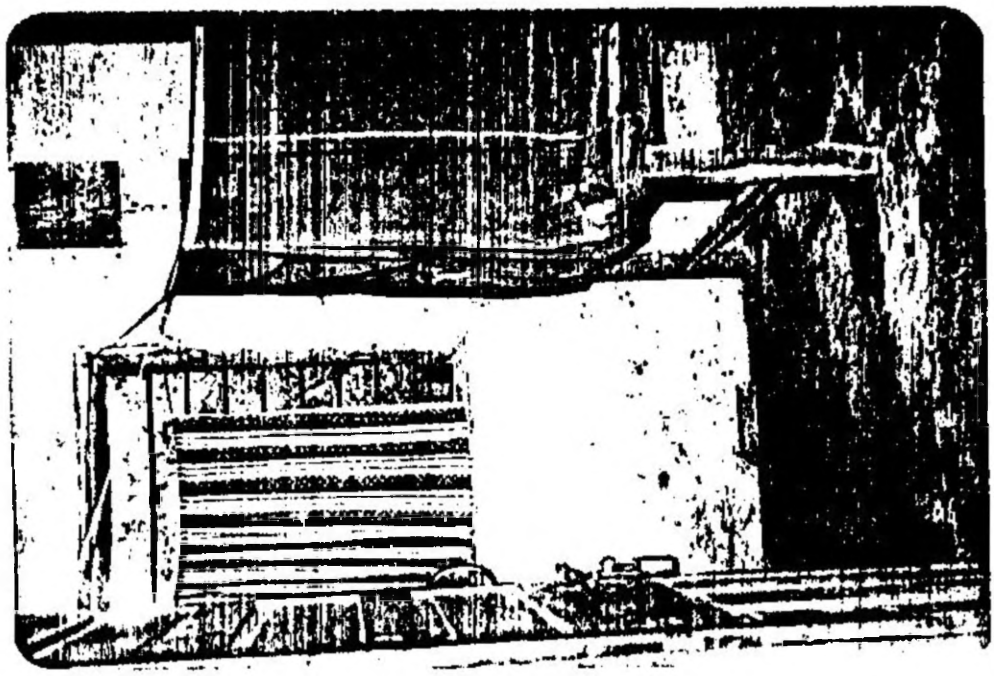

नक्शा नज़री [illegible]

मकान नं. एच आई जी नं./[illegible] [illegible] विकासनगर

अप० क्र० [illegible] धारा ३०२ [illegible]

कोतवाली [illegible]

[illegible]

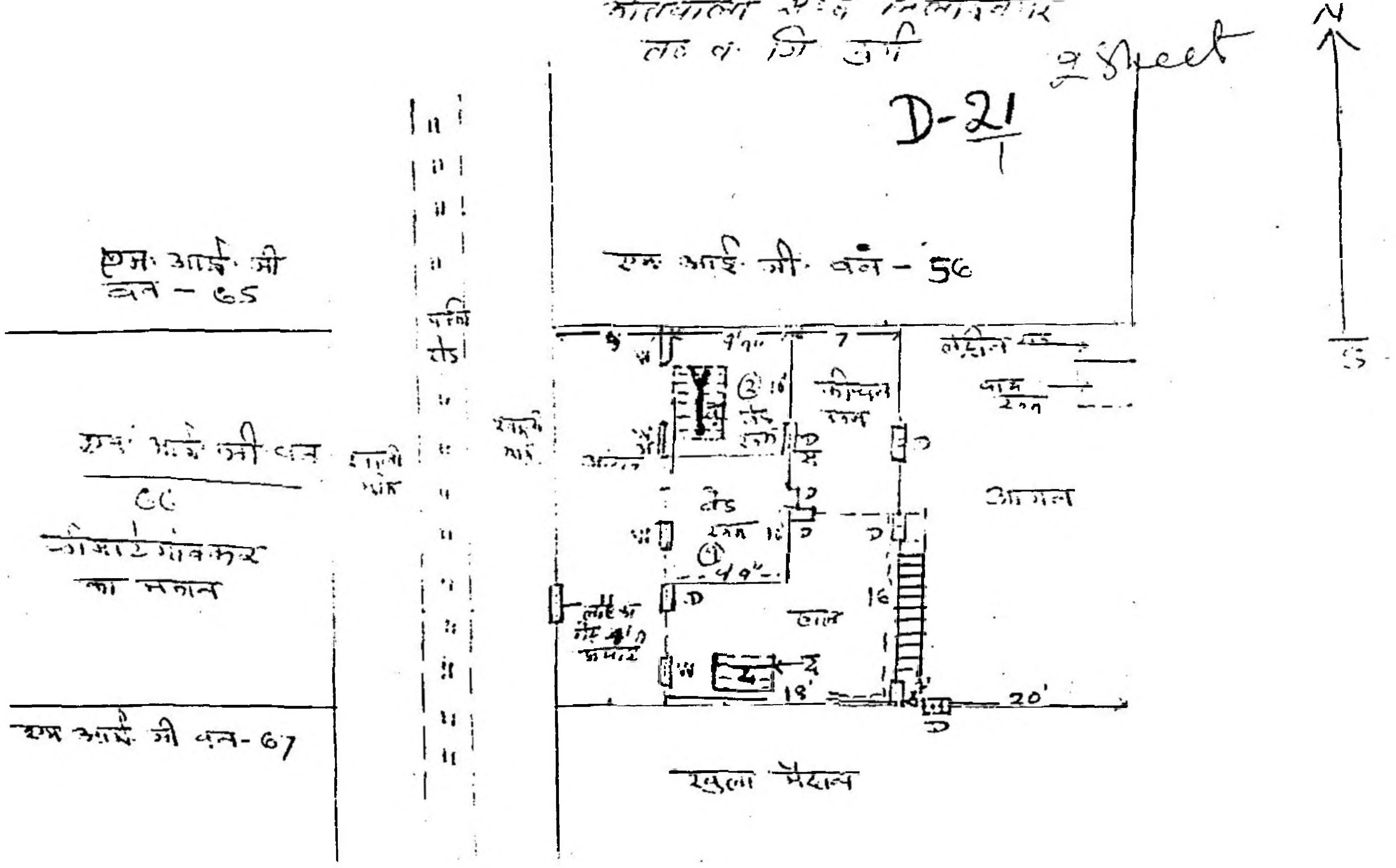

D-21/2

संकेत.— (1) D अर्थात दरवाजा 2'9" * चौड़ाई 6'9" ऊंचाई (2) W अर्थात खिड़की 4' ऊंचाई 2'9" चौड़ाई।

खिड़की
—x—

(1) [illegible] के [illegible] [illegible] एस आई [illegible] के [illegible] में 8'x4' के [illegible] के [illegible] पर "ख" स्थान से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की ओर सिर किए हुए [illegible] [illegible] लेकर पूर्व की ओर किए हुए [illegible] के। [illegible] [illegible] 2.45 [illegible] [illegible] को अज्ञात व्यक्ति ने "अ" स्थान पर की खिड़की से उनके पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी।

(2) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6' [illegible] है। एवं "ह" स्थान पर [illegible] [illegible] [illegible] सोता था [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] था। [illegible] [illegible] [illegible] की दूरी [illegible] [illegible] है।

मामले के बताए अनुसार नक्शा बनाया। —— (1) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(2) [illegible] ~~[illegible]~~ S/O [illegible] [illegible] [illegible] एस आई जी 1-45 [illegible]।

[illegible] [illegible]
पटवारी
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

D-22/ 4-Sheets

कार्यालय संचालक, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर (म0प्र0)

क्रमांक/न्या/वि/प्रयो/874/91 दिनांक 28/10/91

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
दुर्ग (म0प्र0)

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक पु0अ0दु0/डी/498/91 दिनांक 10/10/91 थाना भिलाई नगर के अपराध क्रमांक 580/91 धारा 302 भा0द0वि0, 25/27 आ0ए0 से संबंधित प्रकरण में के प्रदर्शों का परीक्षण प्रतिवेदन क्रमांक न्या/वि/बा0प्र0/874/91 दिनांक 26/10/91 संलग्न है ।

....

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अंतर्गत सहायक संचालक/ एवं सहायक रासायनिक परीक्षक, मध्य प्रदेश शासन, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थिति से छूट दी गई है एवं प्रतिवेदन मान्य किया जा सकता है । फिर भी यदि अत्यन्त आवश्यक हो तो श्री जे0पी0 निगम सहायक संचालक/(बैलिस्टिक्स) एवं सहायक रासायनिक परीक्षक, म0प्र0 शासन, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर अथवा प्राधिकृत अधिकारी को साक्ष्य हेतु न्यायालय में बुलाया जा सकता है ।

कृपया उपरोक्त संदर्भ में पत्राचार करते समय साक्ष्य प्रतिवेदन क्रमांक व दिनांक का उल्लेख अवश्य ही करें ।

संलग्न:- (2) ओपिनियन एफ0एस0एल0/आर्म/874/91
ओपिनियन एफ0एस0एल0/बायो/5046/91

संचालक,
न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला
सागर (म0प्र0)

D-22/1

कार्यालय संचालक, न्याय विज्ञान प्रयोगशाला, सागर (म0प्र0)

क्रमांक/न्या0वि0/सीरल0/874/91 दिनांक 26/10/91

(परीक्षण/अभिमत-पत्र)

विषय :- जिला दुर्ग के थाना भिलाई नगर के अप0 क्र0 580/91 धारा 302 ता0 हि0 25/27 आ0 ए0 के प्रदर्शों का परीक्षण ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक रसापी/डी/498/91 दिनांक 10/10/91

....

प्राप्त प्रदर्श :- निम्नांकित प्रदर्श आरक्षक नित्यानंद क्रमांक 880 थाना भिलाई नगर के द्वारा सीलबंद हालत में दि.14/10/91 को प्राप्त हुये ।

पार्सल_ए_:- इसमें एक मच्छरदानी प्राप्त हुई, जिसे प्र0 सी-1 से मार्क किया। ~~मार्क~~

पार्सल_बी:- इसमें 6 वेड्स मिले, जिन्हें प्रदर्श डब्ल्यू 1 से डब्ल्यू-6 तक मार्क किया । इसमें एक मच्छरदानी का छोटा टुकड़ा है जिसे प्र0 सी0-ए से मार्क किया ।

पार्सल_सी:- इसमें एक चादर है जिसे प्र0सी से मार्क किया ।

पार्सल_डी:- इसमें एक जिंदा कारतूस है जिसे प्र0सी-2 से मार्क किया ।

पार्सल_ई:- इसमें तीन छर्रे हैं, जिन्हें प्र0 पी -1 से पी-3 तक मार्क किया ।

पार्सल_एफ:- इसमें एक टिकली का टुकड़ा है जिसे प्रदर्श एसके-1 से मार्क किया ।

पार्सल_जी:- इसमें एक तांबे का खोल है, जिसे प्र0जी से मार्क किया ।

प्रदर्शों_का_परीक्षण :-

प्र0_सी-1

यह एक हल्के रंग की लगभग 4×6 2"×4' आकार की मच्छरदानी है । इसमें एक किनारे पर नीचे से 17" ऊपर की ओर एक छेद मौजूद है । इसे घेरा लगाकर एच-1 से मार्क किया । इसका आकार लगभग 5"×5" है । यह छेद स्टारनुमा आकार का है । इस छेद की बाहरी सतह पर चारों ओर कालापन मौजूद है । इस छेद के किनारों पर लेड टेस्ट धनात्मक पाया गया काले भाग पर नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया । मार्जिन्स पर बर्निंग के निशान पाये गये ।

.....2/....

D-22/2

पु0 सी -2

यह एक सफेद कॉटन (आधी बाँह वाली) बनियान है, जिसमें खून जैसे दाग मौजूद हैं । बनियान के पीछे बाईं ओर सीने के पास तीन छेद मौजूद हैं । इनको घेरा लगाकर एच-1 से मार्क किया । इन छेदों का आकार क्रमश: 0·3"×0·4", 1·0" × 1·0" तथा 1·0"×0·5" है । इन छेदों के किनारों पर लेड टेस्ट धनात्मक प्राप्त हुआ । इन तीन छेदों के बीच की अधिकतम दूरी लगभग $2\frac{1}{2}$" है । इन छेदों की किनारों के आसपास ब्लैकनिंग अनुपस्थित पाई गई, किन्तु छोटे-छोटे पिन होल्स पाये गये ।

पु0 एसके-1

यह मृतक शंकर नियोगी के [illegible] भाग है । इसका आकार लगभग $5\frac{1}{2}$" × $2\frac{1}{2}$" है । यह सिकुड़ी हुई हालत में है । इसमें छै छेद लगभग 0·2" ×0·2" आकार के मौजूद हैं । इनके छेदों पर लेड टेस्ट धनात्मक पाया गया । इन छेदों के आस गोलाकार एब्रेजन का काला निशान पाया गया । बर्निंग व ब्लेकनिंग नहीं पाई गई । छिद्रों का फैलाव लगभग 2·25"×2·25" है ।

आर्टि0सी-

यह एक सफेद लाल रंग का प्रिंटेड चादर है । इसमें कोई भी गनशाट होल नहीं पाया गया । इसमें खून जैसे दाग लगे हैं ।

आर्टि0 डी-

यह लाल व हल्की पीली धारियों के कवर वाला तकिया है । इसमें खून जैसे दाग लगे हैं, परन्तु इसमें भी कोई भी गनशाट होल नहीं पाया गया ।

पु0पी क्र0 1 से पी-3 तक:

ये तीन गोलाकार आंशिक विकृत सीसे (लेड) के छर्रे हैं । इनका कुल वजन 11·661 ग्राम है । इनका औसत वजन स्टेन्डर्ड एल0जी0 छर्रों के समान है ।

पु0डब्ल्यू 1 से डब्ल्यू-6 तक- पु0 डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-6 गोलाकार ओवरशाट पेपर वेड जिस पर पी0एम0जी0 प्रिंटेड है तथा एक गोलाकार प्लास्टिक वेड फाज. एवं कार्ड-बोर्ड गोलाकार वेड है । इनका व्यास लगभग 0·73" है । यह 12 बोर कारतूस का ओवर शाट वेड है ।

...3/.......

T.C. SBS

D-22/3

पु0 डब्ल्यू-3 एवं डब्ल्यू-4 में दो कार्ड-बोर्ड कुशन-वैड के आंशिक विकृत भाग हैं इनका व्यास लगभग 0.74" है व कुल मुटाई 0.475 है, ये 12 बोर कारतूस की कुशन-वैड है।

पु0 डब्ल्यू-3 गोलाकार कार्ड-बोर्ड वैड है, इसका व्यास लगभग 0.73" है तथा मोटाई 0.12" है। पु0 डब्ल्यू-6 कुछ गोलाकार कार्ड-बोर्ड के वैड्स हैं। इनका व्यास लगभग 0.73" है। डब्ल्यू-5 तथा डब्ल्यू-6 अंडर-शाट अथवा ओवर-पाउडर वैड होना चाहिये।

इन सभी वैड्स पर नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया।

पु0सी-1ए

यह एक मच्छरदानी की काली रंग का टुकड़ा है। इसका आकार लगभग 1"x1" है। इस पर कालापन एवं जलने के निशान हैं। इसमें लैड व नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया।

घटना स्थल निरीक्षण:-

दिनांक 4/10/91 को किया गया था, जिसकी रिपोर्ट क्रमांक एमयू/एफएसएल/डीडब्ल्यूएस/आर-153/91 दिनांक 6/10/91 को पुलिस अधीक्षक दुर्ग को प्रेषित कर दी गई।

आर्टि0 सी,डी और जी को बायोलाजी विभाग में रक्त परीक्षण हेतु क्रमांक/बी आई/5046/91 के द्वारा तथा आर्टि0 एच एवं आई क्रमांक/टी/4272/91 के द्वारा विष परीक्षण हेतु टाक्सीकोलाजी विभाग प्रेषित किये गये।

A.C.
S.B.S.

.........4/.......

क्रमांक/चिविप्र/बेलि0/874/91 D-22 / 4

अभिमत

प्रदर्श डब्ल्यू 1 से डब्ल्यू 6 तक 12 बोर के चले हुये कारतूस के केस व उसके भाग हैं, जिसमें ओवरशाट कैड एल0जी0 छर्रों वाले कारतूस का है ।

प्रदर्श सी-1 (ए) खाकी मच्छरदानी का एक छोटा-सा टुकड़ा है । जिस पर ब्लेकनिंग, सिंजिंग तथा लेड की उपस्थिति पाई गई ।

प्रदर्श पी-1 से पी-3 तक लेड के आंशिक रूप से विकृत छर्रे हैं, इनका औसत वजन स्टेन्डर्ड एल0जी0 छर्रों के लगभग समान है एवं ये किसी स्मूथ बोर वेपन से फायर किये गये हैं ।

खाकी मच्छरदानी प्र0 सी-1 पर पाया गया छेद एच-1 गनशाट छेद है जो कि लेड प्रोजेक्टाइल के लगने से बना है । यह पी-1 से पी-3 तक जैसे छर्रों से आया संभव है । छेद एच-1 के आकार व उसके आसपास आई ब्लेकनिंग एवं मार्जिन पर जलने के निशान के आधार पर फायर आर्म के मजल एन्ड से एच-1 की दूरी 6" से कम रही होगी ।

बनियान प्र0 सी-2 पर उपस्थित छेद जिन्हें एच-1 से चिन्हित किया गया है, गनशाट छेद है जो कि लेड प्रोजेक्टाइल द्वारा आये हैं । ये छेद प्र0 पी-1 से पी-3 तक जैसे छर्रों से आना संभव है ।

मृतक की चमड़ी प्र0 एसके में 6 गनशाट कुन्डल (छेद) है जो प्र0 पी-1 से पी-3 तक के समान लेड शाट्स द्वारा आये हैं ।

मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट में [illegible] के शरीर पर गनशाट कुन्डल के आसपास टेटूइंग की उपस्थिति, मच्छरदानी (सी-1) पर आये होल एच-1 से मजल की दूरी 6" से कम होना तथा शरीर पर छर्रों का फैलाव लगभग 2.3" होने के आधार पर मृतक को आई चोटें किसी शार्ट बैरल वेपन/12 बोर की पिस्तौल द्वारा मजल ओर से लगभग दो फीट की दूरी से फायर करने पर आना संभव है ।

(जे0पी0 निगम)
सहायक संचालक (बेलास्टिक्स)
एवं सहायक रासायनिक परीक्षक, म0प्र0 शासन
न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर, म0प्र0

D-23 2 sheets

राज्य फोरेन्सिक साइन्स प्रयोगशाला सागर (म०प्र०)

क्रमांक एफएसएल/टी/4272/91 दिनांक 22.10.91

प्रेषक : रासायनिक परीक्षक,
मध्य प्रदेश शासन सागर,

प्रति,
पुलिस अधीक्षक
दुर्ग (म० प्र०)

आपका पत्र क्रमांक/पुलिस/अप/498/91 दिनांक 10/10/91 से संबंधित दो सीलयुक्त प्रदर्श अप० क्र० 580/91 धारा 302 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट आरक्षी केन्द्र भिलाई नगर के इस कार्यालय में आरक्षक क्र० बेमेटक विभाग द्वारा संचालित आरक्षी केन्द्र बेल/874/91 दि.14/10/91 द्वारा दिनांक 14/10/91 को प्राप्त हुआ ।

पार्सल का विवरण एवं सील स्थिति

दो सीलयुक्त प्रदर्श जो कि एच एवं आई अंकित हैं सील हैं (सी.एस.दुर्ग की है)

पाकेट में पाये गये प्रदर्शों का विवरण

प्रदर्श एच :- में बिसरा के टुकड़े जिन्हें लेकर गुहा नियोगा के लवण, लिवर, आमाशय, किडनी, आँत एवं पेट मध्य तत्वों के होना कहा गया है ।

प्रदर्श आई :- में नमूना द्रव (स्प्रिट)

परीक्षण का परिणाम

आपके द्वारा प्रदर्शों को तीन माह के अंदर वापस नहीं बुलाया जाता है तो प्रदर्श नियमानुसार नष्ट कर दिये जायेंगे ।

प्रदर्श एच एवं आई में रासायनिक विष नहीं है ।

नोट:- चूंकि बिसरा सुरक्षित रखने का द्रव स्प्रिट है, अतः बिसरा में इथाइल अल्कोहल का परीक्षण नहीं किया गया है ।

सहा० संचालक

T.C. SBS.

7-23/2

विधि विज्ञान प्रयोगशाला म0 प्र0 शासन सिविल लाईंस, सागर-470001.

क्रमांक/विविप्र/बी आई/5046/91 दिनांक 28.10.91
बी ए/874/91

प्रेषक:- संचालक एवं रासायनिक परीक्षक
म0प्र0 शासन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,

दुर्ग (म0 प्र0)

आपका पत्र क्रमांक पुअ/वा/अप/498/91 दिनांक 10.10.91 अपराध क्र0 580/91 धारा 302 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग आरोपी............ से संबंधित सील बन्द तीन पैकेट आरक्षक बैलेस्टिक्स शाखा विविप्र सागर द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15/10/91 को प्राप्त हुये। उसमें तीन पैकेट/प्रदर्श/चिन्हित ए, बी एवं सी पाये गये जो ब्राउन पेपर आवरण में एफ.एस.एल. सागर से सील बन्द थे। सील अविकल मिला।

क्र0 पैकेट अंकित	अन्दर पाये प्रदर्श/विवरण	जहाँ अंकित	किससे/किसका तथा जप्ती दिनांक	धब्बों का विवरण आकार रंग विवरण
(1) चादर	(ए)	घटना स्थल 28.9.91		एक बड़ा गहरे कत्थई भूरे रंग का धब्बा एक सिरे पर।
(2) बनियान	(बी)	मृतक 28.9.91		गहरे कत्थई भूरे रंग के धब्बे आगे एवं पीछे भाग पर।
(3) तकिया मय	(सी)	घटना स्थल 28.9.91		मध्यम एवं छोटे आकार के गहरे कत्थई धब्बे एक तरफ।

पृ0 (3) पर......

 D-23/3

विवि/क्र/बा आरई/5046/91

रक्त परीक्षण :- बैंजीडीन/फिनाल्फथलीन तथा प्रिसिप्टिन टेस्ट प्रदर्शों पर किये गये तथा निम्नांकित परिणाम पाये गये ।

(अ) धनात्मक परिणाम :सी,डी एवं जी ।

(ब) ऋणात्मक परिणाम :

2 वीर्य हेतु निम्नांकित प्रदर्शों पर परीक्षण किये गये ।

(अ) अल्ट्रा वायलेट टेस्ट............

(ब) टेक्टाइल टेस्ट...............

(स) रसायनिक परीक्षण:-

(1) पोटेशियम फास्फेटेज टेस्ट...........

(2) फ्लोरेन्स टेस्ट...............

(द) शुक्राणु संबंधी माइक्रोस्कोपिक परीक्षण.......................

1 धनात्मक परिणाम प्रदर्श ....

2 ऋणात्मक परिणाम प्रदर्श................

3 मानव शुक्राणु पाये गये ....

4 शुक्राणु नहीं पाये गये....................

<u>परीक्षण परिणाम:-</u>

(1) प्रदर्श सी, डी एवं जी पर रक्त है ।

नोट:- परीक्षण के पश्चात् पैकेट सी,डी एवं जी सेरोलॉजी शाखा को सौंपे गये (25.10.91)

प्रदर्शों के संबंधित भाग रक्त के प्रजाति एवं समूह(ग्रुप) परीक्षण हेतु सीरोलॉजिस्ट भारत शासन कलकत्ता को संलग्न सूची के अनुसार भेजे जा रहे हैं ।

प्रदर्श वापसी...

(पी0एन0भुजाड़िया)
तकनीकी अधिकारी
फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी मप्र शासन
सागर

(डॉ0 सी0एन0श्रीवास्तव)
सहायक संचालक
फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी मप्र
सागर

आर.एम.एस.एस.के. रजि.नं. 2018
हेड आफिस :

छत्तीसगढ़ माईन्स
श्रमिक संघ
दल्लीराजहरा जिला दुर्ग, म०प्र०
शाखा : हिर्री, बिलासपुर, दानीटोला
दुर्ग, बांदाडोंगरी माईन्स, राजनांदगांव,

दिनांक 29/4/91

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी,
राजहरा।

डीएसपी श्री
अग्रवाल----
सही/-
1/10
एस.पी.

आज दिनांक 29/4/91 को श्री शंकर गुहा नियोगी के हत्या करने की धमकी भरा एक पत्र हमारे कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसकी फोटो कापी आपके पास भेजा जा रहा है। पत्र की मूल प्रति पुलिस अधीक्षक, दुर्ग की ओर भेजा गया है।

अतः आपसे अनुरोध है इस पर तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

प्राप्त
सही/-
3.10.91

धन्यवाद,

आपका,
सही/-
(के.एस.साहू)
कार्यालय सचिव

एसआई मिश्रा
जांच कर रिपोर्ट दें।

सही/-
एसएचओ
S.B.S.

डी-25 2 sheets

जप्ती पत्रक धारा 102/457 91219

....

थाना - कोतवाली सेक्टर 6 (भिलाई नगर) जिला दुर्ग म0प्र0
अप0 क्रमांक 580/91 धारा 302 ता0हि0
स्थान जप्ती राजहरा सी.एम.एस.एस. आफिस दिनांक 5/10/91.
किससे जप्त किया गया :- श्री डी0 पुण्यब्रत गुहा पुत्र डी0 नरेन्द्र मोहन गुहा सा0 राजहरा के पेश करने पर
किसने जप्त किया : उप नि0 बी0 आर0 एन0 सिंह
गवाहान जिनके समक्ष : (1) श्री विभमन सिंह ठाकुर पुत्र श्री विमरा सिंह ठाकुर सा0 पुराना बाजार दल्ली सी.एम.एस.एस. कार्या0
(2) श्री लक्ष्मणराम डोंगरे पुत्र श्री कान्हू डोंगरे सा0 कोन्डू चुका पावर हाउस हाल सीएमएसएस कार्या0 राजहरा

तफ0 माल

(1) एक अन्तर्देशीय पत्र जो श्री शंकर गुहा नियोगी कार्या0 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा दल्ली राजहरा के पते पर लिखा गया है। जिसमें लिखने वाला एक शुभ चिन्तक ने शंकर गुहा नियोगी को इस पत्र में सावधान किया है कि आप की हत्या करवाने की तैयारी पूरी करके सिम्पलेक्स ग्रुप का चन्द्रकांत शाह विदेश यात्रा पर रवाना हो गया है तथा चन्द्रकांत द्वारा अत्याधुनिक हथियारों की खरीदी की गई है। तथा चन्द्रकांत के द्वारा लेनदेन का मामला भी तय हुआ है। वजह सबूत में जप्त किया गया। सील अस्पष्ट है।

(2) एक लाईनिंग वाले कागज पर नियोगी जी को लिखा गया पत्र जो लिखने वाला शुभचिन्तक भारतीय नागरिक 2/7/91 तारीख लिखकर श्रीमान नियोगी साहब को विचार है कि आपके जीवन

T.C.
S.B.S.

...2/....

 D-25/2

का ठेका हो चुका है । जो टेण्डर अनुमानित 12 लाख तय हुआ है। उस आदमी का नाम : जानता है पर नहीं बता सकता । वजह सबूत में पत्र पुरसे पर जमा किया गया ।

नकल प्राप्त हुआ सही/- 5/10/91

प्रार्थी

सही/- भिमसेन... सही/- 5/9/91 सही/- डा॰ पुण्यव्रत गुण

सही/-
5/10/91

T.C.
S.B.S.

डी-24 + 26

श्रीमान,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आपकी हत्या कराने की तैयारी पूरी करके सिम्पलेक्स ग्रुप का चन्द्रकांत शाह विदेश यात्रा पर रवाना हो गया है आपके द्वारा पूर्व में रायपुर से प्रकाशित एक दैनिक में अपनी भेंट वार्ता में ऐसी आशंका जाहिर की थी इसीलिये सिम्पलेक्स के द्वारा चन्द्रकांत की विदेश यात्रा का आयोजन किया गया है चूंकि चंद्रकांत के द्वारा ही सिम्पलेक्स ने ये काम कुछ लोगों को सौंपा है इन्हें चन्द्रकांत कुछ दिनों पूर्व नेपाल ले जाकर अत्याधुनिक हथियारों की खरीदी भी की गई है और उन्हें चन्द्रकांत की गैर मौजूदगी में आप पर हमला करने के लिये निर्देशित किया गया है इन अपराधियों से लेन देन का मामला भी चन्द्रकांत के माध्यम से ही तय हुआ है । इन लोगों के द्वारा यदि और किसी तैयारी की जानकारी मिली तो पत्र द्वारा सूचित करूंगा ।

एक शुभचिन्तक

आई 2 एस आई-

T.C.
C.S.

D-26

श्रीमान

इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ कि आपकी हत्या करवाने की तैयारी पूरी करके सिमपलेक्स ग्रुप का चन्द्रकान्त शाह विदेश यात्रा पर रवाना हो गया है आपके द्वारा एवं मैं रायपुर से प्रकाशित [illegible] दैनिक में अपनी [illegible] में लेखी आशंका जाहिर की थी इसीलिए सिमपलेक्स के द्वारा चन्द्रकान्त को विदेश यात्रा का आयोजन किया गया है चूंकि चन्द्रकान्त के द्वारा ही सिमपलेक्स का सारा काम कुछ लोगों को सौंपा है इन्हें चन्द्रकान्त कुछ दिनों पहले नेपाल ले जा। —

अत्याधुनिक हथियारों को खरीदी भी की गई है और उन्हें चन्द्रकान्त की गैरमौजूदगी में आपपर हमला करने के लिए निर्देशित किया गया है इन आदमियों के नाम दो या [illegible] में चन्द्रकान्त के माध्यम से ही [illegible] इच्छा की इन लोगों ने प्रयाग [illegible] और किसी तैयारी की जानकारी मिली तो पत्र द्वारा सूचित करूँगा।

एक शुभचिन्तक

—I.2.S.I—

डी-27 2 Sheets

पर्द जप्ती

थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग म०प्र०

अप० क्र०-580/91, धारा- 302/34, एवं धारा, 25, 27 आर्म्स एक्ट

दिनांक समय- 13/10/91 के

स्थान - 18 नंबर रोड, कैम्प-1, थाना- छावनी

जिसके पास से जप्त किया - अमर सिंह के मकान का तलाशी पर

किसके समक्ष जप्त किया -

(1) मदन कुमार पुत्र जनार्दन राव, जाति- शोंड उम्र 24 साल सा० ब्लाक 6 क्वा नं० जी/लेबर कैम्प (एल.सी), कैम्प 1, भिलाई

(2) अनिल कुमार पुत्र स्व० जे.के.प्रकाश, जाति-कायस्थ, उम्र-38 साल, सा०-ब्लाक 6/क्वा.नं.1/एल.सी./कैम्प नं० 1, भिलाई।

जिसने जप्त किया- उप निरी० एस०के० नक्वी, थाना प्रभारी, थाना बेरला, जिला दुर्ग म० प्र०

विवरण

(1) एक अंतर्देशीय पत्र जो अमर कुमार सिंह, कैम्प-1, क्वार्टर नंबर-7 जी, पोस्ट-सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग म०प्र० को अरुण कुमार सिंह ग्रा०पोस्ट खालिसपुर जिला गाजीपुर द्वारा लिखा गया है, पत्र पर दि० 17.1.91 खालिसपुर लिखा है। तथा अरुण कुमार सिंह के हस्ताक्षर हैं। पत्र पर अस्पष्ट पोस्ट आफिस का सील लगा है।

(2) एक अंतर्देशीय पत्र जो अमर कुमार सिंह, क्वा.नं० 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, पोस्ट-सुपेला भिलाई, जिला दुर्ग म०प्र० को श्रीमती बिंदु सिंह, खालिसपुर गाजीपुर (उ०प्र०) द्वारा भेजा गया है। पत्र पर अस्पष्ट पोस्ट-आफिस का सील लगा है।

(3) एक भिलाई टाइम्स पेपर मंगलवार दि० 30 अप्रैल 1991 का जिसके ऊपर हाथ से नीला स्याही से सिम्प्लेक्स कास्टिंग इंजीनियरिंग वर्क्स, लाइट इंडस्ट्रीज एरिया, भिलाई म०प्र० लिखा है पेपर के ऊपर 15पैसे का डाक टिकट लगा है, तथा पोस्ट आफिस का अस्पष्ट सील लगा है।

T.C. SAS .....2/.....

...2... D-27/2

(4) एक पाम्फलेट (प्रिंटेड) जो दि0 15 नवंबर, गुरूवार को हड़ताल को कामयाब करने के संबंध में अध्यक्ष, जनकलाल ठाकुर द्वारा निकाला गया ।

(5) एक पेपर की कटिंग जिसमें 15,000 आदमियों को माह नौ माह का हो बोनस मिलेगा के संबंध में निकाली गई कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया ।

(6) एक पेपर कटिंग जिसमें सिम्प्लेक्स मजदूर जिला चिकित्सालय में भर्ती के संबंध में छपा है ।

(7) एक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा क्रांतिकारी अभिनन्दन जिसमें स्थान पी0जी0 बी0टी0 मैदान सर्किट हाउस के पीछे, रायपुर समय रैली-दोपहर 12 बजे, बी0टी0आई0 मैदान आमसभा-दोपहर 3 बजे लिखा है जिसके ऊपर
"हम अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, वे हमारी आवाज दबाना चाहते हैं" लिखा है ।

(8) एक सफेद कागज पर टेलीफोन 2129, सिम्प्लेक्स 3870 लिखा है ।

(9) एक चिकने हल्के पीले कागज पर नजोन 5569, 2209, होम 2389, केडिया 2661, 2663 अस्पष्ट मूलचन्द 5608 लिखा है ।

(10) एक सफेद कागज पर बसन्त राय जैन तथा अन्य उद्योगपतियों के नं0 1 से 11 तक नाम लिखे हैं ।

(11) एक सफेद कागज पर आई.आर.एफ., जनरल इंडस्ट्रियल फोर्स (हिन्दी में) (1) पेमेंट क्या लेगा (2) इन गार्डों की स्थिति व कार्य (3) अगर रुकने की व्यवस्था हो तो फौजी लोग आ सकते हैं । (4) यूनिफार्म खुद बनवाना पड़ेगा या कंपनी देगी (5) संचालन कैसे किया जाये यह पूर्णतः स्पष्ट किया जाये।

वजह सबूत के अभय सिंह के मकान की तलाशी समक्ष अरूण सिंह पुत्र विक्रमसिंह 24 साल सा0 शारदापुर, जिला-गाजीपुर हा0मु0कैम्प-9 के ली जाकर जप्त की गई ।

हस्ता.गवाहान:-	हस्ता0 जिसके समक्ष जप्त किये गये	जप्तकर्ता
1. सही/-		सही/-
2. सही/-	अरूण कुमार सिंह (सही)	13/10/91

हस्ता0 जिसे एक प्रति दी गई
सही/-
अरूण कुमार सिंह

T.C.
SBS.

D-28

भिलाई दर्पण

प्रधान सम्पादक डॉ. देवीदास — पूर्वी मध्यप्रदेश का प्रथम प्रगतिशील सांध्य दैनिक — रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स पं.सं. ५०२११/८९

वर्ष–३ अंक–७१ — भिलाई नगर मंगलवार ३० अप्रेल १९९१ — पृष्ठ–४ — मूल्य ५० पैसे

नियोगी की हत्या का षडयन्त्र रचा था शाह ने

चंद्रकांत शाह के विदेश प्रवास का राज क्या है ?

भिलाई। श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या करने के लिये सिम्प्लेक्स उद्योग समूह के डायरेक्टर मूलचंद शाह व चंद्रकांत शाह ने एक षडयन्त्र रचा था। यह जानकारी कल शंकर गुहा नियोगी को राजहरा में प्राप्त एक अंतर्देशीय पत्र से हुआ। पत्र के प्रेषक ने अपने आप को श्रमिक नेता का 'शुभ चिंतक' बताया है २७ अप्रेल को प्रेषित यह पत्र शुद्ध हिन्दी में अ[illegible] व्याकरण सहित है।

पत्र से प्राप्त विवरणों के अनुसार चंद्रकांत शाह जो वर्तमान में विदेश प्रवास पर है, प्रवास पूर्व यह षडयन्त्र रचा था। मूलचन्द शाह ने तो इस बीच षडयन्त्र का जानकार चंद्रकांत के हाथों सौंपा था। बताया गया है कि चंद्रकांत का वर्तमान विदेश प्रवास संभवतः इसलिये हुआ है क्योंकि अगर इस बीच नियोगी की हत्या हो भी जाये तो आरोप उन पर साबित न हो सके। क्योंकि वे विदेश प्रवास पर हु[illegible]

शंकर गुहा नियोगी ने पत्र की फोटो प्रतिलिपि कलेक्टर तथा कमीशनर को सौंप दी है ताकि अग्रिम कार्यवाई हो सके। पत्र की प्रति भिलाई टाइम्स को मिली है जिसे हम आप पाठकों के लिये हूबहू पेश कर रहे हैं।

श्रीमान, [illegible]

इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आपकी हत्या [illegible]

तैयारी करके सिम्प्लेक्स ग्रुप का चंद्रकांत शाह विदेश यात्रा पर रवाना हो गया है। आपके द्वारा पूर्व में रायपुर से प्रकाशित एक दैनिक में अपनी भेंटवार्ता में ऐसी आशंका जाहिर की थी. इसलिये सिम्प्लेक्स के द्वारा चंद्रकांत की विदेश यात्रा का आयोजन किया गया है। चूंकि चंद्रकांत के द्वारा ही सिम्प्लेक्स के ये काम कुछ लोगों को सौंपा है [illegible] पूर्व नेपाल

खरीदी भी की गई है और उन्हें चंद्रकांत की गैरमौजूदगी में आपपर हमला करने के लिये निर्देशित किया गया है इन आदमियों से लेन देन का मामला भी चंद्रकांत के माध्यम से ही तय हुआ था। इन लोगों के द्वारा यदि और किसी की तैयारी की जानकारी मिली तो पत्र द्वारा सूचित करूंगा।

एक शुभचिंतक

D-29

सिम्पलेक्स मजदूर जिला चिकित्सालय में भर्ती

दुर्ग। स्थानीय जिला सदर चिकित्सालय में देर रात्रि सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग में कार्यरत श्रमिक उमाशंकर राय को घायलावस्था में भर्ती कराया गया।

घायल व्यक्ति प्रगतिशील श्रमिक संघ का उपाध्यक्ष तथा शंकर गुहा नियोगी का आदमी बताया जाता है। श्रमिक का आरोप है कि उद्योगपतियों के गुंडों ने जामुल थाने के टी.आई. की उपस्थिति में उस पर प्राणघातक हमला किया है।

श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

D-31

5569

2209

23807

2661

2663

5603

D-30

Tel. 21229

Simplex-5870

13/10/91

(C-9) **D-32**

1. Sri [illegible] Jain
   Chairman BEC Group of Companies, Bhilai.

(Directors)

2. M. R. Shah.
   Vice President, Simplex. Bhilai.

3. Rajkumar Jindal
   Ex. Director (Finance) Beckry Group of C.

4. T. S. Thakur. Kalyan College.

5. Ashok Rajmani.
   Join director Industries Durg.

6. R. S. Tiwari (Cost and management Accountant)

7. S. V. S. Rao (General Manager (Finance)
   B. E. C. Bhilai.

8. T. R. Nagarajan. (Management Consultant and Retd. Manager (Personal) B. S. P.

9. Virendra Singh. (Labour Management Consultant Bhilai & Retd. Dy. Manager Personal Modi Cement LTD)

(10) R. B. Asthana.
Consultant Bhilai Management Services Bhilai

(11) Prof. A. K. Shukla Govt. College Durg
Director of P. Graduate Diploma in Personnel Management and Industrial Relations.

13/10/11

<u>जप्ती पत्रक 102/457 साक्ष्यपत्रों</u>

थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग (म0प्र0)

अप0 क्रमांक 580/91 धारा <u>302, 120 बी, भा0द0वि0</u>
25/27 आर्म्स एक्ट

स्थान जप्ती :- अशोक राय के मकान नं0 7 ए, सड़क 5, सेक्टर 4, भिलाई.

दिनांक समय जप्ती : 13/10/91 के 18 बजे

किससे जप्त किया गया : अंजनी देवी पत्नी राम आशीष राय उम्र 45 वर्ष,
सा0 सेक्टर 4 सड़क नं0 5, क्वार्टर नं0 7/ए.

किसने जप्त किया : एस0 जी0 अग्रवाल, उप पुलिस अधीक्षक
राजनांदगांव कैम्प-भिलाई.

गवाहान जिनके समक्ष जप्त किया गया : (1) शिवा राम सिंह पिता मुन्नी लाल सिंह बन्देल, उम्र 40 वर्ष सा0 हिरम्बा थाना धोरैया जिला भागलपुर (बिहार) हाल बसन्त टाकिज के पास, भिलाई कैम्प।

(2) अनिल कुमार जैन पुत्र स्वरूपचंद जैन उम्र 25 वर्ष, सा0 सेक्टर 6 सड़क नं0 41/2 जी.

(3) राम आशीष राय पिता सुखन राय उम्र 56 वर्ष, सेक्टर 4 सड़क 5 क्वार्टर नं0 7/ए

<u>तफ0 माल</u>

(1) एक रुपये का नोट क्रमांक $\frac{डी}{44}$ 424195 नेपाल राष्ट्र बैंक मे 5 श्री सरकार ने जमानत प्राप्त धन को सुविधा मागन आरोप नेपाल राष्ट्र बैंक बाट बाहक सकिया। लिखा हुआ जिसके दूसरे तरफ दो हिरण के चित्र बने हिन्दी और अंग्रेजी में रु0 1 लिखा हुआ।

(2) एक चाभी का की रिंग जिसके एक तरफ एच.के. लिखा है तथा दूसरी तरफ होटल कैलाश नारांज लिखा है।

<u>गवाहों के ह0</u>

1. सही/-
शिवाराम सिंह

2. सही/-
अनिल कुमार जैन

नि0अंगूठा दाहना

सही/-
13.10.91
उप पुलिस अधी.
कैम्प भिलाई

T.C.
S.B.S.

मेमोरेण्डम

(धारा 27 साक्ष्य अधिनियम)

थाना भिलाई नगर — जिला दुर्ग

अप0क्र0 580/91 — धारा 302 आई.पी.सी. 25, 27 आर्म्स एक्ट

दिनांक व समय : 13.10.91 के 23.30 बजे

स्थान जहाँ मेमोरेण्डम लिया : थाना भिलाई नगर.

अधिकारी का नाम जिसने मेमोरेण्डम लिया : एम0 जी0 अग्रवाल, डी.एस.पी. राजनांदगांव, कैम्प भिलाई

किसका मेमोरेण्डम लिया : ज्ञान प्रकाश पुत्र कृष्ण मिश्रा, 23 साल, साकिन कैम्प 1 बड़ा आटा चक्की के पास, 18 नम्बर भिलाई.

गवाह का नाम:

1. निर्मलनारायण पुत्र एस0के0उपाध्याय उम्र 28 साल, साकिन आजाद मार्केट, रिसाली सेक्टर भिलाई.
2. निरंजन लाल पुत्र श्री कस्तूराम यादव उम्र 36 साल साकिन मोदीपारा, मकान ए-3/25 बलौदा बाजार.
3. शत्रुघ्न पुत्र दुखुराम पटेल उम्र 26 साल साकिन ग्राम डांगनी पटेल मोहल्ला थाना जामुल भिलाई.

कैफियत

मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा मार्च 1991 में चन्द्रकांत शाह, अशोक राय, अभय सिंह और एक ड्राइवर के साथ टेम्पो ट्रेक्स एम.पी.-24, बी-6622 से नेपाल जाकर पप्पू से सौदा तयकर कसौल से .22 बोर का एक रायफल और 250 कारतूस बेतिया बिहार से एक पिस्तौल 25 बोर विदेशी (पिस्टल) का आल राउन्ड मेगजीन का तथा एक पिस्तौल 32 बोर का मेगजीन सहित लेकर आये थे। .22 बोर

T.C. SBS

......2......

 D-34/2

की रायफल व कारतूस चन्द्रकांत शाह के पास हैं। करीब दो माह पहले 25 बोर की पिस्तौल विदेशी कीमती की मैगजीन वाला मय राउण्ड के बाकिया पारस दुर्ग के देवेन्द्र पाटनी को दिया हूं जो बरामद दिलवा देता हूं।

हस्ताक्षर गवाह

1. सही/-
2. सही/-
3. सही/-
   13/10/91

सही/-
13/10/91
अधिकारी का हस्ताक्षर

T.C.
S.B.S.

जप्ती पत्र

थाना   भिलाई नगर   जिला दुर्ग

अप0 क्र0 580/91   धारा 302, आई-पी-सी-

25-27 आर्म्स एक्ट

दिनांक समय जप्ती : 14-10-91 के 0-15 बजे

किस स्थान से जप्त : टीमर थाना नगर
देवेन्द्र सु० आर०आर०जैन 35 साल,

किससे जप्त किया : टीमर थाना दुर्ग के पेश करने पर-

किसने जप्त किया : एस०आर०अग्रवाल, डी-एस-पी-
राजनांदगांव, कैम्प भिलाई-

किसके समक्ष जप्त किया :-

1- विश्वनाथ नारायण पुत्र स०पी०उपाध्याय 28 साल सा0 आजाद मार्केट, रिसाली भाटा, भिलाई-
2- निरंजन लाल पुत्र कल्लूराम यादव उम्र 56 साल सािकन भोदा ग्राम म०क्र0 ए-5/25 खुर्सीपारखुर्द
3- शत्रुघ्न पुत्र दुखुराम पटेल 26 साल सािकन ग्राम डाबरा पटेल मोहल्ला थाना डाबरा भिलाई-

कैफियत

एक पिस्तौल विदेशी जिसमें नाल पर आर-ए-एल-6 एम-एम 35 लिखा है बट पर अंग्रेजी में एमएन लिखा है नीचे बट पर वेबी लिखा है । पिस्तौल पर फैक्टरी नेशनले 10 आरमोस डी गुएरे हरस्टल बेल्जियम ब्राउनिंग पेटेंट डिपोस लिखा है ट्रेगर के पास जहाँ एस लिखा है उसके ऊपर नम्बर घिसे हुये दिखाई दे रहे हैं तथा 6 पिस्तौल को गोली जिसके पीछे आटो तथा एम-एम- खुदा हुआ है । देवेन्द्र के पेश करने पर जप्त किया गया ।

हस्ताक्षर गवाह

1- सही/-
14-10-91
2- सही/-
14/10/91
3- सही/-
14-10-81-

सही/-
डी-के-जैन
14-10-91
जिससे जप्त किया गया

सही/-
14-10-91
जिसने जप्त किया
हस्ता-

T.C.,
S.B.S.

जप्ती पत्र

थाना भिलाई नगर — जिला, दुर्ग

अप0 क्रमांक 580/91 — धारा 302 भादवि 25/27 आ0एक्ट

दिनांक समय स्थान जप्ती : 13.10/91 के 11 बजे दिन थाने पर

गवाहान :- (1) बल्लू पुत्र राजेन्द्र विश्वकर्मा उमर 19 साल सेक्टर 6, सड़क 62 क्वाटर नं0 7 डी थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग म0प्र0

(2) स्वामी पुत्र भागया तेलगू नाडू उमर 19 साल सेक्टर 6 सड़क 62। क्वार्टर 1 जी सेक्टर 6 भिलाई नगर जिला दुर्ग, म0प्र0

जिसने जप्त किया :- थाना प्रभारी राजेश तिवारी
थाना भिलाई नगर

जिसके पास से जप्त किया : सत्यनारायण सिंह पुत्र राम नगीना सिंह, धमा उमर 60 साल सा0 दुमरिया थाना सहतवार जिला बलिया, उप हाल सोसाई उष्णु हराखोज भिलाई बाईसी कम्पनी के पेश करने पर।

माल तफसील

1. तीन चल जी कारतूस 12 बोर 3 जी कम्पनी की ग्रांड पिक्स मेड इन इंग्लैंड, अंग्रेजी में एल.जी. लिखा है, पाठे पीतल में ईएलईसाई 12 लिखा है।

हस्ताक्षर गवाहान

1. सही/-

2. सही/-
स्वामी

हस्ताक्षर जिससे जप्ती
सही/-
सत्य नारायण सिंह

सही/-

T.C.
S.B.S.

पंचनामा

थाना भिलाई नगर   जिला दुर्ग

अप० क्र० 580/91   धारा 302 आईपीसी, 25,27 आर्म्स एक्ट

दिनांक व समय : 6.10.91 के 15.00 बजे

स्थान : भिलाई नगर थाना

नाम अधिकारी : एस०जी०अग्रवाल डीएसपी, कैम्प भिलाई.

नाम गवाह : (1) जनकलाल ठाकुर पुत्र सुखराम ठाकुर उम्र 40 सा० राजहरा.

: (2) बसंत पुत्र रामप्रसाद उम्र 22 साल, सा० हुडको 27B, भिलाई.

कैफियत

डी० पुन्यव्रत पुत्र द्वारा एक टेप रिकार्ड कैसेट लाल सफेद रंग का जिसमें आरटी-60एचएफ पैनासोनिक मेड इन जापान एचएफ-60 लिखा । इसमें एक तरफ एचजे91। काले रंग से लिखा पेश किया जिसे गवाहों के समक्ष सुना गया कैसेट को टेपरिकार्ड से सुनने में साइड 2 में शंकर गुहा नियोगी का भाषण दस मिनट बावन सेकेंड का लगभग पाया गया । डी० पुन ने बताया कि यह भाषण लगभग डेढ़ माह पहले शंकर गुहा नियोगी ने दिल्ली जाने के पहले टेप किया था । समक्ष गवाहान पंचनामा बनाकर कैसेट सीलबंद किया गया ।

हस्ता० गवाह

1. सही/-
2. सही/-

हस्ता० कैसेट प्रस्तुत करने वाले के
6/10/91

सही/-
6.10.91
डी.एस.पी.एच.क्यू.

T.C.
SBS

जप्ती पत्र

थाना भिलाई नगर — जिला दुर्ग

अप० क्र० 580/91 — धारा 302, 25, 27 आर्म्स एक्ट

दिनांक व समय जप्ती : 6.10.91 के 16.00 बजे

किसने जप्ती किया : एस० आई० प्रकाश उपाध्याय कैम्प भिलाई

नाम गवाह:- (1) जनक लाल ठाकुर पुत्र सुखराम ठाकुर 40 राजहरा.

(2) अजीत पुत्र राम प्रसाद 22 साल, सा० हुडको 273 भिलाई.

किससे जप्त किया : डा० पुण्यव्रत पुत्र आनन्द मोहन गुन बंगाली 31 साल सा० शहीद अस्पताल राजहरा.

स्थान जप्ती : थाना भिलाई नगर.

कैफियत

एक टेपरिकार्डिंग कैसेट लाल सफेद रंग जिसमें आरटी-60एमसी, पैनासोनिक मेड इन जापान एवं सी-60 लिखा जिसमें एक तरफ एफ.जे.91 नंबर लिखा हुआ है यह बताने पर कि कैसेट में शंकर गुहा नियोगी का भाषण टेप किया हुआ है वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया ।

हस्ताक्षर गवाह

1. सही/-
2. सही/-

6.10.91

हस्ता० किसने जप्त किया

सही/- 6.10.91 16.00 बजे.

हस्ता० जिससे जप्त किया

T.C.
SBS

जप्ती नामा

थाना भि0 नगर	जिला दुर्ग
अप0 क्र0 580/91	धारा 302, 120 बी, 109 34 आई पी सी, 25, 27 आर्म्स एक्ट
दिनांक व समय जप्ती	1.11.91 के 13.30 बजे
किसने जप्त किया	एस.जी.अग्रवाल उप पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव
किससे जप्त किया	जी.एम.अंसार पुत्र उस्मान गाजी मुसलमान उम्र 37 साल सा0 ग्राम शंकर पुर डाकघर लोको पुर, जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल.
किसके समक्ष जप्त किया	(1) डॉ समरलाल पुत्र कालीपद जाना शहीद अस्पताल, राजहरा. (2) डॉ0 पुन्यब्रत गुन पुत्र डॉ0 अतीन्द्र मोहन गुन शहीद अस्पताल राजहरा.
स्थान जप्ती	: शहीद अस्पताल, राजहरा.

विवरण- एक प्रसाद एण्ड कंपनी (प्रोजेक्ट्स) लिमिटेड की डायरी सन् 1990 की जिस पर प्लास्टिक कवर चढ़ा है डायरी में 1 से 176 तक पेज नंबर डाले हैं। डायरी के जिन पेजों पर हिन्दी अंग्रेजी की लिखावट है उन पेजों पर विवेचना अधि0 एवं गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये हैं। पेज नंबर 169 से 174 तक अंग्रेजी में संदेहियों के नाम लिखे गये हैं। गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया।

गवाह के हस्ताक्षर-

1. सही/- 1/11/91

2. सही/- 1/11/91

सही/-
1.11.91
डी.एस.पी.
कैम्प राजहरा
अधिकारी के हस्ताक्षर

सही/-
1.11.91
जिससे जप्त किया हस्ताक्षर

T.C.
SBS

प्र-41

<u>जप्ती पत्रक (मुता० धारा 102 द०प्र०सं०)</u>

थाना भिलाई नगर — जिला दुर्ग (म०प्र०)

अप० क्रमांक 580/91 — धारा 302 ता०हिन्द एवं 25,27 आर्म्स एक्ट

दिनांक समय जप्ती — 20/10/91 के 16/30 बजे

स्थान जप्ती — अंजारा होटल श्री नगर सिवान (बिहार)

किसने जप्त किया — ए.एस.आई. विनु शुक्ला थाना भिलाई नगर सेक्टर 6 जिला दुर्ग (म०प्र०)

किसके पास से : 1. अजय कुमार पुत्र श्री शिवशंकर प्रसाद सिंह क्षत्री आयु 23 साल सा/जो मनोज प्रसाद सिंह, श्रीनगर थाना मुफस्सिल सिवान जिला सिवान (बिहार) के पास से पेश करने पर।

साक्षी:- 1. दारोगा भगत पुत्र रसूल भगत आयु 60 साल, सा० जलालपुर कन्जरावा टोला थाना मुफस्सिल जिला सिवान (बिहार)

2. सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री भरत सिंह क्षत्री 26 साल सा० कदान थाना केसरिया जिला पूर्वी चम्पारन (बिहार)

<u>माल मुख्त</u> 1. एक रजिस्टर अंजारा होटल का जिसमें आने जाने वाले व्यक्तियों का हवाला दर्ज है। पेजिंग नहीं है दिनांक 29/8/90 से शुरू होकर 19/10/91 तक लिखा है। 43 पन्ने कोरे हैं। 65 पन्ने लिखे हैं। दिनांक 14/11/90 को आना तथा 19/11/90 को 7 बजे शाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा भिलाई के नाम का 19/11/90 के 5/30 बजे 23/11/90 को 2 बजे जाना दो अन्य लोगों के साथ ठहरा तथा 24/11/90 को फिर से ज्ञान प्रकाश मिश्रा तीन अन्य लोगों के साथ ठहरना 1/12/90 तक ठहरने से का हवाला दर्ज है। ज्ञान प्रकाश के अस्पष्ट हस्ता० भी है 9/12/90 के 11/30 बजे से 13/12/90 के 8/30 बजे तक ज्ञान प्रकाश मिश्रा भिलाई वाले के ठहरने का हवाला दर्ज है जप्त किया गया।

1. सही/-

2. सही/-
20.10.91

सही/-
अजय कुमार सिंह
20/10/91

सही/-
~~एस०आई०/ए०एस०आई०~~
20.10.91

TC,
SBS.

BANJARA MOTEL
SRINAGAR SIWAN-841226

D-42

Sl. No.	Full Name (In Block Capital Letters)	Full Address	Nationality	No. of persons	Relationship	Purpose of visit	Coming from	Going to
14/XI/90								
1.	Gyan Prakash Mishra, Mishra Complex, BHILAI	Mishra Complex Camp-I, Bhilai, Durg M.P.	Indian	-	-	Tour	Bhilai	Bhilai
19/XI/90								
1.	Gyan Prakash Mishra	Mishra Complex Camp-1 Bhilai	Indian	2	Friend	Business	Bhilai	Bhilai
22/XI/90								
2.	Awadhesh	Camp 1 Bhilai		2	official	official	Bhilai	Bhilai
23/XI/90								
1.	Gyan Prakash Mishra	Camp 1 Bhilai	Indian	3	official	official	Bhilai	Bhilai
9/12/90								
1.	Sri Gyan Prakash Mishra	Mishra Complex Camp Bhilai, Durg M.P.	Indian	2		official	Bhilai	Bhilai

Room No.	Arrival Date	Arrival Time	Rate per day	Advance	Signature	Departure Date	Departure Time	Bill No.	Amount	P.No.Viza, Token No. & validity date
111	14.11.90	2.00 P.M.				19/XI/90	7.00 AM	1064	775/-	
101	19.11.90	5.30 P.M.				23/XI/90	2.00 PM	1074	400/-	
104	22/11/90	9.30 P.M.				23/XI/90	2.00 PM	1074	80/-	
111	23.11.90	2 PM				1/XII/90		1089	1400/-	
111	9/12/90	11.30 P.M.	125	-		13/12/90	8.30 AM	1103	500/-	

T.C.
SBS.

डी-43

फर्द जप्ती

थाना भि० नगर — जिला दुर्ग (म०प्र०)

अप० क्र० 580/91 — धारा 302/34/120बी/109 आईपीसी 25/27 आर्म्स एक्ट

दिनांक समय स्थान — 24.10.91 को 15/00 बजे दिन मौर्या टाकिज भिलाई

किसके पास से जप्त किया- विजय कुमार राज पुत्र स्व०पी०आर०के०पाणिकर जाति नायर उम्र 32 वर्ष निवासी सेक्टर 1 सड़क 23 क्वा० 3/ए भिलाई मैनेजर मौर्या टाकिज भिलाई के पेश करने पर ।

किसके समक्ष जप्त किया- 1. केवलराम शर्मा पुत्र बलराम शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी-बढ़ई पारा सुराणीलाल अग्रवाल किराना दुकान के पीछे राजनांदगांव हाल टिकापारा मौर्या टाकिज भिलाई.

2. पेनलाल पवार पुत्र नंदकुमार पवार उम्र 32 वर्ष निवासी कोटेक्टर कालोनी के सुधार एक्स-रे के पीछे भिलाई थाना सुपेला.

किसने जप्त किया- एस०के०पी० नक्की था०प्र० बेरला.

विवरण

1. एक सात रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया लाईसेंस एग्रीमेंट (लाईसेंस एग्रीमेंट फॉर राजीव ... स्टैंड) जो श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता, सुनील अग्रवाल पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायण अग्रवाल तथा अशोक राम पुत्र आर०पी० राम उम्र 26 वर्ष नि० कैम्प 2 टाटा लाईन भिलाई से मौर्या पिक्चर्स के साईकल स्टैंड का ठेका 25 हजार रुपये में देने का एग्रीमेंट है । जो पाँच पेज में हैं । जिसमें पाचवें पेज पर अशोक राम तथा ।थ्या विजय राजू तथा विजूरा शम्भू के हस्ताक्षर हैं ।

सजह सुबूत के जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया/जप्ती की प्रति दी गई ।

हस्ताक्षर साक्षीगण
1. सही/-
2. सही/-
पेनलाल पवार

सही/-
24.10.91
T.C.
S.R.S.

सही/-
(विजय राजू)

D-45

Seizure Memo

1. Case no. — RC 9(S)/91-SSU(V)/CBI/SSCII/New Delhi u/ss 302 IPC, 25/27 Indian Arms Act.

2. Date & place of seizure — 10.11.91, MIG I/55, Hudco, Bhilai (M.P.)

3. From whom seized — Shri Basant Sahu S/o Shri Ram Prasad Sahu r/o Moh. - Motipur, Rajnandgaon (M.P.) & office incharge - Chhattisgarh Mukti Morcha, MIG II/273, Hudco, Bhilai

4. By whom seized — Shri R. S. Prasad, Dy. Supdt. of Police. CBI, SPE, SSCII, New Delhi.

PARTICULARS

One cotton window curtain of size 3'8"x 3' (Approx) having Yellow, Green, Yellowgreed [illegible] alongwith curtain spring which was removed from the window of the bigger bed room, (near small bed room) from where Shanker Guha Niyogi is reported to have been shot at. This curtain has been wrapped in a newspaper and sealed with the seal whose impression is affixed below :-

From whom seized.

[signature]
10.11.91
(Basant Sahu)

By whom seized
[signature] 10/11/91
(R. S. Prasad)
Dy SP/CBI/SSCII/New Delhi
(At Bhilai)

Witness :—
[signature]
10.11.91
(Meghdas Vaishnav) r/o vill - Pendri, Rajnandgaon (MP)

[signature]
10.XI.91
Dy SP/CBI/SCII/New Delhi

D. 46

Search List

Premises no. 7/G, Camp no. 1, Bhilai (M.P) occupied by Abhay Kumar Singh S/o Shri Vikramaditya Singh, an employee of Bhilai Steel Plant has been searched u/s 165 Cr.P.C, in connection with the inves-tigation of RC 9(S)/91-SSU(V)/CBI/SSCII/New Delhi u/s 302 I.P.C., 24/25 Indian Arms Act in presence of Arun Kumar Singh, brother of Abhay Kumar Singh and witnesses S/Shri Meghdas Vaishnav s/o Sh. Narottamdas Vaishnav r/o vill- Pondri P.S. Lalbagh Distt- Rajnandgaon and Basant Sahu S/o Ram Prasad Sahu r/o Motipur Rajnandgaon (M.P) presently residing at MIG-I/273, Hudco, Bhilai (M.P) and following documents have been recovered which have been taken into police possession :-

1. One Executive Diary for the year 1988 of Abhay Kumar Singh - (written page marked 1 to 9 - all written pages signed by witnesses)
2. One small telephone index diary (written pages marked 1 to 7 & reverse of the back of cover - (written pages signed by witnesses)
3. One scribbling pad containing written pages marked 1 to 4 - (written pages signed by witnesses)
4. One ruled note book of Abhay Kumar Singh (no. 2977873) containing written pages marked 1 to 38 - (written pages signed by witnesses)

- Contd -

[Signatures in left margin:] 10/11/91; 10.11.91; 10.11.91; 10.11.91; Arun Kumar Singh 10-11-91

D-46

(5) A bunch of loose sheets - (marked pages 1 to 26 consisting of Application for TA advance, biodata, OPD ticket, letters and applications etc. - all pages signed by witnesses).

The above mentioned search has been conducted to-day i.e. 10.11.91 between 1400 hrs and 1700 hrs after observing all legal formalities. Throughout the search Shri Arun Kumar Singh, brother of Abhay Kr. Singh and the abovementioned witnesses remained present throughout the search. Nothing except the documents mentioned above have been taken into police possession.

Witnesses

1) [signature] 10.11.91

2) [signature] 10.11.91

Arun Kumar Singh
10-11-91

[signature] 10/11/91
Signature of the police officer. (R.S. [illegible]) Inspr
DSP/CBI/SIC II/New Delhi
Camp Bhilai

[signature]
10.11.91
(B.N.P. AZAD)
Inspr/CBI/[illegible]/Bhilai
(Camp Bhilai)

[signature] 10/11/91 DSP
(B.S. KANWAR)

[signature] 10.11.91
M.C. Agarwal
DSP (H.Q.) Camp Bhilai

1988

Abhay Kumar Singh

Camp. 1 G.G. G

Bhilai

P.O. Supela

जिला - Durg (M.P.)

D-47

MR No 2 / 1

C. No - / 051 Raj - Nagpur

Ph. No - 22056

(3)

Raipur - B.E.C.

C. No - 0771 / 323544

Bhilai - Durg

H. S. Bhasin

C. No - 0772 / 5218

Rave Offc.

Ph. No - 5553

Gain. Mishra -

5817

10.11.91

10.11.91

Singhal

5870

Tel - 2129

(2)

10.11.91

10.11.91

D-48

D-48

D-49

Search List

Name of the Branch – CBI/SSCB/SSU(V)/New Delhi

Date and time of search – 11.11.91, From 12.15 PM to 4.45 P.M.

Case no. with sections of law – RC 9(S)/91-SSU(V)/CBI/SSCII/New Delhi u/ss 302 IPC, 25/27 Arms Act.

Premises searched :- Residential premises of Shri Gyan Prakash Mishra situated at Camp no 1, Baba Atta Chakki, Road no-18 (Steel Nagar) Bhilai (M.P).

Name and address of witnesses :-

(1) Shri R.A. Dwivedi, Dy. Manager (Vigilance), Bhilai Steel Plant, Bhilai (M.P)

(2) Shri M. Toppo, Dy. Manager (Vigilance) Bhilai Steel Plant, Bhilai (M.P.)

S.no	Details of documents/article seized.	Place from recovered	Remarks.
1	Carbon copy of letter/petition addressed to DIG, Bhilai by one Bihari typed in Hindi – one sheet	From the shed situated in courtyard.	The search has been conducted under 165 Cr.P.C. in presence of the aforesaid two witnesses & Shri Chhotkan Mishra f/o Gyan Prakash Mishra and Prabhu Nath Mishra. The search has been conducted after observing all legal formalities. The search party consisting of myself, DySP M.K. Jha & B.N.P. Azad, Inspector Hoshiar Singh assisted by local police reached the above place alongwith the witnesses and after informing the purpose of our visit to Shri Chhotkan Mishra, the search Contd
2.	Twenty one loose sheets tied in a bunch consisting of (a) handwritten letter in Hindi from Janardan Pd Sharma, Advocate, Kelawadi Durg (M.P) (b) Unsigned typewritten petition under article 226/227 of Constitution of India in the High court of M.P, Jabalpur with (c) unsigned copy of affidavits of Sh. Prabhu nath Mishra and Ram Ashish Rai	From a suitcase in the bed-room of Sh. Prabhu nath Mishra.	

D-49

1	2	3	4
	(c) Photocopies of court orders		Commenced at 12-15 PM. The search has been conducted to recover incriminating articles/documents connected with the case. Nothing except the documents/articles mentioned in this list at S.no 1 to 6 (sic) has been taken into police possession. Each sheet of the documents/articles has been initialled by the witnesses. The photographs at S.no 4 of this list have been signed by Km Padmavati in addition to the witnesses. Ms Anupama Singh, Lady constable, P.S. Mohan nagar, Durg attached to P.S. Bhatti, Bhilai (M.P.) also remained present throughout the search.
	(d) Photocopy of typed and signed petition of Shri Prabhunath Mishra addressed to the I.G.P., Bhilai Range, Durg		
	(e) Photocopies of news items relating to Niyogi murder published in Samvet Shikhar and other Dainik ---- (Bhaskar)		
	(3) 15 loose sheets of paper tied in a bunch consisting of typed carbon copy of a petition addressed to I.G.P., Crime Branch (Terrorist Activities) Bhopal (M.P.) by Chandrakant Shah etc.	From bed room of Sh. Prabhu Nath Mishra	
	(4) 9 (Nine) Coloured photographs taken out from two photo Albums	From bed room of Sh. Prabhu nath Mishra. in presence of Ms Padmavati d/o Chhotkan Mishra.	
	(5) Torn pieces of paper having Hindi handwriting marked Nos 1 to 27	From open space adjoining the court yard of the house in front of the sitting room located behind Atta chakki sitting room.	
	(6) One book post envelope addressed to Sh. Prabhunath Mishra along with Greetings		

Witness

(1) [signature] 11.11.91

Received a copy of this list

(LTI of Sh. Chhotkan Mishra)

(2) [signature] 11.11.91

(3) [signature]

[signature] 11.11.91

LTI of Shri Chhotkan Mishra.

[signature] 11.11.91 K.S. [illegible]

Signature of Police Officer

[signature] 11.11.91

Dy.S.P. CBI/SCB/SIC/N.Delhi

[illegible stamp]

D-50

सेवा,

श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक
अपराध शाखा ([illegible])
म.प्र. भोपाल

आवेदक:- [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

विषय:- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सन् 1947 के तहत की गई [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] बाबत ।

माननीय महोदय,

आवेदक नीचे लिखे अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर [illegible] [illegible] [illegible] कार्यवाही हेतु प्रार्थना करता है ।

[1] यह कि आवेदक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible]
[illegible] है ।

[2] आवेदक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] है ।

[3] कि [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है ।

[4] कि आवेदक [illegible] 17-6-[illegible] को [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के लिये [illegible] [illegible] को
[illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] आवेदक [illegible] [illegible]
एम.पी.ई. 9021 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में था ।

[5] कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
है जो [illegible] है [illegible] [illegible] के [illegible] में है ।

[6] कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] है ।

.....2/पे.

D - 50

§7§ कि सोमेन्द्रसिंह ने ज्ञानप्रकाश मिश्र से सम्पर्क कर नौकरी के लिये चर्चा की । ज्ञानप्रकाश ने उन्हें नौकरी के विषय में पता करने के लिये आश्वासन दिया ।

§8§ कि अचानक रायपुर में 15 या 16 जून को बम कांड हो गया जिसमें अपराधी पुलिस पर बम फेंककर भाग गये । फरार अपराधी दोनों सगे भाई थे और उन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी । इनमें से एक 18 जून को रायपुर में ही शाम को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया । ऐसा समाचार पत्रों से पता चला है ।

§9§ कि उसी दिन 18 जून 88 को ही रायपुर से भागे दो अपराधियों की शंका के आधार पर छावनी पुलिस ने सतेन्द्र और जनार्दन को अजन्ता लॉज से गिरफ्तार कर लिया उसी समय ज्ञानप्रकाश भी आवेदक की फैक्ट्री की जीप लेकर उनसे मिलने गया था ।

§10§ कि तीनों को गिरफ्तार करने के बाद छावनी पुलिस को जानकारी मिली कि ये दोनों युवक रायपुर के नहीं हैं । उसके पश्चात छावनी पुलिस ने तीनों को अपराध क्रमांक 1009/88 धारा 25/26 आर्म्स xxxx एक्ट एवं धारा 3§1§§3 आतंकवादी एवं विध्वंसक अधिनियम 1987 के तहत गिरफ्तार कर लिया पुलिस द्वारा आरोपित है कि उपरोक्त तीनों व्यक्ति आतंक पैदा करना चाहते थे । छावनी पुलिस ने उन्हीं धाराओं के तहत आवेदक के खिलाफ भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ।

§11§ कि आवेदक अपने व्यापारिक कार्यों को निपटाकर जब 29.6.88 को भिलाई आया तो उसे इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई ।

§12§ कि आवेदक की जीप उसके उद्योग के कार्यरत कर्मचारी ज्ञानप्रकाश मिश्र द्वारा फैक्ट्री के कार्य सम्पादन के लिये प्रयोग में लाई जाती थी । फैक्ट्री की गाड़ी का तथाकथित दुरुपयोग न आवेदक की जानकारी में था और न ही उसे छावनी पुलिस द्वारा आरोपित मामले से सम्बन्धित कोई जानकारी थी ।

§13§ कि आवेदक के विरुद्ध तथाकथित संदेहास्पद स्थिति में अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है । इसके कारण आवेदक का व्यवसाय बाधित हो रहा है और उसके व्यापारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ रहा है ।

§14§ कि आवेदक को पूर्ण विश्वास है कि छावनी पुलिस से सम्बन्धित मामले के कागजात बुलाकर उसकी जाँच करने पर यह निश्चित और स्पष्ट हो जायेगा

..3

D-50

कि आवेदक के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और बिल्कुल मिथ्या एवं तर्कहीन संदेह के आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं आफिशियल सीक्रेट्स अधिनियम 1937 जैसे गंभीर प्रकरण के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त अपराध के सभी तथ्यों को जानकर आवेदक को उक्त अपराध प्रकरण से उन्मुक्त करने का आदेश पारित करें ।

आवेदक

कन्हैयालाल शाह आ० रामजी शाह
ओसवाल स्टील इण्डस्ट्रीज
छावनी चौक नंदिनी रोड
भिलाई जिला-दुर्ग (म०प्र०)

दिनांक : 3 जुलाई 88

D-51 4 Shee

[illegible] 3697/88

[illegible] दिनांक [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

[illegible]

(3) जनार्दन [illegible]

[illegible]

आदेश.

(आज दिनांक - 11/9/1988 को [illegible])

(1) इस आवेदन द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 10/6/88 तथा [illegible] 2018/88 निरस्त किया जा रहा है, जो [illegible] संलग्न हैं।

(2) आवेदक राजू को [illegible] पुलिस ने दिनांक 19/6/1988 को अपराध सं. 1009/88 में धारा 25, 27 [illegible] एवं धारा 3(1)(3) आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां में गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में [illegible] न्यायिक [illegible] श्री [illegible] के न्यायालय में [illegible] किया गया था बाद में [illegible] इस न्यायालय से [illegible] गया है।

(3) [illegible] इस प्रकार बताया जाता है कि आवेदक [illegible] [illegible], [illegible] का [illegible] है एवं [illegible] की [illegible] में काम करता है, [illegible] [illegible] का [illegible], [illegible]

11.11.91

11.11.91

6
5

D-51

(2)

से बात रहा है। गुरजीत सिंह उसका पीछा किया करता है। अखबार। हैंड राईटिंग में रुक्का (छोटे छोटे टुकड़े) अपने ही तकिया में छुपाया और एक रसीदें गुरजीत सिंह के विरुद्ध [illegible] दर्ज कराई गई थी। इसी अखबार और राजेन्द्र पर से चन्द्रकांत शाह के कहने पर आरोपी ज्ञान प्रकाश ने [illegible] को अपने [illegible] राजेन्द्र को फोन किया और भिलाई [illegible] [illegible] से मिलने को कहा। राजेन्द्र सिंह गांधी ने

(28)

साक्षी आरोपी [illegible] गुरदीप के साथ दिनांक 18/6/1988 को भिलाई पहुंचा और आरोपी ज्ञान प्रकाश ने उन्हें जीप में बैठाकर [illegible] लाॅज में ठहराया। ज्ञान प्रकाश इन लोगों को [illegible] और स्कूटर पर इधर उधर घुमाता रहा और इन आरोपियों ने गुरजीत सिंह की हत्या का [illegible] बनाया। 18/6/88 को पुलिस ने [illegible]

मारा और मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। यह कहा जाता है कि आरोपी सतेन्द्र के कब्जे से एक देशी रिवाल्वर ३१५ बोर व 1 जिन्दा कारतूस तथा जगदीश के कब्जे से एक [illegible] वाला चाकू व ज्ञान प्रकाश से दो कारतूस बरामद किया गया। ज्ञान प्रकाश के बताने पर एक जीप और एक स्कूटर दिनांक 18/6/84 को [illegible] मौजा के सामने से जप्त किये गये थे।

(ग) आवेदक गण की ओर से यह कहा गया है कि प्रथम दृष्टि से यह [illegible] आवेदकगण को धारा [illegible] में नहीं आता है क्योंकि [illegible] व्यक्तिगत होना बताया गया है। इस संबंध में इस तिथि पर न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो नहीं है। जिस प्रकार के तथ्य पुलिस द्वारा बताये गये हैं

D-51

manoj
3

(6)

(8)

उन्हें देखते हुए आज (पत्नी) को न्यायहित में

न्यायोचित होगा। चूँकि आवेदक द्वारा [illegible]

सत्येन्द्र गौड़ तथा अन्य [illegible] [illegible]

इनमें से किसी प्रकार की कोई [illegible] गति-

विधियों में भाग लिया हो ऐसा [illegible]

नहीं होता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते

हुए अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। आदेश

दिया जाता है कि [illegible]

[illegible]

और उतनी ही राशि की जमानत देने पर

आवेदक [illegible] को जमानत पर छोड़ दिया जावे।

(5) आरोपी [illegible] [illegible]

आवेदक [illegible]

सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु पेश किया है,

(जो कि [illegible] 30/88 दर्ज है) [illegible]

पत्र पर पुलिस रिपोर्ट [illegible] है कि [illegible]
इन मामलों का [illegible] नहीं है और विचार-
से [illegible] पर [illegible]
[illegible] में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
जाहिर है कि ये लोग [illegible]
[illegible] के [illegible] में ये और [illegible]
पर जाते हुए हैं। [illegible]
[illegible] है और [illegible]
उसके [illegible] उन मामलों का [illegible]
[illegible] नहीं है और [illegible]
से कोई [illegible]। [illegible]
[illegible]
न्यायालय में रख कर [illegible]
[illegible] की [illegible] के [illegible]
[illegible]

D-51

[illegible]

आदेश [illegible]

[illegible] 15,000/- [illegible]

[illegible]

[illegible] 2,000/- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

D-52

5 She

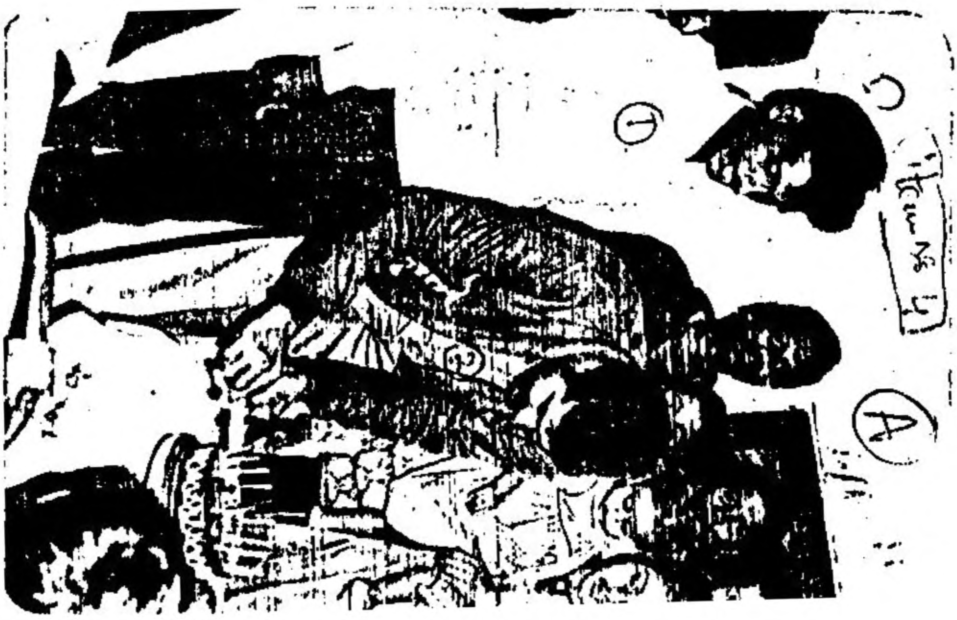

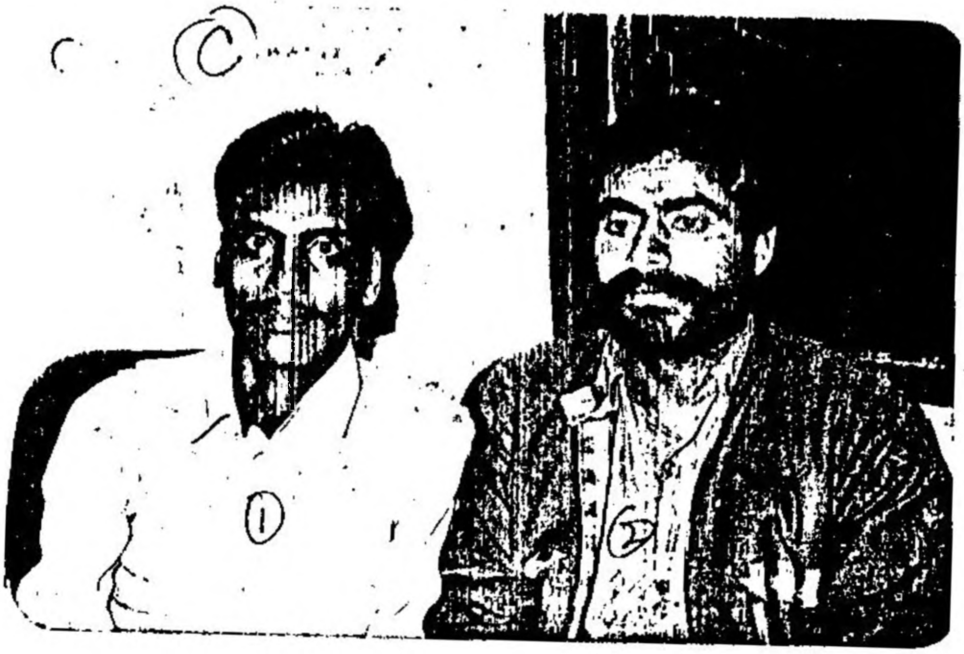

D.59/4

D-5
5

D-53/1

Search List

Rc 9(S)/91-SIU-II/CBI/SPE/SIC-II N. Delhi dt 6-11-91 u/s 302 I.P.C & 25/27 Arms Act, 1959.

This day I was issued an authorisation by Sh. R.S. Prasad Dy.S.P. Chief investigating officer of the Case to conduct search of the office premises of M/s Oswal Steel Industries belonging to Sh. Chandrakant Shah located at 17-C Industrial Estate Bhilai u/s 165 Cr.P.C. in above noted case. In pursuance to the authorisation I alongwith police party comprising of S.I. G.N. Dubey P.S. Bhilai Nagar, S.I. R.K. Mishra P.S. Chhawni, H.C. Anand Kumar N. 2??? P.S. Durg & Const. Chandulal N1015, with independent witnesses Sh. M. Toppo Deputy Manager (?) B.S.P and A. Gogia, Sr. Manager (Finance) B.S.P, whose presence was secured through Sh. R.K. Pateria Addl. Chief Vigilance Officer B.S.P, reached at 17-C Industrial Estate. On reaching, the premises was found locked, hence after waiting for about half an hour for turning up of any employee, I alongwith S.I. G.N. Dubey left for the house of Sh. Chandra Kant Shah located at 3/24 Nehru Nagar West Bhilai, where the search by another party was going on, to fetch the relations of Sh. Chandra Kant Shah as well the keys of the premises. S.I. R.K. Mishra alongwith H.C and Constable was directed to safe guard the premises till my arrival. Having left Industrial Estate I reached at the house of Chandra Kant Shah at Nehru Nagar. At the house the search

Witnessed by
1. Sd/- 12/11/91 (A. GOGIA)
2. Sd/- 12.11.91 (M. TOPPO)

Contd - 2 -

D-53/

was going on and Sh. Ramji Bhanji Shah, father of Chandra Kant r/o H-53 Padmavathipuri Durg was found present in addition to Smt. Rama wife of Chandrakant and other relations. I explained to them the purpose of my visit. On this Sh. Ramji Bhanji Shah willingly offered to accompany me and facilitate the search. Thereafter I alongwith Sh. Ramji Bhanji Shah & S.I. Dubey left for 17-C Industrial Estate. Sh. Ramji Bhanji took the keys of the premises with him. On reaching back at 17-C Industrial Estate S.I. Mishra reported that none had visited in my absence and the premises was guarded by him as directed.

Thereafter the search of office premises of M/s Oswal Steel Industries located on 1st floor was searched in presence of Sh. Ramji Bhanji Shah and two above mentioned witnesses, after observing all legal formalities. The search was conducted from 4.30 P.M to 7.30 P.M. this day i.e. 12-11-1991. During the search nothing except the below mentioned documents were seized. The lock of the store room had to be broken open as the key of the same were not available.

Particulars of documents

(1) One letter dated 24-11-88 of Gyan Prakash written in Hindi and addressed to Baiyaji (recovered from table drawer of Sh. Chandra Kant Shah)

(2) One file containing photo copies of motor cycle Certificate of Registration of motor cycle MPS-3040 registered in name of Sh. C. K. Shah, Certificate of Registration of motorcycle no MP-24B-2377 registered in name of Smt. Rama Shah alongwith insurance certificate.

Recd copy
R.R.B. Shah
12-11-91

Witnesses
1) [signature] 12/11/91 (A. GOGIA)
2) [signature] 12.11.91 (M. TOPPO)

[signature] 12/11/91 (C.N. Dubey)

[signature] 12/11/91

[signature] 12/11/91
(R.C. Khurana)
Dy. S.P./CBI/SPE/...

आदरणीय [illegible] जी — [illegible] — दिनांक २० [illegible]

D-54

[illegible] अम्बाला [illegible]

व्यापारी [illegible]

जो कि [illegible] रहे थे।

[illegible] है।

[illegible] की आवश्यकता है [illegible] से खतरा उठाना है। आप [illegible] कर दीजिएगा

मुझे [illegible] के लिए [illegible]

है [illegible] मुझे 800 कि. 6 mm का [illegible] 400 कि. 6 mm [illegible] 300 कि. 16 mm [illegible] चाहिए 16 mm का [illegible] के लिए दें। [illegible] चाहिए।

आपका [illegible]

[illegible] प्रकाश

CBI [illegible] 10 [illegible]

1. [signature] 12/11/91 (A. GOGIA)

[signature] 12.11.91

3 Sheets

Search List

D-55/1

Name of the Branch - CBI/SIC II/SIU(V)/New Delhi Date & time of search - 12.11.91 From 10.30 AM TO 7.00 P.M.

Case no. with sections of law :- RC 9(S)/91 - SIU(V)/CBI/SIC II/New Delhi u/ss 302 I.P.C., 25/27 Arms Act

Premises searched - Residential Premises of Shri Chandrakant Shah S/o Ramjibhai Shah situated at 'Anuvilla', 21/24, Nehru Nagar (West), P.S. - Supela, Bhilai (M.P.).

Name and address of witnesses - (1) Shri R. L. Trivedi, Dy. Manager (Vigilance), Bhilai Steel Plant, Bhilai (M.P.)

(2) Shri V. S. Rao, Junior Executive, Bhilai Technical Institute, Bhilai (M.P.).

Sl.no.	Details of documents/articles seized.	Place where recovered	Remarks
1	2	3	4
1.	One loose sheet (small) containing writings "00977 5122056 [illegible] ..." etc and writings on back.	Bed room adjoining drawing room.	The search has been conducted under section 165 Cr.P.C. in presence of the aforesaid witnesses, Smt Renu C. Shah w/o Sh. Chandrakant Shah, Shri Ramjibhai Shah f/o Sh. Chandrakant Shah. The search has been conducted after observing all legal formalities. The search party consisting of myself, Dy SsP B.N.P. AZAD, B.S. Kanwar, Inspectors Hoshiar Singh, R. N. M. Shehravet assisted by officers of local police reached
2.	Visiting card of Chandrakant R. Shah containing writings on back as "06154-2776 [illegible] ------"	-do-	
3.	Visiting card of Rabindra Shrestha with writings on the back like Vijay Pratap Rane, [illegible] etc and some telephone numbers.	-do-	

[signatures] 12/11/91

1	2	3	4
(4)	One Hindi news paper cutting. with caption.-" बड़े लड़ाई के तौर तरीकों और खतरों से वाकिफ था"	Drawing room	
(5)	Page 5 to 8 of Hindi Daily 'Jansatta' dt 23.9.91 containing newsitem "उग्रवादियों की निजी सेनाओं का आतंक" at page 7 in which top of second column is encircled in blue from before.	— do —	
(6)	Passport no. H958132 (Date of issue 4.2.91 from Bhopal Passport office) of Chandrakant Ramjibhai Shah S/o Sh. Ramjibhai Ben Shah r/o 19/5, Nehru Nagar (West), Bhilai Durg (M.P)	Bedroom near kitchen	
(7)	Passbook of S.B. A/c no. 1465/7 in joint names of C.H. Shah & Mrs Renu C. Shah with United Commercial Bank, Nehru Nagar, Bhilai (M.P)	— do —	
(8)	इकरारनामा no 2251 dt 24.10.89 executed by Feru S/o Bishambhar Yadav in favour of Smt Renu Chandrakant Shah - 7 sheets.	— do —	
(9)	Cash receipt F/O No. 1246 dt 15.3.91 of Hotel Yellow Pagoda, Kantipath Kathmandu for Rs 3906.40 in favour of Shri	— do —	

(Column 4:)

the spot (House no 21/24, Nehru Nagar West). On reaching the spot, the premises was found locked and the lock was sealed by Bhilai Nagar P.S., SI. Shri G.N. Dubey who found the seal intact. The key of the lock was with Smt Renu C. Shah which was opened by her after removing the seal. Smt Renu C. Shah was informed of the purpose of our visit and thereafter the search commenced at 10.30 AM. The search has been conducted to recover incriminating articles/documents connected with the case as Shri Chandrakant Shah is absconding and the documents/articles are not likely to be made available otherwise.

The three khukhrees, the cartridge and the mini cassette corder have been sealed after wrapping in cloth. During the search Smt Rama Koshthi, S.I. Bhilai Thana, Durg was also present throughout the search. The documents/articles mentioned at Sl no 1 to 24 in the list only have been seized. The loose papers have been initialled by the witnesses on each sheet and the bound documents have initialled on 1st and last page. The witnesses ... pockets

[signatures] 11/11/91 12/11

D-55-3-

1	2	3	4
10	Visiting Card of N. K. Srivastav Proprietor, Nisha Trading, H.O. Saipur, Birganj, Nepal.	Bedroom near Kitchen	The search has been concluded at 7.00 PM.
11	Bill no. 10362 dt 11.3.91 of Madhuban, Kathmandu, Nepal with writings on reverse as '30 Mouser Gun --- 32 with ... 32 Webley Scot pistol ---' etc.	-do-	
12	Loose sheets written in Hindi marked 1 to 5 sheets	-do-	
13	Telephone index diary of Shri Chandrakant R. Shah	-do-	
14	3 (Three) khukhrees in leather covers with two small khukhrees (knives) each. (The sketch of the kukhrees has been drawn on separate sheets which are signed by the witnesses, wrapped in separately in cloth and sealed.	-do-	
15	Sale Deed registered on 5.5.90 between Smt Renu Shah and Bagalu and others	Bed room on 1st floor.	
16	Sale Deed dt 15.2.90 between Smt Renu Shah and Shri Sone Ram on stamp papers of 1142/- alongwith receipt	-do-	
17	Unsigned deed of retirement from Simplex Metals dt 11.2.87 - 3 sheets	-do-	

Contd - 4

[signatures] 12/11/91 12/11/91 12/11/91 12.11 12/11/91

D-55/2

1	2	3	4
18	Letters written in Hindi (marked ~~pages~~ sheets 1 to 8) written by Gyan Prakash and Chandrakant Shah	Bedroom on first floor.	
19.	One petition dt 26.2.89 addressed to Shri Motilalji Vora, Chief Minister, Madhya Pradesh, Bhopal alongwith enclosures marked 1 to 12	— do —	
20.	~~[illegible]~~ One leather document wallet having name of Simplex group of Industries Bhilai (M.P) inside, containing visiting cards (11 in Nos) of Chandrakant R. Shah, writing pad with marking CSAMAG, Two boarding cards nos SR960 BSL & SR135 ZRH (Transit), two visiting cards of Joerg Metzger and Bernd Papes and five notes of 100 dollars denominations bearing numbers J03773607A, B37285879C, B00966574D, B00966573D, B72759250C.	— do —	
21.	Two notes of 20 of Vaitay Francs; Three notes of ~~200~~ ten of Diesch Franc	Bedroom on ground floor near kitchen.	
22.	One VIP Odyssey briefcase having digital combination lock with letters C.K. was found locked and lying on the dinning table which was opened forcibly in presence of Smt Renu C. Shah and witnesses — contd —		

12/11/91 12/11/91 12/11/91 12/11/91 12/11/91

D-55

and following documents/ articles found therein have been taken into possession :- (a) LIC Diary of 1991 containing writings in Hindi from January 1, to January 11 (b) One slip pad having writings marked at sl no 1-2. (c) One cash bill for Rs 36,500/- issued to Shri Chandrakant Shah from Rose Radio Concern, Kathmandu. (d) One sheet of bill cum receipt in respect of vehicle no MP-24-[illegible] issued by Car Shringar, Nagpur. (e) Seven visiting cards (f) Loose sheets kept in a bunch marked sl no 1 to 34 only [illegible] (g) [illegible] dt 10-4.91 (h) Hindi daily - [illegible] dt 9.4.91 - pages 1 to 4 and 9 to 12 wherein news [illegible] at page 4 regarding conspiracy to kill Niyogi appears and portion of it has been underlined under column no 6. (i) Seventy Rupees (Nepali) (j) One .32 Cartridge ([illegible] seems to be misfired) of S&W, [illegible]		

D-55 (6)

1	2		
(23)	One Sony micro cassette Corder M-[illegible] with [illegible] recorded cassette [illegible] duly wrapped in cloth and sealed	Drawing [illegible]	
(24)	One Mike [illegible] in a black case.		

Witness:-

1. [signature] 12-11-91

2. V. [signature] 12/11/91

[signature] 12/11/91 R.S.
Signature of Police Officer making the search.

[signature] 12.XI.91
(B. N. P. AZAD)
DySP/CBI/SIC II, N.Delhi

[signature] 12/11/91

[signature] (B. KANWAR) DSP CBI 12/11/91

Received copy
[signature] 12-11-91

[signature] 12/11/91

D-58

[illegible]

051- [illegible]

22051 [illegible] 215859

27280831 [illegible] 224626

22109 [illegible]

D-57

62707

63810

D-56

2236

CABLE : NABICO
TELEX : 2722 NEBICO NP

Nebico

RABINDRA SHRESTHA

NEBICO PRIVATE LIMITED, P. O. BOX 281, BALAJU, KATHMANDU
TELEPHONE OFFICE : 271130 • 272641 • RESIDENCE : 418089

MRNIOB 3

14/11/91

SIMPLEX

Phone : 6354
6478

CHANDRAKANT R. SHAH

OSWAL IRON & STEEL PVT. LTD.
17-C, INDUSTRIAL ESTATE, NEAR CHHAONI CHOWK
NANDINI ROAD, BHILAI - 490 026 (M. P.)

MRNIOB 2

14/11

13.11.91

00977 51 22056

राजा भाई, वीरगंज
परासुली मिला

MRNIO 6/1

14/11/91

13.11.91

2384

वह लड़ाई के तौर तरीकों और खतरों से वाकिफ था

D-59

औद्योगिक क्षेत्रों के संगठित मजदूरों के लोकप्रिय नेता शंकर गुहा नियोगी जब अपने कमरे में सो रहे थे तब वे किसी कायर हत्यारे की गोली का निशाना बन गये. वे श्रमिकों की तरफ से [illegible] के लिये पूंजीपतियों और शोषणों के खिलाफ जो जंग लड़ रहे थे उसके खतरों से अवगत तो थे पर उन्हें यह गुमान नहीं था कि एकदम कायराना ढंग से उन पर हमला किया जायेगा. 'रौद्रमुखी' के [illegible] अप्रैल ९१ के अंक में प्रकाशित नियोगी के ये दो साक्षात्कार नुमा समाचार उनकी हिम्मत, शोषितों के प्रति निष्ठा तथा खतरों के बावजूद लड़ते रहने की लगन के प्रमाण हैं. शोषण और दमन की चक्की में पिसते मजदूरों को उनका हक दिलाने में वे कई बार कामयाब हुए क्योंकि बिना अपनी परवाह किये लगातार जुटे रहना उनके नेतृत्व की खूबी थी. जो भ्रष्ट पूंजीवादियों को कभी पसंद नहीं आई. नियोगी से संबंधित दो समाचार मतांक से हम पुनर्प्रकाशित कर रहे हैं ताकि पाठकों को उनकी व्यक्तित्व की झलक मिल सके.

D-59

पटवा में दम है तो दुर्ग में आकर लड़ें : नियोगी

भिलाई नगर, [illegible] मुक्ति मोर्चा के श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी ने कहा है [illegible]

पटवा की सरकार से सांठ-गांठ

मोटर सायकल दुर्घटना में बालक आहत

D 59

D-60

खास खबर

जनसत्ता, दिल्ली, २३ सितंबर, १९९१ - ७

उद्योगपतियों की निजी सेनाओं का आतंक

D-60

अंबरीष कुमार

छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों की निजी सेनाओं का आतंक बढ़ गया है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के मौजूदा रूप से पुलिस-प्रशासन का भी इन सेनाओं को शह मिली हुई है। इस बात का उल्लेख छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने २०० पन्नों के ज्ञापन में राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरामन को राज्य सरकार और उद्योगपतियों की मिलीभगत से होने वाली ज्यादतियों और अत्याचारों का ब्योरा देकर।

राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में भिलाई क्षेत्र के उद्योगपतियों का कच्चा चिट्ठा भी शामिल है। जिसमें उनकी पूर्व की आर्थिक स्थिति और आज की स्थिति की तुलना भी की गई है। साथ ही मजदूरों के उत्पीड़न का ब्योरा भी दिया गया है।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने चार प्रमुख उद्योगपतियों का विशेष हवाला दिया है। इनमें सिम्प्लेक्स ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, केडिया ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन और बजाज ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज शामिल हैं।

सिम्प्लेक्स ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज के पास १९६८-६९ तक सिर्फ एक लेथ मशीन थी। १९७५ तक इनका आयकर खाते में नाम भी नहीं दर्ज था, लेकिन १९९० आते-आते इनका सालाना कारोबार ८६ करोड़ रुपए तक फैल गया। मोर्चा नेताओं का आरोप है कि कारोबार का यह फैलाव भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी का लोहा लेने और मजदूरों के शोषण की कीमत पर हुआ है। इस उद्योग समूह के पास दो निजी सेनाएं हैं। एक का मुखिया ज्ञान प्रकाश मिश्रा और दूसरे सेना का मुखिया [illegible] यादव है।

केडिया ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज के मालिक केडिया [illegible] केडिया १९७७ तक एमपी हाउसिंग बोर्ड के जनता [illegible] फ्लैट में रहते थे और साइकिल पर चलते थे। २० वर्षों में इस कंपनी ने देशी-विदेशी शराब के धंधे से बेहिसाब धन कमाया है। मोर्चा नेताओं के मुताबिक इनकी तरक्की के पीछे मुख्य रूप से तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। मजदूरों का शोषण, एक्साइज ड्यूटी की चोरी और शराब की तस्करी। इनके पास तीन निजी सेनाएं हैं।

भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मालिक [illegible] जैन १९६०-६५ तक कारखाना संयंत्र क्षेत्र में सिर्फ [illegible] करने का ठेका लेते थे। आज इस कंपनी के पास [illegible] हैं। केमिकल- फर्टीलाइजर- इंजीनियरिंग और स्टील उद्योग तक इनका साम्राज्य फैल चुका है। इनके पास भी कई निजी सेनाएं हैं। भिलाई के लोग इन्हें 'जैन गैंग' नाम से जानते हैं।

इसके अलावा बजाज ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज पर भी निजी सेना रखने और मजदूरों को आतंकित करने का आरोप लगाया गया है। इन सभी उद्योगों के फैलाव का आधार भिलाई का इस्पात कारखाना है। जो इनके लिए कामधेनु के समान है। सस्ता कच्चा माल, सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापक बाजार और क्षेत्र के सस्ते मजदूरों के बूते इन उद्योगों का चमत्कारिक विकास। लेकिन करोड़ों के कारोबार का फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को ही हुआ है। पर इससे मजदूरों का शोषण और बढ़ [illegible]।

इस समय भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे २० हजार से ज्यादा मजदूरों में से पांच फीसदी भी स्थायी नहीं हैं। ये सभी ठेकेदारी प्रथा का शिकार हैं। वेतन के नाम पर इन्हें छह से सात सौ रुपए तक हर महीने मिलता है। उद्योगपतियों की मनमानी के चलते यूनियन बनाने के आरोप में दो हजार मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। मोर्चा से जुड़ी यूनियन ने १५ अक्तूबर १९९० को अपनी छह मांगों को लेकर सिम्प्लेक्स उद्योग समूह के प्रबंधकों को ज्ञापन दिया था। तब इस उद्योग समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि सिम्प्लेक्स उद्योग समूह को किसी यूनियन की जरूरत नहीं है। इसके बाद उद्योगपतियों का रुख साफ हो जाता है।

जबसे मजदूरों ने श्रम कानून लागू करने की मांग उठाई है तभी से उन पर निजी सेनाओं का जुल्म बढ़ रहा है। इन निजी सेनाओं का पहला हमला २५ सितंबर १९९० को हुआ। उस दिन मजदूरों ने यूनियन का गठन कर जुलूस निकाला था। जुलूस में शामिल होने जा रहे भिलाई वायर्स के मजदूर सूरजदेव वर्मा पर उसकी फैक्टरी के [illegible] ठाकुर के सामने ही हमला किया। उसी दिन छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के कैम्पस में ५५ महिला मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। ताकि वे जुलूस में हिस्सा न ले सकें।

इसके बाद मजदूरों पर हमला और तेज हुआ है। १९ अगस्त को प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ (पीईएसएस) के उपाध्यक्ष [illegible] राय पर भिलाई के जामुल थाना के टाउन इंस्पेक्टर सलाम के सामने ही चाकू-छुरों से हमला किया गया। २२ अगस्त को केडिया ग्रुप से 'यूनियन मानने वाले को सीधा करो' का निर्देश मिलने पर गुंडों ने एक महिला मजदूर दुलारी बाई को बेंत से पीटा। २३ अगस्त को इन्हीं लोगों ने महिला शौचालय में घुसकर महिलाओं की इज्जत लूटने की कोशिश की। २४ अगस्त को उरला औद्योगिक क्षेत्र (रायपुर) में सिम्प्लेक्स कारखाने के सामने भूख हड़ताल पर बैठे मजदूर नेता एसके सिंह और हलधर [illegible] पर हमला किया गया। बाद में गुंडे इन्हें मरा समझकर छोड़ गए।

जब मजदूर नेता श्री हलधर को अस्पताल पहुंचाया गया तो पुलिस हथकड़ी लेकर आपरेशन थियेटर तक पहुंच गई।

इस पूरे इलाके के मजदूर न्यूनतम वेतन और अन्य मांगों को लेकर अरसे से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टे पटवा सरकार मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी को परेशान करने और मजदूर आंदोलन कुचलने के सभी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जिससे लगता है कि सरकार उद्योगपतियों को खुली छूट दिए हुए है। अभी तक महिलाओं समेत १६ सौ से ज्यादा मजदूरों को फर्जी मामलों में जेल भेजा जा चुका है।

मोर्चा नेताओं का [illegible] आरोप है कि उद्योगपतियों के इशारे पर ही सरकार ने शंकर गुहा नियोगी को गिरफ्तार किया। श्री नियोगी को [illegible] गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चार [illegible] को श्री नियोगी को रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेशों को भी खारिज कर दिया। जब अदालत ने श्री नियोगी को रिहा कर दिया तो सरकार ने उन्हें जिलाबदर करने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद भी श्री नियोगी को खत्म करने या बंद करने की कोशिश जारी है।

वाले असर का हिसाब जरूर लगाया था। लेकिन इसमें गंभीरता नहीं थी। आपको बता दें कि इलाके में कई दुर्लभ वृक्ष, पौधे हैं और जीव जंतु हैं। डूब में आने वाले इलाके के ऐसे दुर्लभ वृक्ष, पौधे और जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। और जाहिर है कि पर्यावरण पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा परियोजना के कारण सिंहभूम जिले के ६५ हजार एकड़ भूमि डूब में आएगी, जो खनिज के मामले में काफी धनी है।

विस्थापित मुक्ति वाहिनी, बिहार के अरविंद अंजुम और पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ग्रुप, दिल्ली के कंवलजीत सिंह ने मांग की है कि पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिलने तक परियोजना का काम रोक दिया जाए। इन लोगों ने कहा है कि परियोजना का काम दुबारा शुरू करने से पहले निष्पक्ष एजेंसी से इसके आर्थिक और तकनीकी पहलुओं की जांच कराई जानी चाहिए। डैम की सुरक्षा, उपयोगिता और पर्यावरण पर इसके असर से संबंधित अध्ययन और विश्लेषण को पूरा होने दिया जाना चाहिए। परियोजना और उसकी वजह से होने वाले विस्थापन से संबंधित सूचनाओं को प्रभावित लोगों को दी जाए।

ध्यान रहे कि परियोजना अधिकारी परियोजना के तहत बनने वाले नहर, बैराज, सड़क, हाउसिंग कालोनी के कारण होने वाले विस्थापितों की संख्या नहीं बता रहे हैं। जिन आदिवासी समुदाय के लोगों पर परियोजना के कारण विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है वे हैं- बिहार के हो, मुंडा, ओरांव और उड़ीसा के कुड़ी, भूमिज और संथाल। परियोजना के कारण डूब में आने वाले क्षेत्र में साढ़े चार हजार एकड़ में फैला जंगल भी है। यह जंगल इलाके के आदिवासियों के जीवनयापन का मुख्य आधार है।

H

वीसा/VISAS

26/4/91

REQUI

upto Swiss/Germany/Nederland

for 25/5/91

Expected One Month

Return

No. 085 9437 842 118

From Swiss Airlines

Issued on 12/4/91

Bby.

H

वीसा/VISAS

DEPARTURE-1 (C)

29 APR 1991

004080

Phone No. 2-20337 / 2-20338 / 2-20392

(6) D-62

Cash/Credit Memo

Hotel Yellow Pagoda

Kantipath, Kathmandu

SNACK BAR BEV.

215

Date	Steward	Persons	Table No.	Rs.	Ps.
E K. Rum				40	
Coke				11	4
10% R.S.C.				5	10
				56	10
13% G. Tax				7	29
Total				63	39

E. & O. E.

Guest's Signature Signature

Nº 006613

Phone No. 2-20337 / 2-20338 / 2-20392

(7) D-62

Cash/Credit Memo

Hotel Yellow Pagoda

Kantipath, Kathmandu

DINING HALL

12018 # 215

Date	Steward	Persons	Table No.	Rs.	Ps.
13/3/91					
1. Hot Coffee				21	00
10% S.C.				2	10
				23	10
13% G. Tax				3	00
Total				26	10

E. & O. E.

Guest's Signature Signature

Nº 006612

Phone No. 2-20337 / 2-20338 / 2-20392

D-62 (8)

Cash/Credit Memo

Hotel Yellow Pagoda

Kantipath, Kathmandu

DINING HALL

12017 # 215

Date	Steward	Persons	Table No.	Rs.	Ps.
3/8/91					
1. Chicken Burger				49	00
1. Green Salad				20	00
				69	00
10% S.C.				6	90
				75	90
13% G. Tax				9	87
Total				85	77

E. & O. E.

Guest's Signature Signature

D-62

No. 004087 Phone No. 2-20337 2-20338 2-20392

Cash/Credit Memo

Hotel Yellow Pagoda

Kantipath, Kathmandu

SNACK BAR BEV.

Date	Steward	Persons	Table No.	Rs.	Ps.
1. Ice berg beer				59	00
				59	00
			13% G. Tax	7	67
			Total	66	67

E. & O. E.

Guest's Signature Signature

No. 006646 Phone No. 2-20338 2-20392

Cash/Credit Memo

Hotel Yellow Pagoda

Kantipath, Kathmandu

DINING HALL

Date	Steward	Persons	Table No.	Rs.	Ps.
Coffee				21	00
				2	10
				23	10
			13% G. Tax	3	00
			Total	26	10

E. & O. E.

Guest's Signature Signature

No. 006648 Phone No.

Cash/Credit Memo

Hotel Yellow Pagoda

Kantipath, Kathmandu

DINING HALL

Date	Steward	Persons	Table No.	Rs.
1 Ginger tea				
			13% G. Tax	
			Total	

E. & O. E.

Guest's Signature Signature

Telex: 2268 PAGODA NP
Cable: YELOPAGODA
Telephone No. 220337, 220338, 220392

Cash Receipt

D-62

F/O NO. 1246

HOTEL YELLOW PAGODA

KANTIPATH, KATHMANDU

Date 15/3/91

Received *with thanks from* Mr. Shah C. Kant.
the sum of Rupees Three thousand nine hundred six and paise 40 only.
by Cash/Draft / Cheque No. ....
Subject to realisation
Dated .... *on Bank* ....
in Full / Part Payment on account of B. NO. 1009

For HOTEL YELLOW PAGODA

Rs. 3906.40

#215

Collector

2325.24

1510
90

GUEST STATEMENT

No. 1003

Cable: YELOPAGODA
Tel: 2-20337, 2-20338, 2-20392
TELEX: 2268 PAGODA NP

D-62
#32

HOTEL YELLOW PAGODA

KANTIPATH, KATHMANDU

NAME MR. SHAH C. KANT ROOM NO 1/215

DATE OF ARRIVAL 13/3/91 TIME 1.P.3.? DATE OF DEPARTURE .... TIME ....

TERMS ..... RATE PER DAY 1-O/- BILLING INSTRUCTIONS Direct

Date	13-3-91		14-3-91		15/3/91										
Room	1600	00	1600	–											
Breakfast															
Lunch															
Dinner															
Snacks	79	00			42	00									
Govt. Tax on Room & A. P. Meals	208	00	208	–											
Beverages	56	10	59	–											
Telephones, Trunkcall & Cables															
Laundry-Valet Service															
CIGARETTE															
Cash Paid Outs															
Govt. on F/B	20	16			5	87									
Daily Total	1983	28	1874	62	48	47									
Add-Balance B/Fd	–		1983	28	3857	93									
Grand Total	1983	28	3857	93	3906	40									
Less allowances Discounts															
TOTAL AMOUNT PAYABLE															

Date.......... Bill Clerk..........

Personal Cheques not Accepted

D-63

N. K SRIVASTAV
Proprietor

NISHA TRADING

Pyukha Tole New Road
Kathmandu

H. O.
Sripur Birganj, Nepal

Shop: 226937
Res. ~~[illegible]~~

Shop : 2-2643
Res. : 2-2712

Dealing in all kinds of- INSECTICIDES, PESTICIDES SPRAYER'S PUMP FUNGICIDE Etc.

MR No 6
10

12/11/91

SRI GANESH

10362

Date: 11/3/91

MADHUBAN

Marwari Sewa Samiti, Bldg.
Fasikeb, Kathmandu, Nepal. Phone No. 223218

CASH BILL Table No. 2

Quantity	Description	Amount Rs.	Ps.
2	[illegible]	24/-	
2	[illegible]	8/-	
	D-64		
	Total	32/-	

E. & O. E.

for: MADHUBAN

MR No 6
11

12/11/91

LUDIGS AT WORK

No Smoking.

30 MM Sen Gun – 35000/- 20 [illegible]
(2)

Balltor–
32. WITH Silver – 40,000/- –
(1) U.S.A.

32 Webly S Cat. Pistal – 24000/- –
(1)
9 M.M. U.S.A. Pistal – 30000/-
(1)

Chk

Jm (12) (1) [signature] MR No 6/12 [signature] 23-9-79 Durg 14/11/81 D-65/1 4-Sheets

प्रिय रेनू

बहुत बहुत प्यार

बहुत दिनों से तुम्हारे पत्र का इंतजार कर रहा था परन्तु जब तुम्हारा पत्र नहीं आया तो मैं ही तुम्हें पत्र लिखने बैठ गया।

आशा है तुम कुशलता से होगी। यहाँ हम भी मजे से हैं। तुम्हारा वायदा कि तुम समय आने पर सब ठीक कर लोगी और तारीख पक्की करके मुझे लिख भेजोगी, इसके लिए भी शायद तुम किसी निर्णय पर नहीं पहुंची हो और न ही पहुंच पाओगी शायद! हमको लगता है अब हमको ही पहल करनी चाहिये क्योंकि तुम्हें कहा [redacted] सितम्बर माह तक हम [redacted] कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आयगा कि जो दोनों पक्ष को मान्य होगा परन्तु इतने समय के बाद भी कोई भी निर्णय नहीं हुआ तो

(2) MA No 6 / 12 [signature] 12/11 [signature] 12/4/21

D-65

हमारे पास यह भी जवाब आया है कि हम शुरू तारीख तारीख तय कर लें। हम समझते हैं उस तरह से 2-10-79 की तारीख उचित है, कोई से सुप्रिन्टेन्डेन्ट करा कर आओ का कार्यक्रम निश्चित कर लेंगे। हमारे घर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम्हारा कोई निर्णय हो तो मुझे लिखो। और यह सब तय करने के लिए कि किस तरह यह कार्य करना है, हम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम हमको लिखो कि हम कब तुमसे मिलने आयें तुम अपने घर में सब बात कर लेना, क्योंकि अब समय बरबाद करने का कोई मतलब नहीं है, जो भी करना है वह उचित समय पर हो जाये यही अच्छा है।

और क्या [redacted] तुमको पत्र लिखते हैं तो आशा बहुत खराब हो जाती है तुम बुरा मत मानना। बाकी सब ठीक है

तुम्हारा
?. K

पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से
मुस्कराओ तो कोई बात बने
सर झुकाने से कुछ नहीं होगा
सर उठाओ तो कोई बात बने
ज़िन्दगी भीख में नहीं मिलती
ज़िन्दगी बढ़ के छीनी जाती है
अपना हक़ संगदिल ज़माने से
छीन पाओ तो कोई बात बने
रंग और नस्ल, जात और मज़हब
जो भी हो आदमी से कमतर है
इस हक़ीक़त को तुम भी मेरी तरह
मान जाओ तो कोई बात बने
नफ़रतों के जहान में हमको,
प्यार की बस्तियाँ बसानी हैं
दूर रहना कोई कमाल नहीं
पास आओ तो कोई बात बने

[redacted]

रेनू ये 'साहिर' की लिखी ग़ज़ल है,
जो आज अचानक तुमको [illegible]
लिखते हुए याद आ गयी शायद
तुम्हें पसन्द आये।

[illegible]

(३)

निरस्त [illegible]

D. 65/2

हमारी प्रस्तावित आवासीय योजना 'चन्द्र-विहार' आदर्श टाऊन, भिलाई में हमारे द्वारा प्रस्तावित विभिन्न आकार एवं क्षेत्रफल के भूखण्ड उपलब्ध कराने की योजना बनाई गयी है। भूखण्डों को पूर्ण रूप से विकसित करके, योजना के सदस्यों को योजना पूर्ण होने पर आवंटित किया जावेगा। अतः भूखण्ड पूर्ण मालिकाना हक वाला होगा (लिज वाला नहीं)।

हमारी संस्था के द्वारा प्रत्येक भूखण्ड को [illegible] के द्वारा अनुमोदित योजनानुसार विकसित करके कार्य पूर्ण ईमानदारी से, सभी नियमानुसार किया जावेगा जो कि निम्न अनुसार होगा

सभी आर्की डामरीकृत सी.सी. रोड बनेंगे। मार्गों पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था की जावेगी। सभी मार्गों के किनारे से बारिश का पानी निकलने के लिए पक्की नालियां बनाई जावेगी। प्रत्येक भूखण्ड पर बने भवन के गंदे जल/मल की निकासी के लिए भूमिगत नालियों के द्वारा निकासी की व्यवस्था की जावेगी। पानी के वितरण के लिए [illegible] [redacted]. [redacted] जावेगी। [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] सार [illegible] [illegible] जावेगा।

घरों झुग्गियों की सीमा पर चारदिवारी बनाकर मकानों व झुग्गियों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जानी चाहिए। मकानों में प्रत्येक निर्धारित व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा। सभी मकानों का फर्श की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए।

इस प्रकार सुरक्षित प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्वामी को इमारती मकानों में सुधार करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित खर्चा मिलेगा-

1. पक्की की [illegible] व्यवस्था होने से कोठिया नहीं बनाना पड़ेगा उसके उपरोक्त मकान की लागत — 20,000 - 25,000
2. मकानों [illegible]/[illegible] निकासी की व्यवस्था होने से अतिरिक्त पैसा नहीं लगाना पड़ेगा उसकी लागत — 10,000 - 12,000
3. मकान सुधार में चारदिवारी बनाने की आवश्यकता नहीं। [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] द्वारा खर्च किया जाने वाले [illegible] में लागत — 10,000 - 15,000
4. प्रत्येक सुरक्षित को अपेक्षित लागत रु. 40,000 - 52,000/-

अनुमानित [illegible] सभी [illegible] इस प्रकार [illegible] में खर्च होगी [illegible] प्रत्येक [illegible] के लिए [illegible] हो गई है।

(5) Approve 12.1. [illegible] 12/1/91 (3)

D-65/3

इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्रुप इन्टरकॉम फोन को जोड़ा रहेगा। इसके द्वारा P.C.O. को जोड़कर आपको P.S.T. फोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक प्लाट को डिश केबल से जोड़कर आपको मनोरंजन की सुविधा ~~के~~ ~~व्यवस्था~~ प्रदान की जायेगी। इसके लिए अतिरिक्त ही सुविधानुसार मासिक शुल्क लिया जायेगा।

हमारी योजना में प्लाटों का मूल्य 30/- प्रति वर्ग फुट तथा 10/- प्रति वर्ग फुट विकास शुल्क, अतः 40/- प्रति वर्ग फुट रखा गया है। जो प्लाट [illegible] कम वाले होंगे उनकी [illegible] जावे।

प्लाट बुकिंग कराने के समय प्रथम किश्त प्लाट के मूल्य का 25% जमा करना होगा तथा शेष राशी 24 माह की बराबर किश्तों में देय होगी। इन पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। एक मुश्त राशी जमा करने पर 10% मूल्य में छूट मिलेगी। प्रत्येक [illegible] प्लाट की रजिस्ट्री कराया [illegible] जायेगी यह खर्च स्वयं हमारी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

(5) D-65 [illegible] 18.11 [illegible] यथावत

① नक्शे को टाउन प्लानिंग से पास करवाना है

(A) रजिस्ट्री या एग्रीमेंट सारी जमीन का. (फोटो)

(B) पटवारी का चालू वर्ष का खसरा, नकल एवं 5 साला नकल। (ओरिजनल)

(C) ले आउट की कापी। (—"—) 1000 + 15,000 / 12000 20,000

② जाडा से विकास अनुज्ञा

(A) टाउन प्लानिंग का एप्रूवड ले आउट (फोटो)

(B) रजिस्ट्री / एग्रीमेंट की कापी (—"—)

(C) पटवारी का चालू वर्ष का खसरा, नकल एवं 5 साला नकल।

(D) ले आउट की कापी।

(E) डिटेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

(F) डॉ. का गैमोरेंडम आफ एसोसियेशन

(G) एप्लिकेशन

5/- प्रति वर्ग मीटर बाह्य विकास शुल्क,
2% डेवलपमेंट कास्ट का सुपरविजन चार्ज
10% सिक्योरिटी डिपोजिट (प्लाट मोर्टगेज करके दी जा सकती है।

5,000/-

(1)

12.11 — 12.11.91 — D-66/1 — 3 Sheets

MR x 10 6 / 18

आदरणीय प्रेमा जी

नमस्कार

मैं रोज आपसे मिलने आता हूँ पर आप हैं कि मिलते ही नहीं हैं। कृपया आप कल [illegible] के बाद [illegible] में [illegible]। [illegible] [illegible] होगा। मैं [illegible] भी लेने आता हूँ। [illegible] के बारे में भी जानकारी है और [illegible] [illegible] है। आप [illegible] नहीं हैं। मैं आपसे मिलने [illegible] [illegible]।

[illegible]

ओम प्रकाश [illegible]

आदरणीय [illegible] जी, (2) 66

12-4-86

नमस्कार

June 12.11

12/11/91

आप अन्न कोष की हाथ से 200/- रु

भेज जाना दी जियेगा। [illegible] बहुत [illegible]

को [illegible] है। [illegible] [illegible] के लिये [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हूँ

[illegible] [illegible] कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

धन्यवाद

आपका [illegible]

[illegible]

(4)   MR... 18   12.11.91   D-66/3   12.11.91

आप अगर मना नहीं करेंगे तो मैं बीच-बीच में
आटे पर आया करूँगा।
मैं भी ई.सी. वोनचर कमीशन कमाऊँगा जिससे
पॉकेट खर्च चले।
अगर पैसा ज्यादा मिला तो दुकान बनवा कर
गिफ्ट कार्नर या जनरल स्टोर खोलूँगा। आपने बीस
हजार दिए और मैंने 23 हजार लगाया तो दुकान बनाई है
जमीं दी और किसी से पन्द्रह-बीस हजार लेकर
और बनवाऊँगा तथा किराये पर चार दुकान देकर
पगड़ी रखवाऊँगा। उस पगड़ी से जनरल स्टोर खोलकर
बैठूँगा। ऐसा नहीं किया तो फिर वही लड़कों
के साथ आवारागर्दी होने लगेगी। मैं तो आपको
अपने मन की बात बताता हूँ
मैं आज भी अंसारी के पास गया था वह सोमवार
को [illegible] पर्चों के लिए बुलाया है आप आदर्श [illegible] होना।
और आप मेरी सभी गलतियों को क्षमा करेंगे
इसी प्रकार की सोच में रह रहा हूँ। मैं [illegible]
दिन आपसे नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मिश्राजी का 14320
रु० देना है और 2800 दिया हूँ बाकी पैसे के
जुगाड़ में निकलूँगा अतः आप हफ्ते भर तक
मुझे मत बुलवाइयेगा।
भविष्य में आपके लिए तन व मन
न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा करता हूँ पर
अलग काम करूँगा। जिससे हमारा यह आदर्श
मिलने में कोई फर्क न पड़े।

आपका छोटा भाई
ओमप्रकाश

(1) CBI MR No 6 19 D-67 12.4.91 7 Sheets

प्रति,

श्रीमान मोतीलाल जी वोरा,
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल.

विषयः - रमाशंकर सिंह सी.एस.पी. छावनी भिलाई को निलंबित करने बाबत्।

संदर्भ। - आतंकवादी अधिनियम 1987 का दुरूपयोग कर नीजी स्वार्थ सिद्धी तथा भयादोहन करने का प्रकरण क्रमांक 1009/88 थाना छावनी भिलाई जिला दुर्ग ।

आदरणीय महोदय,

भिलाई छावनी नगर पुलिस अधिक्षक रमाशंकर सिंह जुलाई में आतंकवादी एवं विध्वंस कारी गतिविधियाँ 1987 का दुरूपयोग कर उसकी आड़ में श्री चंद्रकांत शाह को ब्लैकमेल करने के कारण अगस्त 88 में यहां से स्थानांतरित किये गये थे । इस प्रकरण की जांच म०प्र०शासन पुलिस विभाग विजिलेंस एवं आई.जी.सी.आई.डी.श्री एस.एस.बल द्वारा की जा चुकी है।

कि उक्त प्रकरण में प्रदेश के उच्च पुलिस xx अधिकारी श्री एस.एस. बल जो आतंकवादी मामलों के प्रभारी थे को छावनी सी.एस.पी. ने बिना जानकारी दिये प्रकरण तैयार किया जबकि केन्द्र एवं प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश है कि प्रभारी आई.जी.की बिना अनुमति प्राप्त किये ऐसे प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये जा सकते । संपूर्ण मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस विभाग से प्राप्त की जा सकती है ।

कि म.प्र. शासन एवं प्रभारी आई.जी.महोदय ने प्रकरण की छानबीन कर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि यह प्रकरण आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित नहीं है और श्री चंद्रकांत शाह एवं अन्य किसी के विरुद्ध ऐसा मामला नहीं बनता है । संदर्भित प्रकरण में माननीय डेजीगेटेड xxxxxxxxxx अधिनियम कोर्ट रायपुर के न्यायाधीश श्रीमान सेठ साहब ने भी मामले को आतंकवादी अधिनियम से संबंधित न मानते हुए श्री चंद्रकांत शाह को अग्रिम जमानत प्रदान कर दिया ।

R/O B 19

क्रमशः...2पर

प्रति,

श्रीमान मोतीलाल जी वोरा,
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय :- रमाशंकर सिंह सी.एस.पी. छावनी भिलाई को निलंबित करने बाबत्

संदर्भ :- आतंकवादी अधिनियम 1987 का दुरुपयोग कर नीजी स्वार्थ सिद्धी तथा भयादोहन करने का प्रकरण क्रमांक 1009/88 थाना छावनी भिलाई जिला दुर्ग ।

आदरणीय महोदय,

भिलाई छावनी नगर पुलिस अधिक्षक रमाशंकर सिंह जुलाई में आतंकवादी एवं विध्वंस कारी गतिविधियों 1987 का दुरुपयोग कर उसकी आड़ में श्री चंद्रकांत शाह को ब्लैकमेल करने के कारण अगस्त 88 में यहां से स्थानांतरित किये गये थे । इस प्रकरण की जांच म०प्र०शासन पुलिस विभाग विजिलेंस एवं आई.जी.सी.आई.डी.श्री एस.एस.बल द्वारा की जा चुकी है।

कि उक्त प्रकरण में प्रदेश के उच्च पुलिस ~~xx~~ अधिकारी श्री एस.एस. बल जो आतंकवादी मामलों के प्रभारी थे को छावनी सी.एस.पी. ने बिना जानकारी दिये प्रकरण तैयार किया जबकि केन्द्र एवं प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश है कि प्रभारी आई.जी. की बिना अनुमति प्राप्त किये ऐसे प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये जा सकते । संपूर्ण मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस विभाग से प्राप्त की जा सकती है ।

कि म.प्र. शासन एवं प्रभारी आई.जी.महोदय ने प्रकरण की छानबीन कर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि यह प्रकरण आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित नहीं है और श्री चंद्रकांत शाह एवं अन्य किसी के विरुद्ध ऐसा मामला नहीं बनता है । संदर्भित प्रकरण में माननीय डेजीग्नेटेड ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxअधिनियम~~ कोर्ट रायपुर के न्यायाधीश श्रीमान सेठ साहब ने भी मामले को आतंकवादी अधिनियम से संबंधित न मानते हुए श्री चंद्रकांत शाह को अग्रिम जमानत प्रदान कर दिया ।

क्रमशः...2पर

(2) marked 19 12.11.91 D-67 12/11/91

कि सी.एस.पी. रामशंकर सिंह की इस हरकत से पुलिस एवं प्रदेश शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और दुर्ग न्यायालय में इसी प्रकरण में सी.एस.पी. को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मामला भी पंजीबद्ध किया जो न्यायालय में विचाराधीन है। संलग्न फोटो प्रति क्रमांक §1§ प्रकरण 26/3/ 88 धारा 342 भा0द0सं0 न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग।

कि उक्त प्रकरण में सी.एस.पी. रमाशंकर सिंह ने शाह परिवार को धमकी देकर एक लाख रूपये की मांग की थी जिसमें से चालीस हजार रूपया उन्होंने श्री हेमंतशाह से ले लिया। इस बात की जानकारी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को मिलने पर शिकायत की गई व तब बड़ी मुश्किल से xxxx रमाशंकर सिंह को हटाकर मामले की जांच के आदेश हुए। वर्तमान में पूरा जांच प्रतिवेदन रायपुर के एक विजिलेंस अधिकारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजा जा चुका है।

कि रामशंकर सिंह आप के मुख्यमंत्री बनते ही उच्चाधिकारियों को गुमराह कर पुनः छावनी वापस आ गया है। ऐसा विश्वास था कि अब उसके खिलाफ अवश्य ही उचित कार्यवाही होगी और वह निलंबित किया जायेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। उसने वर्तमान फेरबदल में उच्चअधिकारियों को यह बताने में सफलता प्राप्त कर लिया कि उसे राजनीति के गुटबाजी के चलते स्थानांतरित किया गया था जो सरासर गलत है। वास्तव में उसे तब आवश्यकता से अधिक संरक्षण मिला अन्यथा वह तभी निलंबित किये जाने योग्य था।

कि सन 1981-82 में जब दुर्ग भिलाई में आप के सहयोगी इंका कार्यकर्ताओं को जिलाधीश पोतें ने परेशान करना शुरू किया था तब यही रमाशंकर सिंह दुर्ग का थाना प्रभारी था और इसने पोतें के इशारे पर नंगा नाच किया जिसे आप भी जानते हैं। गत वर्ष पुनः अर्जुनसिंह के मुख्यमंत्री बनते ही यह आपे से बाहर हो गया और उसकी परिणति आतंकवादी अधिनियम के दुरूपयोग के रूप में हुई।

क्रमशः...3पर

(7)

कि बड़ी ~~कुशलतापूर्वक~~ धूर्तता ~~पूर्वक~~ से इसने वर्तमान में पता नहीं कैसे आप के प्रति विश्वस्त होने का ~~xx~~ आडम्बर कर पुनः छावनी आने में सफलता पा लिया है जिससे हमें क्षोभ एवं दुख हुआ है ।

अतः संक्षिप्त विवरण देकर आपसे निवेदन है कि रमाशंकर सिंह को तत्काल यहां से हटाने एवं पूर्ववत स्थिति का आदेश दें तथा मामले की जांच प्रतिवेदन मंगाकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें जिससे कि फिर कोई अधिकारी ~~x~~ इस प्रकार शासन को बदनाम कर किसी संभ्रांत नागरिक को ब्लैक मेल न कर सकें ।

शुभकामनाओं सहित ।

भवदीय,

(प्रेमनाथ [illegible])

संलग्न :

(1) न्यायालय का आदेश रमाशंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का [illegible]

(2) 25.12.88 को पुलिस महानिदेशक म.प्र. को भेजा गया आवेदन

(3) समाचार पत्र, दैनिक देशबन्धु, लोकमत [illegible], [illegible] में प्रकाशित [illegible]

(4) 3 जुलाई 88 को [illegible] श्री [illegible] को दिया गया आवेदन पत्र।

ए०नं० 2613/88

प्रतिलिपि आदेशपत्र दिनांक 16/8/88 की जो कि न्यायालय श्रीमती अंजुली पालो, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग के द्वारा आप० प्र० क्रमांक 2281/88, ज्ञानप्रकाश वि० आर०एस० सिंह व अन्य में अभिलिखित किया गया है, प्रकरण के पक्षकारों का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :-

ज्ञानप्रकाश मिश्र आ० श्री छोटकन मिश्र
साकिन केम्प 1 थाना, छावनी भिलाई
तह० व जिला दुर्ग. -------- ------- परिवादी

विरुद्ध

1-आर०एस०सिंह नगर पुलिस अधीक्षक,
छावनी भिलाई.
2-आर०पी० शर्मा प्रभारी अधिकारी,
थाना छावनी, भिलाई, दुर्ग -------------- अभियुक्तगण

- -

8/88

फरियादी द्वारा श्री तिवारी अधि० ।

प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुये, अनावेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टतया धारा 342 भा०द०वि० के तहत अपराध करना प्रतीत होता है ।

अभियुक्तगण के विरुद्ध यह परिवाद प्रकरण धारा 342 सहपठित 34 भा०द०वि० के तहत पंजीबद्ध किया जाये । परिवादी द्वारा 5 दिन में आ० शु० दिये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध समंस जारी किया जावे ।

वास्ते अ उपस्थिति हेतु 29/9/88

स्पष्ट
-88

सही/- श्रीमती अंजुली पालो
जे. एम. एफ. सी.
16-8-88

TRUE COPY

SIR No. 6
19

D-17

14/11/91

ति,

श्रीयुत महाराज साहब,
पुलिस महानिदेशक, म०प्र०
भोपाल (म०प्र०)।

विषयः- आर.एस. सिंह पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक छावनी भिलाई, वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक हरिजन प्रकोष्ठ सरगुजा म०प्र० को निलम्बित करने हेतु ।

संदर्भः- निज स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार की नीयत से आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम का दुरुपयोग कर भिलाई के सुप्रसिद्ध सिम्पलेक्स उद्योग समूह के भागीदार चंद्रकान्त शाह को फंसाने सम्बन्धी प्रकरण की जाँच के बाद- कार्यवाही हेतु लम्बित है ।

आदरणीय महोदय,

संदर्भित प्रकरण की पूर्ण जानकारी हेतु इस आवेदन के साथ विवरण संलग्न है । मैं अतः संक्षिप्त में अपना निवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत कर न्याय हेतु निवेदन कर रहा हूँ ।

कि रमाशंकर सिंह लम्बे अर्से तक दुर्ग भिलाई में पदस्थ रहे । सहायक उप-निरीक्षक वर्तमान पद तक उनका लगभग नब्बे प्रतिशत कार्यकाल दुर्ग भिलाई में बीता है । सन् 1980 के बाद जब दुर्ग जिले में तत्कालीन जिलाधीश एस.एस. वोरा ने मोतीलाल के इशारे पर वोरा समर्थकों को परेशान करना शुरू किया तो दुर्ग के थाना प्रभारी आर.एस. सिंह ने झूठे मामले बनाने तथा वोरा समर्थकों की गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ मीसा या जिलाबदर की कार्यवाही करने में अग्रणी भूमिका अदा की । लेकिन जब 1984 आते-आते मोतीलाल बड़ी का भंडाफोड़ हुआ और वोरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने तब रमाशंकर सिंह को वर्षों बाद दुर्ग से हटाया गया ।

कि दो तीन वर्ष बाहर रहने तथा पदोन्नति पाने के बाद रमाशंकर सिंह 1988 में भूतपूर्व पुलिस आई.जी. (संभवतः श्री चतुर्वेदी) को खुश कर छावनी भिलाई का सी.एस.पी. होकर आये । पुलिस सूत्रों के ही अनुसार उसने श्री चतुर्वेदी साहब को मोटी रकम भेंट किया था वास्तविकता क्या है उसे वही जाने । संयोग वश प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह बन गये थे इसलिये रमाशंकर सिंह ने भूखे शेर की तरह भिलाई के अवैध धन्धे वालों से मिलकर आम जनता को लूटने का सिलसिला चला दिया ।

क्रमशः -2-

5A

D-6
12/11
12/11/91

कि उस समय श्री ए. एन. पाठक भिलाई रेंज के आई. जी. थे उनकी अक्षमता तथा इस नये क्षेत्र में दबदबा बनाकर अपना नाम बढ़ाने की xxx उदम्य लालसा का अनुचित फायदा उठाते हुए रमाशंकर सिंह ने भी अपना अत्याचार व शोषण प्रारम्भ किया । रायपुर में घटित कथित मुठभेड़ जिसमें एक अपराधी मुन्ना तिवारी मारा गया था की आड़ में xxx संदेहित फर्जी प्रकरण तैयार कर भिलाई के एक उद्योग पति से एक लाख रुपये लिया तथा उनके स्वजनों से कुछ रकम ऐंठ लिया । इस मामले की जांच गुप्तचर शाखा द्वारा पूरी कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है । शेष विवरण आप अपने सूत्रों से प्राप्त कर सकते हैं ।

कि नाम के आगे सिंह लगा होने के कारण आर. एस. सिंह निलम्बित नहीं किया जा सकाxx इस विषय में इतना ही समझने के लिये पर्याप्त है । अब जब कि पूरे प्रदेश से आतंकवादी राजनीति की समाप्ति हो गई है । x पं. श्यामा चरण जी शुक्ल पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता भी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं । आप से निवेदन है कि रमाशंकर सिंह को तत्काल निलम्बित करने की कृपा करें जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

D-67

14/11/91

प्रति,

श्रीयुत नटराजन साहब,
पुलिस महानिदेशक, म0प्र0
भोपाल (म0प्र0)

विषयः- आर.एस. सिंह पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक छावनी भिलाई, वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक हरिजन प्रकोष्ठ सरगुजा म0प्र0 को निलम्बित करने हेतु।

संदर्भः- निजी स्वार्थ तथा ब्लेकमेलिंग की नीयत से आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम का दुरुपयोग कर भिलाई के सुप्रसिद्ध सिम्प्लेक्स उद्योग समूह के भागीदार चंद्रकान्त शाह को फंसाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच के बाद- कार्यवाही हेतु लम्बित है।

आदरणीय महोदय,

संदर्भित प्रकरण की पूर्ण जानकारी हेतु इस आवेदन के साथ विवरण संलग्न है। मैं पुनः संक्षिप्त में अपना निवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत कर न्याय हेतु निवेदन कर रहा हूं।

कि रमाशंकर सिंह लम्बे अर्से तक दुर्ग भिलाई में पदस्थ रहे। सहायक उप-निरीक्षक से वर्तमान पद तक उनका लगभग नब्बे प्रतिशत कार्यकाल दुर्ग भिलाई में बीता है। सन् 1980 के बाद जब दुर्ग जिले में तत्कालीन जिलाधीश एस.एस. पोर्ते ने भेड़िया के इशारे पर वोरा समर्थकों को परेशान करना शुरू किया तो दुर्ग के थाना प्रभारी आर.एस. सिंह ने फर्जी मामले बनाने तथा वोरा समर्थकों की गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ मीसा या जिला-बदर की कार्यवाही करने में अग्रणी भूमिका अदा की। लेकिन जब 1984 आते-आते भेड़िया चौकड़ी का भंडाफोड़ हुआ और वोरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने तब रमाशंकर सिंह कई वर्षों के बाद दुर्ग से हटाया गया।

कि दो तीन वर्ष बाहर रहने तथा पदोन्नति पाने के बाद रमाशंकर सिंह 1988 में एक भूतपूर्व पुलिस आई.जी. (सम्भवतः श्री चतुर्वेदी) की कृपा पर छावनी भिलाई का सी.एस.पी. होकर आये। पुलिस सूत्रों के ही अनुसार उसने श्री चतुर्वेदी साहब को मोटी रकम भेंट किया था वास्तविकता क्या है वे ही जाने। संयोग वश प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः अर्जुन सिंह बन गये थे इसलिये रमाशंकर सिंह ने भूखे शेर की तरह भिलाई के अवैध धन्धे बाजों से मिलकर आम जनता को लूटने का सिलसिला चला दिया।

…स मौसम की सर्वाधिक व

वि. वि

पुनर्नि

…श्वविद्यालय के शिक्षकों व

नगर पुलिस अधीक्षक छावनी को न्यायालय का कारण बताओ नोटिस

(दुर्ग कार्यालय द्वारा)

दुर्ग। न्यायिक दंडाधिकारी श्री सी.डी. बाजपेयी ने छावनी नगर पुलिस अधीक्षक आर.एन. सिंह को थाना छावनी के अपराध क्रमांक ११, १००९/८८ में न्यायाधीश पी.सी. जैन के आदेश २४ जून ८८ की अवहेलना करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभियुक्त जनार्दन शुक्ला, ज्ञान प्रकाश, सत्येंद्र सिंह को २५ जून को अवकाश कालीन दंडाधिकारी के समक्ष पेश न करने तथा अभियुक्तों को २५ जून से २७ जून की शाम लगभग ४ बजे तक थाने में रोक रखने के लिये कारण बताओ नोटिस दिया है। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक (छावनी) को इस विषय में अपना जवाब ११ जुलाई तक पेश करने का निर्देश दिया गया है।

मामले के तथ्य के अनुसार छावनी पुलिस ने उपरोक्त अभियुक्तों को धारा २५ व २७ आर्म्स एक्ट तथा धारा ३ आतंकवादी, विध्वंसक अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षा में लेकर २० जून को दंडाधिकारी श्री बाजपेयी के न्यायालय में ४ जुलाई तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया था। पुलिस ने रिमांड लेते हुए अभियुक्तों को अन्वेषण कार्य में जब्ती आदि करने हेतु उत्तर प्रदेश ले जाने का कारण बताया था। इस आदेश को अभियुक्तों ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। जिस पर पुनर्परीक्षण याचिका के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पी.सी. जैन ने आतंकवादी एवं विध्वंसक अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों का पुलिस रिमांड स्वीकारने बाबत रायपुर संभाग के डिजीनेटेड कोर्ट का क्षेत्राधिकार मानते हुए तथा श्री बाजपेयी के पुलिस रिमांड आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं आधारहीन मानकर निरस्त करने का आदेश पारित किया। उन्होंने २४ जून तक के पुलिस रिमांड को वैध मानकर शासन को यह निर्देश दिया कि अभियुक्तों को अविलंब २५ जून को न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जावे।

इसकी सूचना लोक अभियोजक श्री यशवंत तिवारी के माध्यम से तत्काल उपनिरीक्षक श्री शर्मा, प्रभारी टी.आई. छावनी को दी गयी और निर्देशित किया कि अभियुक्तों को आवश्यक रूप से २५ जून को ज्युडिशियल रिमांड हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। इन सबके बावजूद अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

२७ जून को अभियुक्तों के अधिवक्ता बलराम दुबे ने श्री सी.डी. बाजपेयी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आकर सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक २४ जून की छावनी पुलिस द्वारा अवहेलना करने तथा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु पेश नहीं करने की बात कही। जिस पर श्री बाजपेयी ने सहायक लोक अभियोजक को सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक २४ जून का पालन करने तथा अभियुक्तों को तत्काल न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तब कहीं जाकर ४ बजे छावनी पुलिस ने अभियुक्त जनार्दन शुक्ला तथा ज्ञान प्रकाश को ज्युडिशियल रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया।

इस उपरोक्त हेतु स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए कारण बताओ नोटिस न्यायालय ने जारी किया है।

महात्मा गांधी मार्केट के आवंटन की जांच की मांग

भिलाई नगर। प्रदेश जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य प्रभुनाथ मिश्रा ने

दुर्गावती की पुण्यतिथि पर आदिवासी सम्मेलन आयोजित

किसानों को मिनीकिट का वितरण

पलारी। सहायक परियोजना … कार्यालय परिसर में गत २३ जून को एक समारोह आयोजित कर लघु एवं सीमांत कृषकों को खाद एवं धान बीज के मिनीकिट वितरित किये गये। समारोह के मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष श्री जगदीश जोशी थे। अध्यक्षता जिला ग्रामीण युवक कांग्रेस के सहमंत्री श्री रामाधार पटेल ने की।

इस अवसर पर क्षेत्र के ग्राम दतान, बलौदी, कुम्हारी, खोसमंदी, सीतावार, सलौनी, रोहांसी, गिरौद एवं पलारी के कृषकों को मिनीकिट दिये गये। उन्नत किस्म के धान बीज २०० लघु एवं सीमांत कृषकों को दिये गये। १५० कृषकों को रासायनिक खाद के मिनीकिट प्रदान किये गये।

बताया गया है कि इन मिनीकिट में से कुल कीमत से मात्र दस प्रतिशत राशि किसानों से वसूल की गई है। जबकि पिछले वर्ष निःशुल्क प्रदान किया गया था।

मिनीकिट वितरण समारोह के मुख्य अतिथि श्री जोशी ने उपस्थित किसानों से ग्रामीण एकता को मजबूत बनाये रखने के साथ ही उन्नत फसल लेने की अपील की। पलारी के सहायक परियोजना प्रभारी अधिकारी श्री श्रीवास्तव एवं किसान नेता अमरसिंह साहू ने कृषि विभाग द्वारा किसानों के विकास के लिए की योजनाओं की विस्तृत जानकारी किसानों को दी।

२८ जून को बलौदाबाजार कृषि … एस.डी.ओ. श्री जी. आर. कुदम व विभाग…

…लेर

…षण

…र पूर्वी प्रान्त के सं… प्रशासनिक इकाई … के साथ विलय कि…

…ल जयवर्धने ने कहा … तों के मूल रूप में … है। उन्होंने कहा … से मोटे तमिल … न्ट के नेताओं के … शामिल होने की सर … दो प्रान्तों के विल … धिकार सौंपने के लिये … समझौते को लाग … के सम्बन्ध में जा … प्रतिक्रिया हुई है … नता अनुरा भन्डा … कराये बिना उत्तर … पर सरकार की … या व्यक्त की है। … र्रवाई बताया।

…र फ्रीडम पार्टी के … भावी राष्ट्रपति … के विषय के साथ … ग करवायेगी। तमि… … ट के महासचि…

D-67 19 12/11/91

...देने वाले शहीद इमाम हुसैन की याद में आज शास्त्री बाजार में आमसभा का आयोजन

उपरोक्त चित्र उसी सभा का है.

सी.एस.पी. सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

भिलाई नगर, २३ अगस्त (का.प्र.). सी.एस.पी. रत्नाकर सिंह जिन्हें आतंकवादी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के सिलसिले में छावनी से हटाकर [illegible] स्थानान्तरित कर दिया गया है इन दिनों पुनः [illegible] अवकाश लेकर मौजूद हैं और अपना स्थानान्तरण अन्यत्र कराने के लिए प्रयत्नशील हैं.

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आई.जी. सी.आई.डी. भोपाल ने सिंह द्वारा आतंकवादी अधिनियम के तहत तीन युवकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के सिलसिले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा एक सप्ताह के भीतर उन्हें जवाब देने को कहा है। उल्लेखनीय है कि जून ८८ में छावनी पुलिस द्वारा तीन युवकों के विरुद्ध आतंकवादी एवं विध्वंसक अधिनियम ८५ के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी जिसे पुलिस मुख्यालय प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सी.आई.डी. ने भी गलत करार दिया है। [illegible] विशेष न्यायालय रायपुर ने भी [illegible] मानते हुए गिरफ्तार युवकों को गत ११ अगस्त को पांच-पांच हजार रु. की जमानत स्वीकृत कर दी है. न्यायाधीश महोदय का मानना है कि यह मामला आपसी झगड़े का मामला है अतः आतंकवादी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई गलत है.

सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेता इस मुद्दे को लेकर आंदोलन का मंसूबा बना रहे हैं. उनका कहना है ऐसे षड्यंत्रकारी पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिये क्योंकि उनके खिलाफ दुर्ग न्यायालय में दो-दो प्रकरण विचाराधीन हैं अलावा इसके चर्चा यह भी है कि उक्त प्रकरण की आड़ में सी.एस.पी. सिंह ने एक उद्योगपति के परिजनों से मोटी रकम भी ऐंठी है. लोगों का कहना है कि निजी स्वार्थ के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा कानून का दुरुपयोग एक गंभीर मसला है इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ [illegible] कड़ी कार्रवाई की ही जानी चाहिए.

...मोर्चा पूरे देश में ...आंदोलन चलाएगा

...उन्होंने राष्ट्रीय [illegible] विरोधी आन्दोलन [illegible] में प्रारंभ होकर [illegible] चलेगा। [illegible] को लेकर [illegible]

आन्दोलन की विस्तृत रूपरेखा तैयार हो जाएगी। फिलहाल मोर्चा के सदस्य संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर [illegible] करेंगे. राष्ट्रीय जनमोर्चा में शामिल पार्टियों जनता पार्टी, जनतादल, कांग्रेस (स), लोकदल, असम गण परिषद, तेलुगु देशम तथा द्रमुक के कुल ६९ सदस्य वर्तमान में लोकसभा में हैं, जबकि इन्हीं दलों के राज्यसभा में ८० सदस्य हैं. पता चला है कि इसी सप्ताह में लोकसभा अध्यक्ष

...आयकर विभाग द्वारा आइल मिल व ट्रेडिंग कंपनी में छापा

पहट

ारिक समाचार पत्र

६ फरवरी १९८९

पृष्ठ–२, मूल्य–30 पैसे (सांध्य संस्करण)

ांकन
ोपड़–
ामस्थान
ोर मे
र्लामप्रट-
ानामां-
ाकारके

ासंपर्क

ु रात
वलव
करेंगे।

ा दुर्ग
लि–
ों से
ेंगे।

एक लाख की मांग करने वाला पुलिस अधिकारी वापस आया

दुर्ग (पहट)। बदले एवं राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में ग्रस्त होकर वर्तमान सरकार कैसे मनमाने निर्णय ले रही है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण छावनी सी. एस. पी. की कुर्सी पर रमाशंकर सिंह की पुनः वापसी है। आज से दस माह पूर्व आतंकवादी अधिनियम के गलत दुरूपयोग तथा उसकी आड़ में भिलाई के एक उद्योगपति से एक लाख रुपये की मांग करने पर उन्हें हटाकर सरगुजा हरिजन सेल में भेज दिया गया था। इस मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है। सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसी आशा थी कि सिंह की आड़ में अपना प्रभाव करने वाला यह भ्रष्ट अधिकारी निलम्बित कर दिया जायेगा लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा तथा पुलिस महानिदेशक नगराजन को अंधेरे में रखकर इस इस भ्रष्ट अधिकारी को अर्जुन गुट प्रताड़ित बताकर उसे पुनः छावनी पदस्थ कराया गया। ऐसी चर्चा है कि गुनाधर्मड एवं वरिष्ठ अधिकारी के नेता तथा एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर स्थानीय एक नेता तथा एक वरिष्ठ अधिकारी ने अलग–अलग अपनी जब गर्म कर लिया है।

उक्त अधिकारी की वापसी से यह आशंका होने लगी है कि वोरा जी भी उसी प्रकार स्वार्थी और भ्रष्ट सलाहकारों से घिर गये हैं जिस प्रकार के लोगों ने अर्जुनसिंह को घेर रखा था। वरना क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह व विश्वास पाने वाले मोतीलाल वोरा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वापस लाकर अपने ऊपर आतंक के बल पर लांछन लेंगे यह समझ से परे है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सम्बंध में मुख्यमंत्री को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

पत्नी को चाकू मार कर आत्महत्या

कैम्प–१ भिलाई। कल २५ फरवरी को तीन दर्शन मंदिर के पीछे रहनेवाले दुर्गाप्रसाद महार ने अपनी पत्नी श्रीमती गुमनबाई को चाकू मार कर घायल कर दिया तथा उसके तत्काल अपने पेट में भी चाकू घोंप जिससे उसकी मृत्यु हो गई पता चला है कि दुर्गाप्रसाद अपनी पत्नी का गौना कराना चाहता था लेकिन उसकी सास मना कर रही थी। घटना के समय गुमनबाई अपनी मां के साथ घर के बाहर मौजूद थी उसी समय दुर्गा प्रसाद वहां पहुंचा और गुस्से से तीन बार चाकू से चोट पहुंचाया। दुर्गा की पत्नी घायलावस्था में इलाजकरा रही है दुर्गाप्रसाद की लाशपोस्ट–मार्टम के लिये भेज दी गई है इन पंक्तियों के लिखे जाने तकपोस्ट–मार्टम नहीं हुआ था।

०– लाहौर। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान ३ हजार रन और ३ सौ विकेट लेने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है।

D-61

पर प्रभा...

...जिला के सचिव रविकुमार शर्मा ने इसे...

...में आज तक व्याप्त है। नागरिकों ने पुलिस से अपेक्षा है कि यह कि रहस्यों पर से पर्दा हटाया जाये।

...वासुदेव के विवाह पर... घरपुल लोकगीत दि. ३ सितम्बर आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा।

छत्तीसगढ़ समाचार

निलंबित करने की मांग

भिलाईनगर. जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री प्रभुनाथ मिश्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस भिलाई से सरगुजा स्थानांतरित सी.एस.पी. रमाशंकर सिंह पर तत्काल निलंबित किये जाने की मांग की है। श्री मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुये उक्त अधिकारी अभी तक सरगुजा में पदभार न ग्रहण कर अपना स्थानांतरण रुकवाने के लिये भोपाल का चक्कर लगा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्मरण कराया है कि दो माह पूर्व उक्त अधिकारी ने निजी द्वेष तथा एक उद्योगपति को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से आतंकवादी अधिनियम का दुरुपयोग किया।

इसकी जानकारी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तथा पुलिस उच्चाधिकारियों को दी गई है और इसके बाद भी रमा शंकर सिंह को तबादला भिलाई से हटाया गया।

मशीनीकरण के विरोध में ४ सित. को सम्मेलन

भिलाईनगर. रायपुर डिविजन इंश्युरेंस एम्पलाइज के संयुक्त सचिव श्री पी.के. पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार की अंधाधुंध कम्प्यूटरीकरण तथा मशीनीकरण की नीति से देश बेरोजगारी के विकराल शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। सरकार के इस गलत कदम के विरोध में रायपुर डिविजन इंश्युरेंस एम्पलाइज यूनियन की भिलाई तथा दुर्ग यूनिट द्वारा ४ सितंबर को साढ़े बारह बजे अग्रसेन भवन सेक्टर-६ में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी जागरूक नागरिकों से अनुरोध किया है कि इस सम्मेलन में उपस्थित होकर इसे सफल बनायें।

लाइसेंसी व्यापारियों के मामले की सुनवाई होगी

भिलाईनगर. युवा व्यापारी संघ के सचिव श्री सुनीलेश बागड़ी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि भिलाई के लाइसेंसी व्यापारियों की ज्वलंत समस्याओं, जिसमें किराया वृद्धि एवं पुरानी दरों में लीज आवंटन संबंधी मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने आगामी सुनवाई की तिथि ४ अक्टूबर ८८ तय की है। व्यापारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेल चेयरमैन के भिलाई आगमन पर व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शित करेंगे तथा शीघ्र समस्याओं के निराकरण के लिये उन्हें विवश करेंगे।

४ सित. को शिक्षक समागम समारोह

भिलाईनगर. भिलाई इस्पात शिक्षक संघ के महासचिव श्री राधेलाल साहू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या ४ सितंबर ८८ को दोपहर ३ बजे कल्याण महाविद्यालय में श्री ए.एन. पाठक पुलिस महा. निरीक्षक भिलाई वृत्त के मुख्य आतिथ्य एवं श्री टी.एस. ठाकुर प्राचार्य कल्याण महाविद्यालय की अध्यक्षता में शिक्षक समागम समारोह आयोजित किया गया है।

कल्याण महा. में जन्माष्टमी

भिलाईनगर. छत्तीसगढ़ कल्याण समिति भिलाई के सचिव श्री राधेलाल साहू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि सितंबर ८८ को सायंकाल ४ बजे कल्याण महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ कल्याण समिति के तत्वावधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के आद्योपान्त जीवन पर चिन्तन करने के लिये कृष्ण जन्माष्टमी समारोह आयोजित किया गया है।

दाद, खाज जैसे चर्म रोगों पर

रिंगोज़ोन

ऐसे ... असरदार औषधि

दि ईस्टर्न केमिकल कंपनी

बम्बई-२९

तृतीय जैन युवा मेला 88

JSG

जैन सोश्यल ग्रुप

लाडले बेटे या बिटिया

... नवयुवक-युवतियां अब आगे लालायित है योग्य वर-वधु के लिए।

आइये तृतीय भव्य आयोजन

के तले, जहां सरल, सुविधाजनक तरीके से एक ही स्थल पर एक ही दिन में सैकड़ों में से ... "वर या वधू जंवाई या बहू"

समग्र जैन समाज के सौहार्द, सहयोग, समन्वय की भावना एवं एकता का रचनात्मक कार्य।

दिनांक : 2 अक्टूबर 1988,

आयोजन स्थल : रविन्द्र नाट्य गृह,

आयोजक : जैन सोश्यल ग्रुप (पेनजान ऑफिस)

89, महारानी रोड इन्दौर ✆ 38430, ...

जैन सामूहिक विवाह दिसम्बर 88 में

(युवा मेले में भाग लेने वालों को प्राथमिकता)

Nichi Advt.

नवभारत 2/9/88

mano-6
17
12.11
D-(?)
12/11/91

प्रति,

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक
अपराध शाखा (आतंकवादी गतिविधियाँ)
म0प्र0 भोपाल ।

आवेदक :- चन्द्रकांत शाह आत्मज श्री रामजी भाई शाह प्रो0 ओसवाल इण्डस्ट्रीज छावनी चौक नंदिनी रोड, भिलाई जिला- दुर्ग (म0प्र0)

विषय :- आतंकवादी अधिनियम सन् 1987 के तहत की गई अनुचित कार्यवाही निरस्त करने बाबत ।

आदरणीय महोदय,

आवेदक नीचे लिखे अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर न्याय एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रार्थना करता है ।

1. यह कि आवेदक भिलाई जिला दुर्ग का स्थाई निवासी है तथा प्रतिष्ठित उद्योगपति है ।

2. आवेदक की फैक्ट्री में ज्ञानप्रकाश मिश्र आत्मज श्री छोटकन मिश्र निवासी कैम्प-1 थाना छावनी भिलाई, एक कर्मचारी है जो फैक्ट्री के विविध कार्यों का संपादन करता है ।

3. कि ज्ञान प्रकाश मिश्र फैक्ट्री के कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर फैक्ट्री की जीप या स्कूटर या अन्य वाहन का उपयोग करता है ।

4. कि आवेदक दिनांक 17-6-88 को फैक्ट्री के मशीनों की खरीदी आदि के लिए बाहर गया हुआ था तथा स्थानीय कार्य के लिये ज्ञानप्रकाश को देखरेख हेतु निर्देशित कर गया था । उस समय आवेदक की जीप क्रमांक एम.टी.क्र. 9021 तथा फैक्ट्री की स्कूटर भी ज्ञानप्रकाश की देखरेख में थी ।

5. कि ऐसी जानकारी मिली है कि इसी दरम्यान ज्ञानप्रकाश के दो परिचित उसके गृह ग्राम जिला गोरखपुर उ0प्र0 से पड़ोसी भिलाई आये जिसमें एक सतेन्द्र सिंह ग्राम [illegible] थाना [illegible] जिला गोरखपुर उ0प्र0 का निवासी है जो ज्ञानप्रकाश के ग्राम [illegible] के पास से है ।

6. कि गोरखपुर से आये दोनों व्यक्ति सतेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 रणविजय सिंह तथा [illegible] शुक्ला आत्मज xxxx/xxxx स्व0 श्यामनारायण शुक्ला भिलाई आकर अनन्त लाज में ठहरे । [illegible]

...2

D-67/7

सौरेन्द्र [illegible] है [illegible] आरोप [illegible] है ।

7. कि सौरेन्द्र [illegible] ने [illegible] सम्बन्धी [illegible] है [illegible] । आयुक्त ने उन्हें [illegible] में [illegible] करने के [illegible] दिया ।

8. कि [illegible] रामपुर में 15 व 16 [illegible] को [illegible] अपराधी पुलिस पर [illegible] फायर [illegible] । फरार अपराधी [illegible] गये थे और उन्हें पुलिस तलाश [illegible] कर रही थी । [illegible] 16 [illegible] को रामपुर में [illegible] पुलिस मुठभेड़ में मारा [illegible] । [illegible] समाचार पत्रों में [illegible] है ।

9. कि [illegible] 16 [illegible] 88 को [illegible] रामपुर में [illegible] के आधार पर [illegible] पुलिस ने सौरेन्द्र और [illegible] को [illegible] से गिरफ्तार [illegible] आयुक्त का [illegible] फेक्ट्री [illegible] था ।

10. कि [illegible] को [illegible] करने के बाद [illegible] पुलिस को [illegible] किया [illegible] रामपुर के नहीं है । उसके पश्चात [illegible] पुलिस ने [illegible] अपराध [illegible] 1008/88 धारा 25/27 [illegible] एक्ट एवं धारा 3 [illegible] आतंकवादी एवं विध्वंसक अधिनियम 1987 के [illegible] द्वारा आरोपित है [illegible] दोनों [illegible] पेश करना [illegible] थे । [illegible] पुलिस ने [illegible] धाराओं के [illegible] कार्यवाही प्रारंभ [illegible] है ।

11. कि [illegible] 25-8-88 को [illegible] मामले की जानकारी प्राप्त हुई ।

12. कि [illegible] में [illegible] द्वारा फेक्ट्री [illegible] के लिये प्रयोग में लाई जाती थी । फेक्ट्री [illegible] अधिकार [illegible] था और न [illegible] पुलिस द्वारा आरोपित मामले [illegible] कोई [illegible] था ।

13. कि [illegible] में अपराध [illegible] है [illegible] कोई औचित्य नहीं है । [illegible]

...3

का व्यवसाय चौपट हो रहा है और उसके व्यापारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

14. कि आवेदक को पूर्ण विश्वास है कि उसकी पुत्री से संबंधित सभी दस्तावेज बुलाये जाने और उन पर ध्यान देने पर यह निर्दोष और स्पष्ट हो जायेगा।

15. कि आवेदक के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और बिल्कुल निराधार एवं काल्पनिक संदेह के आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं आतंकवादी अधिनियम 1987 जैसे गंभीर प्रकरण के तहत कार्यवाही की जा रही है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त अपराध के तथ्यों की छानबीन कर आवेदक को उक्त अपराध प्रकरण से उन्मुक्त करने का आदेश पारित करें।

दिनांक : 5 जुलाई 1988.

आवेदक

चन्द्रकांत भाई आ. रतिलाल भाई शाह

ओसवाल स्टील इण्डस्ट्रीज
छावनी चौक नंदिनी रोड, भिलाई
जिला- दुर्ग (म०प्र०)

Cash Bill

Item No 24(c)

रोशा रेडियो कन्सर्न

Rosha Radio Concern D-63

(For Radio, Tape Recorder, T. V. & its equipment)

पाको, न्यूरोड, काठमाडौं

मिति 047/11/28

श्री Mr. Chandra Kant Shah.

ठेगाना ... Birgunj ...

संख्या	विवरण	दर	रकम रु.	पै.
1	Sony FH-E828 308996		36,500/-	
		जम्मा	36,500/-	

※ बिक्री भैसकेको माल फिर्ता हुने छैन ।

※ भूलचुक लिनेदिने ।

[illegible] मध्यप्रदेश का प्रथम प्रगतिशील सांध्य दैनिक [illegible] पंजीयन क्र. ५०२११/८९
भिलाई नगर, बुधवार १० अप्रैल १९९१ पृष्ठ-४ मूल्य ५० पैसे

Dem No. 22(?)

D-70

मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रम आंदोलन चलता रहेगा

नियोगी के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर कल सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में उद्योग बंद रहेंगे

[illegible]

[illegible]राज पाटिल कांग्रेस में शामिल

[illegible]

युवक का अपहरण रिपोर्ट लिखने इंकार

[illegible]

[illegible] नेता पवन [illegible] की मांग

[illegible]

D-70

पटवा में दम है तो दुर्ग में आकर लड़ें : नियोगी

भिलाई कार्यालय

> भिलाई नगर . छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अविभक्त नेता शंकर गुहा नियोगी ने कहा है आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कबिर में घसनिन बाई को प्रत्याशी बनायेगा ,तथा शेष अन्य स्थानों पर वह लोकप्रिय उम्मीदवारों का समर्थन करेगा वे उम्मीदवार चाहे किसी भी दल के क्यों न हो , चुनाव लड़ने के विषय में उन्होंने कहा है कि उनकी ऐसी कोई रुचि या मंशा नहीं है. यदि मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा दुर्ग लोकसभा से चुनाव लड़ते है तो मैं मात्र चुनौती के लिये उनके विरोध में चुनाव लडूंगा.

पांडे कड़िया की कठपुतली

अविभक्त नेता शंकर गुहा नियोगी ने [illegible] चुनाव [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] के विषय में [illegible] [illegible] [illegible] ... ज़ाहिर की है पूरा दृष्टि से नहीं रहे है और आज तक उनके हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहे है।

श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी ने हमारे प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए आगामी चुनाव लड़ने के विषय में कहा कि मुझे चुनाव लड़ने की कोई रुचि नहीं है, चुनाव लड़ना मेरे मन में जाने के [illegible] है.यदि मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा दुर्ग से चुनाव लड़ते है तो मैं उनके विरोध में चुनाव लडूंगा आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की भूमिका के विषय में उन्होंने कहा कि मोर्चा सिर्फ कबिर से घसनिन बाई को प्रत्याशी बनायेगा, शेष स्थानों पर वह लोकप्रिय उम्मीदवारों का समर्थन करेगा चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हो [illegible] उम्मीदवार के अभाव में ही मोर्चा अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा।

देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति, हलचलें व आगामी चुनाव में इसके संभावित परिणाम के विषय में उन्होंने कहा कि आज देश की राजनीति का ध्रुवीकरण अपराधी तत्वों पर ही केन्द्रीकरण होता जा रहा है। अब पार्टी सिद्धांत की अपेक्षा व्यक्तियों को महत्व बढ़ने लगी है। राजनैतिक दलों के नीति व सिद्धान्त गुम हो चले है. राजनैतिक ध्रुवीकरण होता जा रहा है। इसलिये किसी भी दल के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] चुनाव में [illegible] [illegible] २०-३० सीटों तक सिमट कर रह जायेंगे जनता में भी चुनाव के प्रति विशेष उत्साह नहीं रहा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। किसकी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], इस बार चुनाव में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] के हल और [illegible] के संबंध में उन्होंने कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे है। आज जनता की पहली जरूरत रोटी है उसके बाद ही [illegible] नाम है। उन्होंने कहा कि ये लोग ज्यादा [illegible] राम [illegible] [illegible] [illegible] हुए है। अपनी हत्या की [illegible] के विषय में उन्होंने कहा कि यह किसी [illegible] समर्थित अधिकारी की हरकत थी क्योंकि भाजपा के नेताओं में इतना दिमाग व दुस्साहस नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर वह चर्चित होने का एक अवसर दें। श्रमिक भी जनता के ही बीच का एक वर्ग है।

इस क्षेत्र में भी मैंने प्रयास किया है जिसके अंतर्गत दल्ली राजहरा में अस्पताल निर्माण व औद्योगिकरण में पेयजल व्यवस्था हेतु आवाज उठाई गई। हमारे अन्य [illegible] [illegible] [illegible] पर [illegible] जन समस्या हेतु [illegible] रहे है [illegible] दल [illegible] [illegible] [illegible] परियोजना [illegible] में बांध [illegible] को साथ देने [illegible] [illegible] [illegible] छत्तीसगढ़ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] मजदूर मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में आंदोलनरत के सभी संगठन एक ही है जो विभिन्न स्थल पर विभिन्न नामों से समस्याओं को उठा रहे है। भिलाई में पर्यावरण व प्रदूषण को लेकर आंदोलन के विषय में उन्होंने कहा कि आंदोलन महज [illegible] होता है। जैसे अनुपम मिश्र, [illegible] सिंह ठाकुर, महेश तिवारी जो मात्र अपने स्वार्थ हेतु यह ढोंग करते है, सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियां जारी करते है और मामला सामने के पश्चात चुप्पी साध लेते है। जहां तक प्रदूषण का सवाल है तो केमिकल की फिटकरी का समानान्तर ही बी.के. इंजीनियरिंग, बी. ए. सी. भिलाई वायर्स, एस.सी.कुम्हारी, ए. सी. सी. जामुल के सभी प्रदूषण फैलाव में बराबर का भागीदार है। इनके द्वारा भी विभिन्न जहरीले पैसों की क्षेत्र में बाढ़

आ गयी है लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठायी जाती। इसके लिये [illegible] पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] अहम भूमिका निभायें. मजदूरों द्वारा आवाज उठाने से मुझ पर फैक्टरी बंद करने की षड़यंत्र, का आरोप उद्योगपतियों द्वारा लगाया जायेगा। मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिये बी.एस.पी.प्रबंधन के माध्यम से उचित प्रयास किये जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि हम तो अपनी आवाज प्रबंधन में भी शांतिपूर्ण तरीके से उठाते है पर इसी प्रबंधन के कुछ अधिकारियों की उद्योगों से सांठ-गांठ ही इस मार्ग में बाधक है।

पटवा की तस्कर से सांठ-गांठ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... कहा कि कम्युनिस्ट लोग चूंकि भगवान पर विश्वास नहीं करते अतः जहन्नुम औचित्यहीन है।

पुलिस के संबंध में उन्होंने कहा कि पुलिस के छोटे कर्मचारियों से हमें कोई शिकायत नहीं पर बड़े अधिकारी तो इन उद्योग पतियों के खरीदे हुये होते है और उनके ही इशारे पर हमारे आंदोलनों को विफल करने के लिये प्रयास कर रहे है। उद्योगपतियों के पाले गये गुंडे तो इस मामले में पुलिस से भी दो कदम आगे रहते है पुलिस अधिकारी तो [illegible] कई मालिक जिसने पर ही उनकी गुलामी करते है।

एक प्रश्न के उत्तर में नियोगी ने कहा कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... उनकी इसलिए में इस रहस्य का उद्घाटन हुआ।

नियोगी ने व्यक्तिगत सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि मैं जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल का निवासी हूं मात्र १६ वर्ष की उम्र से मैं छत्तीसगढ़ आ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। धर्मपत्नी भी मूलतः छत्तीसगढ़ की है। घर में दो पुत्रियां व एक पुत्र है। परिवार में छत्तीसगढ़ी ही बोली जाती है। शिक्षा के नाम पर मैं मात्र साक्षर हूं।

मांग

नवागढ़ी (रौ.सं.). "जागृति शिक्षण समिति" द्वारा संचालित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नहीं हो पाया, जबकि इसे आरंभ हुए लगभग १९ वर्ष हो चुके है.

मोटर सायकल दुर्घटना में बालक आहत

महासमुंद (रौ.सं.). सिटियाझर वार्ड में विगत ५ अप्रेल को मोटर सायकल की चपेट में आकर एक छः वर्षीय बालक जख्मी हो गया. जिसे स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार डुमरपाली निवासी २२ वर्षीय युवक अमर लाल निषाद अपनी मोटर सायकल क्रमांक सी.आई.आर. ३१५० से जा रहा था।

विद्याचरण को दुर्ग से लड़ने का आमंत्रण

दुर्ग (रौ.सं.). [illegible] महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शकील अख्तर ने विद्याचरण शुक्ल के कांग्रेस में प्रवेश का स्वागत करते हुए, उन्हें दुर्ग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु आमंत्रण पत्र प्रेषित किया है. अख्तर के नेतृत्व में [illegible] [illegible], प्रदीप राय, [illegible] शर्मा, अनिल [illegible], जगदीश देवांगन, [illegible] हसन, [illegible] अग्रवाल, [illegible] तिवारी एवं [illegible] सिंह ठाकुर आदि छात्र नेताओं ने शुक्ल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करते हुए उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था

तहसील कार्यालय का टेलीफोन कटा

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... निर्वाचन अधिकारी है तथा चुनाव सामग्री के वितरण आदि का कार्य अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय से ही हो रहा है.

प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारी

[illegible] रोड (रौ. सं.) म.प्र. शिक्षक कांग्रेस परियोजना पेन्ड्रारोड ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रोड के मुख्य आतिथ्य में एवं विष्णु सेवक पाठक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी [illegible] की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ. कार्यक्रम का संचालन के.पी.त्रिपाठी ने एवं आभार प्रदर्शन [illegible] सिद्दवाल ने किया.

D — 22

Case No. [illegible] /11- SIU.X | CBI | SIC / New Delhi

Date of taking over [illegible] 1[illegible] 11-1991

Place of taking over [illegible] Sahran Hospital Rajhara Death Duty By whom produced [illegible] Dr. [illegible] Sahran Hospital Rajhara

[illegible]

1. [illegible] Relation [illegible] and [illegible] Dr. [illegible] on [illegible] of Chhatisgarh Mukti Morcha MIG II/3 [illegible] Rajhara [illegible] from [illegible] by Sh. Shanker Guha Niyogi — One sheet.

Handed over by

(Dr. [illegible])

Taken over by

(B S KANWAR)
[illegible] / CBI
Camp Rajhara

डा० जौ३ (Ex-227) [illegible] (32)
[illegible] ॥
[illegible]
16 July to 18 July
के [illegible]

MIR Fiat 227
MPT 7971 Jeep
[illegible] [illegible]

12/11/91
D. [illegible]

छत्तीसगढ़
मुक्ति मोर्चा

MIG II/273
आमदी नगर,
भिलाई

ORL MR 108/1
15/11/81

D-73

पत्र क्रमांक ______ दिनांक ______

Dear Dr Guru,

We paid Rs. 1500 to Com. Yadav on 1st of Sept.

Com. Niranjan Yadav and Com Iswar Chand Verma were terminated last month. For their subsistence it was decided that Com. Yadav will get Rs. 1500 per month.

Now it is also decided that Com. Verma will get Rs. 500

Will you kindly talk to Com. Yadav in respect of regular disbursement

If it is manageable...
kindly pay
Rs. 500 to Chinnaveena
for this month.
Otherwise I will
leave it.
With greetings.
Yours
[illegible]

15/11/81

D-74

Search-List:

In pursuance of 165 Cr.P.C. authorisation given by Shri R.S. Prasad, Dy.S.P., CBI, SSC II, New Delhi, I conducted search of Residential premises of Sh. Baldev Singh Sandhu S/o Shri Rawal Singh Sandhu situated at R-37, M.P. Housing Board Colony, Industrial Estate, Bhilai in connection with investigation of RC 9(S)/91-SSU(V)/CBI/SSC II/New Delhi registered u/ss 302 I.P.C., 25/27 Arms Act. The search has been conducted in presence of witnesses S/Shri Muftikhan s/o Manzoor Khan r/o 47, Ghasidas Nagar, P.S. Jamul, Bhilai, Mohan Lal S/o Shri Gurucharan Ram r/o 38L Ghasidas Nagar, P.S. Jamul, Bhilai and Sardar Rawal Singh f/o Baldev Singh Sandhu. The search has been conducted after observing all legal formalities and following documents have been recovered and taken into possession :—

1. Nav Bharat Hindi Newspaper published from Raipur dt 29.9.91, the news items "नियोगी की हत्या [illegible]", "हत्या के विरोध में [illegible] बंद रहा" "[illegible]-नियोगी की हत्या के विरोध में [illegible] बंद रहा", "नियोगी की हत्या [illegible]", "हत्या [illegible]", "[illegible] नियोगी के [illegible]", ~~[illegible]~~ "नियोगी [illegible]" having markings in pencil - pages 1 to 12.
2. Nav Bharat Hindi Newspaper dt 30.9.91 published from Raipur containing news items - "[illegible] नियोगी [illegible]", "नियोगी हत्या [illegible]", "नियोगी के [illegible]", "हत्या की [illegible]", "हत्या के विरोध में [illegible]", "नियोगी के हत्यारे [illegible]", "[illegible]", "[illegible]", "[illegible] नियोगी [illegible]" having markings in pencil - pages 1 to 12.

-Contd-2-

(3) Two coloured photographs of Chandra Bux Singh @ Chhote and Baldev Singh Sandhu. In one photograph, they are with two kids.

Item no. 1 and 2 of this list have been found in a steel trunk kept in the kitchen. The newspapers were lying beneath some clothes. Item no. (3) were found in an album lying in the same trunk. Nothing except the items mentioned in this list (items 1 to 3) has been taken into possession. The search has been started at 12.30 PM and the same was concluded at 4.10 PM. Each sheet of the documents/articles mentioned above has been initialled by both the witnesses.

[signature]
17.11.91
(B.H.P. AZAD)
DySP/CBI/SSC II/ New Delhi
(At Bhilai)

Witnesses:—

1) Mufti Khan 17-11-91

2) Mohan Lal 17/11/91

[signature in Urdu]
17-11-1991

D-75

D 76

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)
भिलाई इस्पात संयंत्र
भिलाई : 490 001 (म.प्र.)
टेलेक्स : 0715-289, 0771-210, 0775-489
तार : 'भिस्पात' फैक्स : 07742-5317

QUALITY IS OUR RELIGION.

STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Enterprise)
Bhilai Steel Plant
BHILAI - 490 001 (M.P.)
TELEX : 0715-289, 0771-210, 0715-489
TELEGRAM : BHISPAT
FAX NO : 07742-5317

D

CONFIDENTIAL

No.Vig/15/91/5280

Dated: Nov. 15 ,1991

To,

The DIG of Police,
CBI/SIC-II
NEW DELHI
Camp-Bhilai.

Sir,

As required by you, the personal file of Shri Abhay Kumar Singh, P.No.148218, Operator, High Line, Blast Furnace (containing pages 1 to 56) and his Service Book are being handed over to you.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

(RK PATERIA)

ADDL.CHIEF VIGILANCE OFFICER.

Encl:
1. Personal file
(Pages 1 to 56)
2. Service Book

D-77

Bhilai Steel Plant

नगर अभियांत्रण विभाग — TOWN ENGG. DEPTT. — O & S

आवासन प्रतिवेदन — OCCUPATION REPORT — TA/H

CB/M/MR/10-11

D-77

दिनांक Date..........

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित क्वार्टर मेरे प्रभार में दिनांक.....19 पूर्वाह्न/अपराह्न में निम्नलिखित फिटिंगों के साथ आवंटन आदेश क्र..............दिनांक..............के संदर्भानुसार दिया गया।

Certified that the undermentioned quarter has been handed over to my charge on this day.......... April........of 19.. FN/AN with the undermentioned fixtures with reference to the allotment order No.......... dated..........

घोषणा करता हूं कि मैं पूछताछ कार्यालय को कम से कम 7 दिन के भीतर क्वार्टर खाली करने से पूर्व सूचित करूंगा और समय-समय पर कंपनी द्वारा बनाये गये कानून का पालन करूंगा।

I declare that I shall notify the Enquiry Office at least seven days before vacating the quarter and further undertake to abide by the Rules of the Company framed from time to time.

नाम (बड़े अक्षरों में)..........पदनाम..........हस्ताक्षर..........

Name (in Block Letters)..........Designation..........Signature..........

कर्मचारी क्र..........क्वार्टर क्र..........सड़क..........सेक्टर..........

Personnel No. 1398818..... Quarter No.......... Street No.......... Sector No..........

पूर्ण एकक Full unit — अर्ध एकक/प्रकार संख्या Half unit/Type No..........

क्रमांक Sl. No.	लगा सामान Fixture	संख्या No.	स्थिति Condition
1.	रेगुलेटर सहित सीलिंग पंखा Ceiling fans with regulators	1 no.	good
2.	काल बेल Call bell	Nil	
3.	बल्ब Bulbs		
4.	टोंटी सहित वाश बेसिन Wash basins with taps		
5.	टोंटी सहित सिंक Sinks with taps	Nil	
6.	नल Taps		
7.	शावर्स Showers		
8.	आईना Mirror		
9.	(हेंगर) कपड़ा टांगने का Hanger		
10.	दीवाल में बनी आलमारी Built in Almirah		
11.	पर्दे की छड़ Curtain rods	1 no.	good
12.	दीवाल का प्लग Wall Plugs		
13.	विशेष फिटिंग Special fittings	One	
14.	मीटर संख्या Meter Nos.		
15.	मीटर पठन Meter Reading 3328.00	One	good
16.	शेड सहित लाइट पाइंट Light points with shades	1 no.	
17.	भारतीय प्रकार का वाटर क्लोजेट W. C. Indian type		
18.	यूरोपीय ढंग का ढक्कन सहित वाटर क्लोजेट W.C. Euro. type with cover		
19.	प्लेट ग्लास शेल्फ Plate glass shelf		
20.	टावर रेल Tower rail		

प्रतिलिपि Copy to :-

1. संपदा प्रबंधक Estate Manager.
2. एलाटी-क्वार्टर खाली करते समय प्रस्तुत करने हेतु Allotee—To be produce at the time of vacating the quarter.
3. कार्यालय प्रति Office Copy.

अनुभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर
Section/Officer's Signature

B.S.P. PRESS—501/12-12-85—25,000×3.

भिलाइ इस्पात संयंत्र

Bhilai Steel Plant

नगर अभियंता विभाग

अभिग्रहण प्रतिवेदन

TOWN ENGG. DEPTT.

OCCUPATION REPORT

TA/14

B.S.P./Non BSP

009799

दिनांक Date

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित क्वार्टर मेरे प्रभार में दिनांक.. 19 पूर्वाह्न/अपराह्न में निम्नलिखित सामान के साथ आबंटन आदेश क........ दिनांक ....के संदर्भानुसार दिया गया।

Certified that the undermentioned quarter has been handed over to my charge on this day ....of 19.......EN/AN with the undermentioned fixtures with reference to the allotment order No dated..............

...मैं ... क्वार्टर खाली करने से पूर्व ... कंपनी द्वारा बनाये गये कानून का पालन करूंगा।

I declare that I shall notify the Enquiry Office at least seven days before vacating the quarter and further undertake to abide by the Rules of the Company framed from time to time.

नाम (बड़े अक्षरों में) .... पदनाम .... हस्ताक्षर ....

वैयक्तिक सं. .... क्वार्टर सं ....सड़क .... सेक्टर ....

Name (in block letters)...... .... Designation...... . Deptt.. .. .. Signature..............

Personnel No.................. Quarter No.............. ....Street No/Pocket............ ...... Sector No..........

☐ पूर्ण एकक Full Unit ☐ अर्ध एकक प्रकार संख्या Half Unit Type No...........

क्रमांक Sl. No.	लगा सामान Fixture	संख्या No.	स्थिति Condition
1	रेगुलेटर सहित सीलिंग पंखा Ceiling fans with regulators		
2	कॉल बेल Call bell		
3.	... Bulbs		
4	... सहित वाश बेसिन Wash basins with taps		
5	... सहित सिंक Sinks with taps		
6	... Taps		
7	... Showers		
8	... Mirror		
9	कपड़ा टांगने का Hanger		
10	... में बनी आलमारी Built in Almirah		
11	... Curtain rods		
12	... का प्लग Wall Plugs		
13	... गेट Steel Gate		
14	संख्या Meter Nos.		
15	... Meter Reading		
16	... लाइट पाइंट points with shades		
17	... प्रकार का वाटर क्लोजेट Indian type		
18	... का ढक्कन सहित वाटर क्लोजेट Europian type with cover		
19	... शेल्फ Plate glass shelf		
20.	... रेल ... rail		

प्रतिलिपि Copy to :- 1. संपदा प्रबंधक Estate Manager. 2. कार्यालय प्रति Office Copy.

3. एलाटी-क्वार्टर खाली करते समय प्रस्तुत करने हेतु Allotee—To be produce at the time of vacating the quarter.

अनुभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर

Section Officer's Signature

BSP ... —2654 ...

2 Sheets

D-79/1

Memo

One sea foam green colour Tempo Traveller bearing No MP-24B-6622 has been found parked on the left side of the road on Gondia - Balaghat Road between villages Kudwa, Kalimati and Nagra (between milestone 3 km & 4 km) P.S. Gondia Rural Distt Bhandara Maharashtra. The vehicle is locked and guarded by police personnel of P.S. Gondia Rural.

The vehicle has been got opened from St. Raju Khilumal Chandwani, Dalip Tole-Ganesh Chowk Line Gondia in the presence of 9Shri Bali Kishan s/o Nathu Bande r/o village Nagra P.S. Gondia Rural, Chowelal Chhotelal Lilahare r/o village Nagra P.S. Gondia Rural and police party including myself, Sh. S.B Kumbhalkar Inspr. P.S. Gondia Rural today i.e. 18.11.1991 at about 2 PM. Sh. H.B. Gajbhiye Finger Print Expert of FPB Nagpur is also present to examine the vehicle and all articles inside it for chance prints. The following articles have been found inside the vehicle

1. One stained white towel on the driver seat
2. One Gold Flake cigarette packet with five cigarette
3. One Blue Bell knitwear box containing eight cartridges, Toll tax receipt No 185620 dt 13.10.91 of bridge across river Khandaleru, Hotel Godavari Bhadrachalam Bill No. 6176 dt 12.10.91, one comb, one matchbox. On the inside of the box cover "यह गाड़ी मिलाए हुए वाले नंबर का प्रयोग यह (M i) उपस्थिति ज्ञापन एस स्टील प्लेट (Simplex) Bhilai (M i) फोन नं. 6354, 6475, 5955 टेलेक्स 2579 कोड 0779" is written
4. Two packets of Cycle Brand Agarbati (one in full).
5. One Pioneer Stereo Cassette player fixed with one cassette in it. in the dashboard also.

6. One blue coloured Bata battleman chappal.
7. One black loafer shoe (pair) with sox
8. One stained woolen cap
9. One pillow with cover
10. One chandder
11. One superking Hockey stick.
12. One Kitty Jute Hand bag contained biscuits, soap case, saving kit etc. which has been kept back in the bag and sealed.
13. One black umbrella.
14. One bottle -3 — One chanceprint has been developed on it by the expert.
15. One stepney
16. One Jack.
17. One leather 'Coralina' styleg, black colour
18. Photocopy of Regn Certificate issued by Addl RTO [illegible] in the vehicle No. HP-24 B-6122
19. Photocopy of Insurance Certificate No. 0150(5 dt. 4-3-11 issued by New India Assurance Co Ltd (Above Dena Bank) [illegible] Ram Bhalo

II. Leather Styleg was got opened from the above [illegible] Sh. Ranjan and it has been found to contain Pants, shirts, Magazine, Books, Newspaper, underwear, towel etc. II one telescope, one electronic mosquito killer etc. Telescope and mosquito killer was examined for finger prints and nothing found. All the articles found in the bag has been placed back except the following after which the bag has been sealed.
(a) One Four Seasons Lee Cooper strip shirt with [illegible] mark "4" half sleeves.
(b) One wooden foot-scale on which Karan Singh Class II DAV Public School is written.

D-19/12

(c) One poly bag of Laundry and Valet Shop of Hotel President Edward Elliots Road Madras on which 404/17.X.91 & 556/11.X.91 has been written with ink. The entry of 556/11.X.91 has been crossed.

(d) Road Atlas of India on which "13, Victoria Crescent Road Madras — 8 Tel 856864" is written in Hindi/English.

(e) One envelope of Hotel Golkonda Masab Tank Hyderabad.

(f) One Diwali Greeting Card addressed to Master Karan C/o Shri Kamla Kant ji Shukla Sadar Bazar Bhatapara with envelop.

(g) One Diwali Greeting Card from Chandrakant to Shri Kamla Kant ji Shukla with envelop.

(h) Two Diwali Greeting Cards without envelop from Papu to Sonu & Babloo at C.K. Shukla to Raman.

The vehicle and other articles mentioned above have been taken into possession as the same are relevant for the investigation of case RC.9(S)/91-SIU-I, SIC-II, CBI, SPE New Delhi u/s 120-B, 302 IPC, 25/27 Arms Act.

White stained towel and woolen cap have been wrapped with a piece of cloth and sealed with the seal impression of which is affixed on the margin. Jute bags & stepney have also been sealed with the above seal. Finger Print Expert has developed chance prints on the rear view mirror fixed inside the vehicle, and the same has been removed for sending to the expert.

Large quantity of liquid suspected to be blood is scattered on the rubber floor mat of the vehicle near driver seat and left front-

door of the vehicle which has also been removed and sealed separately with the above seal and taken into possession. Two wrappers of Coffy Bite (Parry's) have been found on the floor of the vehicle and taken into possession. The vehicle is in working condition. The proceedings concluded at 5.30 PM.

Signature of the witnesses.

1. [illegible] 18/11/91

2. [illegible]

Date 18-11-91

Specimen of the seal used

[illegible] DSP 18/11/91
(B S KANWAR)
CBI/SPE/SIC-II
New Delhi
at [illegible]

[illegible] 18/11/91
S.S. Kuthalla
P.I. [illegible]
18/11/91

D-80 यदमाडी भिलाई, दुर्ग, वाले

चन्द्रकान्त शाह (M. P.)

ओसवाल, आयरन एण्ड

स्टील प्रा. लि. (simplex)

फोन नं. 6354 कोड. Bhilai

6478 (M.P.)

5958 0774

घर-2579

ORIGINAL

GOVERNMENT OF ANDHARA PRADESH
PUBLIC WORKS [ROADS & BUILDINGS] DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER [R & B]
N. H. Division. GUDUR.

RECEIPT

Fee 1956 NH amendments act & subsequent amendments there on Issued by the Ministry of Shipping and Transport [Roads Wing]. Government of India, New Delhi.]

D - 81

№ 185620 Date 13-10-91

Valid : 1) From hours on to hours on
2) For the portion of Madras - Calcutta Road in between Km. 52.46 to 142.0

Name of the Bridge 1) Bridge across river 'Khandaleru - in Km. 140/5-7. [M87/7-8] of M. C. Road, N H 5 at Manubolu Village.

1. a) Description of mechanical vehicle
   b) Registration No.
2. a) Name of the remitter HP 24
   b) Name of the owner B 6672
3. Time of Issue of receipt hours
4. Whether the vehicle is Ladden/Un-ladden with trailor/without trailor
5. Amount of fee paid Rs 2-00
6. Whether the fee paid is for a) 1 trip d) More than trip

Signature of Fee Inspector Signature of Remiter

N. B 1) Keep this receipt for 24 hours in the day isneed for the inspection by the Departmental Officers
2) This receipt will become invalid if it does not bear the signature, office stamp of the Executive Engineer. (R & B) N H Dvn. Gudur.

D - 82

No: 6170 HOTEL **GODAVARI** Phones: 265 269 265

A. C. BOARDING & LODGING
BHADRACHALAM - 507 111

Date 12-10-

Name M/s. / Sri C.K. Shah Room No. 05

Arrived on 11-10-91 at 13-30 hours. Departure on 12-10-91 at 9-10 hours

Date	Lodging	Boarding	Sales Tax	Luxury Tax	Local Calls	Trunk Calls	Phonograms	Extra Charge	Daily Total
12-10-91	60-00								60-00
Total	60-00								60-00

Amount in words	Rupees Sixty only	Less Advance	50-00
		Balance paid	10-00

1. Cheques are not accepted.
2. All bills are payable on presentation
3. Remember to leave the key, while vacating the room

E. & O. E.

Owners : M/s. Hotel Godavari

Thanks for your Patronage. We hope to serve once again

Receptionist Signature 12/10/91

MOTOR VEHICLES ACT, 1988

FORM - 23

(See Rule - 48)

CERTIFICATE OF REGISTRATION D-83

[18]

R No 20 / मॉडल नं 18

Re. 9(5) 9151/2

Registered Number **M. P. 24 B 6622**

Brief description of vehicle L MV

Name and address of registered owner m/s Bansal Iron & Steels Pvt Ltd.

Name of father or husband 33-B Light Industrial Area Bhilai Durg M.P.

Signature of Registering Authority 5/3/91
Registering Authority
(Addl. R.T.O.)
DURG - (M.P.)

Transferred to :

Registering Authority
Durg-Bhilai (M. P.)

Detailed Description

1. ~~Class~~ of Vehicle/Moped/Motor Cycle/L.M.V.
   a) A new vehicle New
   b) Ex-army
   c) Imported vehicle
   d) Migration from other state
2. Maker's Name BTL.
3. Type of Body Saloon/Solo
4. Month and Year of Mfr. Feb 1990/91
5. No. of Cylinder Four
6. Chassis Number 801070
7. Engine Number 043221
8. Fuel used in the Engine Diesel ~~Petrol~~
9. Horse Power 24
10. Cubic Capacity
11. Maker's classification
12. Wheel-base 3030mm.
13. Seating capacity (including driver) 16
14. Unladen weight 1750 Kg.
15. Colour Sea foam Green

Date of Registration 11/3/91

R. C. Valid up to 15 Years from the date of Registration

Date 11/3/91

Signature of Registering Authority
Durg-Bhilai (M.P.)
Registering Authority
(Addl. R T. O)
DURG - (M.P.)

Note :— The Motor Vehicle above described is :
(1) Subject to a hire-purchase agreement with :
(2) Subject to a hypothecation in favour of :

Signature of Registering Authority
Durg-Bhilai (M. P.)

Registration Number of Vehicle : **M. P. 24 B 6622.**

Annual Rate of Tax : Rs. 625/-

Quarterly Rate of Tax : Rs.

Annual and date of Payment	Period for which Paid	Seal and Signature of issuing Authority
Paid Rs. 617/- Vide ch/Rt. No. 86/4591 Dated 11/3/91	From march 1991 To march 1992	

Vehicle Insured with The New India Assurance Co. Ltd.

Under Policy No. 0178225

valid -upto 3/3/92

Signature of Registering Authority 5/3/91
Durg-Bhilai (M.P.)
Registering Authority
(Addl. R. T. O.)
DURG - (M. P.)

Re 7/5/91/5141

CDI. MRNo 2.0 Hindi 19

[19]

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED
बीमा प्रमाणपत्र / CERTIFICATE OF INSURANCE

D-84

Certificate No. 018065

Policy No. 31451201/02907

Pass: 150160

as below		Tempo traveller	1991	Station wagon	24 H.P	1+6	Rs. 601

NAME OF THE REGISTERING AUTHORITY

M/s. Oswal Iron & Steel (P) Ltd.,
33-B, Light Industrial area,
Bhilai.

Eng: 043421
Cha: 801070

4.3.91

3.3.92

"In case of dishonour of the premium cheque, the document stands automatically cancelled ab initio without any notice and the Company would not be liable for any claims under this policy."

LIMITATIONS AS TO USE

For THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.

K. Rajagopalan
SR. No. 11616

Policy No.			
31451201/02907	2,75,000/-	-	2,75,000/-

	6145.50		240.00
			300.00
15%	687.90		
	5458.00		15.00
			555.00
			6013.00
	5458.00		6013.00

Bhilai — 5th March 91

0170225 — 4.3.91

282848 — 4.3.91

889/12813

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
FOR THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED

K. Rajagopalan
SR. No. 11616

HOTEL
GOLKONDA
Masab Tank Hyderabad
Tel. 222564

(e) D

RC. 9(S) 91. S14. IV

M.R No. 20
9 (item No(e))

D-86

13, વિક્ટોરિયા ક્રિસેન્ટ રોડ
મદ્રાસ - 8 Tel. 88864

D-85

S

To, My LOVE,

Warmest thoughts and memories
And more love
than words can say
Come with these special wishes, Dear
For your happiness today.

Happy Diwali
and
happiness always

CBShah

Re. 9(S)/91 SIU.V
CBI / MR No 20
[illegible]

(f)

D-87

To,
मास्टर करन
C/o श्री कमलाकान्त जी शुक्ला
सदर-बाजार, भाटापारा
जिला - रायपुर
मध्य-प्रदेश

D-88

आदरणीय पाजा, अम्मा,
नीतू, मनीष एवं प्यारे-प्यारे नन्हे-मुन्ने

Delightful Diwali is here
With its fun and cheer
Homes decorated with rangolis
and diyas
Spreading radiance and light
far and near
Bursting of crackers a real
beautiful sight
Feast of sweets and the mood
is just right
Fun and feasting in the air
Merriment and joy everywhere
May this Diwali be
your nicest one
Bringing prosperity and success
second to none.

"Happy Diwali !"

ग. इकोले

Loving Sonu and Billoo

A loving wish
for Diwali Day
That happiness will come
your way.
Not just when Diwali Day
is here
But every single day all year!

Papa

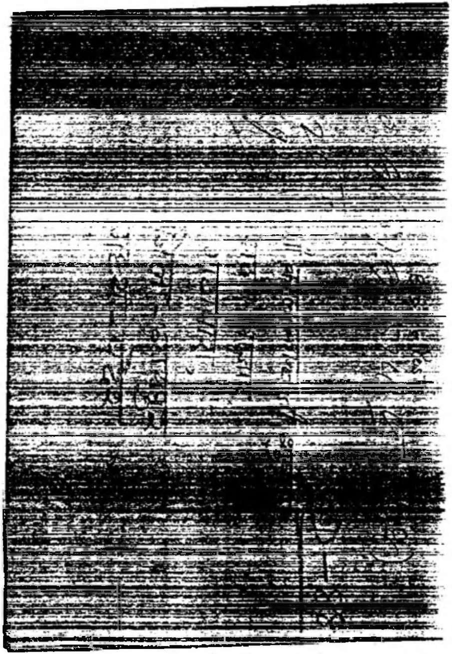

RC.9(S)91-SIU.V

D

Rama
"I feel
for you"

CRS...

ARCHIES

SEARCH LIST D-90

Name of the Branch → CBI/SPE/SIC-II, SIC-V New Delhi. Date & Time of the Search — 13th Nov 1991, From [illegible] to [illegible]

Case No with Sections of Law → RC-[illegible]/91 of SIC-V, [illegible], SIC-II, New Delhi U/S 302 I.P.C, 25/27 Arms Act

Premises Searched → Residential premises of Shri Mool Chand Shah, S/o Ramji Bhai Shah Simplex Colony, G.E. Road, [illegible] (M.P.)

Name and Addresses of witnesses → (i) [illegible] K.A. [illegible], Dy. Manager (Vigilance), Bhilai Steel Plant, Bhilai (M.P.)
(ii) Shri [illegible], Sr. Branch Manager, LIC, Power House, Bhilai (M.P.)

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] the [illegible] [illegible]	The [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] S.C. Kapoor, Sr. Branch Manager, LICI, Power House, Bhilai. The Search has been conducted after [illegible] [illegible] formalities. The [illegible] U/S 165 Cr.P.C was shown to Shri Moolchand Shah and Smt Prabha Ben Shah, who signed on the same in token of having seen the same. Shri Mool chand Shah and Smt Prabha Ben Shah remained present throughout the search. The search party consisting of my self, Shri N K Pathak, Inspector,
News paper cuttings, Pamphlets [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Griha Niyogi and photo Copy of a Confidential note [illegible] kept in a bunch and marked from pages 1 to 24.	from the first floor, [illegible] [illegible] of Shri [illegible] Shah s/o Shri Mool Chand Shah.	

D-70

Sl.No	Details of Documents/Articles seized	Place from where seized	Remarks
1.	2	3	4
			Shri Rakesh Bhatt, Inspector of Police and others Officers and men from local Police reached the spot (Residential premises of Shri Mool chand Shah) at 1.00 P.M. and the search commenced in presence of the signatories to the memo and police officers. During the search the papers mentioned at serial no. 1 & 2 were taken into possession. Nothing else was taken into possession. Each sheet of loose papers has been signed by the witnesses.

witnesses

(1) [signature] 18.11.91

[signature] 18/11/91
R.S. Prasad
DSP/CBI/ND

Recd copy
[signature]
18/11/91

(2) [signature] 18.11.91

[signature] 18-11-91

[signature]
18.11.91
(N.K. PATHAK)
INSPR, CBI/SPE/SIC-II
NEW DELHI

P.K. Shah
18/11/91

[signature]
18-11-91

D-91

[illegible] बेटों और भाइयों [illegible] पतियों केडिया गुण्डों के जरिए प्राण घातक हमला करवा रहा है।

[illegible] प्राण और दैहिक [illegible] संरक्षण प्राप्त नहीं है।

[illegible] मजदूर साथी, [illegible] रहना पसन्द करेंगे?

[illegible] सोमवार, १९-८-९१ [illegible] निर्धारित श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष श्री उमाशंकर राय, [illegible] अपने घर आने की [illegible] कैलाशपति केडिया के ठेकेदार एवम् गुण्डा संतोष गुप्ता का भाई मनोज [illegible] श्री उमाशंकर राय का चाकू [illegible] अधमरा कर दिया।

श्री उमाशंकर राय के [illegible] इस्पात संयंत्र के बाहर राज मिल में कार्यरत है इनके [illegible] किष्पलेक्स [illegible] केडिया [illegible] में कार्य करते हैं। [illegible] यूनियन बनने पर [illegible] इस यूनियन के सदस्य बने।

[illegible] राज मिल में कार्यरत [illegible] उमाशंकर को चाकू से मार कर प्राण घातक हमला किया गया। [illegible] नहीं है। इससे पूर्व [illegible] मजदूर [illegible] नेताओं पर इस प्रकार प्राण-घातक हमला किया जा चुका [illegible] शंकर [illegible] की मार [illegible] शिवलाल [illegible], वहीं [illegible] बड़े-बड़े [illegible] कि कैलाशपति केडिया [illegible] के लिए ही टी. आई. [illegible] की बड़ी [illegible] था। [illegible] इस प्रकार के [illegible] पूर्ण रूप से संरक्षण दे रहा है। उद्योगपतियों को मदद [illegible] एवं [illegible] मजदूर नेताओं को [illegible] करके रखा, उन [illegible] कार्यवाही चलाई गई [illegible] मजदूरों पर [illegible]-भारी प्राण घातक हमले करवा [illegible] उद्योगपति अपने लूट के [illegible] चाहते हैं।

[illegible] बेरोजगारी [illegible] बन चुकी है [illegible] सिम्पलेक्स, केडिया, बी. के., बी. ई. सी, आदि उद्योगों में [illegible] है, वहीं उन पर [illegible] इन उद्योगपतियों के, विशेष रूप से कैलाशपति केडिया या [illegible] के [illegible] में शामिल हो [illegible] गुण्डों के [illegible] जीवन बर्बाद कर [illegible]

[illegible] मजदूरों की संगठन बनाने [illegible]

[illegible] मजदूर एवं मिलाई के आम [illegible] की रक्षा भी इन पूंजीपतियों के चलते नहीं हो पा रही है।

[illegible] हमारे ऊपर अनेकों हमले [illegible] हमलों के दौर से हमें गुजरना होगा, क्योंकि औद्यो- [illegible] मजदूर अपनी मांग [illegible] इसलिए ऐसी भी घटना हमारे ऊपर हो सकती है, [illegible] आपके [illegible] खड़े हो [illegible] होगा, [illegible] हो फिर हमारी [illegible] कर दो बूंद आंसू [illegible]

लाल [illegible]

[illegible] जिन्दाबाद !

शहीद साथी अमर रहे !

[illegible]लाल ठाकुर
([illegible], छ. मु. मो.)

[illegible] सिंह
([illegible] निर्धारित श्रमिक संघ)

शंकर गुहा नियोगी
(संगठन मंत्री, सी. एम. एस. एस.)

भीमराव बागड़े
(अध्यक्ष, सी. [illegible] एम. एस.)

D 91

नियोगी काण्ड: पुलिस की सफलता पर राज्यमंत्री पांडे द्वारा संतोष व्यक्त

भिलाईनगर। स्व. शंकर गुहा नियोगी हत्याकाण्ड की पुलिस जांच और उसकी अभी तक की सफलता के प्रति पूर्ण संतोष व्यक्त करते हुये जिला प्रभारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने यहां कहा कि स्थानीय पुलिस ने इस हत्याकाण्ड के षडयंत्र का पर्दाफाश कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि इस अंचल की शांति व सद्भावना बरकरार रखने के लिये इस हत्याकाण्ड के रहस्य पर से पर्दा उठाना अत्यंत ही आवश्यक था। स्व. नियोगी की हत्या को छत्तीसगढ़ अंचल के लिये सर्वाधिक दुर्भाग्यजनक घटना निरूपित करते हुये उन्होंने कहा कि इस शांत क्षेत्र में पनप रही हत्या की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने समाज के सभी वर्गों को पूरी गंभीरता से प्रयास करना चाहिये।

यहां सेक्टर ९ स्थित अपने निवास पर आज पत्रकारों से चर्चा करते हुये श्री पांडे ने कहा कि स्व. नियोगी की हत्या इस अंचल में पहली राजनैतिक हत्या है जिसके षडयंत्र का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। अब पुलिस प्रशासन हत्यारों के निकट पहुंचने में सक्षम हो गया है। इस घटना की जांच अभी प्रगति पर है किन्तु जांच के संबंध में अभी तक जितनी भी जानकारी व संकेत मिले हैं वह संतोषजनक है। पुलिस के प्रयासों से राज्य शासन पूरी तरह संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकाण्ड की गुत्थी सुलझाने वाले विशेष जांच दल के कर्मचारी व अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पटवा ने प्रारंभ में ही घोषणा कर दी थी कि राज्य शासन इस हत्याकाण्ड की गंभीरता से जांच करायेगी। श्री पटवा ने यह भी घोषणा की थी कि अपराधी चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जायेगा। अब जबकि हत्यारों एवं हत्या के षडयंत्रकारियों के नाम उजागर हो गये हैं राज्य शासन के इरादों का स्पष्ट प्रमाण मिल गया है। चूंकि अभी जांच कार्यवाही अधूरी है। अतः इस पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासन को पुलिस की क्षमता पर शुरू से ही पूर्ण विश्वास था किन्तु पुलिस जांच के प्रति अविश्वास व स्व. नियोगी समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करने के लिये शासन ने अन्य एजेंसी से जांच कराने की घोषणा की थी। स्व. नियोगी की हत्या को अंचल के लिये सर्वाधिक दुर्भाग्यजनक बताते हुये उन्होंने कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाये कम है। इस अंचल के श्रमिक व समाज के सभी वर्गों से उन्होंने अपील की कि वे हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का एकजुट होकर विरोध करें।

नेताओं के आरोप राजनीति प्रेरित

स्व. नियोगी की हत्या को लेकर जद एवं इंका नेताओं द्वारा राज्य शासन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को इस मामले का दुर्भाग्य जनक पहलू निरूपित करते हुये श्री पाण्डे ने कहा कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के जिम्मेदार नेता राजनैतिक विद्वेष वश राज्य शासन के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। जार्ज फर्नांडीज स्वामी अग्निवेश एवं अजीत जोगी ने तो अति कर दी है। इन तीनों नेताओं ने तो मुख्यमंत्री श्री पटवा के विरुद्ध काफी आपत्ति जनक आरोप लगाये हैं। तीनों नेताओं के बयानों से उनकी राजनैतिक दुर्भावना साफ झलकती है। जद एवं इंका नेताओं को आड़े लेते हुये उन्होंने कहा कि श्री व्ही.पी. सिंह की सरकार के समय भी स्व. नियोगी का आंदोलन चल रहा था। श्री राम विलास पासवान तब श्रम मंत्री जार्ज फर्नांडीज रेल मंत्री व श्री पुरुषोत्तम कौशिक क्षेत्रीय सांसद थे किन्तु तब किसी ने भी स्व. नियोगी के आंदोलन का समर्थन नहीं किया। मंत्री के पदों पर बैठे हुये जिम्मेदार नेताओं ने उनके आंदोलन के संबंध में राज्य शासन को एक पत्र लिखना भी जरूरी नहीं समझा किन्तु अब सभी स्व. नियोगी की हत्या की आड़ लेकर राज्य सरकार को कोसने में सबसे आगे हैं। श्री अजीत जोगी के इस बयान पर कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो पटवा को सह अभियुक्त बनायेंगे, उन्होंने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुये कहा कि वे स्वयं करोड़ों घपलों के आरोपी हैं। आरोप लगाने से पूर्व उन्हें अपना चेहरा आईने में देख लेना चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने इस हत्याकाण्ड की सी.बी.आई. जांच हेतु १२ दिनों पूर्व ही केन्द्र सरकार को पत्र भेज दिया है किन्तु केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने हमारी पहल के बावजूद इस मामले को सी.बी.इ.आई. को नहीं सौंपा। केन्द्र सरकार के इस रुख से स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। राज्य शासन को बदनाम कर वे मात्र अपना राजनैतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं।

श्री पाण्डे ने कहा कि कुछ लोग हमारी सरकार की श्रमिक विरोधी छवि बनाने की असफल प्रयास कर रहे हैं किन्तु उनका यह प्रयास निरर्थक है क्योंकि भाजपा की सरकारें श्रमिक हितों के प्रति हमेशा गंभीर रही है। वर्ष ७७ में जनता सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये उल्लेखनीय प्रयासों की जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि तब पहली बार प्रदेश में उद्योग एवं श्रम विभाग को अलग कर दोनों विभागों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को सौंपी गयी थी। इसके विपरीत सन् ८० से लेकर वर्ष ९० तक कांग्रेस शासनकाल में प्रत्येक ६ माह में श्रम मंत्री बदले गये।

स्व. नियोगी के आरोपों पर टिप्पणी से इंकार

स्व. नियोगी द्वारा भाजपा एवं राज्य शासन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर श्री पाण्डे ने यह कहते हुये टिप्पणी करने से इंकार कर दिया कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि स्व. नियोगी ने कभी भी प्रशासन से व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा की मांग नहीं की। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पुलिस जांच प्रभावित न हो इसी कारण स्व. नियोगी के परिजनों से भेंट करने राजहरा नहीं गया। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक राजहरा नहीं जाऊंगा। श्री पाण्डेय ने स्पष्ट घोषणा की कि प्रभुनाथ मिश्रा से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। वे पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं। ज्ञातव्य है कि स्व. नियोगी हत्याकाण्ड के एक आरोपी ज्ञानप्रकाश मिश्रा श्री प्रभुनाथ मिश्रा के छोटे भाई हैं।

सिंह का इंदौर स्थानांतरण

राजनांदगांव। बी.एन.सी. मिल्स के महाप्रबंधक श्री एस.एन. सिंह का स्थानांतरण कल्याणमल मिल्स इंदौर में इसी पद पर हो गया है। इन्होंने यह पदभार श्री के.के. मिश्रा उप महाप्रबंधक को सौंपा, श्री सिंह एक वर्ष से भी कम अवधि तक इस पद पर यहां रहे।

० दुर्ग। नगर पालिक निगम प्रशासक श्री निसार अहमद के आदेशानुसार दशहरा पर्व के अवसर पर नगर निगम के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक पारिश्रमिक कर्मचारियों को महगाई भत्ता एरियर्स के पेटे प्रति श्रमिक १०० रु. की दर से अग्रिम भुगतान किया गया।

हनुमान मंदिर में आज हवन पूजन

Police hunt for industrialist

The Hitavada 16-10-91

Guha Niyogi murder

RAIPUR, Oct. 15 (UNI):— Police have launched a massive manhunt to arrest Chandrakant Shah, an industrialist of Bhilai, who allegedly hatched a conspiracy to murder prominent trade union leader, Shankar Guha Niyogi. Two persons have already been arrested in this connection.

Police is also searching for Mr. Shah's two associates— Paltan and Abhaysingh.

Absconding

Police sources said Chandrakant Shah's residence at Nehru Nagar in Bhilai was being kept under surveillance.

Mr. Chandrakant had sent out his family to Dhamtari in Raipur district before absconding.

An alert has been sounded at all international airports in the country as they fear that Mr. Shah might flee the country. He has a valid passport in his possession.

Agitation

According to police sources, Chandrakant, proprietor of Oswal Iron and Steel Company, and a member of Shah family which owns the Simplex Group of Industries in Bhilai hatched a conspiracy to murder Mr. Niyogi as the former feared that Mr. Niyogi proposed an agitation from October two in the Bhilai industrial area.

He together with Gyanprakash Mishra and Swadesh Singh, who were arrested yesterday allegedly struck a deal with a professional criminal for the murder of Mr. Niyogi.

Meanwhile Madhya Pradesh Home Minister Kailash Chawla today claimed that the police had found "vital clues" about the murder of prominent labour leader Shankar Guha Niyogi at his residence at Bhilai on September 28.

Talking to UNI here, he, however, refused to divulge details saying that it might hamper investigations and efforts to apprehend the culprits. Mr. Chawla said he was fully satisfied with the progress of the investigations by the police team.

While the police have already arrested some persons, the minister did not rule out more arrests in near future.

इस घिनौने खेल के पीछे पुलिस की साजिश है

(6)

D-91/2

नियोगी हत्याकांड

साजिश करने वालों का पर्दाफाश करने वाले पुलिस कर्मियों की पांडे द्वारा प्रशंसा

[illegible]

[illegible] सरकार ने १२ दिनों पूर्व [illegible] सी.बी.आई. जांच के लिए पत्र प्रेषित कर दिया है। [illegible] सिर्फ चीखते- चिल्लाते रहे, लेकिन सी.बी.आई. जांच के संदर्भ में [illegible] नहीं किया। श्री पांडे ने उन नेताओं के कथन को पूर्णतः भ्रामक एवं झूठा निरूपित किया जो यह कहकर भाग गये कि प्रदेश सरकार ने सी.बी.आई. जांच के लिए [illegible] ही नहीं किया है। [illegible] आयोजित [illegible] में [illegible] ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने सी.बी.आई. जांच के लिए [illegible]

[illegible] प्रभारी मंत्री ने कहा कि [illegible] राष्ट्रीय [illegible] राजनैतिक [illegible] बयानबाजी की गई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह, पूर्व [illegible] [illegible] नियोगी का आंदोलन [illegible] रहा था, जब कि [illegible] सरकार [illegible] श्री पांडे ने [illegible] नेताओं ने राज्य सरकार को एक [illegible] [illegible] देखा।

श्री पांडे ने कहा कि प्रदेश [illegible]

[illegible] प्रभारी मंत्री ने [illegible] नियोगी की हत्या प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा [illegible]

मोर्चा श्रमिकों द्वारा कंपनियों में तोड़फोड़ व पथराव

उद्योगों में आज से काम बंद की घोषणा

[illegible] (देवबन्धु)। छत्तीसगढ़ [illegible] कंपनियों में मामूली तोड़फोड़ व पथराव [illegible]

[illegible] उन्होंने [illegible] नियोगी [illegible] हत्या के सिलसिले में [illegible] आरोपित [illegible] घोषणा की कि [illegible] द्वारा आरोपित [illegible] उन्हें [illegible] [illegible] श्रमिक [illegible]

चंद्रकांत शाह एवं दो अन्य की तलाश

[illegible] (देवबन्धु)। [illegible] नियोगी की हुई हत्या [illegible] में पुलिस ने [illegible] लेकिन हत्या के आरोपी [illegible] मुख्य षडयंत्रकारी चंद्रकांत शाह एवं [illegible] फरार बताए जा रहे चंद्रकांत [illegible] आरोपियों की [illegible] सी.बी.आई. जांच [illegible] पता नहीं है। इसके पूर्व ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने स्व. श्री नियोगी की हत्या के षडयंत्रकारियों का पता लगाकर, [illegible] गिरफ्तार कर लिया। [illegible] प्रतिक्रिया [illegible]

[illegible] जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा अभी भी [illegible] पूछताछ का सिलसिला जारी रखा गया है। [illegible] प्रकरण में पूछताछ [illegible] है।

D 91

[illegible]

...मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ... मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के राजनीतिक ... शुरू से ही दक्षिण पंथी ... अपना ... समझने लगे थे। मध्यमवर्गी भी उन्हें अपना मित्र नहीं मानते थे। इसी नजर में नियोगी गांधीवादी नहीं थे ... नियोगी ... नजर में कभी ... हो जाते थे। कभी नक्सलवादी। लेकिन नक्सलवादी और ... भी नियोगी को ... शामिल नहीं ... [illegible]

... की नैतिक ... था। लेकिन नियोगी इन ... नियोगी ... थे। ... भी नहीं टिका सकी। इस तरह नियोगी वामपंथी और इन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की नजर में ... अवसरवादी होते चले गये। किसी ने उन्हें गांधीवादी मार्क्सवादी भी ... किया।

[illegible]

... मजदूरों का संगठित होना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी समझना ... है कि पूंजीवाद की ... परिणाम, आर्थिक ... मुद्रास्फीति, ... सामाजिक उपलब्धियों पर ... के प्रहार ... और वर्ग संघर्ष होता है।

मजदूर वर्ग में विद्यमान समाज में ... परिवर्तन लाने की ... रहती है। ट्रेड यूनियनें ... मजदूर ... कार्यस्थल बनाने, डॉक्टरी सेवा और शिक्षा पद्धति में सुधार लाने की मांग करते हैं। दरअसल इन्हीं बिंदुओं के आसपास नियोगी के आंदोलन का मूल्यांकन करने की जरूरत है।

[illegible]

... सिद्धांत के ... होने की ... है। लेकिन व्यवहार ... सिद्धांत ...

... छत्तीसगढ़ ... आंदोलन ... शंकर गुहा नियोगी के आंदोलन की शुरुआत के साथ ही ... तमाम स्थापित यूनियनें थीं। यहां तक कि शुरुआती दौर में ... नियोगी मजदूरों की सारी सदस्यता इन यूनियनों को ही दे दी जाती थी। ... कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियनें भी थीं लेकिन शंकर गुहा नियोगी ने अपने आंदोलन में ऐसा क्या किया कि यहां की तमाम स्थापित और ... यूनियनें ... हो गईं। ... [illegible]

[illegible]

... व्यवहार भी करने लगीं।

... तौर पर नियोगी ने क्या किया। नियोगी ने ... राष्ट्रीयता की ... की। उनके जीवन में ... की कोशिश की। फिर ... छत्तीसगढ़ ... आदिवासी महिला से शादी की। ... नियोगी ने ...

... पैदा हो ... यह बात ... अपने ... पर ... के लिये तैयार किया। मजदूरों की मेहनत, मजदूरों की एकता हर ... आदिवासियों के बीच ... पैदा किया। लेकिन इसके ...

... नियोगी ... मजदूरों ने यह राजनीतिक ... नहीं ... कि कौन उनका वर्ग शत्रु ...

[illegible]

... नियोगी ... के ... में ही ... दिया। ... अपने ... जोड़ते रहे।

... थी ... मजदूरों के ... पूंजीवादी ... ताकतों का भी इस्तेमाल करना ...

[illegible]

... भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ... उन्हें ... गये।

बाद में उनकी आस्था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी। लेकिन यहां भी नियोगी को ... ही कुछ आभास मिलने लगा। अब एक ही रास्ता था। अपने आप को क्रांतिकारी धारा की राजनीति से जोड़ना था। तब १९६७-६८ में नक्सलवादी के विद्रोह ने उन्हें नयी ... के साथ सक्रिय किया। यह कम्युनिस्टों की इस नयी कतार में शामिल हो गये और इनके द्वारा गठित समन्वय समिति के सदस्य हो गए। ... इस कतार की ट्रेड यूनियन के बारे में एक ही समझ थी कि ट्रेड यूनियन मजदूरों को आर्थिक ... में ... जाता है।

इसी समय के आसपास ... हमारा ... भी ...

... नियोगी का ... मूल्यांकन करने का क्या आधार रहा है। इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। इस बात की गहराई में भी शायद जाने की जरूरत नहीं कि विभिन्न मुद्दों पर इनकी अवधारणा कितनी बदली है और नियोगी ... रास्ते पर देर से ही सही यह चलने की मजबूरी में आ गये हैं। यहां जरूरत इस बात की है कि नियोगी ने अपने बीस वर्ष से ज्यादा अवधि के मजदूर आंदोलन में व्यवहारतः क्या किया और इस पूरे आंदोलन की दिशा क्या रही है।

लेकिन कम्युनिस्ट की राजनीतिक पार्टी और मजदूर वर्ग के ... गैरपार्टी संगठन-ट्रेड यूनियन के बीच भेदों पर एकाधिक बार जोर देते रहे हैं। ट्रेड यूनियनों में विभिन्न राजनीतिक, राष्ट्रीय और धार्मिक विचारों के मजदूर संगठित होते हैं। कम्युनिस्ट यह मानते हैं कि अपने ...

... आयाम होते हैं। यह बात भारतीय कम्युनिस्टों के आंदोलन के संदर्भ में लगती रही है। यह सही है कि सिद्धांत के अभाव में किसी भी पार्टी या राजनीतिक संगठन का टिके रहना और अपनी मंजिल तक पहुंचना शायद संभव नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि कोई सिद्धांतों को किस रूप में व्याख्यायित करता है और उसे व्यावहारिक धरातल के साथ तालमेल बैठाने में कितना कौशल होता है।

इस आधार पर यहां की तमाम ... के ट्रेड यूनियन आंदोलन का विश्लेषण और मूल्यांकन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है बल्कि हम इसे छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाके में ही चलकर देखना व समझना चाहते हैं। यह भी बिल्कुल व्यावहारिक धरातल पर इसका मतलब यह नहीं कि व्यवहारतः ...

D-19

[illegible]

१६ अक्टूबर १९९१ (२)

[illegible] हत्याकाण्ड के लिये सरकार भी जिम्मेदार

[illegible] स्व. नियोगी हत्याकाण्ड के लिये [illegible] [illegible] जिम्मेदार [illegible] सरकार [illegible] [illegible] राजहरा पुलिस थाने में चंद्रकांत शाह के [illegible] नेपाल जाने की जानकारी पत्र के माध्यम से दी गयी थी उस पर जिला पुलिस प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं की [illegible] से परे है। उन्होंने [illegible] कहा कि स्व. नियोगी हत्याकांड कुछ दिन पूर्व ही एक [illegible] भिलाई श्री नियोगी ने [illegible] भिलाई के [illegible] उद्योगपति [illegible] पुलिस महानिरीक्षक [illegible] सिंह से [illegible] महसूस किया था। सी.एम.एम.एम. के पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्यवाही को [illegible] हत्या [illegible] चंद्रकांत शाह को भिलाई से [illegible] प्रत्येक [illegible]

[illegible] हत्याकाण्ड के [illegible] गिरफ्तार करने के लिये [illegible] [illegible] पुलिस अधीक्षक [illegible] की [illegible] कहा कि [illegible] सरकार के [illegible]

[illegible] इस हत्याकांड में [illegible] असमर्थ रहेंगे। उन्होंने [illegible] [illegible] सी.बी.आई. द्वारा [illegible] [illegible] अधिकारियों के निलंबन की मांग को दोहराते हुये कहा कि भिलाई के निजी उद्योगों के श्रमिकों का [illegible] की मांग पर हम अडिग हैं। उन्होंने कहा कि जिन मांगों के लिये [illegible] नियोगी शहीद हुये हैं उसे पूरा करा कर ही हम [illegible] बैठेंगे। इसके लिये [illegible] और कुर्बानी देने हम तैयार हैं।

देशबन्धु

[illegible]

नियोगी हत्याकांड में २ बं[illegible]

एक उद्योगपति की तलाश [illegible]

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर न[illegible]

भिलाईनगर, १४ अक्टूबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के [illegible] नियोगी की हत्या के संबंध में २ [illegible] [illegible] एक प्रमुख औद्योगिक [illegible] [illegible] हवाई अड्डे पर नजर रखी जा रहा है। [illegible] न्यायालय ने १० दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि गत २८ सितंबर को नियोगी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

[illegible] धारा ११४ व १२० बी के तहत [illegible] [illegible]

अभियुक्त [illegible] (दायें) एवं अवधेश [illegible] को न्यायालय में [illegible]

खबरों के अनुसार नियोगी हत्याकांड में [illegible] को गिरफ्तार किया गया है जिनमें भिलाई के एक उद्योगपति का [illegible] भी शामिल है जिसकी [illegible] में [illegible]

[illegible]

जद सांसद मोहन सिंह ने कहा

[illegible]ा सरकार नियोगी हत्याकांड में [illegible]ो जवाबदेही से नहीं बच सकती

[illegible]ा)। लोकसभा में जनता [illegible]क, सांसद मोहन सिंह ने [illegible]कि मध्यप्रदेश की पटवा [illegible] हत्याकांड के मामले में [illegible]से बच नहीं सकती। इस [illegible] के बाद सरकार ने [illegible] थाना के प्रभारी को [illegible] दूर स्थानांतरित करना [illegible] समझा। उन्होंने कहा कि [illegible] है तो जिले के उच्चाधि- [illegible] स्थानांतरित किया जाना [illegible]ने नियोगी हत्याकांड के [illegible]श सरकार के किन्हीं नो [illegible] उजागर न करने को [illegible] सिंह यहां आयोजित [illegible] संबोधित कर रहे थे। [illegible]के पूर्व गृह मंत्री मोहन [illegible]योगी हत्याकांड अत्यंत [illegible] घटना का सबसे बड़ा [illegible] नहीं किया जा सकता। [illegible] दुख की बात है कि [illegible] दशक में उत्तर भारत [illegible] मारा जाता है। उन्होंने [illegible] गुहा नियोगी की सुरक्षा [illegible] किये जाने के लिए प्रदेश [illegible] तथा मुख्यमंत्री [illegible] इस संबंध की सिफारि- [illegible] नियोगी को जिला बदर [illegible] व्यक्ति बताया था फिर [illegible] देते हुए कहा कि [illegible] की हत्या करवाने [illegible]

जाया करते हैं जो न तो श्रमिकों के हितचिंतक होते हैं और न ही उद्योगपतियों के। झरिया व धनबाद के सूर्यनारायण सिंह, मुरैना वर [illegible] मोदी नगर में जयप्रकाश व प्यारेलाल शर्मा की हत्या के बाद यही स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अपने "गृह प्रदेश" उत्तरप्रदेश के श्रमिकों की हालत चिंता करते हुए मोहन सिंह ने कहा कि बंबई में कपड़ा मिलों की हड़ताल जनम में उल्फा की गतिविधियों, पश्चिमी बंगाल में जूट मिलों के बंद होने तथा पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ते रहने के बाद सिर्फ मध्यप्रदेश का छत्तीसगढ़ इलाका ही शांत क्षेत्र है, जहां उत्तरप्रदेश के हजारों लोग जीविका प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह अन्य प्रदेशों से बेरोजगार होकर हमारे श्रमिक उत्तरप्रदेश वापस लौट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में यह स्थिति न आए। प्रदेश सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि नियोगी हत्याकांड में शामिल लोगों का शीघ्र से शीघ्र पर्दाफाश करते हुए इस मामले में दूध का दूध व पानी का पानी किया जाना चाहिये। इसी प्रकरण में केन्द्र सरकार को भी दोषी ठहराते हुए कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले की [illegible] लेती तो अब तक सी.बी.आई. की जांच प्रारंभ कर देती। उन्होंने मामले के संदर्भ में पूछा क्यों सी.बी.आई. जांच के लिए जाने [illegible] पर सहमत हो गई है। [illegible]

विलोपित कर देने की निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे बड़े औद्योगिक घरानों का साम्राज्यवाद बढ़ता जाएगा। छोटे उद्योगों को पनपने का अवसर नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रुख की आलोचना की। उन्होंने मेघालय में लिंगदोह सरकार को गिराने के प्रयासों की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया।

उत्तरप्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा राममंदिर निर्माण का मामला सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही उठाती है। वह चुनाव की निकटता अथवा अयोध्या में मेला लगने के समय ही मंदिर निर्माण की घोषणा करती है। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार से लोगों का मोहभंग हो रहा है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मोहन सिंह ने कहा कि जनतादल भाजपा सरकार के विरोध में कांग्रेस को छोड़ किसी भी पार्टी से समझौता कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की रणनीति उपचुनाव में भी अपनाई जाएगी।

जद सांसद कल दुर्ग आए और फिर यहां से दल्लीराजहरा गए। वहां उन्होंने दिवंगत श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की समाधि पर पुष्पमाला अर्पित की। पश्चात श्रीमती आशा नियोगी से मिलकर शोक-संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त किए। श्री सिंह ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यालय जाकर मजदूर नेताओं से चर्चा की। [illegible]

New Bharat · 14-10-91

नियोगी की हत्या की गुत्थी सुलझी

(दुर्ग कार्यालय द्वारा)

दुर्ग. ट्रेड यूनियन नेता एवं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संगठन सचिव श्री शंकर गुहा नियोगी की २८ सितंबर की रात्रि सुनियोजित ढंग से की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और संभवत: १४ अक्तूबर शाम तक पूरा मामला साफ-साफ हो जाएगा। हालांकि पुलिस के उच्चाधिकारियों ने इस मामले में पुष्टि नहीं की है तथापि अधिकृत सूत्रों का कहना है कि इस हत्याकांड की गुत्थी अंततः सुलझा ली गई है।

पुलिस महानिरीक्षक श्री ए.एन. सिंह के नेतृत्व में गठित जांच की कार्यवाही उस समय [illegible] हो गई, जब भिलाई के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ की। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को हत्यारे का नाम- पता ज्ञात हो गया है और अब तक हिरासत में लिए गए लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। फिलहाल इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है तथा पुलिस पार्टी उत्तरप्रदेश, बिहार रवाना कर दी गई है किन्तु वहां से किसी के बंदी बनाए जाने की जानकारी नहीं है।

पुलिस तहकीकात से यह भी उजागर हो गया है कि हत्या का मुख्य कारण क्या था तथा हत्यारे को कारतूस की पूर्ति करने वाले व्यक्ति सहित कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस विभाग के सारे उच्चाधिकारी डी.आई.जी. श्री नृपेन्द्र घरोनिया भी सेक्टर-६ भिलाई पहुंच गए हैं और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ तथा संभावित स्थान पर छापा मारने की कार्यवाही की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि श्रमिक नेता श्री शंकर गुहा नियोगी की हत्या का प्रमुख कारण भिलाई में विगत एक वर्ष से जारी आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का फैसला था, जो [illegible] को नागवार लगा और उन्होंने सुपारी देकर भिलाई में श्रमिक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर अपराधियों ने कोई सूत्र नहीं छोड़ा था, जिससे उन्हें कभी पकड़ा जा सके।

● किन्तु आई.जी., पुलिस अधीक्षक तथा विशेष जांच दल के प्रयासों से आश्चर्यजनक परिणाम शीघ्र सामने आने की संभावना बढ़ गई है।

नियोगी हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिला है: सिंह

भिलाईनगर (देशबन्धु)। श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या प्रकरण के जांच की दिशा में पुलिस ने दिन-रात एक कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने इस प्रतिनिधि से दूरभाष पर चर्चा करते हुए उक्त जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अब ५ ... से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है तथा प्रदेश के अंदर तथा बाहर अनेकों स्थानों के लिए पुलिस दलों को रवाना किया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुराग नहीं मिल पाया है। श्री सिंह ने पूर्ण आत्मविश्वास से बताया कि प्रत्येक संदर्भ तथा विभिन्न कोणों को मद्देनजर रखकर जांच जारी है तथा हत्यारों को गिरफ्त में लेने पुलिस एड़ी-चोटी का प्रयास कर रही है।

सवाल के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल पर घटना के दिन उपस्थित रहे एकमात्र व्यक्ति बहलराम ने दर्ज कराए प्रथम सूचना रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही कहा है कि स्व. नियोगी २७ सितंबर को मध्य रात्रि कार से आए। उन्हें छोड़कर चालक कार लेकर यूनियन ऑफिस चला गया एवं श्री नियोगी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर सो गए। कुछ देर बाद ... आवाज सुनकर वह उठा तथा श्री नियोगी के कमरे में जाकर देखा, तो उन्हें खून से लथपथ पाया। तत्काल बहलराम ने बाजू के रहने वाले श्री मांटगावकर को सूचना दी। यूनियन कार्यालय से कार मंगाया तथा श्री नियोगी को सेक्टर-९ चिकित्सालय ले गए। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। श्री सिंह ने स्पष्टतः कहा बहलराम ने उपरोक्त बातों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी।

पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने सभी वर्ग को आश्वस्त किया है कि नियोगी हत्याकांड की जांच पूर्ण गंभीरता, सजगता तथा सतर्कता से करवाई जा रही है एवं हत्यारों को गिरफ्त में लेने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अमृत संदेश रायपुर

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा पुलिस जांच से असहमति व्यक्त

पूंछ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, अ...

हत्यारों को गिरफ्तार किया ए...

भिलाई नगर, सोमवार। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समर्थक मजदूरों ने आज दोपहर अचानक ही औद्योगिक क्षेत्र में विशाल जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मजदूर पुलिस जांच के प्रति असहमति प्रकट करते हुए नगर के पांच प्रमुख उद्योगपतियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन के कारण आज दोपहर बाद संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज ठप्प रहा। इधर छ.मु.मो. के अध्यक्ष श्री जनकलाल ठाकुर ने एक बयान जारी कर कहा है कि पूंछ पकड़ने से काम नहीं चलेगा। पांच प्रमुख उद्योगपति ही स्व. नियोगी के असली हत्यारे हैं जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक मजदूरों का संघर्ष जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समर्थक मजदूरों ने आज औद्योगिक क्षेत्र में अचानक ही रैली निकाली। मजदूरों की यह रैली दोपहर करीब २ बजे छत्तीसगढ़ नगर स्थित छ.मु.मो. कार्यालय से प्रारंभ हुई जिसमें विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत महिला एवं पुरुष श्रमिकों ने दूसरी शिफ्ट के कामकाज का बहिष्कार कर हिस्सा लिया। दो कतारों में पूरी तरह अनुशासित मजदूरों की यह रैली तीन किलो मीटर से भी अधिक लंबी थी जिसमें अनुमानित तौर पर १० हजार से भी ज्यादा मजदूर शामिल थे। छ.मु.मो. के अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर व अनूप सिंह के नेतृत्व में यह जुलूस संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण करने के पश्चात करीब तीन घंटे बाद संध्या ५ बजे वापस धर्मीदास नगर में सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रदर्शनकारी मजदूर पुलिस प्रशासन व राज्य शासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए नगर के प्रमुख उद्योगपतियों के.पी. केडिया, बी.आर. जैन, मूलचंद शाह, नवाबत एवं विजय गुप्ता को तत्काल ही गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। मजदूर नारे लगा रहे थे कि पूंछ को पकड़ने से काम नहीं चलेगा स्व. नियोगी के असली हत्यारों को गिरफ्तार करो। जुलूस की समाप्ति के पश्चात मजदूरों की सभा को संबोधित करते हुए श्री जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, एन.आर. ..., ... निषाद व अन्य मजदूर नेताओं ने मजदूरों की इसी मांग को दोहराते हुए कहा कि पुलिस व राज्य शासन असली अपराधियों को बचा रही है। अचानक ही निकाली गयी मजदूरों की रैली व उनके प्रदर्शन के कारण आज दोपहर बाद औद्योगिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में कामकाज ठप्प रहा। दूसरे शिफ्ट में कार्य करने वाले मजदूर काम पर ही नहीं आये। दोपहर बाद अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। छ.मु.मो. ने आज रैली निकालने की कोई पूर्व घोषणा नहीं की थी फिर भी पुलिस प्रशासन ने स्व. नियोगी के हत्यारों के नाम उजागर होने के बाद किसी संभावित गड़बड़ी की आशंका में आज प्रातः से ही औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में आज कोई तनाव की स्थिति नहीं थी फिर भी कुछ औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों द्वारा तोड़फोड़ करने की खबर मिली है। नागपुर इंजीनियर्स के एक गेटकीपर को चोटें आ जाने व वहां रखी हुई वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की चर्चा है। छ.मु.मो. की रैली के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी चल रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.बी.एस. ठाकुर सी.एस.पी. सर्राफ ए.डी.एम. श्री आर.डी. पांडे व अतिरिक्त जिलाधीश श्री कक्कड़ भी पूरे समय रैली के साथ साथ मौजूद थे।

पुलिस द्वारा घोषित स्व. नियोगी के
असहमति व्यक्त करते हुए छ.मु.मो.
जनकलाल ठाकुर ने कहा है कि चंद्रकांत
सिंह स्व. नियोगी के असली हत्यारे नहीं है
ये निजी सेना के सेनानायक हैं। इन
घटना के पहले ही दिल्ली में की गई प्रेस
है: असली हत्यारे कौन हैं यह समझा
उन्होंने कहा कि हत्या में शाह परिवार की
भूमिका से स्पष्ट हो गया है कि भिलाई
यहां माफिया राज चला रखा है। शायद
अकूत काला धन पुलिस व राजनेताओं
सेना के लिये खर्च किया जाता है। 'अमृत
चर्चा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि पुलि
लोग असली अपराधी नहीं हैं। ये सभी
निजी सेना के सदस्य हैं जो कि मालिक
करते हैं। असली अपराधी तो पांच उद्योग
को उन सभी को गिरफ्तार करना होगा
संघर्ष समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि पु
लोगों को पकड़ा है उनका नाम तो हम प
पुलिस को बताते रहे हैं। पुलिस को पिछले
दो पत्र में भी इनका नाम उल्लेखित था फि
इन्हें पकड़ने में १५ दिन लग गये। पुलिस
के प्रति असंतोष व अविश्वास व्यक्त करते
कि कथित अपराधियों ने जो बयान दिया
है। पुलिस उन्हें ही मुख्य अपराधी साबित
को बचाने का प्रयास कर रही है। पुलिस
पकड़ कर उद्योगपतियों से अपनी निर्म
प्रमाण दे दिया है।

[illegible] हत्या कांड [illegible] अभियुक्त 10 दिन पुलिस अभिरक्षा में

नि[illegible]गी ह[illegible]त्याकांड : वी.पी, जोगी व अन्य के आर[illegible]पों का गृहमंत्री द्वारा जवाब

नियोगी को श्रद्धांजलि ने मुक्ति मोर्चा की विशाल रैली

(भिलाई कार्यालय द्वारा)

भिलाईनगर. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर १३ अक्तूबर को श्रमिक नेता स्व. शंकर गुहा नियोगी की नृशंस हत्या के विरोध में तथा हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर भिलाई में एक विशाल संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया। मजदूर स्तंभ चौक सेक्टर-१ भिलाई से प्रारम्भ तथा की इस ८ किलोमीटर लम्बी संघर्ष यात्रा में आसपास के क्षेत्रों से आए करीब ५०,००० से भी अधिक पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। जुलूस का नेतृत्व स्व. नियोगी की पत्नी श्रीमती आशा नियोगी, पुत्री क्रांति नियोगी एवं श्री जनकलाल ठाकुर कर रहे थे। इस रैली में जनता दल के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद पुरुषोत्तम लाल कौशिक, प्रदेश युवा के महामंत्री [illegible] तिवारी, विधायक आनंद मडावी, स्वामी अग्निवेश और [illegible] राघव [illegible]। जुलूस के समापन इस रैली के पश्चात एक आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्व. नियोगी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

मोर्चे के आह्वान पर आयोजित इस रैली में भाग लेने के लिए प्रातः ८ बजे से ही सेक्टर १ स्थित प्रदर्शनी मैदान में श्रमिक ट्रकों, बसों ट्रैक्टर आदि से आने लगे थे और दो घंटे में ही २५ हजार से भी अधिक मजदूर एकत्रित हो गये। धीरे- धीरे मजदूरों की संख्या बढ़ती गयी और दोपहर १२ बजे से प्रारंभ हुई इस रैली के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु मोर्चा के अनुशासित श्रमिकों की रैली में पुलिस को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा। करीब ६ किलोमीटर लम्बी रैली में भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि १२ बजे प्रारम्भ हुई रैली की प्रथम पंक्ति को [illegible] पहुंचने में करीब डेढ़ घंटा लग गया होगा। तब तक रैली का अंतिम हिस्सा करीब ८ बजे [illegible] पहुंचा। [illegible] मैदान सेक्टर-१ स्थित प्रदर्शनी मैदान श्रमिकों से ट्रकों ट्रैक्टर आदि से भरी हुई थी।

रैली की प्रथम पंक्ति में श्रीमती आशा नियोगी, पुत्री क्रांति नियोगी एवं प्रमुख महिलायें, उनके पीछे विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता और उसके बाद पुरुष मोर्चा के लाल हरे रंग के कपड़े पहने हुये चल रहे थे। इसके बिल्कुल पीछे रैली में अनुशासित महिला और पुरुष पंक्तिबद्ध होकर चल रहे थे। रैली में शामिल सभी श्रमिक अपने साथ दोपहर का भोजन लेकर आये थे तथा अधिकांश महिलाओं के साथ उनके छोटे- छोटे बच्चे भी शामिल थे।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की इस संघर्ष यात्रा के परिणाम स्वरूप लगभग [illegible] घंटे तक [illegible] मार्ग एवं [illegible] रोड में यातायात पूर्ण [illegible] रहा। [illegible] हाउस रेल्वे क्रासिंग [illegible] के कारण टाटा नागपुर पैसेंजर [illegible] को भी आधा घंटे तक रुकना पड़ा [illegible] एस.पी. के हस्तक्षेप [illegible] कुछ देर [illegible] गया। उसके पश्चात रेलगाड़ी [illegible] रैली में प्रशासन की ओर [illegible] व्यवस्था की गयी थी। दुर्ग के जिलाधीश [illegible], पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह [illegible] तथा आमसभा स्थल का निरीक्षण [illegible] देते रहे।

रावण भाठा [illegible] में आयोजित एक विशाल आमसभा को संबोधित [illegible] मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष [illegible] ने घोषणा की कि २५ अक्टूबर तक यदि श्री नियोगी की हत्या के [illegible] को गिरफ्तार नहीं किया गया, [illegible] को भिलाई में पुनः [illegible] का आयोजन [illegible] देश के [illegible] सम्पूर्ण देश के [illegible] राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों, मजदूर नेताओं, साहित्यकारों तथा फिल्मी हस्तियों से [illegible] की गयी है कि वे भिलाई रैली में शामिल होकर [illegible] संघर्ष की शुरूआत करें, [illegible] छत्तीसगढ़ [illegible] पर देश की [illegible] सभी प्रमुख [illegible] श्री नियोगी के [illegible] चलने के लिये पहल किया [illegible] भिलाई में आयोजित २५ अक्टूबर की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह, रामविलास पासवान, जार्ज फर्नांडिस, [illegible] गुप्ता, [illegible] सिंह [illegible] रहे।

उन्होंने कहा कि [illegible] नियोगी [illegible] तथा [illegible] जब तक भिलाई के मजदूरों की मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक [illegible] नहीं [illegible]।

सभा को संबोधित करते हुए जनता दल के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने कहा कि [illegible] आन्दोलन को दबाने के लिए [illegible] की गई है किन्तु नियोगी [illegible] सामने आएगा, उससे [illegible] षड्यंत्रकारी [illegible]।

उन्होंने [illegible] कहते हुए कहा कि हत्याकांड [illegible] की जांच [illegible] तथा न्यायिक जांच की मांग [illegible] ताकि आम जनता भी अपने बयान दर्ज करा सके। उन्होंने कि जनता दल छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघर्ष में बराबर साथ देगा।

प्रदेश इंटक के महामंत्री श्री [illegible] ने कहा कि इंटक भी मोर्चा का [illegible] संघर्ष करेगा तथा नियोगी द्वारा [illegible] गया शांति पूर्ण आन्दोलन का पूरा समर्थन करने की बात पर अटल रहेगा।

धनबाद के मजदूर नेता श्री आनंद [illegible] ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि [illegible] नियोगी की शहादत से श्रमिकों के [illegible] में वृद्धि हो गई है और अब छत्तीसगढ़ के श्रमिकों का नियोगी के रास्ते पर चल कर श्रद्धांजलि अर्पित करना है।

सभा को श्री [illegible] शर्मा पूर्व [illegible] बस्तर, टी.यू.सी.आई. के [illegible] कार्यो, इंडियन पीपुल्स फ्रंट के [illegible] निषाद, दिल्ली से आये [illegible] संबोधित किया। सभा में [illegible] तिवारी, पूर्व सांसद [illegible] मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष [illegible] मार्कण्डेय दुबे के अलावा [illegible] नियोगी, उनकी पुत्री क्रांति [illegible] नियोगी एवं पुत्र [illegible] नियोगी [illegible]। सभा का संचालन श्री अनूप [illegible]।

न पल्टन का पता न उसके वाहन का

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुलिस का कहना है कि सभी स्थानों पर [illegible] की गई है, लेकिन [illegible] नगर [illegible] आसपास [illegible] चर्चा है कि [illegible] साह पुलिस के सतर्क होने के पूर्व ही [illegible] रवाना हो गये हैं। इस चर्चा की पुष्टि किसी जिम्मेदार सूत्र ने नहीं की है। एक चर्चा यह भी है कि श्री [illegible] जमानत [illegible] की दिशा में प्रदेश के बाहर किसी स्थान विशेष पर सक्रिय हैं।

हत्या में प्रयुक्त वाहन कहां है?

[illegible] रात पुलिस ने पल्टन नामक व्यक्ति द्वारा इसी सूमो वाहन में जाकर हत्या करने की बातें तो बताया, लेकिन उक्त वाहन जब्त नहीं हो सका था। यह वाहन अब तक जब्त नहीं हुआ है। पल्टन भिलाई-२ में रह रहा था, लेकिन वह [illegible] बताया गया है।

उद्योग बंद

कल दोपहर बाद से औद्योगिक क्षेत्र की सभी बड़े-छोटे उद्योगों को बंद करा दिया गया है। आज भी उद्योग बंद रहे एवं [illegible] अवकाश के कारण बंद रहेगा। [illegible] उद्योग [illegible] यह कह पाना संभव नहीं है। वैसे औद्योगिक क्षेत्र [illegible] अशांत हो गया है एवं उद्यमियों सहित कर्मचारी गण काम पर आने के [illegible] भी असुरक्षा को लेकर आशंकित हो गये हैं। यहां तक कि नंदिनी मार्ग से भिलाई [illegible] सहित अन्य स्थानों से काम पर आने- जाने वाले वर्ग भी मार्गों से गुजरने में घबराने लगे हैं। आसपास के व्यापारी वर्ग में भी [illegible] का वातावरण बना हुआ है।

[illegible] भी [illegible] आयोजनों [illegible] एवं [illegible] रखने की मजबूरी से उद्यमियों में भी [illegible] की मानसिकता उभर कर सामने आ गई है।

जार्ज कुरियन का कथन

[illegible] समय स्वर्गीय नियोगी के कट्टर समर्थक एवं साथी [illegible] भिन्नता से अलग हुए छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के जार्ज कुरियन ने आज प्रथम बार बयान जारी कर कहा है कि भले ही जनता के दबाव के कारण हो, लेकिन नियोगी की हत्याकांड को सुलझाने के लिए दुर्ग पुलिस विशेषकर इंस्पेक्टर-६ कोतवाली के टी.आई. राजेश तिवारी द्वारा किए गये प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा है कि हत्या करने वाला कोई भी हो, उसके पीछे जिन उद्योगपतियों का हाथ है, ऐसे उद्योगपतियों को उद्योग चलाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और ऐसे उद्योगों को सरकार अपने हाथ में ले लेवें या फिर सहकारी समितियों को सौंप दिया जाए।

जार्ज कुरियन का कहना है कि श्री नियोगी के जीवन के अंत तक जनकलाल ठाकुर [illegible] के अध्यक्ष के रूप में नियोगी के विश्वासपात्र थे। अतः श्री ठाकुर के रहते हुए [illegible] नेताओं द्वारा ऊपर से नेतृत्व थोपे जाने या अंदर से पैदा होने के संबंध में चर्चा किया जाना हास्यास्पद है। श्री कुरियन ने कहा है कि भिलाई, टेडेसरा, उरला आदि क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग पूरा हुए बगैर [illegible] शांत नहीं हो सकता।

D-91/5

D 91

'Bhilai capitalists planned murder'

The Times of India News Service

NEW DELHI, Oct. 16.

A FACT-finding mission of the Indian People's Front (IPF) has alleged that the killing of the well-known trade union leader, Mr Shankar Guha Niyogi had been planned and perpetrated by the [illegible] of Bhilai as stated in the FIR.

The IPF, in its report on the circumstances leading to the slaying of Mr Niyogi stated that trade union rivalry had nothing to do with the murder.

On the contrary, the report said that Mr Niyogi was done away with in the early hours of September 24 allegedly at the instance of some well-known industrialists of the region and in full knowledge of the Sunderlal Patwa government in Madhya Pradesh.

The IPF team which toured from Raipur to Dalli and Rajhara were told by everyone they spoke to that some Bhilai capitalists were the real culprits.

As such, the IPF has demanded that the capitalists named by Mrs Asha Guha Niyogi, widow of the late trade union leader, in her FIR should be arrested immediately and prosecuted under charges of engineering the assassination.

Their other demands include according recognition to all trade unions associated with the Chhattisgarh Mukti Morcha all the provisions of existing factory acts and labour laws be implemented and the Patwa government should resign and seek a fresh mandate from the people of Madhya Pradesh.

The IPF report about its inquiry into the killing of Mr Niyogi made available here claimed that the Chhattisgarh capitalists enjoyed the blessing of the BJP government in Madhya Pradesh. This aspect was contained in the memorandum submitted by Mr Niyogi to the President Mr R. Venkataraman.

The IPF contended that Mr Niyogi's worst apprehensions turned out to be true when at least half-a-dozen bullets were pumped into the labour leader while he was asleep.

A senior leader of the Chhattisgarh Mukti Morcha had told the IPF fact-finding team that Mr Niyogi had once talked about the Bhilai industrialists engaging a mafia gang of Gorakhpur to get him out of the way.

सूत्र सही पाए जाने पर आरोपी शीघ्र पकड़े जाएंगे

भिलाई नगर (देशबन्धु)। श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या प्रकरण के पिछले तीन-चार दिनों के भीतर [illegible]

[illegible]

नियोगी हत्याकांड

[illegible]

आज सम्पर्क करने पर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करने की पुष्टि नहीं की लेकिन इतना जरूर बताया कि पूछताछ के लिए कई लोगों को [illegible] अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी.बी.एस. ठाकुर से सम्पर्क करने पर उन्होंने कहा कि कुछ प्रदेशों में पुलिस दल भेजे गये हैं। सभी [illegible] के मद्देनजर रखकर पुलिस को विश्वास है कि शीघ्र ही वास्तविक अपराधियों तक पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने किसी भी [illegible] गिरफ्तार करने की पुष्टि नहीं की।

[illegible]

पुलिस को ठोस तथ्य मिले - चावला

भोपाल, १५ अक्तूबर (वार्ता)। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री कैलाश चावला ने दावा किया है कि पुलिस को छत्तीसगढ़ के श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी [illegible] कुछ ठोस तथ्य मिले हैं।

[illegible]

नियोगी हत्याकांड

[illegible]

श्री चावला ने पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा अन्य नेताओं द्वारा नियोगी हत्याकांड में भाजपा के हाथ होने का खंडन किया। श्री चावला ने इन आरोपों को गलत बताया कि भाजपा सरकार हत्यारों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने विरोधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिये बेबुनियाद आरोप नहीं लगायें, बल्कि जांच में सहयोग दें।

उन्होंने कहा कि श्रमिक नेता शंकर [illegible]

[illegible] उन्होंने कहा कि कुछ तत्व हत्या [illegible] के लिये तथा वास्तविक सूत्रों से ध्यान हटाने के लिये आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। [illegible] नियोगी के परिवार के सदस्य तथा [illegible] किसी तत्व के बहकावे में नहीं आयें।

चंद्रकांत शाह ... बच गए?

भिलाई के उद्योग बंद, भविष्य अनिश्चित

भिलाईनगर, २६ अक्टूबर (रेल-वार्ता)। श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या प्रकरण में २ व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस जांच के केंद्रबिन्दु वे सब भी हो गए हैं जो भी नियोगी के बढ़ते प्रभाव से बेचैन होने लगे थे। दूसरी ओर हत्या के [illegible] अनुमान मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सम्भवतः श्री शाह षडयंत्र बच गए हैं। हत्या में प्रयुक्त मोटर सायकल का भी अब तक पता नहीं चल पाया है और हत्या के [illegible]

[illegible] नहीं यह अनिश्चित हो है।

[illegible]

नियोगी के बढ़ते प्रभाव से बेचैन होते जा रहे थे, या उनके अस्तित्व का खतरा बन चुका था। हालांकि इस दिशा में जांच कार्य के संबंध में पुलिस कुछ अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं कहती। हत्या का षड्यंत्र किन्हें करने में कौन- कौन एवं किस किस स्तर पर है, यह उजागर करना पुलिस के लिए जरूरी हो गयी है। [illegible]

पहली बार में पुलिस द्वारा २ व्यक्तियों की गिरफ्तारी [illegible] षड्यंत्रकारी [illegible]

[illegible]

अनुमानित महत्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भिलाई आने व श्रमिकों से मुलाकात करने के बाद उद्योगपतियों पर उनका दबाव और भी बढ़ा है।

पिछला रिकार्ड

गिरफ्तार किए गये २ आरोपी ज्ञानप्रकाश मिश्रा तथा अवधेश राय [illegible] हत्या की साजिश प्रकरण में भी ज्ञानप्रकाश की भूमिका का [illegible]

[illegible]

[illegible] हत्याकांड

गिरफ्तारियों का छमुमो द्वारा ...

पुलिस अधि. की गिरफ्तारी की ...

भिलाई नगर। (नि.प्र.) । श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी के हत्यारों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने का छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने स्वागत किया है। मोर्चे के [illegible] जनकलाल ठाकुर ने कहा कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा तथा चंद्रकांत शाह के हत्या में शामिल होने की घोषणा तो मोर्चे ने ११ अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में पहले ही कर दी थी। पुलिस को शायद इन [illegible]

[illegible] परिवार की [illegible] भूमिका [illegible] गया है कि भिलाई के उद्योगपतियों ने यहां पर माफिया राज चला रखा है।

श्री ठाकुर ने कहा छत्तीसगढ़ की जनता अब संकल्प ले चुकी है और उद्योगपति [illegible]

के षडयंत्र का ही एक अंग था। ज्ञान प्रकाश जो सिम्प्लेक्स कास्टिंग में काम करता था वह सिर्फ दादागिरी ही करता था या और [illegible] देने के लिए रखा गया था। अन्य बड़े उद्योगों में ऐसे और कितने दादा पल रहे हैं यह स्पष्ट किया जावे। आंदोलन कुचलने के लिए बाहर से बुलाये गये गुंडों से पुलिस [illegible]

[illegible] पुलिस [illegible] छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समर्थकों ने [illegible] को काम पर जाने से नहीं रोका। लेकिन दोपहर [illegible] उद्योगों ने प्रवेश कर उनके समर्थकों के काम [illegible]

[illegible] ऐसा में नीलरंजन [illegible] कि आंदोलन का [illegible] ठाकुर संभालेंगे। [illegible] गिरफ्तार किये [illegible] घोषणा की गयी कि [illegible] नहीं किया जाता और [illegible] कल १६ अक्टूबर से [illegible]

[illegible] गिरफ्तार किये जाने [illegible] नहीं रखते मगर [illegible] हत्यारा [illegible]

सिम्पलेक्स के शाह भी हत्या के षडयंत्र में शामि[ल]

(दुर्ग-भिलाई कार्यालय से)

भिलाई नगर। [illegible] मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के हत्यारों को पकड़ने में पुलिस ने आंशिक सफलता प्राप्त की है।

विशेष जांच दल ने श्रमिक नेता के हत्या के आरोप में दो आरोपी क्रमशः अवधेश राय व ज्ञानप्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है जबकि तीन आरोपी उद्योगपति चन्द्रकांत शाह, पलटन, अभयसिंह फरार हैं। पुलिस आरोपियों की [illegible] कर रही है।

[illegible]

देश के हर कोने में पुलिस दल जांच हेतु भेजा गया है! दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। दोनों अपराधियों को धारा ३०२, १२० बी. ३४, ३४० दण्डप्रक्रिया संहिता तथा २५ व २६ आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

उस समय अवधेश व ज्ञान प्रकाश रिवाल्वर लेकर घटना स्थल की निगरानी कर रहे थे। बताया जाता है कि ज्ञानप्रकाश मालिक्या गिरोह का निर्माण करने तथा चंद्रकांत शाह ने औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी धाक बिठाने के लिये इस कारनामे को अंजाम दिया था।

—बताया जाता है कि पलटन को हत्या के लिये ज्ञानप्रकाश द्वारा ग्यारह हजार पांच सौ रुपये तथा चंद्रकांत शाह द्वारा आठ हजार पांच सौ रुपये दिये गये थे। स्व. नियोगी द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति को अन्य प्रमाणों द्वारा श्रमिक मांगों के लिये कटिबद्ध देख

शाह ने अपने सहयोगी ज्ञानप्रकाश मिश्रा के सहयोग से हत्या के लिये पलटन से सौदा किया तथा नियोगी की निगरानी की जाने लगी। २८ सितंबर को मौका मिलते ही आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। बताया गया कि इस हत्याकांड के पीछे विभिन्न

और उनके लौटकर जाने तक वे बराबर क्षेत्रों में बने रहे थे इसलिये किया गया [illegible] अधिकारियों को [illegible] रात्रि के लगभग [illegible] सार्वजनिक पर सवार [illegible] निवास पहुंचे थे [illegible] खिड़की के रास्ते [illegible] और पहले से तैयार [illegible]

नियोगी हत्याकांड में दो बंदी :पलटन- अभयसिंह व उद्योगपति चंद्रकांत की तलाश जारी

विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य अभियुक्त पलटन, ज्ञानप्रकाश व अवधेश [illegible]

उनका यह मानना था कि इसके बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र के उद्योगों में उनकी दादागिरी स्थापित हो जायेगी और वे नियोगी की जगह पर इन पर अपना राज [illegible]

चंद्रकांत शाह तथा अन्य लोग घबरा गये थे २ अक्टूबर के रैली के पूर्व ही उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया गया। हत्या का षड्यंत्र स्व. नियोगी के दिल्ली से आने के [illegible]

उद्योगों के संचालकों का हाथ होना अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस इस पर बराबर निगाह रखे हुए है। बताया जाता है कि [illegible]

[illegible] शेष पृ[ष्ठ] ...

13-10-91

...योगी हत्याकांड में शासन का हाथ : जोगी

...में आने पर इक्का, सुंदरलाल ...पर भी मुकदमा चलायेगी

(संवाददाता) [illegible]

...हत्याकांड के पीछे ... [illegible]

...एक षीयारोही जैसा काम ही इनके द्वारा किया है जिससे यह साफ होता है कि शासन ... [illegible]

...यही कारण है भी जोगी ने बताया कि प्रदेश सरकार की एक ... [illegible] की अनुशंसा पर ... [illegible]

[illegible]

...मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह नौकरशाही ...घोड़े की तरह है जिसकी पीठ पर सवार ... [illegible] ...घोड़ा उसे गिराते, पटकते चलाता है और ... [illegible]

13-10-91

नियोगी के हत्यारे को कारतूस देने वाला बंदी

हत्यारे का नाम पता लगा : पुलिस दल उ.प्र. रवाना

(दुर्ग कार्यालय द्वारा)

दुर्ग ... पुलिस ... एवं ... [illegible]

[illegible]

...१०० से अधिक ... के बाद वह यह पता लगाने में सफल हो गई कि श्री नियोगी की हत्या के लिए उपयोग में लाई गई १२ बोर ... के लिए कारतूस की आपूर्ति किसने की और पुलिस ने कारतूस की आपूर्ति करने वाले शख्स को हिरासत में ले ... [illegible]

नियोगी के हत्यारों को पटवा बचा रहे

[illegible]

देशबन्धु 16-10-91

नियोगी हत्या प्रकरण में गिरफ्तारी का स्वागत

भिलाई नगर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर ने श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या प्रकरण में कल पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए शेष बचे मुजरिमों को तुरन्त गिरफ्त में लेने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने कहा हत्यारे, पुलिस के लिए भले ही रहस्य बने रहे हों, लेकिन छमुमो ने इनकी घोषणा पहिले ही कर दी थी। तथा [illegible] का उल्लेख भी कर दिया था।

श्री ठाकुर ने आज जारी बयान में कहा है कि स्व. श्री नियोगी की हत्या प्रकरण में जिनकी गिरफ्तारी हुई तथा जिस फरार उद्योगपति की यह षड्यंत्र थी वे पैसे के बल पर [illegible] छमुमो के नेता ने प्रकाशित [illegible] से ५ सूत्रीय सवाल किया है। प्रमुख सवाल यह है कि २७ सितम्बर की रात नवीन शाह का भिलाई से बाहर जाना क्या संयोग मात्र था, गिरफ्तार आरोपी ज्ञानप्रकाश मिश्रा से सिम्पलेक्स का क्या संबंध रहा, तथा विभिन्न स्थानों पर [illegible] चुने हुए लोगों का पुलिस ने क्यों [illegible] बनाया है आदि।

पूर्व विधायक तथा छमुमो के अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर ने गिरफ्तारी का स्वागत किया तथा शेष बचे सभी मुजरिमों को तुरन्त गिरफ्तार करने की मांग की है।

13-10-91

नियोगी हत्याकांड दो हिरासत में

समवेत शिखर संवाददाता

भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के [illegible] नियोगी की हत्या के [illegible] आज पुलिस ने [illegible] दो लोगों को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य दो तीन लोगों की सरगर्मी से तलाश जारी है। पुलिस को विश्वास है कि नियोगी हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझा ली जायेगी। उल्लेखनीय है कि नियोगी हत्याकांड की गूंज पूरे देश में हुई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार केडिया डिस्टलरी में नियोगी के भिलाई में आंदोलन में कार्यरत दीपचंद यादव, अनिल दीक्षित, चंद्रमणि चद्धाण को आंदोलन के दौरान डिस्टलरी से निकाल दिया था। उसके पश्चात ये व्यक्ति श्री नियोगी के प्रथम पंक्ति के भिलाई के मोर्चा के नेता बन गये थे। हर आंदोलन के दौरान ये अग्रणी रहते थे। श्री नियोगी के छत्तीसगढ़ प्रेम के कारण चूंकि ये सभी बिहारी हैं, ये नाराज रहने लगे और यही नाराजगी बढ़ते बढ़ते नियोगी की हत्या को अंजाम दे बैठी। दीपचंद यादव को कल रात्रि छावनी पुलिस ने पकड़ा उससे पुलिस अधीक्षक ने जब गहन पूछताछ की तो उसने अपने एक साथी रवि के साथ हत्या करना कबूल कर लिया। हालांकि पुलिस अभी भी स्पष्ट कुछ कह नहीं रही है मगर इतना जरूर बताया कि सोमवार दिनांक १४ अक्टूबर को पुलिस [illegible]

सूत्रों के अनुसार २४ अक्टूबर को [illegible] दीपचंद, चंद्रमणि चद्धाण, अनिल दीक्षित व वीरेंद्र नामक मोर्चा समर्पित नेताओं की काफी गरमागर्मी बहस हुई थी तथा २५ अक्टूबर को [illegible] यादव ने दो अन्य साथियों [illegible] नियोगी अब दो दिन का मेहमान है और वास्तव में २७-२८ अक्टूबर की रात्रि में श्री नियोगी की सोते में गोली मार कर हत्या कर दी गयी। इस हत्या में इनके होने का तथा इस हत्या के संभावित कारणों में आंदोलन के कारण भूखमरी व बेरोजगारी के शिकार साथी पर शंका की हुई समवेत शिखर ने प्रारंभ में उठा दी तथा उसी को आधार मानकर पुलिस महानिरीक्षक ने जांच के आदेश व निर्देश दिये थे।

जानकारी के अनुसार घटना की रात्रि सोये हुये श्री नियोगी 'फ्लेश लाईट' के कारण ज्यों ही उठकर बैठे रवि नामक व्यक्ति ने फायर किया। इसके पश्चात नीले रंग की एक मोटर साईकिल जो कि संभवतः सुजुकी थी से अपराधी व उसके दो साथी भाग निकले। अपुष्ट जानकारी के अनुसार घटना की रात एक पत्रकार को भी देखा गया था। इसके अलावा इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है इसकी जांच अभी भी पुलिस कर रही है। समझा जाता है कि [illegible]

असम बंद : जनजीवन अस्त व्यस्त रहा

[illegible] हो गया।

बंद का आयोजन राज्य में [illegible]

[illegible] बंद रहे।

आलोचना

इंदौर (वार्ता)। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की इंदौर इकाई ने कल महू में डा. भीमराव अम्बेडकर के जन्मस्थान पर अनुसूचित जाति के ३५ विधायकों तथा १५ सांसदों को नहीं जाने देने के लिये सैन्य अधिकारियों की आलोचना की है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

...हत्यारों को गिरफ्तार करने ...

... विरोध दिवस कार्यक्रम सफल ...

... आन्दोलन की इस कड़ी में आज से श्रीमती नियोगी भूख हड़ताल पर बैठ गयी हैं।

रायपुर, मंगलवार १५ अक्टूबर १९९१

... उद्योगपतियों का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला है ...

अमृत संदेश

पृष्ठ १० मूल्य १ रुपया ५० पैसे

प्रमुख षड्यंत्रकारी चन्द्रकांत शाह की पुलिस को तलाश, ५ में से २ आरोपी पकड़े गये

नियोगी हत्याकांड से रहस्य का पर्दा हटा

देशी कट्टे से पल्टन ने गोली मारी

१७ अक्टूबर १९९१ (२)

भिलाई के उद्योग दूसरे दिन भी बंद रहे

भिलाई नगर। नगर का औद्योगिक क्षेत्र आज दूसरे दिन भी पूर्णतः बंद रहा। पांच बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में साप्ताहिक अवकाश होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा पर इससे छोटे उद्योग प्रभावित रहे। मजदूर व श्रमिक आज कार्य पर नहीं आए जिससे काम काज ठप्प रहा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रातः पांच बजे जुलूस निकाला। जुलूस सिम्पलेक्स, बी.के., बी.ई.सी. सहित सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के समक्ष से वापस घासीदास नगर आया। मोर्चा के इस जुलूस में दो ढाई हजार मजदूर व श्रमिक थे नियोगी के असली हत्यारे को गिरफ्तार करो मध्यप्रदेश सरकार को बर्खास्त करो नियोगी हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से कराओ का नारा लगा रहे थे। जुलूस समाप्ति पर आमसभा हुई।

आज बंद के दौरान इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखी गई। छुटपुट घटना घटने की शिकायत प्राप्त हुई। वहीं राजीव नगर के पास मोर्चा के कार्यकर्ताओं व मजदूरों के बीच मारपीट होने की जानकारी मिली है। मजदूरों ने जामुल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें लाठी व लात घूंसों से काम में जाने के कारण मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पीटा। मारपीट से वीरेन्द्र सिंह, दयानंद प्रसाद, कैलाश प्रसाद व प्रदमन सिंह को काफी चोटें आई है। उन्हें मुलाहिजा के लिए दुर्ग चिकित्सालय भेज दिया गया। छमुमो समर्थकों के विरुद्ध पुलिस भारतीय दण्ड विधान की धारा ३४१, ३२३ व २९४ के तहत कार्रवाई कर रही है। आज औद्योगिक क्षेत्र में नगर पुलिस अधीक्षक सीताराम सर्राफ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी.पी.एस. ठाकुर, नगर निरीक्षक श्री बहादुर सिंह राजपूत, रामजीवन [illegible], शिवलाल [illegible] सहित अन्य सौ आरक्षक औद्योगिक क्षेत्र में गश्त करते रहे।

9.11.91

साप्ताहिक
जनधर्म
वर्ष १५ अंक २४ भोपाल १४ से २० अक्टूबर ९१

गुहा नियोगी की नृशंस हत्या

(विशेष प्रतिनिधि द्वारा)

स्व. शंकर गुहा नियोगी जो मजदूरों के निर्विवाद नेता थे, की हत्या रात के अंधेरे में हुई और इसके बाद न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। जो अंचल अपनी शांतिप्रियता के लिये मशहूर रहा है वहां हिंसा की यह एक नई शुरुआत है।

इस हत्या के बाद पी. यू. सी. एल. के [illegible] ... जो नियोगी के साथ [illegible] रात को थे ने स्वर्गीय नियोगी को भेजे गये धमकी भरे पत्र को प्रकाशित कराया और इसे हत्या की सुनियोजित साजिश निरूपित करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस हत्या के तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है।

4. 10. 91 को विश्वनाथ प्रताप सिंह, राम विलास पासवान, लक्ष्मी नारायण पाण्डेय और अग्निवेश आये। वे दल्ली राजहरा गए और दिनांक 5. 10. 91 को प्रेस वालों से बात करते हुए वी. पी. सिंह ने बतलाया कि जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टियों और ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर एक देश व्यापी आन्दोलन छेड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा ने इस हत्या की निंदा की और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने वक्तव्य देकर हिंसा की निन्दा की थी और सुनने में आया है कि [illegible] दस्तखत [illegible] अभियान चला रहे हैं। दिनांक 8. 10. 91 को [illegible] में जार्ज फर्नांडीस ने [illegible] उद्योग भवन के पास मजदूरों की सभा को संबोधित करते हुए आंदोलन की घोषणा की है।

इस अंचल में एक प्रश्न मुख्य रूप से [illegible]

[illegible] गुहा नियोगी [illegible] का संचालन [illegible] 1 [illegible] पीढ़ी से कर रहे थे तब क्या वे किसी पार्टी [illegible] या इन्होंने किसी [illegible] का कोई सहयोग लिया है यदि नहीं तो फिर मुँह से आज आ रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि मेरे कार्यकाल में नियोगी को जेल में नहीं ठूँसा गया। क्या केन्द्र सरकार में बैठे हुए तब वी.पी. या पासवान ने यहाँ की समस्या को देखा और उस पर ध्यान दिया? छत्तीसगढ़ की कोई भी समस्या हो या फिर मजदूर आंदोलन की या कोई [illegible] की [illegible] इन सब में कुछ [illegible] की [illegible] की मिली है।

अभी पिछले चुनाव की स्याही नहीं सूखी है जन मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को लोकसभा के चुनाव में मैदान से हटना पड़ा क्योंकि राजनीतिज्ञों ने अपनी-अपनी पार्टी और अपना स्वार्थ देखा और नियोगी को दुखी मन से उन निर्णयों का साथ देना पड़ा, पर उनके उम्मीदवारों को [illegible] किस पार्टी ने साथ दिया?

जाहिर है आज ये सब इसलिये दौड़ रहे हैं कि सबकी दृष्टि विशाल जन मुक्ति संगठन पर है। कुछ नेता इस संगठन को हड़पना चाहते हैं और स्थानीय लोग चाहे वे [illegible] ठाकुर या श्री हरि ठाकुर हों, उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वे स्थानीय हैं।

नियोगी की हत्या के बाद आखिर संगठन के नेतृत्व के लिये [illegible] रही इस [illegible] की [illegible] करना चाहिए। नियोगी ने इन पेशेवरों को कभी अपने संगठन में घुसने नहीं दिया था। उन्हें न घुसने दिया जाए नहीं तो कहीं देखते-देखते ये [illegible] पूरे संगठन की धारा ही न मोड़ [illegible]

[illegible] सब सवाल उठ रहे हैं कि [illegible] आंसू बहाने वाले क्या गुहा नियोगी की चिता पर अपनी राजनीति की रोटी सेंकने [illegible] आदि [illegible] की [illegible] [illegible]

[illegible] आज प्रश्न [illegible] कि [illegible] [illegible] सकते हैं? इस दिशा में [illegible] दिखाई दे रही है। [illegible] इस घटना के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कोई [illegible] [illegible] यह सब स्वाभाविक है कि [illegible] समाचारों को इस ओर से [illegible] नहीं [illegible] [illegible] कि [illegible] की ओर पुलिस न [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] इस हत्या को एक रहस्य [illegible] [illegible] वाली अफवाहों को अधिक [illegible] लिए और न अपनी [illegible] के लिए [illegible] [illegible] की कोशिश की जाए।

वास्तव में नियोगी की ही [illegible] थी कि वे एक [illegible] मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे — उद्योगपतियों से शांतिपूर्वक संघर्ष का संचालन कर रहे थे और संगठन के आंतरिक कलह को भी अपनी मेधा से छिन्न-भिन्न कर रहे थे।

सवाल? जिनके जवाब जरूरी हैं

(1) शंकर गुहा नियोगी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर अपनी जान को खतरा बताया था। उस ज्ञापन पर गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की?

(2) रायपुर से भिलाई तक अन्तिम बार कौन लोग श्री नियोगी के साथ रहे?

(3) डाक्टर [illegible] ने मौत सुनने के बाद आस-पास के लोगों को न जगाकर यूनियन के दफ्तर जाना क्यों जरूरी समझा?

(4) जिन दो धमकी भरे पत्रों का उल्लेख किया गया है उनमें से एक में साफ शब्दों में नियोगी को अपने समर्थकों से सावधान रहने की बात कही गई है। फिर क्या कारण है कि इस तथ्य को [illegible] किया गया है?

(5) [illegible] पत्रों की हत्या की [illegible] के साथ राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन की प्रतिलिपि किसने [illegible] कराई और उसका [illegible] क्या था?

D-92

मजदूरों का "मसीहा" शंकर गुहा नियोगी जिन्दाबाद

लेकिन चंद सवाल

आदरणीय नियोगीजी के सामने हम श्रमिकों की ओर से चंद सवाल...। हम अच्छी तरह जानते है कि आपके राजहरा का कोई भी श्रमिक आपसे सवाल करने का हिम्मत नहीं करता है, लेकिन यह भिलाई है इसलिए ए सवाल भी।

सवाल करने वाले आपके नेतृत्व में हड़ताल करने वाले, कुरबानी देने वाले हम मजदूर है, जो पहले सेलूद के चुनकट्टा खदान, भिलाई होटल, स्लेगडम्प, एच. एस. सी. एल. स्ट्रक्चरल फेब्रीकेशन, बी. आर. पी. आदि मे अपनी रोजी रोटी कमाते थे और जिन्हे आपको नजदीकी से जानने पहचानने का मौका मिला। आपके झंडे तले अपनी रोजी रोटी भी गंवाने के बाद हम आज इसी औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कारखानों में उद्योगपतियों के शोषण का शिकार होते हुए भी चुपचाप अपनी रोजी रोटी कमा रहे है।

नियोगी साहब, आपके बढ़ता हुआ नाम और शान से सब लोग प्रभावित है। हमें भी खुशी है कि आप अपनी पूरी ताकत अब भिलाई में अपना पैर जमाने के लिए खर्च करने वाले है। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर भी शोषित है। यहां भी एक सच्चे श्रमिक नेता और श्रमिक संगठन की सख्त जरूरत है। हम यह जानते है कि आप यहां अपना झंडा बुलंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमारे चंद सवालों का जबाब देंगे, तो यह काम आपके लिए भी आसान हो सकता है। इन सवालों को पूंजीपतियों का साजिश बोलकर आप नजरअंदाज नहीं करें क्योंकि पूंजीपतियों का दुश्मन कौन, मजदूरों का हमदर्द कौन, यह समझना आजकल बहुत मुश्किल काम है।

तो यह हैं हमारे सवाल

१ आप हाई स्कूल पास है तो आप जैसे बड़े आदमी को अपने आपको स्नातक प्रचारित करने की क्या जरूरत है। स्कूल सर्टिफिकेट मे आपका नाम धिरेशकुमार गुहा नियोगी है, तो आपको अपना नाम बदलकर शंकर गुहा नियोगी करने की क्या जरूरत थी।

२ राजहरा के ठेका मजदूरों की विभागीकरण का मांग लेकर १९७७ मे आपने उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें ११ मजदूर पुलिस गोली का शिकार बने व सैकड़ों अपंग हो गए थे। गोलीकांड से आप जाने माने नेता बन गए, लेकिन राजहरा के ठेका मजदूरों का विभागीकरण आज तक क्यों नहीं हुआ है।

३ १९८०-८१ मे पाटन-सेलूद के पत्थर खदान के श्रमिकों से आपने हड़ताल कराया, जिसके चलते तमाम मजदूरों का छटनी हो गया और वे आज भी कई फौजदारी मामलों में फंसे हुए है, उन मजदूरों को आपने अधर मे क्यों छोड़ दिया है।

४ आपके नेतृत्व से प्रभावित भिलाई होटल, स्लेग डम्प, बी. आर. पी. ठेकेदारी, एच. एस. सी. एल. स्ट्रक्चर फेब्रीकेशन आदि के मजदूरों ने हड़तालें की थी, तमाम हड़ताली मजदूरों का छटनी हो गया और फौजदारी मामलों में फंसकर वे आज भी कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। इन मजदुरों को भी आपने अधर में क्यों छोड़ दिया है।

५ आपके भावविभोर भाषणों से प्रभावित होकर हड़ताल करनेवाले रानीटोला खदान के ३०० श्रमिक, राजनांदगांव अर्चना पाटरीज के ३०० श्रमिक, फोतीपार राजाराम फेक्ट्री के ६०० श्रमिकों का छटनी हुआ और आपके इशारे पर तोडफोड़ करने कारण इनमे से सैकड़ों श्रमिक फौजदारी मामले मे फंसे हुए है। इन अभागे मजदूरों को नेतृत्व करना आपने क्यों छोड़ दिया है।

६ फिलहाल आपने दुर्ग – भिलाई के ट्रक मजदूरों का हड़ताल करवाया था। कुछ श्रमिकों का छटनी और अनेकों पर फौजदारी मामलों के अलावा उन मजदूरों को आपने क्या दिलाया। मांगे पूरा होने के पहले आपने उस आंदोलन को समाप्त क्यों किया।

७ आप जो राजहरा के मजदूरों का विभागीकरण नहीं करवा पाये, फिर भी ए. सी. सी. के ठेका मजदूरों का विभागीकरण का मांग लेकर आपने आमरण अनशन की घोषणा की थी फिर बिना कोई मांग हासिल किये आपने अनशन क्यों तोड़ा । शुक्रिया है जिला प्रशासन की, कि यह मजदूर छटनी से बच गए ।

नियोगी जी,

श्रमिक वर्ग कुर्बानी से नही डरता है, और वे अपने नेता को जान से ज्यादा चाहते हैं। और आपके लिए श्रमिकों ने कम कुर्बानी नही दिया, आपके आजतक के आंदोलनों में २० श्रमिक पुलिस गोली का शिकार बना, राजनांदगांव का एक श्रमिक आपके ही गुंडों द्वारा मारा गया। हजारों मजदूर अपनी रोजी रोटी गंवाया, और हजारों मजदुर फोजदारी मामलों में फंसकर कही भी रोजी रोटी कमाने की स्थिति में नही रह गया ।

आप कहेंगे कि श्रमिक अपने ही हित में कुर्बानी दिए। लेकिन कुर्बानी देने वाले हम मजदुरों को क्या मिला, यह हमने कह ही दिया है, लेकिन आपको क्या नही मिला है— ।

१ आप राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक नेता कहलाने लगे, और आपका नाम अखबारों की सुर्खियों में हमेशा बना रहता है ।

२ आपके पास धन का अपार श्रोत है । आप फटे पुराने कपड़ा जरूर पहनता है, लेकिन फियेट कार में ही घूमता है। आपके पास ४ जीप है और ५ ट्रक है। बंगाल में आपका टूटा पुराना घर के स्थान पर आज आलीशान मकान है दूर क्यों जाता है पिछले विधान सभा चुनाव के पहले आपने १५-२० हजार लोगों को रायपुर में इकट्ठा करने के लिए १०० बस, २०० ट्रक एवं १५० अन्य वाहनों को किराए में लिया। अपनी ताकत प्रदर्शन के लिए आपने खुद के लोगों के अनुसार, आपने १० लाख रूपये खर्च किए है । विधान सभा चुनाव मे २०- २५ उमीदवारों को खड़ा करके चुनावी प्रचार के नाम पर आपने करीब १५ लाख रूपये खर्चा किया, यह बात अलग है कि आपके सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया और भिलाई जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, वहां आपके उम्मीदवार को ३०० वोट भी हाथ नहीं आया हमें आश्चर्य नही है कि आपने यूनियन कार्यालय, भिलाई में खोलने के लिए श्रमिक को एक लाख रुपये देने का वायदा किया है ।

हमारा सवाल यह है कि आपके पास इतना रूपया-पैसा आता कहां से है, क्या राजहरा का मजदुर लोहा-पत्थर छोडकर सोना उगाना शुरू किया है या यह पैसा पूंजीपतियों की सांठ-गांठ से आप ऐंठते रहे है।

यह बात साफ है कि आपने तथाकथित श्रमिक सेवा से बहुत कुछ पाया लेकिन मजदुर सिर्फ खोया ही खोया है।

आप कहेंगे कि आपकी मान और शान श्रमिकों की मान और शान है और आप यह भी कहेंगे कि आपकी सारी संपत्ति श्रमिकों की सेवा के लिए है। कुछ भोले भाले मजदूर यह बात मान भी लेंगे, लेकिन हम छटनी-शुदा मजदुर जो अब चुपचाप इन कारखानों में ठेकेदारी शोषण के तहत अपनी रोजी रोटी कमाते है और जिन्हें आप पहचान भी नही पा रहे है आपकी बात कैसे मानेंगे।

इसलिए यहां के भोले भाले शोषित एवं दुखित मजदुरों को अपना कारागार बनाने के पहले आपको हमारे इन सवालो का जवाब देना होगा ।

अन्यथा खबरदार हम राजहरा के बंधक मजदुर नही है। हमारे सवालो का जवाब दिए बिना और मजदुरो को गुमराह करने की कोशिश आप न करे।

आपका नाम रोशन करने के लिए हमने काफी कुर्बानी दी है और अन्य मजदूरों को आपकी बलि का बकरा बनने से रोकने के लिए हम थोडा कुर्बानी और दे सकते है। हमारा इशारा आपकी समझ में जरूर आ गया होगा ।

— हम है आपके पूर्व अनुयायी

श्री गुहा नियोगी की हत्या के सन्दर्भ में कुछ सवाल हैं जिनका समाधान बहुत जरूरी है जो कि श्री एन॰के॰ सिंह, भोपाल संवाददाता, "इण्डिया टुडे" और श्री सियाल, पी॰यू॰सी॰एल॰ और ईसाई मिशन, रायपुर के संरक्षक को देना जरूरी है।

तीन सितम्बर को राष्ट्रपति को दिये ज्ञापन में श्री नियोगी ने लिखा था कि उन्हें कुछ उद्योगपति मरवाना चाहते हैं। श्री नियोगी कई साल से, भिलाई आने से पहले भी (भिलाई तो वह एक साल पहले ही आये थे), बहुत सतर्क रहते थे और हमेशा अपने साथ संरक्षक रखते थे। यहां तक की वह सोने का स्थान भी बदलते रहते थे। श्री नियोगी जब कभी भी रायपुर जाते थे तो हमेशा रात होने पर वहीं सो जाया करते थे। हत्या के रोज भी वह यह कह कर गये थे कि रात को वहीं सोयेंगे। श्री नियोगी ने पिकाडेली होटल में खाना खाया और रात बारह बजे तक वहीं रहे और फिर एक घण्टे के लिये वापिस श्री सियाल के साथ रायपुर गये और वहां से सुनसान सड़क पर 40 किलोमीटर का फासला तय कर के भिलाई गये। इसी सन्दर्भ में कुछ सवाल उठते हैः-

1· सियाल साहब उन्हें अपने घर क्यों ले गये?
2· वहां और कौन-कौन थे?
3· क्या दो तारीख की रैली के लिये उन्होंने कुछ धनराशी दी थी?
4· देहली में जो रैली हुई थी उनको लेकर क्या कुछ मतभेद थे, जिनको सुलझाने के लिये श्री एन॰ के सिंह को बीच में पड़ना पड़ा।
5· यह श्री राजेन्द्र सियाल कौन हैं और पुलिस में इनका कोई रिकार्ड है। रायपुर में जो जाली नोट बनाते हुए पकड़े गये हैं उनसे इनका क्या सम्बन्ध है।
6· श्री राजेन्द्र सियाल और श्री एन के सिंह ने उनको अकेले क्यों जाने दिया और अगर कुछ आदमी साथ भेजे थे तो वो कौन थे?
7· एक महीने पहले से उद्योगपतियों का नाम लेकर कोई षडयंत्र तो नहीं था जो असल में मारने वालों ने इनकी और यूनियन की सम्पति हड़प करने के लिये रचा था।
8· सुना है कि पुलिस को टेप दिया गया है जिससे अगर उनका देहान्त हो जाये तो आगे का काम कौन कौन सम्भालेंगे, यह बताया गया है। उन सब के नाम उजागर किये जाना चाहिये।
9· क्या यह सही है कि श्री नियोगी के मरने पर सबसे ज्यादा फायदा स्वामी अग्निवेश को मिलेगा?

D-92
(5)

धीरेश कुमार उर्फ शंकर गुहा नियोगी
श्रमिकों और छत्तीसगढ़ी भावना का सबसे बड़ा शोषक

फरवरी 1977, आपातकाल की समाप्ति और केन्द्र में इंदिरा कांग्रेस सरकार के पतन के पूर्व छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह खदानों में काम करने वाले लगभग 8000 आदिवासी श्रमिक उग्र आंदोलन पर उतर आये थे. श्रमिकों की मांग थी कि उन्हें संयंत्र का विभागीय श्रमिक घोषित किया जाये और विभागीय श्रमिकों को प्राप्त होने वाले श्रमिकों के बराबर बोनस, वेतन और अन्य सुविधायें प्रदान किया जाये. संयंत्र में ठेकेदारी के अंतर्गत खदानों में काम करने वाले इन आदिवासी श्रमिकों में संयंत्र के प्रबंधन और मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियन, संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक) के प्रति तीव्र असंतोष था. पूर्व में ये सभी श्रमिक एटक के सदस्य थे, किंतु यूनियन और प्रबंधन के बीच ठेकेदारी श्रमिकों के विभागीकरण की एक योजना पर समझौता होने और पहली किस्त में लगभग 2000 ठेका श्रमिकों के विभागीकरण हो जाने के पश्चात् बचे हुये लगभग 8000 श्रमिकों में यह असंतोष उपजा और बंशीलाल साहू के नेतृत्व में वे एटक नेतृत्व से विद्रोह करके स्वतंत्र रूप से आंदोलन करने लगे.

आपातकाल के समाप्ति और केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मीसा बंदी जेलों से रिहा कर दिये गये. दानीटोला खदान में लगभग 200 श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले शंकर गुहा नियोगी और जार्ज कुरियन भी रिहा होने वाले मीसाबंदियों में शामिल थे. रिहाई के तुरंत बाद शंकर गुहा नियोगी दल्लीराजहरा के आंदोलित श्रमिकों का साथ देने लगे. शीघ्र ही उन्होंने श्रमिकों का विश्वास अर्जित कर लिया और नेतृत्व के शिखर पर पहुंच गये. गुहा नियोगी के मार्गदर्शन और बंशीलाल साहू की अध्यक्षता में अप्रैल 77 में छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ का पंजीयन कराया गया. इसके बाद छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नाम से राजनीतिक संगठन बनाया गया. शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ी भावना का तीव्र दोहन किया और छत्तीसगढ़ का शोषण करने वालों के खिलाफ उग्र संघर्ष के लिये श्रमिकों को उकसाया. सिलीगुड़ी (पं. बंगाल) में जन्मे और मैट्रिक तक शिक्षित शंकरगुहा नियोगी ने, जो कि 1963 में नौकरी की तलाश में भिलाई आये थे और धीरेश कुमार गुहा नियोगी के नाम से 1964 से 68 तक भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओव्हन विभाग में जूनियर आपरेटिव के रूप में कार्य किया था और जिन्हें नक्सलवादी होने के कारण सेवामुक्त कर दिया गया था. छत्तीसगढ़ का स्वयं को हितैषी सिद्ध करने के लिये. उस आदिवासी विवाहित महिला को सन् 77 में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया जिसके साथ उनका अवैध संबंध था और जिसे

क्रमशः...2

18/11/77 17/11/77 (6)

उसके पूर्व पति और आदिवासी समाज ने परित्याग और दंडित किया था. उक्त आदिवासी विवाहित महिला से नियोगी के अवैध संबंध उस समय निर्मित हुआ था जब वे आपातकाल में गिरफ्तारी से बचने के लिये जून 75 से दिसम्बर 75 तक भूमिगत रहे थे.

नक्सलवादी विचारधारा और कार्यपद्धति में दीक्षित शंकर गुहा नियोगी ने एक हथियार बंद हमलावर दस्ते का निर्माण किया और संयंत्र के अधिकारियों, ठेकेदारों, इंटक के नेताओं और श्रमिकों के सहित प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों पर अक्सर कातिलाना हमला करवाते रहे. इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण लौह खदान के घाटी क्षेत्र में आतंक की स्थिति निर्मित हो गई और शंकर गुहा नियोगी के खिलाफ अनेक आपराधिक प्रकरण कायम होते चले गये. नियोगी पुलिस की गिरफ्त से बचते रहे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि अधिक दिनों तक गिरफ्तारी से बचे रहना असंभव है. अतः वे श्रमिकों के बीच अपनी गिरफ्तारी की संभावना का प्रचार करते हुये श्रमिकों को पुलिस के खिलाफ हिंसक संघर्ष के लिये उकसाते रहे और हमेशा श्रमिकों के बीच में ही रहने की कोशिश करते रहे, ताकि उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों और श्रमिकों के बीच हिंसक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की जा सके.

1 जून 1977 की मध्यरात्रि पुलिस ने शंकर गुहा नियोगी को यूनियन कार्यालय के सामने खुले मैदान में सोते हुये गिरफ्तार कर लिया. श्रमिकों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और वे अपने नेता की रिहाई की मांग लेकर हिंसक कार्यवाही करने लगे. श्रमिकों की हिंसक गतिविधियां रोकने और अपनी रक्षा के लिये पुलिस को गोली चलाने मजबूर होना पड़ा . इस गोलीकांड में अनेक श्रमिक हताहत हुये, किंतु श्रमिकों ने कुछ पुलिस कर्मियों को बंदी बना लिया और उन्हें अमानवीय यातनायें देकर जान से मार डालने की कोशिश करने लगे. बंदी पुलिस कर्मियों की जीवन रक्षा के लिये 2 जून 77 को पुलिस को फिर से गोलीचालन करना पड़ा. पुलिस की गोलियों से कुल 11 श्रमिक मारे गये. दल्लीराजहरा की सुरम्य लौह घाटी श्रमिकों के खून से लाल हो गई. श्रमिकों की इस कुर्बानी से लगभग 8000 श्रमिकों को तो कुछ भी हासिल न हो सका, अलबत्ता छत्तीसगढ़ के श्रमिक जगत में शंकर गुहा नियोगी का नाम चमकने लगा, जिसे गोलीकांड से पूर्व कोई जानता-पहचानता न था.

क्रमशः...3

इसके बाद से शंकर गुहा नियोगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनकी ख्याति में लगातार चार चांद लगते रहे. छत्तीसगढ़ को शोषण से मुक्त करने का दावा करने वाले शंकर गुहा नियोगी ने एक-एक कर, उन मूल छत्तीसगढ़ियों को और उनका समर्थन करने वाले जार्ज कुरियन जैसे अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों को नेतृत्व से अलग करने लगे और नेतृत्व में स्वयं के लिये चुनौती साबित समझने वालों से मुक्ति पाने का प्रयास करने लगे. अपने पिछलग्गू छत्तीसगढ़ियों की मदद से और अपने समर्थक हथियारबंद इ....वर ग्रुप के आतंक से उन्होंने बंशीलाल साहू का अध्यक्ष पद से हटाकर सहदेव साहू को अध्यक्ष बनाया. बाद में जब सहदेव साहू से उन्हें नेतृत्व पर खतरा महसूस हुआ, तब 1985 में सहदेव साहू को भी हटा दिया गया. सहदेव साहू तथा जार्ज कुरियन का राजनांदगांव में अपहरण किया गया और दल्लीराजहरा में उन पर कातिलाना हमले किये गये. मृत समझकर उन्हें बाहर फेंक दिया गया.

मूल छत्तीसगढ़ियों की नेतृत्व में चुनौती समाप्त करने के साथ-साथ शंकर गुहा नियोगी ने दल्ली राजहरा के ठेकेदारों से अंदरूनी सांठ-गांठ कर लिया और उनसे धन इकट्ठा करने लगे, यहां तक की उन्होंने ट्रक मालिकों का एक संगठन भी बना लिया. इसी बीच 1981 में शंकर गुहा नियोगी और सहदेव साहू को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में लगभग 1 माह तक जेल में बंद रखा गया था, तभी नियोगी पी.यू.सी.एल. के संपर्क में आये और बाद में यह संपर्क प्रगाढ़ होने लगी, अंततः वे स्वयं भी पी.यू.सी.एल. में शामिल हो गये. पी.यू.सी.एल. के प्रचार माध्यमों ने शंकर गुहा नियोगी को श्रमिकों के मसीहा के रूप में प्रचारित और स्थापित करना शुरू कर दिया. 1984 में बी.एन.सी. मिल्स राजनांदगांव के कपड़ा श्रमिकों ने इंटक और एटक से विद्रोह किया और शंकर गुहा नियोगी के प्रचारित छवि से प्रभावित होकर उनका नेतृत्व स्वीकार किया. बी.एन.सी. मिल्स में भी दल्ली राजहरा का इतिहास दुहराया गया. कपड़ा श्रमिकों को उग्र आंदोलन के लिये उकसाने में शंकर गुहा नियोगी एक बार फिर सफल रहे. श्रमिकों के मसीहा के रूप में नियोगी के प्रचारित छवि से समाजवादी विचारधारा के जनता पार्टी नेता और असंतुष्ट गुट के कांग्रेस नेता भी नहीं बच सके. राजनांदगांव में उन्होंने नियोगी को भरपूर सहयोग प्रदान किया. बी.एन.सी. मिल्स के हिंसक श्रमिकों को भी पुलिस गोलीकांड का शिकार बनना पड़ा. गोलीकांड से पूर्व दल्ली राजहरा के समान ही नियोगी स्वयं गिरफ्तार हो गये थे. राजनांदगांव में

पुलिस की गोली से 3 श्रमिक और आपसी संघर्ष में एक श्रमिक मारा गया. इस गोलीकांड और पी.यू.सी.एल. के प्रभाव से श्रमिकों के मसीहा के रूप में शंकर गुहा नियोगी को राष्ट्रीय ख्याति प्रदान किया. नियोगी के बनावटी छवि से अर्चना पॉटरीज और राजाराम मेज फैक्ट्री, राजनांदगांव के लगभग 750 श्रमिक भिलाई होटल, स्लैग डम्प, स्ट्रक्चरल फेब्रिकेशन, भिलाई रिफैक्टरीज प्लांट और एच.एस.सी.एल. भिलाई के हजारों श्रमिक भी प्रभावित होकर संघर्ष करके अपनी नौकरियां और रोजी-रोटी कुर्बान कर बैठे.'

आज तक शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में चला एक भी श्रमिक संघ संघर्ष सफल नहीं हो सका है. श्रमिकों की मुख्य मांगें कभी भी हासिल नहीं हो सकी है. नियोगी ने श्रमिकों के उग्र संघर्षों के लिये उकसाने और प्रेरित करने का कार्य अवश्य किया, किंतु मुख्य संघर्ष का स्वयं नेतृत्व करने से हमेशा बचते रहे और संघर्षों का दारोमदार संगठन के दूसरी कतार के नेताओं पर छोड़ दिया, ताकि असफलता का दोष उन पर डाला जा सके. दल्लीराजहरा और राजनांदगांव में गोलीकांड से पूर्व नियोगी गिरफ्तार रहे और छत्तीसगढ़ की भूमि छत्तीसगढ़ियों के ही रक्त से लाल होती रही, लेकिन श्रमिकों का मसीहा कुर्बानी देने वाले श्रमिक नहीं, बल्कि शंकर गुहा नियोगी जैसा गैर छत्तीसगढ़ी बन बैठा. इन लगातार असफलताओं के बावजूद छत्तीसगढ़ के श्रमिक शंकर गुहा नियोगी के प्रति आकर्षित होते रहे, इसका एकमात्र कारण है, श्रमिकों के मसीहा के रूप में उनकी प्रचारित छवि और एटक, इंटक और सीटू जैसे स्थापित राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रति श्रमिकों में उपजने वाले असंतोष.

श्रमिक संघर्षों में अपनी असफलताको छिपाने के लिये शंकर गुहा नियोगी ने श्रमिक नेता के साथ-साथ समाजसेवी के रूप में अपनी छवि बनाना शुरू कर दिया. दल्लीराजहरा में श्रमिकों तथा ठेकेदारों के धन से एक अस्पताल का निर्माण किया गया. इस कार्य में पी.यू.सी.एल. और ईसाई मिशनरियों का सहयोग भी लिया गया. दल्लीराजहरा क्षेत्र में शराबबंदी के लिये अभियान चलाया गया. पी.यू.सी.एल. के प्रचार माध्यमों ने इन कार्यों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया और शंकर गुहा नियोगी को विख्यात समाजसुधारक भी [illegible] दिया, लेकिन असलियत कुछ और ही है. शराबबंदी अभियान के बावजूद क्षेत्र में शराब की बिक्री लगातार

बढ़ती चली गई और शराब के ठेके हर वर्ष दो-तीन गुनी बढ़ती रही. नियोगी द्वारा शराबबंदी अभियान चलाने के पीछे मुख्य मकसद सिर्फ यह रहा कि शराब के ठेके की नीलामी में भाग लेने से अन्य ठेकेदारों को रोका जा सके और इस प्रकार प्रतियोगिता समाप्त करके सिर्फ अपने चहेते शराब ठेकेदार को कम राशि में ठेका दिया जा सके. स्वाभाविक है, इस मदद के लिये शराब ठेकेदार नियोगी को एक मोटी धनराशि प्रदान करे. इसी प्रकार नियोगी के आतंक से भयभीत होकर कोई भी बाहरी ठेकेदार दल्लीराजहरा के लौह खदानों में न तो टेण्डर-कोटेशन भरता है और न ही नीलामी में भाग लेता है. परिणामस्वरूप अयस्क उत्खनन और परिवहन के सभी ठेके अधिकतम लाभों में उन्हीं ठेकेदारों को मिलते रहे हैं, जिनके साथ नियोगी के मधुर संबंध, सांठगांठ और हिस्सेदारी है.

श्रमिकों के कथित मसीहा शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ के मुक्तिदाता के रूप में अपनी छवि निखारने के प्रति भी हमेशा सचेत रहते हैं. छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, आदिवासी जमींदार वीर नारायण सिंह की शहादत को चतुराईपूर्वक प्रचारित किया गया और नियोगी ने स्वयं को उनका उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया. शहीद वीर नारायणसिंह की स्मृति में ०० 19 दिसम्बर को शहीद दिवस के नाम से विशाल कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. पी.यू.सी.एल. से संबंधित अनेक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्तियों को इस अवसर पर आमंत्रित किया जाता है. इस प्रकार लाखों रुपये खर्च करके इस आयोजन और छत्तीसगढ़ के प्रति नियोगी के कथित दिखावटी प्रेम को प्रचारित किया जाता है.

श्रमिकों को हमेशा हिंसक संघर्षों के लिये उकसाने वाला नियोगी ०००००० स्वयं को अहिंसक और शांति प्रेमी प्रदर्शित करने के लिये और छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में भी अपनी छवि ०००००० विकसित करने के लिये इन दिनों 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती का भी दुरूपयोग करने लगे हैं. छत्तीसगढ़ के अघोषित राजधानी और पी.यू.सी.एल. के क्षेत्रीय मुख्यालय, रायपुर में इस दिन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और इससे संबंधित संगठनों द्वारा विशाल रैली और आमसभा का आयोजन किया जाता है. लगभग 500 ट्रकों तथा परिवहन के ०० अन्य साधनों द्वारा दल्लीराजहरा, राजनांदगांव तथा भिलाई सहित अन्य स्थानों के श्रमिकों को ढोकर रायपुर पहुंचाया जाता है. इस प्रकार इकट्ठा किये गये 10-15 हजार श्रमिकों की रैली और आमसभा का संयुक्त [illegible] आयोजन में भी पी.यू.सी.एल. की प्रमुख भूमिका रहती है और लाखों रुपये की राशि खर्च की जाती है. यह राशि मुख्य रूप से ठेकेदारों से वसूल की जाती

है. समाजसेवा के नाम पर पी.यू.सी.एल. को विदेशों से प्राप्त होने वाला धन भी इन आयोजनों में खर्च किया जाता है.

शंकर गुहा नियोगी के प्रचारित छवि के विपरीत वे श्रमिकों तथा छत्तीसगढ़ की भावना के सबसे बड़े शोषक ही अब तक साबित हुये हैं. छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी श्रमिकों को पी.यू.सी.एल., छत्तीसगढ़मुक्ति मोर्चा और शंकर गुहा नियोगी के चंगुल और शोषण से मुक्त कराने के लिये और छत्तीसगढ़ को उसका अधिकार, पहचान और सम्मान दिलाने के लिये इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ में बहुमुखी छत्तीसगढ़ी नेतृत्व के विकास के लिये छत्तीसगढ़ राज्य संग्राम परिषद्.और छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ का गठन किया गया है. ये दोनों ही संगठन पी.यू.सी.एल. के षड्यंत्रों को उजागर करने, उन्हें विफल करने और शंकर गुहा नियोगी के शोषक चरित्र को सामने लाने के लिये लगातार संघर्ष कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भिलाई इन दिनों संघर्ष का केन्द्रबिंदु बना हुआ है.

भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र, एच.एस.सी.एल. और भिलाई रिफ्रेक्टरीज प्लांट जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सैकड़ों छोटे-बड़े उद्योगों में लगभग 2 लाख श्रमिक काम करते हैं. अपने चरित्र के अनुरूप भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति, पूंजीपति और ठेकेदार श्रमिकों का भीषण शोषण करते हैं. श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन करते हैं और शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिये संगठित होने का प्रयास करने वाले श्रमिकों का दमन करते हैं. उन्हें इसमें शासन-प्रशासन दोनों का ही सहयोग मिलता है. इंटक, एटक और सीटू जैसे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें असरहीन साबित हो रहे हैं. स्वाभाविक है, भिलाई के औद्योगिक श्रमिकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है और वे निर्णायक संघर्ष के लिये उतावले हो रहे हैं. श्रमिकों की 000000000000 मनोदशा से वाकिफ शंकर गुहा नियोगी इस अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश में लगे हुये हैं. कुछ उद्योगों के श्रमिकों को भ्रमित करने में उन्हें सफलता भी मिल गई है. भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में नियोगी को स्थापित करने में ए.सी.सी. के जामुल सीमेंट फर्म के महाप्रबंधक अत्याधिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं. अपने संयंत्र के कुछ श्रमिकों को नियोगी की झोली में डालकर उन्होंने नियोगी की छवि निखारने और अन्य उद्योगों के श्रमिकों को उनकी ओर आकर्षित करने में उन्होंने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है. कुछ

छत्तीसगढ़ राज्य संग्राम परिषद् के महामंत्री श्री राजकुमार गुप्ता जो कि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं और तीन वर्ष पूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रह चुके हैं और श्री जार्ज कुरियन तथा श्री सहदेव साहू जो कि गुहा नियोगी के पूर्व सहयोगी होने के नाते उनके हर चाल से भिज्ञ हैं, के तीव्र विरोध के कारण भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में अपने प्रभाव जमाने में नियोगी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. भिलाई के औद्योगिक श्रमिकों के सामने नियोगी के शोषण का ए भांडा फूट चुका है और पी.यू.सी.एल. का षड़यंत्र भी बेनकाब हो चुका है. इस कारण श्रमिक उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इसके विपरीत भिलाई रिफ्रैक्टरीज संयंत्र के श्रमिकों की 8 अक्टूबर को एक दिवसीय हड़ताल का सफल ए नेतृत्व करने के कारण सर्वश्री राजकुमार गुप्ततथा जार्ज कुरियन के व्यक्तित्व में निखार आया है. इन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती के अवसर पर भिलाई में आयोजित रैली और आमसभा का स्थान परिवर्तित करने के लिये नियोगी को मजबूर होना पड़ा.

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा इस वर्ष शहीद वीर नारायणसिंह स्मृति समारोह, भिलाई में आयोजित करने की घोषणा की गई है, वे लाखों रुपये खर्च करके इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, किंतु भिलाई के औद्योगिक श्रमिक इस बात को अच्छी तरह समझ गये हैं कि नियोगी द्वारा यह भारी रुपये भिलाई ` उद्योगपतियों को भयभीत करने और उनसे रकम वसूलने की सौदेबाजी में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये की जा रही है और इससे श्रमिकों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है.

.....

अपराधिक रिकार्ड:- शंकर गुहा नियोगी, सी.एम.एस.एस. यूनियन

दल्ली राजहरा

क्रमांक	अपराध क्रमांक	धारा	नाम अपराधी
1.	37/79	147, 341, 323 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी कैम्प 1 राजहरा अन्य 6
2.	151/79	341, 147, 506 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 8
3.	68/82	144, 452, 341, 323-"-	शंकर गुहा नियोगी अन्य 9
4.	172/83	147, 341, --"--	शंकर गुहा नियोगी अन्य 12.
5.	182/83	147, 341, 294, 323	शंकर गुहा नियोगी अन्य 6
6.	120/84	341, 147, ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 6
7.	283/85	341, 147, ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 7
8.	336/85	341 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 4
9.	19/86	147, 148, 149, 341, 506, 323 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 25.
10.	20/26	363, 364, 120बी., 109 323 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 20
11.	54/86	294, 506, ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी.
12.	57/86	147, 148, 341 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 4
13.	79/86	506 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 1
14.	82/86	341, 147, 149 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 11
15.	83/86	341, 147, 149 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 13
16.	123/86	506 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 1
18.	145/86	341 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 1
18.	28/89	341 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी
19.	29/89	341 ता.हि.	शंकर गुहा नियोगी.
20.	4/77	151, 107, 16 13 जा.फौ.	शंकर गुहा नियोगी कैम्प राजहरा.
21.	7/77	107, 116 13 1 जा.फौ.	शंकर गुहा नियोगी अन्य 19
22.	[illegible]/79	---"---"---"---" ---	शंकर गुहा नियोगी अन्य 6
23.	10/79	---"---"---"---"-"--	शंकर गुहा नियोगी अन्य 6

क्रमशः....2....

18.11.91 (17) D-92/12

क्रमांक	अपराध क्रमांक	धारा	नाम अपराधी.
24.	15/80	107, 116(3) जा.फौ.	शंकर गुहा नियोगी अन्य-8
25.	30/82	107, 116(3) जा.फौ.	शंकर गुहा नियोगी अन्य-9
26.	1/82	---"---"---"---	शंकर गुहा नियोगी अन्य-20
27.	107/83	---"---"---"---	शंकर गुहा नियोगी अन्य-13
28.	117/84	---"---"---"---	शंकर गुहा नियोगी अन्य-18
29.	18/86	---"---"---"---	शंकर गुहा नियोगी अन्य-18
30.	121/86	107, 116(3) जा.फौ.	शंकर गुहा नियोगी अन्य-4
31.	23/89	---"---"---"---	शंकर गुहा नियोगी अन्य-9
32.	35/89	107, 116(3) जा.फौ.	शंकर गुहा नियोगी अन्य-30

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ के अन्य पदाधिकारियों/ कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित लगभग 104 अपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन

E-93

SEARCH LIST

DETAILS OF PROPERTY SEIZED BY POLICE OFFICERS ACTING UNDER THE PROVISION OF SECTION 103 OR 165 CRIMINAL PROCEDURE CODE.

1. Name of S.P.E. Branch: SIC-II, CBI/SPE, SIC-II, New Delhi
2. Crime No. & Section: RC-9(S)/91 CBI SIC II, SIC-II, New Delhi
3. Date and hour of search: 19-11-91, from 2:15 PM to 4:30 PM
4. Name and address of person whose house is searched: Shri Mool Chand Shah, Simplex Engineering and Foundry Works Ltd., 65, Industrial Estate, Bhilai
5. Name and address of witnesses present at search: (i) Shri S. K. Gooskar, Dy Manager (Vigilance), Bhilai Steel Plant, Bhilai; (ii) Shri ... Nair, Jr. Executive (Vigilance), BSP, Bhilai

No 96
Srl 167

Serial No. of each article to be taken ...	Description of articles used.	Description of place where articles seized was found.	REMARKS.
1	2	3	4
Photo Copy of the order sheet Cr Case No 524/88 by Chief Judicial Magistrate, Rajnandgaon and Photo Copy of the FIR No. 514/84 of Rajnandgaon from page ... Photo Copy of FIR No 14/84 ... and Photo Copy order sheet in Cr Case No. /84 of CJM, Rajnandgaon from page No. 09 to 19. Letter written by Shri Mool chand Shah to Hon'ble Home Minister, M.P regarding labour unrest ... Industrial Estate Bhilai. One piece of paper containing ...		Office chamber	U/s 165 of CrPC the office premises of Shri Mool Chand Shah situated at Simplex Engineering and Foundry Works Ltd, 65, Industrial Estate Bhilai has been searched in presence of the witnesses and Shri Mool Chand Shah himself during the period as mentioned above after having observed all the legal formalities. The documents mentioned at serial No 1 to 7 have been taken into police possession. No damage has been caused to the property or any person available in the office. The documents taken into possession have been signed by the witnesses. A copy of the ... has been given to Shri Mool Chand Shah.

102

1	2	3
(5)	Two pamphlets marked Reg. No. 22 & 23.	—do—
(6)	letter Abhilchand Jain, Advocate (Photo copy) regarding ... before High court of ... 11.9.91.	
(7)	Two Photographs of Sailendra ... Singh and ...	

N.B. - Thisform must be signed by witnesses.

* Articles seized, numbered and labelled should be attested by signatures of witnesses and Police Officers, Permanent marks such as cuts etc. must not be made.

Signature with dt. of the person (other than accused person) whose property is seized if present at the search.

Recd one copy

Signature and designation of Police Officer conducting the search.

Dated : Place :

Signature of Witnesses with date.

D-94

ORDER SHEET

न्यायालय मुख्य ...

गजनांदगांव (म० प्र०)

Date of order of Proceeding	Order or Proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Pleaders where necessary
[illegible]	[illegible]	
6-7	[illegible] 28/8/	

D-94

Serial No. and date of order or proceedings	Order or Proceeding with signature of Presiding Officer
28/8/86	शासन द्वारा कोई नहीं। अभियुक्तगण गैरहा०। अभियुक्तगण 400-400/- के जमानती वारंट से तलब हों। पेशी दि० 6-12-86 [illegible]
6/12/86	शासन द्वारा कोई नहीं। अभियुक्तगण गैरहा०। अभियुक्तगण 400-400/- के जमानती वारंट से तलब हों। पेशी दि० 24/12/86 [illegible]
24/12/86	शासन द्वारा कोई नहीं। अभियुक्तगण गैरहा०। [illegible] अभियुक्तगण के विरुद्ध पुनः 400/- 400/- [illegible] जमानती वारंट जारी हो। पेशी दि० [illegible] [illegible]
19/5/86	शासन द्वारा कोई नहीं। अभियुक्तगण अब्दुल जमानती वारंट अप्राप्त। अभियुक्तगण के विरुद्ध पुनः 500/- 500/- रु० का जमानती वारंट जारी हो। पेशी दि० 12.8.86 JMFC

D-94/2

Order Sheet [Contd.]

Date of order of Proceeding	Order Proceeding with signature of Presiding Office	Pleaders where necessary
18.8.86	शासन द्वारा कोर्ट नहीं। अभियुक्तगण अनुपस्थित। वारंट अप्राप्त। अभियुक्तगण के विरुद्ध पुनः मु० 500/- रु० का जमानती वारंट जारी किया जाय। आ० ति० : 2-12-86 BDKah	
2.12.86	शासन द्वारा कोर्ट नहीं। अभियुक्तगण अनु० वारंट अप्राप्त। अभियुक्त के विरुद्ध पुनः 500/- रु० का जमानती वारंट जारी किया जाय। आ० ति० 8.4.87	
8.4.87	शासन द्वारा कोर्ट नहीं। अभियुक्तगण मनूदा, हरीप्रसाद, अमरसिंह परदेशी, रामसिंह एवं बाबूलाल स्वतः उप० शेष आरोपी अनु०। अनुपस्थित आरोपी के विरुद्ध पुनः 500/- रु० का जमानती वारंट जारी किया जाय। आ० ति० 23.7.87	अमरसिंह बाबूलाल परदेशी रामसिंह हरीप्रसाद

Date of order of Proceeding	Order Proceedings with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
87	अभियोजन द्वारा श्री [illegible] आरोपी कुंजबिहारी, परदेशी, अमरसिंह स्वयं उप० आरोपी क्र० 2, 3 एवं 5 द्वारा श्री एल० पी० ठाकुर अधि०। श्री ठाकुर अधि० ने एक आवेदन पत्र आरोपी क्र० 2, 3 एवं 5 का हाजरी माफी हेतु पेश किया आवेदक उचित कारण होने से स्वीकार। आज आरोपी [illegible] अनुपस्थित आज आरोपीगण के विरुद्ध रु० 500/- 500/- रु० का जमानती वारंट जारी हो। अ० सा० आरोपीगण की उप० हेतु 26-11-87 [signature]	कुंजबिहारी परदेशी अमरसिंह [signature]

D. 5/1/

Order Sheet [Contd.] 3

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Pleaders where necessary
	31.8.87	
	बालमोहनाराम पुलिस द्वारा आरोपी कुलदतराव को गिरफ्तारी वारंट की पालनार्थ गिरफ्तार कर उसे पेश किया वारंट तामिल कर उसे जेल भेजा जाय।	
	मामूला प्रकरण के साथ	
	पेश दि० 14.9.87	
	पू०प्र०:	
	आरोपी के विरुद्ध धारा ... भा० द० स० का आरोप है जो जमानतीय है अतः आरोपी द्वारा 500/- रु० की जमानत एवं उतने ही राशि का मुचलका पेश करने पर उसे छोड़ा जाय।	
	आरोपी द्वारा जमानत पेश नहीं किया अतः उसे जेल भेजा गया।	
	पेश दि० 14.9.87	
	[signature]	
	14.9.87	
...9.87	शासन द्वारा कोई नहीं	
	आरोपी को अभिरक्षा से पेश किया	
	मूल प्रकरण के साथ दिनांक	

Date of Order or Proceedings	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	16-9-87 को [illegible] पेश। आ० दि० 16-9-87 (हस्ताक्षर)	
16.9.87	आरोपी [illegible] की ओर से जमानतदार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आ० दि० [illegible] 26-11-87 (हस्ताक्षर)	[illegible] केशवराव [illegible]
26-11-87	शासन द्वारा कोई नहीं। आरोपी क्र० 1, 10, 11, 12, 13 को छोड़ कर शेष हाजिर। [illegible] आरोपी क्र० 1, 10, 11, 12, एवं 13 के विरुद्ध पुनः 500/- 500/- रु० का जमानती वारंट जारी किया जाय। पे० ति० 7-3-88 (हस्ताक्षर)	[illegible]

Order Sheet [Contd.

Date of order of Proceeding	Order Proceeding with signature of Presiding Officer
13/5/88	शासन द्वारा कोर्ट ... अभियुक्तगण क्र० 2, 4, 5, 6, 8, 9 एवं 15 द्वारा ... हाजिर क्र० 10, 3, 11, 16, 14, ... 7 ... अभि० क्र० ..., 1, 12, 13 अनु० ... श्री ठाकुर अभि० की ओर से आवेदन पत्र हाजि० 2, 4, 5, 6, 8, 9 एवं 15 का ... आवेदन प्रस्तुत। आवेदन स्वीकार। अभि० क्र० 1, 12, 13 एवं के विरुद्ध 500/- 500/- रु० का जमानती वारंट जारी हो। बाद दि० 25/5/88
25/5/88	शासन द्वारा कोर्ट ... अभियुक्त 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 एवं 16 हाजिर तथा क्र० 7, 2, 6, 8, 11, 14, 13 द्वारा श्री ... के ... अभियुक्तगण क्र० 1, 12 एवं 13 अनु० ... [illegible] ... बाद दि० ... अभियुक्त क्र० 1, 12 एवं 13 का ... जारी ... आवेदन ... बाद दि० 11-...-88

Date of order of Proceeding	Order Proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of parties or Pleaders where necessary
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

*[illegible]-405-9 [illegible] 30[illegible]-9-86

[illegible]

[illegible] APP

[illegible]

[illegible] com

[illegible]

[illegible]

[illegible] com

D-5/4/5

2214

श्रीराम

[illegible]

[illegible]

·7-89	[illegible] 1, 6, 12 [illegible] [illegible] [illegible] 1, 6, 12 [illegible] [illegible] 5001 [illegible] [illegible] 13·5·89 [illegible]
3/9/89	[illegible] [illegible] 4, 6, 7, 10, 11, 13 [illegible] [illegible] 4, 6, 7, 10, 11, 13 [illegible] [illegible] [illegible] 12·11·89 [illegible]

[illegible]

D-96/6

Case [illegible]

ORDER SHEET—contd.

Date of order of proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Parties or pleaders where necessary
6/11/90	[illegible] [illegible] 1, 2, 5, 6, 8, 15 এবং 13 [illegible] [illegible] [illegible] 13 [illegible] [illegible] [illegible] 1, 2, 5, 6, 8, 15 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Kengkhu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5000/- [illegible] তারিখ 22-1-90. [signature]	[illegible signatures] 20/11/90
5-4-90	[illegible] [illegible] 13 [illegible] [illegible] [illegible] 13 [illegible] 5000/- [illegible] [illegible] 16-4-90 [signature]	

[illegible]GAON.

P.T.O.

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of parties or pleaders where necessary
[illegible]	[illegible] Chief Judicial Magistrate RAJNANDGAON	[illegible]
[illegible]	[illegible] Chief Judicial Magistrate, RAJNANDGAON.	[illegible]

D-94/7 (7)

Case No. [illegible]

ORDER SHEET—*contd.*

Date of order of proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of parties or pleaders where necessary
12-[illegible]	राज्य द्वारा [illegible] अभियुक्तगण 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 (?) 15 हाजिर हैं [illegible] अभि० 13 अनुप०। [illegible] अभियुक्त की ओर से हाजरी माफी का आवेदन पेश। [illegible] स्वीकार। अभि० क्र० 13 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistrate [illegible] [illegible]	लाडूलाल [illegible] [illegible] कुंजबिहारी परदेसी

3

राजनांदगांव

सी० के० त्रिपाठी

नौकरी (T.I.)

राजनांदगांव

२१-८-८४

राजनांदगांव

मैं नगर निरीक्षक की हैसियत से राजनांदगांव में [illegible] तैनात हूं। लगभग १½ माह से [illegible] हड़ताल चल रही है और [illegible] त्रिपाठी [illegible] मजदूरों को [illegible] मिल मजदूर [illegible] आतंकित [illegible] और [illegible] आंदोलन [illegible] राजनांदगांव [illegible] [illegible] त्रिपाठी [illegible] दिनांक २७-८-८४ [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक [illegible] राजनांदगांव [illegible] [illegible] नगर में [illegible] [illegible] राजनांदगांव [illegible] ११ बजे [illegible] राजनांदगांव [illegible] धारा १४४ [illegible] [illegible] पर [illegible] परन्तु [illegible] (१) [illegible] (२) [illegible] (३) [illegible] (४) [illegible] (५) [illegible]

(1) [illegible] (2) [illegible] (3) उदयराम [illegible]

(2) रामसिंह (3) [illegible] (4) मकुन्दराम [illegible]

(5) हरीप्रसाद [illegible] (6) [illegible] देवांगन (7) [illegible]

(8) रामेश्वर साहू (9) परदेशी साहू (10) सालिकराम

सामने [illegible] एक जुलूस [illegible] हाथ [illegible]

[illegible] लेकर नारेबाजी

करते [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] जुलूस

निकाला [illegible] परन्तु आगे [illegible]

[illegible] जबरदस्ती

जुलूस लेकर [illegible] की तरफ [illegible] धारा

144 [illegible] धारा [illegible]

द० प्र० [illegible] अपराध [illegible]

[illegible] गिरफ्तार [illegible] गिरफ्तारी [illegible]

[illegible]

[illegible] गिरफ्तारी [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

लिया गया।

[illegible]

31/8/81

12 Sheet

M.P. No. 25/2

Ex P3.

फोरम (प) २४.

विभाग [illegible]

जिला [illegible]

(म. प्र. पु. म.)

प्रथम सूचना प्रतिवेदन

थाना [illegible]	अपराध क्रमांक [illegible]	धारा 448, 384 [illegible]
नाम [illegible]	पिता का नाम [illegible]	जाति [illegible]
आयु 40 [illegible]	[illegible]	पेशा [illegible]
घटना की तारीख और समय [illegible]	घटना का स्थान [illegible]	थाने से दूरी और दिशा [illegible]
सूचना देने की तारीख और समय [illegible]	वह स्थान जहाँ सूचना दी गई [illegible]	

सूचना के शब्द

[illegible]

Seen
14/11/91

Gecken
19/11/91

D-15

Witness No. .... for ....

.... day of ....

State on affirmation .... my name is ....

son of .... occupation ....

address ....

आवाज़ द्वारा कोई नहीं।

अभि० श्रीचन्द्र जुहारीमोमी द्वारा श्री अभिनंदन राय की

रजि० के० बाबुर - अधिवक्ता।

अभियोजन साक्षी अनुपस्थित।

अभि० श्रीचन्द्र जुहारीमोमी की व्यक्तिगत अनुपस्थिति

माफ किये जाने बाबत एक आवेदन

अधिवक्ता श्री रजि० के० बाबुर ने पेश किया।

आवेदन पत्र सुना। आवेदन में वर्णित

कारण उचित प्रतीत होने से आवेदन स्वीकार

किया जाता है।

अभियोजन साक्षी शेष साक्षी तलब हो।

वास्ते साक्ष्य 13-12-90.

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

शुजालपुर.

[illegible]

[illegible]

12 Sheets

MR No 25

फॉर्म (ब) , ई.

MR No 25
2

Ex P3

प्रथम सूचना प्रतिवेदन

थाना [illegible] | अपराध क्र. [illegible] | धारा 448, 354, [illegible]

नाम [illegible] | पिता का नाम [illegible] | जाति [illegible]

आयु 40 साल | धंधा [illegible] | पता [illegible]

घटना की तारीख और समय [illegible] | घटना का स्थान थाने से दूरी और दिशा [illegible] उत्तर

सूचना देने की तारीख और समय [illegible] | वह स्थान जहां सूचना दी गई [illegible]

सूचना के शब्द

मैं [illegible] बी. एल. सी. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

19/11/91

19/11/91

[illegible]

[illegible]

COPY

[illegible]

RAJNANDGAON M.P.

GAPI—15 7,15,000 10-15

2-95/5

V—162
F.I(H)

पत्र से   गवाह पत्र नंबर

8/4/89 [illegible]

[illegible]

दि. 11/5/89

स्थानीय [illegible] राजनांदगांव.

11/5/89 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ऐडमिशन्स [illegible] लेख [illegible]

[illegible] तारीख [illegible]

[illegible] न्यायिक [illegible]
[illegible]

14-6-89	आदेश [illegible] / [illegible] / पीठासीन [illegible] पर होने से [illegible] [illegible] 10-8-89	[illegible]
10/8/89	[illegible] ... [illegible] जावे तथा [illegible] तारीख [illegible] 20/10/89	[illegible]

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
[illegible]

D. [illegible] 3/1 (Cr. 1025 /2)

20.11.89 | अभियुक्त [illegible]
[illegible] द्वारा उपस्थित।
[illegible] उपस्थित।
[illegible] उपस्थित।
[illegible]
[illegible]
[illegible] T.M. [illegible] किया।
[illegible]
प्रतीत होते [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 22.12.89

[signature]

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव

22.11.89 | [illegible] ए० पी० पी०
[illegible] उपस्थित।
[illegible] उपस्थित।
[illegible] देवाराम, [illegible] मोतीलाल
[illegible] उपस्थित। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[signature]

Margin notes: मुरतराम, जीवनलाल, नीलकंठ, शिवकुमार, देवाराम, जीवनलाल

(১৭)

D-15

ORDER SHEET

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
21/3/90	[illegible]	[illegible] 22/ [illegible]

D 15/3-B

[illegible]

[illegible] 14/2/90

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
राजनांदगांव,

14/3/90 से 1.15

शासन द्वारा ए.पी.पी. [illegible]

[illegible]

[illegible] 21/3/90 [illegible]

[illegible]

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
राजनांदगांव

ORDER SHEET

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding Officer	Signature of parties or pleaders where necessary
10	[illegible]	[illegible]

D 12 4

FORM No. ... H-2012

ORDER SHEET

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of parties or pleaders where necessary
১০	[illegible]	[illegible]

GRPI-385-7L-45M-1-62

U—158

Witness No. —

[illegible]

[illegible]

…प्रथम श्रेणी

… (मु०न०)

[illegible]

[illegible]

…श्रेणी

… (उ०प्र०)

[illegible]

11-158

[illegible]

২৭.৪.৯৮

[illegible]

২৫/৫/৯৮

GRPI-256-12L-10M-5-83

II—156

Order Sheet [Cont

Date of order of Proceeding	Order Proceeding with signature of Presiding C...	Pleaders where necessary
23/11/86	[illegible handwritten Hindi order] (पी. डी. वर्मा) अपर जिला मजिस्ट्रेट ... (म० प्र०)	[illegible signatures]
[illegible]	[illegible handwritten Hindi order] (पी. डी. वर्मा) अपर जिला मजिस्ट्रेट, ... (म० प्र०)	[illegible signatures]
16/5/86	[illegible handwritten Hindi order] ... 23-12-86	[illegible signatures]

D-95
8

(18)

Date of order or Proceeding	Order with Signature of Court	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	[illegible]	[illegible]
	24.10.86	
22.10.86	[illegible]	
	[illegible] 12.1.88	
12.1.88	[illegible]	
	[illegible]	

D-95/9

(पी. सी. पन्त)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
[illegible], (म० प्र०)

[illegible] आया कोई नहीं।
[illegible] श्री [illegible]

[illegible] आरोप [illegible] हेतु

[illegible] हेतु [illegible] 15-5-85

(पी. [illegible])
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
[illegible], (म० प्र०)

[illegible]
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
[illegible], (म० प्र०)

Cr. J. (II)

[illegible]

(पी. के. वर्मा)
[illegible]

[illegible] 23-1-[illegible]

[illegible]

KV-QR—13

D-91

(18)

(पी. के. वर्मा)
कार्यपालक अधिकारी, प्रथम श्रेणी
राजनांदगांव, (म० प्र०)

कार्यपालक अधिकारी, प्रथम श्रेणी
राजनांदगांव, (म०प्र०)

GRPI-145-6Babb-6-79

ORDER

IN THE COURT OF मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ...

... 19 ...

Versus

Date of order or proceeding	Order or Proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of parties or pleaders when necessary
[illegible]	[illegible]	[illegible] 28/9

[illegible]

११-८-२६

[illegible] के आगमन [illegible] हेतु [illegible] किया। [illegible] को १५००) [illegible]

[illegible]

MAHANADI... M.P

Date of order of Proceedings	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
6/12/88	[illegible] राजनांदगांव [illegible]	[illegible]

Hon'ble
~~Shri~~ Kailash [illegible]
Home Minister
Govt. of [illegible]
Bhopal.

D-96 (20)

Dear Sir

Sub: [illegible] unrest created by
[illegible] [illegible] [illegible]

With ref. to above we have explain[illegible] to you the [illegible] created unrest and inciting [illegible] activities of the Shri Shanker Guha Neogi.

He [illegible] created such a situation [illegible] local population and ~~[illegible]~~ willing workers are [illegible]

S[illegible] [illegible] [illegible] units

9-97 (2)

Mr. [illegible] [illegible]KAR RAI

(1) S/o [illegible] RAI.

[illegible] 1/A, Sector 22,

[illegible] Bhilai

Permanent [illegible]

Vill: [illegible]

P. [illegible]

Distt. [illegible] (U.P.)

Mr. [illegible] [illegible] PANDEY.

(2) [illegible] Pandey.

[illegible] [illegible] Mandir,

[illegible] P.O. [illegible] Bhilai

Permanent [illegible]

Vill: [illegible]

P. [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] (U.P.)

D-99

SEIZURE MEMO

CASE NUMBER	:	RC 9(S)/91 - CBI/SIC-II Delhi.
DATE & PLACE OF SEIZURE	.	[illegible]/11/91. Vigilance Department, Bhilai Steel Plant, Bhilai.
FROM WHOM SEIZED	:	Shri R.A.Dwivedi, Dy.Manager (Vigilance), Bhilai Steel Plant, Bhilai, Durg.
BY WHOM SEIZED	:	R.K.Shukla, Inspector of Police, CBI : SPE : JBALPUR, Camp : Bhilai.

PARTICULARS OF DOCUMENTS :

(1) Allotment order No.[illegible] dated 21.4.88 vide which quarter No.[illegible], situated at Labour Camp-I was allotted to Shri [illegible] Ram.

(2) Daily Present Report of Blast Furnace (Production) for dated 27.9.91 shows that the employee bearing token No.22900 did not attend the duty.

(3) Daily Present Report of Blast Furnace (Production) for dated 28.9.91 shows that the employee bearing token No.22900 attended duty in 'A' Shift.

(4) Master Attendance Register (MAR) for the month of September'91 of Blast Furnace (Production) shows that token No.[illegible] is allotted to Abhyay Kumar Singh and on 27.9.91 was his weekly rest day.

(5) Master Attendance Register (MAR) for the month of October'91 shows that Abhay Kumar Singh is absent from duty from [illegible].10.91.

[signature] 20/11

Signature
of person who
handed over.

[signature] 20/11/91

Signature
of Police Officer

'SUPURDNAMA'

The documents mentioned at Sl.No.4&5 have been returned to me on Supurdnama after taking thecertified photocopy of the page No.23 of both documents and I promise to keep the same under safe custody and produce before C.B.I. or Court as and when required.

[signature]

भि. इ. सं.

B. S. P.

संपदा विभाग ESTATE DEPARTMENT

आवंटन आदेश ALLOTMENT ORDER

E - 100 No 20544

आवंटी का विवरण
Particulars of Allottee

(1) नाम
Name

(2) पदनाम
Designation

(3) विभाग
Department

(4) वैयक्तिक संख्या
Personal No.

(5) वर्तमान वेतन
Present Pay

(6) वेतनमान
Scale of Pay

(7) संयंत्र में कार्य प्रारंभ की तिथि
Date of joining BSP

(8) वर्तमान आवास (यदि कोई हो)
Present accommodation (if any)
Qr. No. .... St. ....
Sector .... Type ....
Unit : Full/Half

आवास का विवरण
Particulars of Quarter

(1) आवास संख्या
Quarter No.

(2) सड़क संख्या
Street No.

(3) सेक्टर संख्या
Sector

(4) किस्म
Type

(5) इकाई : पूरा/आधा
Unit : Full/Half

(6) आवंटन तिथि
Date from which allotted

For the next one year no change of accommodation (better or equivalent) be allowed.

संपदा प्रबंधक
Estate Manager

P.T.O.

(CBI MRX1027)

9 ... No 2

PUNCHED D.101

1

2 sheets

दैनिक उपस्थिति प्रतिवेदन

Daily Presentee Report

BF/production

Date 27/9/91

No. of employees whose token Nos. are given below have collected their on duty ... in the Station.

Token No.	Token No.	Token No.	Token No.	Token No.	Token No.	Token No.
22711	22844				Add	
713	844				22871	
728	850				22818	
736	851				22823	
737	855				22804	
744	855				22807	
747	862				22812	
749	865				22817	
750	873				22819	
751	~~844~~				22821	
755	900				22829	
755	904				22827	
765	905					
768	907					323 + 15
771	954					155 + 7
819	957					256 + 17
832	987					257 + 12
841	981				Total ...	991
845					...	+ 51

Act 37

Data -1042

To. The Manager, Time Office

Time office No. ...

The above employees are present except the following:

1 —Token Nos. of ... not present as per the report of Time Keeper	— — —
2 —Token Nos. of the workers not included in the DPR but are present in the Shop. Add	(11) Eleven only
3 —Token Nos. of workers ...	

1 Total ... (47) Fourty Seven only

2 ... in the ...

3 ...

47 Nil —

(Prodn.) BF

[signature]

Vol./Sr. No. 3

CBI [illegible] No 27 / 3

PUNCHED D-101 / 2

[illegible] Steel Plant | [illegible] Daily Production Report | 003 TS-1

[illegible] BF/Production | Date 22/9/91

[illegible]

Token No.	Token No.	Token No.	Token No.	Token No.	Token No.	Token No.
22711	22851				Add	
728	855				22753	
736	859				22871	
737	862				22818	
741	865				22823	
744	871				22804	
749	~~875~~				22807	
751	900				22812	
~~752~~	901				22817	
755	904				22819	
~~764~~	905				22821	
765	906				22827	
768	907				22829	
814	957				22843	
839	981					
841	987					
844						
847					[illegible]	
850					Sign [illegible]	

To The [illegible]
[illegible]
The above [illegible]

1 — [illegible]	— — — —
2 — [illegible] Add	(13) thirteen only
3 — Token Nos. of [illegible]	

Total [illegible] (45) Fourty five only

[illegible]

[illegible]

(Produ) BF

198
45
243

sheets

ESZ
MR No 27
4

SEPTEMBER 1991 21

D-102/4

glory
16/11/06
Dharmendra Singh

POWERMAN PARTY 3235 1301 OPERTER 22 ...

C ... ... 5 ... C ... C C R C 3 ... 3 ... R 3

E/1 ... /PS 02/ ... /PS 07/ ... /PS 24/ ... /PS 13/ ... /PS 13/ ... /PS 19/ ... /PS 22/ ... /PS 22/ ... /PS 23/ ... /PS
25/ ... /PS 29/ ... /PS

12 12 2 ... 16 ... 5

नाम DARSANANAND TIWARI ... 143175 ... 3235 ... 1301 ... पद KHALSI ... P1 ... 22 706

दिनांक		2	3	4	5	6	7	8	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	22	23	24	25	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31
उपस्थिति	R	A	A	A	A	A	A	R	C	C	C	C	C	C	R	3	3	3	3	3	B	R	A	A	A	A	A	A	R	C	

C7/12761/P3

नाम ... A0FF ... CL ... PL ... SPCL ...

14 1 5 ... 1 ... 5

नाम JIT SINGH ... 143217 ... 3235 ... 1301 ... पद KHALSI ... P2 ... 22 705

दिनांक		2	3	4	5	6	7	8	9	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	21	22	23	24	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31
उपस्थिति	R	A	R	A	A	A	A	A	C	R	C	C	C	C	C	3	3	3	3	3	3	3	A	R	A	A	A	A	A	C	

27/13160/P6 29/17241/PS.

नाम ... A0FF ... CL ... PL ... SPCL ...

26 2 4 ... 7

नाम ABHAYA KUMAR SINGH ... 143213 ... 3235 ... 1301 ... पद OPERTER ... P4 ... 22 706

दिनांक		2	3	4	5	6	7	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	22	23	24	25	26	[illegible]	[illegible]	29	30	31
उपस्थिति	R	A	A	A	A	R	A	A	C	C	T	C	R	C	C	3	3	3	3	R	B	3	A	A	A	A	R	A	A	C.	

आर्ड ... वर्ग

E1/ /PS 02/ /PS 07/ /PS 24/ /PS 25/ /PS 10/ /PS 08/ /PS 29/ /PS 13/ /PS 12/ /PS
14/ /PS 15/ /PS 16/ /PS 17/ /PS 13/ /PS 17/ /PS 21/ /PS 22/ /PS 23/ /PS 24/ /PS

मासिक ...

(CB) [illegible]

मस्टर रोल (MAR) [illegible] 1991 [illegible]

D-102/2

नाम [illegible] वैयक्तिक संख्या 1431?5 बिल नं. 3235 इन्सेंटिव 1301 पद KHALASI टोकन [illegible]

दिनांक	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
उपस्थिति	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	A	[illegible]	A	A	A	[illegible]	A	C	C	C	C	C	[illegible]	2	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कार्ड आवर्त																															

कार्यकारी भत्ता 21/22???/95

मासिक सारांश

कुल	[illegible]	NOPR	CL	PL	SPCL	ELW	CML	HPL	ECL	ABS	SH	EW	NBA	OTH	विशेष टिप्पणी / [illegible]
25	1	[illegible]		2								//	1		

नाम JAI SINGH वैयक्तिक संख्या 143217 बिल नं. 3235 इन्सेंटिव 1301 पद KHALASI टोकन 92 टोकन 22905

दिनांक	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
उपस्थिति	[illegible]	2	2	2	2	2	1	[illegible]	3	3	1	3	3	A	[illegible]	A	2	A	A	A	C	[illegible]	C	C	2	C	C	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कार्ड आवर्त																															

कार्यकारी भत्ता 05/23139/95

मासिक सारांश

कुल	[illegible]	NOPR	CL	PL	SPCL	ELW	CML	HPL	ECL	ABS	SH	EW	NBA	OTH	विशेष टिप्पणी / [illegible]
24	1	5		2								1	1		

नाम [illegible] KUMAR SINGH वैयक्तिक संख्या 143213 बिल नं. 3235 इन्सेंटिव 1301 पद OPERATOR टोकन 94 टोकन 22906

दिनांक	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
उपस्थिति	/	2	2	3																											
कार्ड आवर्त																															

कार्यकारी भत्ता

मासिक सारांश

कुल	[illegible]	NOPR	CL	PL	SPCL	ELW	CML	HPL	ECL	ABS	SH	EW	NBA	OTH	विशेष टिप्पणी / [illegible]
1		1		1						23		//	1		

नाम RAVINDRA PRASAD वैयक्तिक संख्या 143212 बिल नं. 3235 इन्सेंटिव 1301 पद KHALASI टोकन 91 टोकन 22907

दिनांक	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
उपस्थिति	3	2	3	3	3	2	3	A	A	G	[illegible]	3	2	G	[illegible]	A	[illegible]	A	[illegible]	2	G	G	G	G	G	G	2	3	G		[illegible]
कार्ड आवर्त																															

कार्यकारी भत्ता

मासिक सारांश [illegible]

Seizure memo. D 103

1. Case No. — RC 9(S)/91-STU.V/CBI/SIC/SIC II, N. Delhi, u/s 302 IPC and Section 25/27 Indian Arms Act.

2. Date & place of Seizure — 20-11-1991
M/s Badruddin Samsuddin & Sons, Sadar Bazar Raipur (M.P.)

3. From whom seized. — Sh. Zaheeruddin, partner M/s Badruddin Samsuddin & Sons Sadar Bazar Raipur (M.P.)

4. By whom seized. — R.S. Dhankher, Dy. S.P./CBI/SIC-II N. Delhi c. at Raipur

Particulars of documents seized.

1. Daily sale register of arms/ammunition of M/s Badruddin Samsuddin & Sons Sadar Bazar Raipur for the period 1-4-91 to 20-11-91 containing printed sheets serial no. 1 to 100. Sheets from S. no. 1 to 45 written rest blank.
2. Stock register of arms/ammunition of M/s Badruddin Samsuddin & Sons containing printed sheets from S. N. 1 to 100. Sheets from S. No. 1 to 62 are written showing sale from 1-4-89 to 19-11-91.
3. Cash Memo book no. 2 of M/s Badruddin Samsuddin & Sons for the period 13-9-91 to 16-10-91 containing carbon copies of cash memo nos 201 to 400 only.
4. Bill no. 56/91 dt 23-7-91 of M/s Dewas Arms, Ammunition Dealers, Jai Prakash Marg Dewas (M.P.) regarding sale of 150 cartridges of 12 bore ELEY B.B. England make to M/s Badruddin M. Samsuddin Raipur.
5. Carbon copy of letter dt 18-7-91 of Sh. Zaheeruddin addressed to Farhanuddin Bhai, Ujjain Arms agency supply of medicinal accessories. (Handicrafts)

Zaheeruddin
(R.S. Dhankher) 20/11/91
R.S. Dhankher,
Dy. SP/CBI/N. Delhi

Dhankher
20/11/91

Received copy of seizure memo dt. 20/11/91

D-104

Date	Particulars	Ref.		No.	Remarks
12/8/91	Shri [illegible] S/o [illegible] Bahadur Singh, [illegible] P.S. [illegible]	F.I.R. III [illegible] 31 [illegible]		6	[illegible]
"	[illegible] (Hindi)	[illegible] 88/III/R/88 31-12-93		15	[illegible]
13-9-9[illegible]	[illegible] (Hindi)	[illegible] 9122 [illegible] 31-12-93		[illegible]	[illegible]
"	[illegible] (Hindi)	[illegible] 95/36 [illegible] 31-12-93		10	[illegible]
20/6/1110					K. S. Shukla
16/9/91	Shri [illegible] S/o Bhabuti [illegible] Singh [illegible] Bazar [illegible] P.S. Kotwali [illegible]	F.I.R. III [illegible] 31-12-93		5	
"	Shri Shyam Narayan Singh S/o Ram Nagina Singh of Sungerka P.S. Sikandarpur Dist Balia (U.P.)	F.I.R. III Cr. 2260 / 31L P.S. Sikandarpur 31-12-92		13	[illegible]
"	Shri Birendra [illegible] Singh S/o Ramdhari Singh R/o B.C. Company [illegible] P.S. Jamal [illegible]	F.I.R. III/91 31/12/93	and SBBL Gun No. 44366 Bharat Small Arms	5	[illegible]

D-104

Date	Name / Address	Form	Amount	Signature
20/10/51	Shri Lal Singh S/o [illegible] Chhain Singh [illegible] 31.12.53	Form III	10	[illegible]
"	Shri Ashok Kumar Sharma S/o [illegible] Sharma [illegible] 31.12.52	Form III	10	A. Sharma 1/10/91
"	Shri Mangal Singh Kadam S/o Shri Mangal Singh Kadam [illegible] 31.12.53	Form III	5/100	[illegible]
20/10/51 2/10/51	Shri [illegible] S/o [illegible]	Form III 31.12.53	5	J. [illegible]
"	[illegible]		50	[illegible]
"	[illegible] 3-12-91	III/68	5	[illegible]
20/10/51	[illegible] 31-12-93	III		
3/10/51	Shri Khemraj S/o Bhagwat [illegible] P.S. [illegible] 31.12.93	Form III	10	[illegible]
"	[illegible] 31-12-91	III	7	[illegible]
3/10/51	Shri [illegible] Tripathi [illegible] P.S. [illegible] 31/12/93	Form III	10	[illegible]
"	[illegible] 31-12-92	III/69	10	[illegible]
	Shri Willson Joseph S/o [illegible]	Form III	1	Willson Joseph

D-105 4 sheets

Date	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/6/51	Balance	35 / 35	56	2	067	567	13020	6577	19/200	140/065	7
13/6/51	Sold	1	.	.	.	.	.	5	/200	.	.
13/6/51	Balance	34	56	2	067	567	13020	6572	19/200	140/065	7
14/6/51	Sold	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.
	Balance	34	56	2	067	567	13020	6507	19/200	140/065	7
15/6/51	Sold	.	.	.	.	.	.	30	1/-	/100	.
	Balance	34	56	2	067	567	13020	6477	18/200	140/065	7
17/6/51	Sold	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.
	Balance	34	56	2	067	567	13020	6467	18/200	140/065	7
18/6/51	Sold	.	.	.	10	.	.	90	.	.	.
	Balance	34	56	2	057	567	13020	6377	18/200	140/065	7
15/6/51	Sold										

20/6/91	Sold							10	1/750	1/200	-	
	Balance	34	56	2	832	567	12555	6322	17/350	139/115	7	D-105
21/6/91	Sold	1						34				
	Balance	33	56	2	832	567	12555	6288	17/350	139/115	7	
22/6/91	Sold							6				
	Balance	33	56	2	832	567	12555	6202	17/350	139/115	7	
23/6/91	Sold							15				
	Balance	33	53	2	[illegible]	[illegible]	12555	6267	[illegible]	[illegible]/115	7	Checked [illegible]
26/6/91	Sold	1	1					35	1/150	/25		
	Balance	32	55	2	832	567	12,555	6232	17/200	139/050	7	
28/6/91	Sold	1					50	32	1/250	/025		
	Balance	31	55	2	832	567	12505	6200	17/050	139/065	7	
29/6/91	Sold						50	35	1/1kg	/200		
	Balance	31	55	2	832	567	12455	6165	16/050	138/115	7	
1/7/91	Sold				10			.50				

D-105

Date	Receipt Stock & Disposal	Rifle	.32 [illegible]	.38 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.22 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7/5/51	Sold					7			40			
	Balance		37	47	2	767	517	12,450	5031	3/500	123/230	7
9/5/51	Sold								10			
	Balance		37	47	2	757	517	12,450	5021	3/500	123/230	7
10/5/51	Sold					10		25	2	350	135	
	Balance		37	47	2	757	517	12,425	5019	3/150	123/095	7
11/5/51	Sold								20			
	Balance		37	47	2	757	517	12,425	4999	3/150	123/055	7
12/5/51	Sold								21			
	Balance		37	47	2	757	517	12,425	4978	3/150	123/055	7
13/5/51	Sold								10	1/200	030	
	Balance		37	47	2	757	517	12,425	4968	2/950	123/025	7
14/5/51	Sold		1						23		105	
	Balance		36	47	2	757	517	12,425	4945	2/950	123/025	7
[illegible]	Sold					5			13			

	Balance	30	93	2	697	517	12335	4453	21/500	122/035	=
3.9.91	Sold							41	-/750	1/035	
	Bal	30	93	2	697	517	12335	4412	20/650	121/-	=
1				5				20			
		30	93	2	692	517	12335	4392	20/650	121/-	=
2.9.91	Sold							60			
	Balance	29	93	2	692	517	12335	4332	20/650	120/-	=
3.10.91	Sold							38			
	Balance	29	93	2	692	517	12335	4294	20/650	120/-	=
4.10.91	Sold	1					10	90			
	Balance	28	93	2	692	517	12325	4204	20/650	120/-	=
5.10.91	Sold							85			
	Balance	28	93	2	692	517	12325	4119	20/650	120/-	=
7.10.91	Sold		1				90		-/900	-/100	
	Balance	28	92	2	692	517	12235	4119	19/750	119/150	=

Page 70 | 57 | D-105

R- 1.5 / 4

glam 3

No. 206 CASH MEMO Date 14-9-91

Badruddin M. Shamsuddin & Sons

ARMS AMMUNITION DEALERS

Sadar Bazar, R A I P U R (M. P.)

D-106 CBI/MP: Shri [illegible]

CM 11-205/98

2 x BB2 [illegible]
44844

5 x 2 [illegible]
1 x [illegible] Kit
1 x [illegible]
1 x Butt [illegible]

550/-

550/-

C.S.T.No.RYP-1-XXXIII-88-C S.T.No.RYP-1-XXXIII-36

REG/5/96 Ptim. 4 CBE MR No 28

देवास आर्म्स

आर्म्स एमूनेशन डिलर्स No. DWS 10?

जय प्रकाश मार्ग, देवास (म. प्र)

क्रमांक 56/91 D-107 दिनांक 23/7/91.

श्रीमान Badruddin s/o Shamshuddin A/A Dealer

गांव RAIPUR जिला RAIPUR लायसंस नं Ex. No. 1/91

विवरण	तादाद	भाव	रकम रुपये	पैसे
One hundred fifty Cartridges 12 Bore Eley B.B England.	150	35/-	5250	=00
			5250	=00

फार : देवास आर्म्स

D-108

SEIZURE MEMO

Case: RC 9(S)/91 SIU X/CBI/SIC II/N Delhi

Place of Seizure: Syndicate Bank of Chandra Maurya Cinema Complex, Bhilai, Durg.

Date of Seizure: 22.11.91

By whom seized: R.K. Shukla, Inspector of Police, CBI: Jabalpur

From whom seized: Shri P. Venkatesh, Branch Manager, Syndicate Bank, Bhilai, Durg.

Description

1. One A/c opening form of A/c No. 5405 dated 4.10.91 in the name of Gyan Prakash Mishra.
2. One Specimen Signature card of A/c No. 5405 dated 4.10.91 in the name of Gyan Prakash Mishra.

[signature] 22/11
Signature of person from whom seized

[signature] 22/11/91
Signature of Police officer

Recd one copy

[signature] 22/11

(0302 × 1099) 1-101

सी.एस./DF - 116 (ओ.जी./OG - 14) 100 × 5000 Pads/5 - 90/001

सेवा में/To, प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/The Manager/Chief Manager सिंडिकेट बैंक/SYNDICATE BANK Bhilai	बचत बैंक/चालू खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र – व्यक्ति/समूह APPLICATION FOR OPENING OF A SAVINGS/ CURRENT ACCOUNT – INDIVIDUALS/JOINT	खाता सं. @ Account No. 5405

दिनांक/Date 24-10-91

प्रिय महोदय/ Dear Sir,

1. मैं/हम आपके बैंक की बहियों में अपना बचत/चालू खाता खोलना चाहता हूँ/हैं। बचत/चालू खाते से संबंधित प्रचलित बैंक के नियम और विनियमों को पढ़कर मुझे/हमें समझाया गया है, मैंने/हमने उन्हें समझ लिया है और मैं/हम ऐसे खातों के प्रचलित, बैंक के नियमों का पालन करने तथा उनसे आबद्ध रहने के लिए एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं। मैं/हम एतद्द्वारा रु. (रुपये) प्रारंभिक जमाराशि के रूप में प्रेषित करता हूँ/करते हैं।

I/We request you to open in my/our name/s Savings/Current Account in the books of the Bank. The rules and regulations of the Bank pertaining to Savings/Current Account which are in force now, have been read by me/us/read over and interpreted to me/us and I/we have understood the same and I/we agree to abide by and to be bound by the Bank's rules for the time being in force for such accounts. I am/we are remitting here with as my/our initial Deposit Rs. Rupees).

2. मेरा/हमारे पता/पते और अन्य विवरण नीचे दिया गया है/दिये गये हैं : My/our name/s, address/es and other particulars are given below:

जमाकर्ता का नाम (अवयस्क होने के मामले में अभिभावक का नाम भी उल्लेख करें) Name of Depositor/s (In case of Minor mention Guardian's name also)	जन्मतिथि यदि अवयस्क हो तो Date of Birth, if Minor	व्यवसाय Occupation	अनिवासी विदेशी जमाकर्ताओं के संबंध में भारत तथा विदेश के पूरे पते पृथक दूरभाष संख्या यदि हो तो, Full Address in India and Overseas Address in case of (NRE Depositor/s) with Telephone Nos. if any
Gagan Mishra		Business	Baba Alla Chakki Chaufta Bhilai

3.क) * फिलहाल मैं/हम किसी अन्य बैंक/शाखा में किसी ऋण सुविधा का उपयोग नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं। जब कभी अन्य बैंक/शाखा से ऋण सुविधाएँ उपलब्ध करता हूँ/करते हैं आपको सूचित करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

a) * At present I/we am/are not enjoying any credit facility with any other Bank/Branches. I/We undertake to inform you as and when Credit facilities are availed by me/us with other Bank/Branches.

ख) * अन्य बैंक/शाखाओं से मैं/हम फिलहाल निम्नांकित सुविधाओं का उपयोग कर रहा हूँ/रहे हैं।

b) * At present, I/we am/are enjoying the following facilities with other Banks/Branches.

बैंक/शाखा का नाम Name of the Bank/Branch	सुविधा का स्वरूप Nature of facility	मूल ऋण/सीमा Original Advance/Limit	बकाया शेष Balance Outstanding	प्रतिभूतियाँ Securities
		/		
		/		

4. संयुक्त खातों के मामले में
IN CASE OF JOINT ACCOUNT

4.1 हम आपसे अनुरोध करते हैं और आपको प्राधिकृत करते हैं कि इसके विपरीत हम में से किसी के लिखित रूप में नोटिस देने तक हम में से .... द्वारा हमारी तरफ से संयुक्त और/या पृथक रूप से हस्ताक्षरित सभी चैकों, जारी किये गये अन्य आदेश, स्वीकृत विनिमय-पत्र या वचन-पत्रों को सकारें और ऐसे चैकों को आपके पास रखे हमारे खाते में नामे डालें चाहे उस समय उस खाते में जमाशेष हो या अधिक आहरण हो। हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि हमें प्रदेय चैक, आदेश, बिल या वचन पत्रों पर हम में से .... के संयुक्त और/या पृथक रूप से पृष्ठांकन को भी मान्य करें।

We request and authorise you, until any one of us shall give you notice in writing to the contrary, to honour all cheques or other orders drawn or Bills of Exchange accepted or notes made on our behalf signed by ....of us jointly and/or severally and to debit such cheques to our account with you whether such account be for the time being in credit or overdrawn. We also request you to accept the endorsement of .... of us jointly and/or severally on Cheques, Orders, Bills or notes payable to us.

4.2 अपने खाते के हिसाब में आपके कमीशन, ब्याज तथा अन्य प्रभार सहित किसी समय आपको देय राशि के लिए हम संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से आपके प्रति देनदार होने के लिए वचनबद्ध हैं।
We undertake to be jointly and severally liable to you for any moneys for the time being owing to you on the account including your commission, interest and other charges.

4.3. हम में से किसी की मृत्यु, दिवालियापन या खाते से हट जाने पर उस समय और उसके बाद आपके पास जमा हमारे खाते में रखी सभी राशियों पर उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों का पूरा अधिकार रहेगा और उस स्थिति में खाते का परिचालन करने या उसे समाप्त करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा।
In the event of the death, insolvency or withdrawal of any of us, the survivor/s of us shall have full control of any moneys then and thereafter standing to our credit in our Account with you, and in that event the survivor/s will have full powers to operate the Account and/or to close the account.

* जो लागू नहीं उसे काट दें/Strike out if not applicable

@ केवल बैंक के उपयोगार्थ/For BANK USE only

5 नामांकन (यदि आवश्यक न हो तो मद 5.1 और 5.2 काट दें)
NOMINATION (Strike out items 5.1 & 5.2 if not required)

5.1 मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु के संदर्भ में आपके पास खोले गये मेरे/हमारे खाते में स्थित जमाराशि की रकम को वापस पाने के लिए मैं/हम निम्नांकित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ/करते हैं।
I/We nominate the following person to whom in the event of my/our/minor's death the amount of the deposit outstanding in my/our account, opened herewith, may be returned by you.

नामिती का नाम और पता Name and Address of the nominee		आयु/Age
जमाकर्ता/ओं से संबंध यदि कोई हो Relationship with the depositor/s, if any	जन्मतिथि यदि नामिती अवयस्क हो Date of Birth if nominee is minor	

5.2 * चूंकि नामिती इस तारीख को अवयस्क है और उस नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु के संदर्भ में नामिती की तरफ से जमाराशि प्राप्त करने के लिए, मैं/हम/श्री/श्रीमती/कुमारी ....
लगभग .... की आयु, निवासी, ... को नियुक्त करता हूँ/करते हैं।
* As the nominee is a minor on this date, I/we appoint Shri/Smt/Kum ....
aged .... years, residing at ....
to receive the deposit on behalf of the nominee in the event of my/our/minor's death during the minority of the nominee.

6 मैं/हम अपना/अपने और मुझसे/हमसे उपर्युक्तानुसार प्राधिकृत व्यक्ति/यों के नमूना हस्ताक्षर संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं।
I/We enclose specimen signature card/s of mine/us/of the person/s authorised by us above.

7. केवल अनिवासियों के मामले में
IN CASE OF NON-RESIDENTS ONLY

मुझे/हमें .... को ....
से जारी किया गया/किये गये पारपत्र की संख्या/ऐं ....
है/हैं। स्थायी रूप से आवास करने हेतु मेरे/हमारे भारत लौटने पर तुरंत विदेशी विनिमय नियंत्रण विनियम के अंतर्गत अपेक्षितानुसार सूचित करने के लिए मैं/हम वचनबद्ध हूँ/हैं।
My/our Passport No/s is/are .... issued at .... on ....
I/We also undertake to intimate you about my/our return to India for permanent residence, immediately on My/our return, as required under Exchange Control Regulations.

अंगूठा निशान को दो व्यक्तियों से अनुप्रमाणित कराना चाहिए
(नाम और पते भी दर्शाएं)
Thumb Impressions shall be attested by 2 persons
(Furnish names & addresses also)

भवदीय, Yours faithfully,

1. .... [illegible signature] ....
2. ....

जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर/Signatures of Depositor/s

* नामिती यदि अवयस्क न हो तो इस मद को काट दें/Strike out if nominee is not a minor.

टिप्पणी : 1 [illegible]
2 [illegible]

NOTE : 1 Where a deposit is made in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.
2. In case of NRI Deposit Accounts, please note that notwithstanding the fact that this deposit is freely repatriable during your life time, repatriation proceeds to the nominee would be subject to the approval of the RBI and the relevant EC regulations in force from time to time.

किसके द्वारा परिचय कराया गया/INTRODUCED BY	केवल बैंक के प्रयोग के लिए FOR BANK USE ONLY
मैं/हम पिछले .... वर्षों से जमाकर्ता को जानता/ते हूँ/हैं I/We,know the Depositor since .... years	
नाम/Name (1) [illegible]	परिचायक के हस्ताक्षर का सत्यापन किया और ठीक पाया Signature of introducer verified and found in order
हस्ताक्षर और दिनांक Signature & Date [illegible]	
पूरा पता या खाता सं. एवम् टेलीफोन संख्या यदि हो तो, Full address or A/c No. and Telephone No. if any 4125	दिनांक : 4/10/91 Date :
नामांकन पंजीकरण संख्या एवं दिनांक Nomination Registration No. and Date	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory

खाता सं.
Account No. 5405

विशेष सहायक/सहायक प्रबंधक/Spl. Asst./Asst. Manager

उप-प्रबंधक/प्रबंधक/Sub-Manager/Manager

(MRNC 99) RC 3/(S)/G/.SIU.K/EOS/5?

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK

विशेष अनुदेश Special Instructions	Gyan Mishra	खाता संख्या Account No.	5405
खातेदार का नाम Name of the Account Holder	Gaijan Mishra		
व्यवसाय/Occupation	Business Contractor		
पूरा पता Full Address.	Baba Atta Chakki Bhilai, Mangal Chandra Complex Ajeet Nagar		
अवयस्क की जन्मतिथि Date of birth of Minor		गठन Constitution :	Individual
हस्ताक्षरकर्ता का नाम Name of the Signatory		खाता संख्या Account No.	5405
नमूना हस्ताक्षर Specimen Signature	1. ज्ञान मिश्रा 2. ज्ञान मिश्रा		[signature]
शाखा/ Branch	BHILAI	दिनांक/Date 4-10-01	प्रबंधक/Manager

D.F. 157/100 × 7200 Pkts.97 · 90/001

1 – 110

D-111

Memo:

Case No. : RC 9(S)/91-SIU-V, CBI, SPE, SIC-New Delhi u/s 120B, 302 IPC & 25/27 Arms Act

Date of taking over: 22-11-1991, at MIG-II/273 Hudco Bhilai

From whom taken over: Sh. Basant s/o Sh Ram Parshad Officer-in-charge CMM MIG-II/273 Hudco, Bhilai (MP)

By whom taken over: B-S. Kanwar DSP/CBI/SIC-II New Delhi

Particulars

I. Seven sheet of papers written in English (except a few words in Hindi). Two sheets are in Blue Ink and five sheets in Red ink. All the sheets have been initialled with date by Sri Basant

II. One bunch of papers containing seven sheets regarding workers of Chhatisgarh Distillery. All the sheets have been initialled with date by Sh Basant.

Taken over
B.S. Kanwar
22/11/91
DSP

Handed over
[illegible]
22/11/91

7 Sheets Chairman $\frac{D-112}{1}$ H. B Shah REG(8)/9/5/IR/DCBF

(1)

Son of H. B. Shah — Nabin (2 unit of Casting) — Malchand (Eng. I & II) — $\frac{OBISTAR 3-0}{1}$ Arvind Shah Sangam, Eng. III, Project Finance

22/11/91

Simplex Engineering & Foundry

Unit I & II, III
Ecosi, Urbgalle, Terasaka

Simplex Casting I & II

Urla, Nandini
II, I

Sangam Forging

Teresuh

Simplex metal

Hemant Shah

Terasara

Malchand
Nabin
Mahesh (Eng)
Chandrakant
Deepak

Arvind
Mahendra
21/1/91

General manager
marketing
Financing
Prasanna Shah (E.I)

Three Offices (…) D-112/…

1. Delhi 2. Calcutta (Prasanna)

3. Bombay (4) Madras

(Hemant Shah)

300% to 500%

above … कमा लेता है।

'84/85 - one crore

'81 - now 75 crore

Contraction

M/c Rs. 1000 to Rs. 2500

Fabrication Rs. 2000 to Rs. 4000

Tarakeshwar

Ram … - 15 - 20

Fabrication / Prakash

Prasad

Radheshyam

(DR 30 / 1) 27/11/91 (3) | D-112 / 3

22

Victimised

12 +2

6 ware house

5. bottling

10+2 / +2 (K)

1. factory

41-40

= 12 total victimised

11

Plant 100

400

bottling - 200 300

ware 62

boiler - 90 / 30 120

55

Medium

1. Ram Ekbal Misra / Misra Eng works

2. Sulpak

3. Jashwant

4. Biswa Bishi

5. Rama

6. Jagmohan

Ch Rana

Black Prince Rs. 90 (
Silver neutral
alcohol
D-112
Diplomat
Red Indian
Bacardi
Palm beach 25 u.p
under proof.
Indian
Mo

D.M. water
de mineralised water

80 bricks times

sp gravity - 10.75 → 1035
1040

baker east.
Culture east | Ferment

7% alcohol
1 ton of molasses
240 litre spirit
10,000 lit → 700 lit / hour
that costs around Rs 20
× 3 shift
2000 lit / day.
5600 × 3
69 O.P
overproof
16800 lit + 17500 water
150 lit spirit + 185 lit water
Rs 4.50 / lit
32 thousand litre
Rs 16.00
Spent wash

(HAB/5) 22/11/91 (5) D-11/5

When alcohol is oxidised
acetaldehyde $\xrightarrow{KMnO_4 + Hg(SO_4)}$ oxidise
→ acetic acid
Catalyst : silver net

1 Kg coal – 1½ – 2 Kg steam

8 hrs – 10 tonnes

(one lakh litres) – 12 lakh

60,000
70,000
80,000 litre

Baker – 8 Kg to 9 Kg

Spentwash
fermented wash →
ethane gas (smelled)
40% + 60% coal

De-naturing spirit:

(MR 30/1) 22/11/97 (6) D-112/6

O.D.S (ordinary)

- Caoutchoucine
- pyridine

S.D.S

- methanol
- acetaldehyde
- brucine — (V. dangerous smell)
- benzene.

(3)

Bhilai

Kumhari (3)

Indore (contain 2 liquor)

Mandu : bottling.

Kumhari

80,000 litre / day

Bottling :—

bottle washing section

180 ml
375 ml
750 ml

foreign liquor

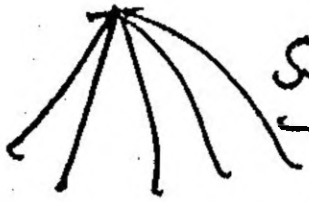

5 ... line

Sealing m/c

Leveling m/c

check point

6 Ps
28 Ps

Rectified spirit

2. E.N.A

impure al

1. ethyl alcohol
2. fonsal oil
3. aldehide

16.60

89°c

→ fonsal oil

denature spirit

Skills

केशव राव उम्र - 53 मुस्लिम (?) RC 9(S)/91 SIU(?) AR No 32 (?) 24/11/91 (1)

बायलर फायरमैन। पहले रेलवे नौकरी करता था

करीब 12 साल C.D.L. काम

— '86

D-113

K.D.L : 85 November

C.D.L : केशव राव सिवाई C.D.L में

काम कर रहा था फिर Kumhari में

transfer होकर काम करते रहे।

पहले आना जाना करता था - '87 से

shift हो गया। और Factory

premises में ही रहने लगे।

पहले बहुत पीते थे। अभी करीब

1 साल से पीना बंद कर दिया था।

जितनी भी पीते पर बहकता नहीं था

मृत्यु बुधवार हुआ।

मंगलवार बार गेट में पहरा

लगाया था।

मंगलवार दोपहर

cc

"गाइडल की छाती में बैठ कर उनके

मि- खिलाफ आवाज उठाते

थे।"

वह महामाया देवी के सामने यह

शपथ लिया था कि cc मैं मरते दम

तक कोलहरा झंडा नहीं छोडूंगा"

(2) ख - 11

<u>दीपचंद यादव</u> शिव प्रसाद Payment लेकर

|| केशव राव 200) advance के लिए गया था।
|| रहु [illegible]लाल मां गया था।

व रमाशंकर यादव
[illegible]
लालबहादुर यादव

|| के घर के सामने हुआ रहा था।

<u>मानसिंह ठाकुर</u>
अब अलग रहते हैं
कपड़ा का रहने वाली है
राजपूत है।
और अदालत चलाता है,
६00) तनखा मिलती है। ठीक
लाकर. खाना और मजदूर
हो चोर [illegible] आना
किसी [illegible] है।

<u>अच्छा खाना बनाती है।</u>

व रिपोर्ट पुलिस [illegible] हवलदार
की लड़की से शादी किया है।

नाम

2

मान सिंह की गाड़ी B.N.C mills
में काम करते हैं।

(3) [illegible] 22/11/91 (2)

मदन सिंह Bottling watchman

D-113

का काम करता है।

मदन सिंह Second shift में

रात्रि रात्रि आराम हुआ था।

पुरुषोत्तम को बोला था [illegible] rest

था। मंगलवार 200) advance

लेगा।

होटलवाली canteen [illegible] की

होटलवाली canteen से होटलवाला

ने बताया

आया 2 बजे। उस समय

पता नहीं दिया था पुरुषोत्तम

3/0 बजे।

5 बजे रात को दिया हुआ था

मदन सिंह पर duty को [illegible]

रात्रि रात्रि —— meet

him. His door is same.

Rs 700. balance था (मंगल)

Regards declined.

Munshiy [illegible]।

D. 113/4

(४)

मार खाने पर बेहोश हो गया है।

बनाये गला

(पुत्र के श्री ठाकुर)

कुमारी ललु श्रीवास्तव | पट्टेदार
रमाशंकर सिंह | ने

२५६ को मरा करार गया | रामचन्द्र बाबू को मार
विजलीस

पिताम्बर सिंह

११ वर्ष के बाद

रामगोपाल शर्मा

मानसिंह ने श्री पट्टे भी

जो मार पीट करता था

मान सिंह ने Manager

को बनाया था।

रामगोपाल शर्मा

ENA - 997. Kesub

सिंह शांत १ आदमी

६२९ लेकर वापस लौटना।

गुलजार सिंह

डोभरी की दुकान बाहर थे। 22/11/91 (3)

D-113

(१)

पी.ए.वी.

मार पीटा में आया था।

[illegible] लाल साहब रुकन की CB I जांच करते आया [illegible]

था ?

साहब ASI

Caution [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

मौनोहर [illegible] [illegible]

रहता

वालि

उमाशंकर राय [illegible]

राजकुमार शर्मा दि. 11/3/6

कुर्सी से उठकर निकला

दुबारा गया ।

राजकुमार शर्मा पेपर लिया

और - वापिस किया ।

Ramesh Singh - 5-1-91	20	bottling	C.D.L.
Juber (25-12-90)	20	—	C.D.L.
R.B. Singh - (3rd oct 90)	30	boiler & Plant	C.D.L
Jirdle (28-12-90)	40	bottling	C.D.L
	110		

Rs. 860/- monthly

D-113

Ware house

Ramesh Singh (Shadhu) Juber } 35

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा C.

कैम्प १, दल्ली-राजहरा ४९१२२८ जिला दुर्ग D-113

Punj Star · 300

3 → BL 5

113 →

Staff

Contractor - 27+70+70 / 167

Casual -

Parmanent -

113 +3 = 116

Contractor

186

(कल 30/2)

अजीत 22/11/07 (7)

D-113

गार्ड : राम कुमार
राम स्वरूप

VS राजेन्द्र – ?
शंभू सिंह
[illegible]
आर.पी. सिंह के [illegible]

पुराना [illegible]
राम [illegible] यादव

T.C. Seth

जीत

राजकुमार — गुण्डे

शारदा [illegible]

राम कुमार [illegible]

मोहन गुप्ता
MJ-Trade

Sub Sean

सुरेन्द्र गुप्ता – संजय गुप्ता

अरुण गुप्ता – अशोक गुप्ता
Cong I

B.S.P. employee
Contractor at India

सुनील सिंह (J.D)

[illegible] शिव [illegible]

भरत गौड़
Cong I

रामपुर VS local goons

Sec 325

मोहन और [illegible]
[illegible]
[illegible]

17th Sept
[illegible]
Seizure [illegible]

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

कैम्प १, दल्ली-राजहरा ४९१२२८ जिला दुर्ग (म० प्र०)

D-113

क्रमांक   दिनांक

VS.

मनोज कुमार

55
38
3
17

115

17

1.
2. - 17
3. PIS

D - 113/.10

R N I – Packing side (17)

S.P.I. Pipe section

Peco Joshi S.S.

Pifco dry, loose

500 – (40) material

L.T.P. – Pitch plant

Tailor dept. (3)

Stitching

Machine shop –

Stitching M/c

(17)

113 – 17

Jitender
Rao Satyendra
Yakub
Ram Kishan

D-114

Seizure Memo.

Case No. — RC 9(S)/91-CIU-II/CBI/Delhi

Date & place of Seizure — 28/11/91. Syndicate Bank, Bhilai.

From whom Seized — Shri P. Venkatesh Branch Manager Syndicate Bank. Bhilai Durg. (MP)

By whom Seized — R.K. Shukla. Inspector of Police CBI/SPE/JBP. (Camp - Bhilai)

MR No. 32 / 1

Particulars of the documents.

① Five credit slips for Rs 501 dt 4/10/91, Rs 1500/- dt 7/10/91, Rs 1500 dt 10/10/91, Rs 1100 dt 12/10/91. and Rs 2700 dt 15/10/91 pertaining to a/c No. 5405 of Syndicate Bank, stands in the name of Gyan Mishra.

[signature] 28/11

Signature of person from whom seized.

[signature] 28/11/91

Signature of Police Officer.

4 sheets

नकद और चेकों का अलग पर्चियों में भरा जाए
Cash and Cheques must be entered on SEPARATE slips

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK

शाखा Branch

5405 4/12 19 91

PAID into the credit of S.B. के खाते में जमा के लिए प्रदत्त खाता सं A/c No. .... जमा Folio D-115

नाम Name ......

रुपये (शब्दों में) the sum of Rupees (in words) ...... one only

By ...... के द्वारा

रु. Rs. 501/-

Cash received
Cashier

जमाकर्ता के हस्ताक्षर
Signature of the Depositor

प्रविष्टि
Entered

खजांची
Cashier

जाँचा
Checked

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorised Signatory

2

एस.पी. S.P. 1207 (O.G. 73 Ps.) 12 x 5,31,983 Set4/2-89/001

MR No 31

नकद और चेकों को अलग पर्चियों में भरा जाए
Cash and Cheques must be entered on SEPARATE slips

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK

शाखा Branch ......

7/12 19 91

D-115

PAID into the credit of ...... के खाते में जमा के लिए प्रदत्त खाता सं A/c No. 5405 जमा Folio

नाम Name Gyan Mishra

रुपये (शब्दों में) the sum of Rupees (in words) ...... five hundred only.

By ...... के द्वारा

रु. Rs. 1500/-

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK
BHILAI
नगद प्राप्त - Cash Received
खजांची / Cashier

जमाकर्ता का हस्ताक्षर
Signature of the Depositor

प्रविष्टि
Entered

खजांची
Cashier

जाँचा
Checked

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorised Signatory

3

एस.पी. S.P.-1207 (O.G. 73 Ps.) 12 x 5,31,983 Set4/2-89/001

(415/-)

MR No 32

नकद और चेकों को अलग पर्चियों में भरा जाए
Cash and Cheques must be entered on SEPARATE slips

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK

शाखा Branch Bhilai

10-10-1991

PAID into the credit of S.B. के खाते में जमा के लिए प्रदत्त खाता सं A/c No. 5405 जमा Folio D-115

नाम Name Gyan mishra

रुपये (शब्दों में) the sum of Rupees (in words) one thousand five hundred only

By ...... के द्वारा

रु. Rs. 1500/00

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK
BHILAI
10 OCT
नगद प्राप्त - Cash Received
खजांची / Cashier

Baldev Singh Sandhu

जमाकर्ता का हस्ताक्षर
Signature of the Depositor

प्रविष्टि
Entered

खजांची
Cashier

जाँचा
Checked

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorised Signatory

कृपया ब्यौरों को भरिये Please Fill in the Particulars

नोट Notes	रु. Rs.	पै. P.
100 x 1	100	00
50 x 1	50	00
20 x 4	80	00
10 x 18	180	00
5 x 131	655	00
2 x 201	402	00
1 x 33	33	00
सिक्के/Coins		
कुल रुपये Total Rs.	1500	00

आदेशिती बैंक Name of the Bank drawn upon	चैक सं. Cheque No.	रु. Rs.	पै. P.
कुल रुपये Total Rs.			

कृपया ब्यौरों को भरिये Please Fill in the Particulars

नोट Notes	रु. Rs.	पै. P.
100 x 1	100	
50 x 1	50	
20 x 10	380	
10 x 32	320	
5 x 76	380	
2 x 145	(145x2)	
1 x	= 290	
सिक्के/Coins		
कुल रुपये Total Rs.	1500/–	

आदेशिती बैंक Name of the Bank drawn upon	चैक सं. Cheque No.	रु. Rs.	पै. P.
कुल रुपये Total Rs.			

कृपया ब्यौरों को भरिये Please Fill in the Particulars

नोट Notes	रु. Rs.	पै. P.
100 x		
50 x [illegible]	300 =	[illegible]
20 x		
10 x 30	300 =	[illegible]
5 x 20	100 =	[illegible]
2 x		
1 x 2	2 =	[illegible]
सिक्के/Coins		
कुल रुपये Total Rs.	50[illegible] =	[illegible]

आदेशिती बैंक Name of the Bank drawn upon	चैक सं. Cheque No.	रु. Rs.	पै. P.
कुल रुपये Total Rs.			

D. 111

एस.पी./S.P. 1207(O.G.73Ps.) 12×5,31,983Sets/2-89/001 (9) mo no 32

नकद और चेकों को अलग पर्चियों में भरा जाए
Cash and Cheques must be entered on SEPARATE slips

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK

शाखा Branch

19-10-1991

D 111

PAID into the credit of .... के खाते में जमा के लिए प्रदत्त खाता सं A/c No 5465 पन्ना Folio

नाम Name ....

रुपये (शब्दों में) the sum of Rupees (in words) ....

By .... के द्वारा रु Rs. 1100/-

जमाकर्ता का हस्ताक्षर Signature of the Depositor | प्रविष्टित Entered | खजांची Cashier | जाँचा Checked | प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory

---

एस.पी./S.P.-1207 (O.G. 73 Ps.)12×556727 Sets 10-90.001 (32) mo no 32

नकद और चेकों को अलग पर्चियों में भरा जाए
Cash and Cheques must be entered on SEPARATE slips

D. 111

सिंडिकेट बैंक SYNDICATE BANK

शाखा Branch Bhilai

15-10-1991

PAID into the credit of SB (खाते का स्वरूप/Nature of A/c) के खाते में जमा के लिए प्रदत्त खाता सं. A/c No. 5465 पन्ना Folio

नाम Name Gyan Prakash ...

रुपये (शब्दों में) the sum of Rupees (in words) Two Thousand Seven hundred only

(सताईस सौ रुपये केवल)

By .... के द्वारा रु. Rs 2700/00

जमाकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the Depositor | प्रविष्टित Entered | खजांची Cashier | जाँचा Checked | प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory

कृपया ब्योरों को भरिये Please Fill in the Particulars

नोट Notes	रु. Rs.	पै. P.
100 x		
50 x	[illegible]	[illegible]
20 x 3	[illegible]	[illegible]
10 x 14	[illegible]	[illegible]
5 x 53	[illegible]	[illegible]
2 x 243	486	00
1 x 20	[illegible]	[illegible]
सिक्के/Coins		
कुल रुपये Total Rs.	[illegible]	00

आदेशिती बैंक Name of the Bank drawn upon	चैक नं. Cheque No.	रु. Rs.	पै. P.
	कुल रुपये Total Rs.		

कृपया ब्योरों को भरिये Please Fill in the Particulars

नोट Notes	रु. Rs.	पै. P.
100 x 5	500	00
50 x 2	100	00
20 x		
10 x 55	550	00
5 x 200	1000	00
2 x 275	550	00
1 x		
सिक्के Coins		
कुल रुपये Total Rs.	2700	00

आदेशिती बैंक Name of the Bank drawn upon	चैक नं. Cheque No.	रु. Rs.	पै. P.
	कुल रुपये Total Rs.		

RC 9/(S)/91 SIU-I/CBI/SIC-II; D-116

MRNo 37

नाम Name: Shri [illegible] Baba Atta[illegible] Camp-1, Bhilai

चालू खाता सिंडिकेट बैंक

IN CURRENT ACCOUNT WITH **Syndicate Bank** BHILAI

खाता नं. Account No.	SB 5405
खाता बही, पृष्ठ Ledger Folio	66805

तारीख Date	चेक नं. Cheque No	विवरण Particulars	निकासी Withdrawals Rs. P.	जमा Deposits Rs. P.	नाम Dr या or जमा Cr	शेष Balance Rs. P.
1/X/91		By Cash		[illegible] —		
5/X/91		do		1500 —		
7/X/91		do		1500 —		
10/X/91		do		1100 —		
15/X/91		do		2300 —	CR	9300 —

Certified [illegible]

कृते सिंडिकेट बैंक
For SYNDICATE BANK

Unless a constituent notifies the Bank immediately of any discrepancy found by him/her/them in his/her/their statement of account, it will be taken that he/she/they has/have found the account correct.

तारीख/Date 26/11/91

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorised Signatory

कृते सिंडिकेट बैंक For SYNDICATE BANK

प्रबंधक Manager, भिलाई Bhilai

ओ एफ OF-1824 ओजी (OG 70) 100 × 4000 Pads/5-90/001

D-117

SEIZURE MEMO

Case No: RC I(S)/91 - CIU - II/CBI/DELHI.

Date & Place of seizure - 23.11.91
M/s. Oswal Iron & Steel Pvt. Ltd.
Bhilai.

From whom seized - Shri Trilok Nath Pandit
Office Clerk
Oswal Iron & Steel Pvt. Ltd.
Light Industrial Area
Bhilai (M.P)

By whom seized - R.K. Shukla
Inspector of Police
CBI/SPE/JBP
Camp : Bhilai.

Particulars of documents seized

1 One leave application dated 19.9.91 of Shri Shekar containing admitted writing of Shri Chandrakant Shah.

2 Letter dated 5.2.91 addressed to Sr. Manager, SAIL, containing admitted signature of Shri Chandrakant Shah.

Trilok Nath 23/11/91
SIGNATURE FROM WHOM SEIZED

23/11/91
SIGNATURE OF POLICE OFFICER

Witness : (1) R.C. Pal
Supervisor
Oswal Iron & Steel Pvt. Ltd.

RC 9(S)/91 SIU-V / CBI/SIC-II

MR No. 33
क्रमांक 1

D-118

2 Sheets

श्री मान मैनेजर
ओसवाल स्टील इन्डस्ट्रीज
भिलाई

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की तबियत बहुत खराब है इसलिए मैं गाँव जा रहा हूँ।

अतः मुझे 20-9-91 से 30-9-91 तक 10 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें।

आपका आज्ञाकारी
Shekhar

सुरेशभाई,
इनको लालजी से समाचार
गाड़ी चलवाईगा। मोटर को
लेजा और इनको छुट्टी
दे देना।
(sign) 19.9.91

D-118

[illegible handwritten Hindi note]

[signature] 13/9/91

Pl release payment after receiving [illegible]

CBY/SIC/II

D-119

[handwritten circled annotation] 2

Date 6.2.91

To,

The SR. Manager I/C (Stores),
Steel Authority of India Ltd.,
Bhilai Steel Plant,
BHILAI.

Sub : Authorised Representative.

Dear Sir,

Due to some unavoidable circumstances it may be stated here that the sole Director of M/s.OSWAL IRON & STEEL Pvt.Ltd., Bhilai is Shri.Chandrakant Shah who can have correspondence etc with you or in absence of the Director, Shri.K.S.Bhatia is authorised to enter into correspondence etc. with you henceforth.

No other person can have this authority unless otherwise authorised by the Director specifically in writing.

The specimen signature of the Director Shri.Chandrakant Shah and Shri. K.S.Bhatia are attested below.

The authority letter previously issued is therefore cancelled in view of this revised authority letter.

Thanking you,

Yours faithfully,
For, OSWAL IRON & STEEL PVT.LTD.

[signature]

DIRECTOR

Specimen Signature attested

1. Shri.Chandrakant Shah.

[signature]

2. Shri.K.S.Bhatia.

[signature]

Copy to: Manager (Dis.Stores)
Bhilai Steel Plant,
Bhilai.,for information.

Received
[signature] 6/2/91

D-120

Memo

Case No:- RC. 9(S)/91-SIU-II, CBI, SPE, SIC-II New Delhi
u/s 302 IPC 25/27 Arms Act.

Date & Place of seizure :- 23.11.91, Office of C.M.S.S at Rajhara.

From whom received: Dr. Punya Brata Gun
Shaheed Hospital, Rajhara.

By whom taken over: B.S. Kanwar Dy.SP CBI SIC-II
New Delhi.

Particulars

1. Lenin on Trade Unions - A Collection of Articles and Speeches published by Progress Publishers Moscow (5th Edition 1982). Initialled by Dr. Gun on the title of handing over

2. Two sheets handwritten in Hindi and English purported to transcript of a Cassette recording of Sh. Niyogi. - All the four pages initialled by Dr. Gun.

Handed over

(signature)
(DR. PUNYABRATA GUN)
23/11/91

Taken over
(signature)
23/11/91.
at Rajhara

Vi Sheets

Re.9/(S)91.SIU-V/CBI/SIC-II

D-121

(1)

MR No. 34

23/11/91

(1)

भिलाई के पूँजीपतियों ने जिस प्रकार झूठ और फरेब का राज्य चला रहा है; उन्होंने जिला प्रशासन को जिस प्रकार दबाव डाल रहा है; उन्होंने गुण्डों को जिस प्रकार यूनियन के, सामर्थकों या यूनियन के नेताओं के ऊपर जानलेवा हमले करने के लिए उकसा रहा है. इससे यह बात दिखते जा रहा है कि निकट भविष्य में वहाँ ऐसी कुछ गलत काम संगठित हो सकेगा जिससे मजदूर आन्दोलन के ऊपर एक भयंकर खूंखार हमला के जरिए उसे चकनाचूर करने के लिए, उसे खतम करने के लिए एक आखिरी प्रयास हो सकेगा।

परन्तु मजदूर वर्ग इस बात को जानता है कि पूँजीपति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे मुकाबला हमें करना ही होगा। अगर हम सही ढंग से मुकाबला न कर सकेंगे, अगर हम इन खूंखार मालिकों के खिलाफ अपनी सारी ताकत न लगा सकेंगे फिर ऐसी कुछ पूँजीपतियों की दादागिरी हर कहीं चलता रहेगा। परन्तु जानकारी प्रक्रिया के आन्दोलन को इन खूंखार दरिंदों ने हमेशा हमेशा की तरह हमला करते ही रहेंगे। इसलिए मुकाबला की आवश्यकता है और मुकाबला हमें करना ही होगा।

मैं जानता हूँ कि ये लोग मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि हो सकता है इस आन्दोलन के दरम्यान में मुझे मार डालेंगे। मृत्यु सबके लिए आएगा - मेरे लिए भी आएगा। आज नहीं तो कल। एक साल बाद या परसाल बाद - या कल के दिन। मैं जानता हूँ यह दुनिया बहुत सुन्दर है। मैं यह चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए जहाँ शोषण नहीं रहेगा, जहाँ मेहनतकश मजदूर किसान शान्ति से अपना जीवन जीयेंगे। परन्तु मैं चाहने से सबकुछ नहीं होने वाला है। मुझे मेरी

(37) 23/11/(?) (2) D-121/2

जिन्दगानी पूरी करना है। मैं सुन्दर दुनिया को अवश्य प्यार करता हूँ परन्तु मेरा कर्तव्य मेरा काम मेरे लिए सबसे प्यारा है। मैं जिस जिम्मेदारी को लिया हूँ, उठाया हूँ उस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना ही होगा और ये लोग मुझे मार डालेंगे फिर भी मैं जानता हूँ मुझे मारने से हमारे आन्दोलन को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा। यह जरूर है कि (मैं) यह बात निश्चित रूप से सामने आएगा कि मेरे मृत्यु के बाद कौन मुझे मारा। (किया इस बार को) मेरे मृत्यु के पीछे कौन जिम्मेदार है।

सिम्पलेक्स के लोग जिस प्रकार से बदमाशी कर रहा है, विशेष रूप से मूलचंद जिस प्रकार से क्रिमिनल्स लोगों को इकट्ठा कर रहा है। उधर प्रभु नाथ मिश्रा है जो शांतिलाल जैन का दोस्त भी है। उसने जिस प्रकार उसका भारि गुण्डा है, उसने भी पूरा जोर कोशिश कर रहा है कि यहां पे ऐसी कुछ अघटन घटाया जाए। केडिया बहुत चालू आदमी है। उससे ही मुझे यह विश्वास है कि मूलचंद और केडिया ये दो ही आदमी आज इस समय ये सारे साजिशों के पीछे है। मैं आभास से इस बात को पूरा समझते जा रहा हूँ कि ये दोनों व्यक्ति लगातार यहाँ के जो आई.जी. — इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस है — मिस्टर सिंह, उसके साथ मिलकर एक बड़ा साजिश में जुटा हुआ है। और इसलिए मैं इस बात को, मेरे दिल की भावना को मैंने टेप रिकार्डर के जरिए से रिकार्ड करके जा रहा हूँ और क्योंकि शायद बहुत जल्दी कुछ होने वाला है इसलिए ये रिकार्ड हमारे साथियों को ये सारे बातों को समझाने में मदद करेगा। मै

मेरे मृत्यु के बाद एक ऐसे नेतृत्व को कायम करना होगा जिस नेतृत्व को इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम सही दिशा में इस आन्दोलन को लेके जाएंगे। हमारे

(3) RC.9/(S)/91.SIU-I/E.O.W/Delhi

[redacted]

D-121

(23)

आन्दोलन में रचना और संघर्ष यह दो मुख्य बात है। माने रचनात्मक कार्य करना होगा और शोषण-हर शोषण और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष भी जारी रखना होगा। (अनूप सिंह एक अच्छे साथी हैं, नवयुवक हैं। परन्तु उनका कुछ समस्या भी है।) अगर गणेश, अनूप, जनक, डा० गुन, डा० जाना नीलरतन के साथ इन लोग मिलकर अगर सही ढंग से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए, एक जनवादी प्रक्रिया के जरिए से कोई निर्णय ले, तो वह निर्णय सही निर्णय होगा। हमें यह कोशिश करना होगा कि भिलाई के कॉम्पलेक्स में जो दो-चार साथी नये आ रहे हैं - इसी साल कास्टिंग, इंजीनियरिंग और उद्योग - ये तीन विभाग में, और जो साथी लोग उरला में काम कर रहे हैं, टेडेसरा में काम कर रहे हैं उसमें से नया साथी लोग आ रहे हैं। उन लोगों को लेके एक अच्छे संगठन का शुरुआत किया जा सकता है। इसके अलावा जो मंगत कलाकार लोग (जिनको) जिन्होंने इस आन्दोलन को स्टेज (?) से उभार कर लाया है - (फागू लाल जी) - फागू राम जी के साथ मिलके ये लोग भी कुछ काम करे तो (जो हमारे निर्णय लेने को जो) कल के दिन जो निर्णय लिया जाएगा उसी निर्णय लेने वाली जो टीम होगा उसमें इन लोगों को भी जोड़ के हम लोगों को शामिल करना चाहिए।

राजनैतिक रूप से हमारे निकटतम हैं पीपुल्स वार ग्रुप और आई०पी०एफ०। पीपुल्स वार ग्रुप में कुछ हमारा विरोध भी है - वह है कि उन्होंने सिर्फ बन्दूक के आधार करके जो संगठन बनाना चाहता है, उससे मेरा सहमत नहीं है। हमें जनवादी आन्दोलन को लेकर, जनता को गोलबंद कर, फिर आवश्यकता पड़ने पर या समय की पुकार पर हमें सशस्त्र संग्राम से भी नहीं डरना चाहिए और हथियारबंद

(4) D-121/1

संघर्ष के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। परन्तु शुरु में हथियारबंद संघर्ष का गैर जनवादी तरीका में जाना उचित नहीं होगा। पहले हमें यह कोशिश करना होगा कि सारी शक्ति हम जनवादी कृत्य में लगायें। जनता को महसूस हो कि नहीं, जनवादी प्रक्रिया से कुछ संभव नहीं हो रहा है। इस व्यवस्था को खतम करने के लिए उस समय हम अगर हथियारबंद संघर्ष करेंगे, तो वह एक सही रास्ता होगा। आई. पी. एफ. से मेरा फर्क यही है कि आई. पी. एफ. के लोग यह जो लोग इन बातों को बता रहे हैं परन्तु उसका नेतृत्व जो है वह एक पीछे हटने वाला कुछ कदम उठाया है जो हमें पसंद नहीं है। उन्होंने पेरेस्त्रोइका या ग्लासनोस्त के बारे में जिस प्रकार से अपना भावना बताया यह एक बिल्कुल गलत भावना है और वर्तमान सोवियत नेतृत्व को हम किसी हालत में क्रान्तिकारी नेतृत्व नहीं मान सकते। तो अगर मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसे भी आयेगा कि भारत में एक सही ढंग का एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी बनेगी। जिस दिन एक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनेगी, उस दिन [illegible] के हमारे क्रान्तिकारी साथियों को मैं निवेदन करूँगा उस दिन उन मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के साथ में मिलके उन्होंने भी नया दुनिया या नया समाज रचना में सबको सहयोग देते हुए आगे बढ़े।

Regarding the theoretical matters we must continuously discuss with Com. Dr Vinayak Sen.

Bhim Rao Bagde should be included in the central decision making committee & Sheikh Ansar is a brilliant chap. He should also be included in the decision making body.

Atma & Sundell should be encouraged to develop in our future programme.

मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में अंजोर सिंह को जरूर लेना चाहिए। ये इनके ऊपर हमारा काफी उम्मीद है। मुझे विश्वास है अंजोर सिंह के नेतृत्व में क्रान्तिकारी [illegible] में एक ऐसी शक्ति पैदा होगा कि [illegible] में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के दिन में जो बहुत बड़ी से बड़ी [illegible] निर्माण होगा [illegible]।

D-122

SEIZURE - MEMO

Crime No. RC- 9(S)/91. SIU.V, CBI NDLS u/s 302 IPC and 25/27 Arm Act.

Date & Time of Seizure - At 1900 hrs on 24.11.91

Place of Seizure - Moh. Kududand, P.S. Civil Lines Bilaspur M.P.

From whom seized - Jai Narayan S/o Hargobind Tripathi, Kududand, Bilaspur M.P.

By whom seized - Sh. R.P. LITORIA Dy.S.P./CBI/Jabalpur MP Camp Bilaspur

MR NO. 35
[illegible] No 1, to 3,

PARTICULARS OF ARTICLES SEIZED

1. One D.B.B.L. Gun No. 3688/D.G. Yr 1976 [illegible] & Co. Made in India
2. One Arm Licence No. B/1178/80 Issued by Executive Magistrate Bilaspur Valid till 21-7-93 in the name of Jai Narayan Tripathi S/o Hargobind Tripathi Kududand Bilaspur M.P.
3. Live Cartridges of following descriptions
   - (i) Seventeen live cartridges of No. 1 pellet.
   - (ii) Four live cartridges of No 2 pellets.
   - (iii) Three live cartridge "Shaktiman Express Long Range 70 mm loaded with Smokeless powder"
   - (iv) Two blank cartridge 12 bore.

[signature] 24.11.91
(NAME & SIGN. OF THE PERSON FROM WHOM SEIZED)

SIGN. OF WITNESSES :-

1. [signature] 24.11.91
(VIJAY KUMAR SAHU)
Vidya Up Nagar Bilaspur.

2. [signature] 24.11.91
(R. M. KOSARE)
Head clerk
O/o Chief Engineer Constn.
S.E.Rly. Bilaspur MP

[signature] 24/11/91
(NAME & DESIGNATION OF THE POLICE OFFICER BY WHOM SEIZED)
(R. P. LITORIA
Dy.SP. CBI/ACB
C/ [illegible])

[illegible]
[signature]
24.11.91

आदेश

F O R M-III

Arms and ammunition that licencee is entitled to possess.			Name father name and address of retainer (if any) covered by the licence.	Arms or ammunition that retainer is entitled to possess.		Area within which the licencee is valid.	Date on which licence expires.	Date on which the licence or both shall be produced for inspection before licensing authority under rule 52(2)
Description of each weapon with details (e.g. identification)	Quantity and description of ammunition maximum of to be possessed at any one time.	Maximum purchaseable during the year.		Arms	Ammunition.			
3.	4.	5.				9.	10.	11.
	Ten	Fifty				Area of validity extended to the whole of Madhya Pradesh		

लाइसेंस क्रमांक ... का नवकरण किया गया।

Licence Renewed 21-7-87

Govt. of Madhya Pradesh, Home (Police) Department

Licence Renewed till 21/7/93

Madhya Pradesh

Provided that where a licence is granted in Form III, IV, V or VI for the possession of arms to be acquired by the licencee subsequent to the grant of the licence, the authority granting the licence shall at the time of granting the same direct that within a period specified by him in this behalf which he may from time to time extend, the arms covered by the licence shall be acquired and the licence or the arms or both shall be produced for his inspection and, if within the period so specified or extended the licensee fails to acquire the arms or to produce the licence, arms or both as the case may be, the licence shall cease to be in force.

शस्त्र प्रस्तुत करने के लिये दिनांक २५-७-८१ तक का (अंतिम) समय दिया गया।

कार्यपालन दण्डाधिकारी
बैतूल जिला दण्डाधिकारी
मिर्जापुर (म० प्र०)

9 sheet

D-124

Case RC 9(S)/91 SIU-X/SIC II/CBI/N. Delhi
u/s 302 IPC, 25/27 Arms Act etc.

Disclosure statement
u/s Section 27 Evidence Act.

In the presence of Sh. Janardhan Pandey and K. Appunair witnesses, Sh. Abhay Kumar Singh s/o Vikrama Singh r/o ... Bhilai Permanent r/o Village Khalispur Distt. Gazipur, who is in Police custody, has made the following statement today i.e. 29.11.91 at 1515 hours.

मेरे पास दो रिवाल्वर जिनमें से एक .32 बोर व एक .38 बोर और 10 कारतूस थे जो मुझे ... प्रकाश सिंह ने दिये थे। इन रिवाल्वर व कारतूस को मैंने ... को इकबाल अहमद को एक हैन्डबैग में डाल कर व जूते के डिब्बे में रख कर रखने के लिए दिये थे। इकबाल अहमद जोशी गली में रहता है। मैं इकबाल के घर व इकबाल को दिखवा सकता हूँ और दो रिवाल्वर व 10 गोली बरामद करवा सकता हूँ।

A K Singh 29.11.91

Janardhan Pandey
Dy SP/CBI/SIC-II
N. Delhi
29.11.91

[illegible] 29/11/91

[illegible] 29/11/91

श्री एस. आर. यादव डी.एस.पी. व श्री ... के लिए S.I. P.S. Chhavi के साथ अभय कुमार सिंह पुत्र विक्रमा सिंह, वासी गाँव खालिसपुर, जिला गाजीपुर ने पुलिस पार्टी जिसमें स्वतंत्र गवाह जनार्दन पांडे व के. अप्पू नायर शामिल हैं को इकबाल अहमद

D-124
2

पुत्र अहमद अली वासी 6 D, Camp I, Labour Colony Steel Nagar वाले को साथ ले गया और इम्तियाज अहमद को आवाज देकर बुलाया। आलोक कुमार सिंह ने इम्तियाज अहमद को कहा कि जो सामान उसने उसे रखने के लिये दिया था उसे दे दे। बड़ी देर इम्तियाज अहमद पुत्र अहमद अली को जामा तलाशी लिया गया तो इम्तियाज अहमद ने जूता रखने का ~~[illegible]~~ रैक अलमारी दिवार में बनी हुई के ऊपर से उतार कर पेश किया जिसको खोल कर देखा तो उसमें से काले पॉलीथीन के रिवाल्वर का हैंड बैग मिला। हैण्डबैग को खोल कर देखा तो उसमें से निम्न लिखित सामान मिला:-

1. एक देशी .38 बोर का रिवाल्वर पाँच गोलियाँ वाला जिसके बट पर HYLAM (R) लिखा हुआ है।
2. एक देशी रिवाल्वर .32 बोर 6 गोलियाँ वाला जिसके बॉडी पर चार जगह CHINA लिखा हुआ है और जिसके बट पर लकड़ी लगी हुई है।
3. एक प्लास्टिक की पीले रंग की शीशी जिस पर SETHLIN का लेबल लगा हुआ है में से तीन कारतूस जिन के बेस पर KF 80 9mm 2Z, तीन कारतूस जिनके बेस पर KAF 63 9 mm, एक कारतूस जिसके बेस पर KAF 64 9mm, एक कारतूस जिसके बेस पर 357 MAGNUM RWP, एक कारतूस 32 बोर बिना मार्किंग व एक कारतूस मिस फायर किया हुआ जिस पर सिर्फ KF पढ़ा जाता है 303 या 315 बोर का

दोनों रिवाल्वर के अलग अलग खाके तैयार करके, कपड़े के अलग अलग पुलिंदा बना कर H.R. सील से मोहरबन्द किये। 10 कारतूसों को द्वारा प्लास्टिक की शीशी में डाल कर पुलिंदा बना कर H.R मोहर से सील किया गया। सील करने के लिये प्रयोग सील के नीचे impress किये गये हैं। और सील को श्री जनार्दन पांडे को सुपुर्द किया गया। तीनों पुलिंदे कब्जा के लिये गये गवाहान दस्तखत [illegible] रिवाल्वर का हैंड बैग व जूता [illegible] लिया गया।

CL Yadav 29/11/91

गवाह [illegible]

A.K. Singh 29-11-91

[illegible] 29/11/91

इम्तियाज अहमद 29.11.91

[illegible] 29/11/91

[illegible] 29/11/91

[illegible] 29.11.91

9 sheets

-125-
1

Memo.

Case No. RC. 9(S)/91-SIU-I, CBI, SIE, SIC-II New Delhi u/s 302 IPC & 25/27 Arms Act.

Date & time: 30.11.91 at 1650 Hrs.

As directed, I reached Farm House of Sh. Suraj Kankariya at Model Town Bhilai alongwith police party including Sh. K. Bhattacharya SI CBI /Jodhpur to seize Premier Car No. MP-23-7736. Services of Dr. M.K. Verma Technical Officer FSL Raipur Range Raipur and Sh. P.L. Patel SI Photo of Raipur Range Raipur, has also been procured to lift chance prints from the car. Sh. Immamuddin S/o Sh. Munir, servant of Sh. Suraj Kankariya was present. Presence of S/Shri Tej Kumar Brahmin S/o Sh. Kanhaiya Lal Brahmin Plot No. 161 Model Town Bhilai (Bungalow) and Anami Kumar S/o Kanchhar Kumar Indira Colony Model Town Bhilai PS Supela were secured to witness the seizure. The garage was found opened (not locked) and Premier Padmini Car Regn No. MP-23-7736 was found inside the first garage near the [illegible]. The car was found locked. It was got opened with the help of Sh. Abdul Rehman S/o Sh. Abdul Rashid of Jawahar Market Camp II Bhilai. The vehicle was examined by the expert for chance prints. One chance print was found on rear view mirror fixed in the car. The mirror was removed and taken over by Dr. Verma for further examination etc as it is not possible to photograph it on the spot. The car was thoroughly searched for any documents/articles. The following articles/documents were found inside the car.

(i) Five page Note on Common Surgical Affections / Interventions with and their Treatment Dr. S.K. Tiwari Asst. Prof. V.C. Anjora.

(ii) Four page Note on Common Diseases of Dogs and their Control Dr. S. Roy Prof. V.C. Anjora

(iii) One Badminton Shuttle

(iv) One pair black shoe of a child make Metro.

The vehicle is of off white colour with Body No. PA-BEA/C-514528 Engine No. PA/FTE/14253. One Stepney is there in the diggy

D-122

-2-

Car Stereo with four speakers of make Car Dec is also fitted. The car is damaged & bore dent below left side headlight.

The vehicle and all the articles/documents mentioned above have been taken into possession vide the memo as the same is concerned with the crime mentioned above. The proceeding was over at 1715 Hrs. All the sheets of document recovered have been signed by the witnesses.

Witnesses :-

1. [signature] 30/11/91

2. [signature] [illegible]

Read & agreed

LTI of Immanuelin

[signature] 30/11/91

(B S KANWAR)

DSP CBI / SIC-IV
New Delhi

[signature]

LTI of Immanuelin

[signature] 30/11/91

C.K. BHATTACHARYA

D-126

Seizure Memo

Crime No — R.C. 9(S)/91-SIU-V, CBI New Delhi.

Date — 28.11.91

From whom seized — Shri S.K. Bembey. Sub Engineer (Manager) Hotel Nilamber organised by Special Area Development Authority, Pachamarhi

By whom seized — P.T. Mathai, Inspector C.B.I. Jabalpur Camp at Pachamarhi.

Place of seizure — C/o Special Area Development Authority Pachamarhi M.P.

Particulars

1. Money Receipt Book No 18 - 26.6.91 to 26.10.91 (100 receipt) of Nilamber Tourist Cottage Pachamari (Nilamber Hotel) Duplicate copy.
2. Bill Book No 133 from 8.7.91 to 17.11.91 (100 pg) of Nilamber hotel Duplicate copy.
3. Visitors Register from 1 to 196 pages entries made up to 103. last entry no 206 of Nilamber Hotel.
4. Advance and Telephone Register Page 1 to 77 in which Telephone booking entry page no 62 to 64.
5. One bill in connection with Telephone no 2091 addressed to C.E.O., SADA, Pachamarhi sent by Telecom District Engineer Khandwa dated 11.11.91 Code no 41 from 26.8.91 to 25.10.91

Received one copy.

(S.K. Bembey) 28/11/91

Witness (1)
(2)

P.T. Mathai
(P.T. Mathai, Inspr. CBI SIU)
Camp Pachamari.

[illegible] Singer A.E.

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पचमढ़ी D-127

नीलाम्बर पर्यटक आवास गृह, पचमढ़ी

रसीद बुक० १८ रसीद क्र० 81

श्री अभय कुमार [illegible] मिश्र (दुर्ग)

से 05-10-91 [illegible] 91 [illegible]

के सम्बन्ध में प्राप्त हुए। [illegible]

रुपया शब्दों में दो सौ [illegible]

रुपया 262 पैसे 50

दिनांक 06-10-91 [illegible] 133/58

[illegible]
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वि० क्षे० वि० प्रा० पचमढ़ी

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पचमढ़ी

नीलाम्बर पर्यटक आवास गृह, पचमढ़ी D-127

रसीद बुक० १८

श्री [illegible] रसीद क्र० [illegible]

से [illegible] (03) 6.10.91 to 9.10.91 3 days

के सम्बन्ध में प्राप्त हुए। Four hundred Thirty Eight & paise

रुपया शब्दों में seventy five only.

रुपया 438/- पैसे 75

दिनांक 9.10.91 [illegible] 133/59

[illegible]
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वि० क्षे० वि० प्रा० पचमढ़ी

691=25 पर्ती क्रमांक 18/79 से 18/81 तक कुल
262=50 03पर्ती की राशि 953=75 कार्यालय में
953=75 जमा किया अधि.प्रशासन
8-10-91

Rs-953=75
जमा किये
8/10/91

Chacked
8/X/91

Seen
8/10/91

पर्ती क्र 18/82 की राशि 438/75 कार्यालय में
जमा किया
अधि.प्रशासन
9-10-91

Rs-438=75
जमा किया
9/10/91

Chacked
9/X/91

Seen
9-10-91

2 sheets

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

№ 000058

पचमढ़ी (म.प्र.) 461881

यूनिट का नाम [illegible]

दूरभाष क्र० [illegible]

बुक नं० 133

D-128

दिनांक 06.10.91

कमरा नं० [illegible]

आने का समय व दिनांक 5.10.91

जाने का समय व दिनांक 6.10.91

रजिस्टर एन्ट्री क्रमांक / [illegible]

श्री / श्रीमति [illegible]

दिनांक	05.10.91 to 06.10.91					कुल योग
लाजिंग चार्ज	200 –					200
टूककाल चार्ज						–
विलासिता शुल्क एवं अन्य चार्ज	12.50					12.50
कुल योग	212.50					212.50

कुल योग [illegible]

एडवांस राशि

रसीद नं० व दिनांक

योग राशि [illegible]

8/10/91

कस्टमर के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

№ 000059 पचमढ़ी (म.प्र.) 461881

यूनिट का नाम ____________

दूरभाष क्र० 2039

बुक नं० 133

D-128

दिनांक 9-10-91

कमरा नं० 03

आने का समय व दिनांक 6.10.91 12 noon

रजिस्टर एन्ट्री क्रमांक 156

जाने का समय व दिनांक 9.10.91

श्री / श्रीमति श्री [illegible] .... [illegible]

दिनांक	7/10/91	8/10/91	9/10/91	–	–	–	–	कुल योग
कमरा चार्ज	125/-	125/-	125/-	–	–	–	–	375/-
ट्रककाल चार्ज	45/-	[illegible] 3854		–	–	–	–	45/-
विलासिता शुल्क एवं अन्य चार्ज	6=25	6=25	6=25	–	–	–	–	18=75
कुल योग	176/25	131/25	131/25	–	–	–	–	438=75

कुल योग .... 438=75

एडवांस राशि ....

रसीद नं० व दिनांक ....

MR-10 18/82 9.10.91

शेष राशि .... 438=75

कस्टमर के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

Special Area Development Authority, Pachmarhi (M.P.)
कार्यालय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पचमढ़ी (म.प्र.)

यूनिट : UNIT [illegible]

क्र० S. No.	नाम व पूरा पता Name & Full Address	Relation	सदस्य संख्या Members	राष्ट्रीयता Nationality	किस कार्य से आगमन Purpose	आने का समय व दिनांक Time & Date of Arrival	कमरा नं० Room No.	हस्ताक्षर Signature	जाने का समय व दि० Time & Date of Departure	अग्रिम राशि Advance	दर Rate	कुल प्राप्त राशि Total Rate	रसीद नं० Receipt No.	रिमार्क Remarks
154	G.K. Chaturvedi Bhuwan Chhindwara	Family	4	Indian	Tour	30/9/91 6 PM (D-127)	3+4	[signature]	1/10/91 9.30 AM [signature]	Nil	125/-	250/ 12/50 262=50	18/78	
155	Abhay [illegible] A.K. Singh [illegible] Street-18 Bhilai Durg	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	5.10.91 1.30 PM	3+4	[signature]	06.10.91 12 Noon AKSingh	Nil	125/	250/ 12/50 262=50	18/81	
156	अभय कुमार [illegible] [illegible]	[illegible]	2	भारतीय	[illegible]	06 10 91 12 Noon	03	AKSingh	AKSingh 9.10.91 11am	Nil	125	375/ [illegible] 18/75 [illegible] 651 [illegible] 438/75	18/[illegible]	
157	Aman Wadhwa	Family	2	Indian	Tour	[illegible] 6-10-91 से आरक्षण [illegible]		[signature]	12.10.91 [illegible]	250/	125/-	875 [illegible]		6-10-91 से [illegible]

D-130 451-3854 9 sheets 41

दिनांक	ग्राहक का नाम	कमरा नम्बर	एडवांस राशि	रिमार्क एवं अन्य सामग्री
23.9.91 12 AM	श्री कमल परिहार इन्दौर	3,4,5,6	500/-	पांच सौ आये [illegible]
27/9/91	[illegible]	1	~~[illegible]~~ 400/-	400/- [illegible] [illegible]
28.9.91	रवि कुमार बरेली	3,4	500/-	500/- के [illegible] लिये गये [illegible] 28.9.91
30.9.91	बरालिया [illegible] नागपुर	05	400/-	शंकरलाल के द्वारा लिये गये 400/- 30.9.91 एवं शंकरलाल के पास है 30.9.91 [illegible]
5.9.91	अमर कुमार तिवारी	3,4	500/- 262.50 [illegible]	[illegible] गये [illegible] 5.9.91
06.10.91	अमर कुमार तिवारी [illegible]	0.5	237.50 + 200 = जमा 437.50 जमा है	500/- [illegible] 262.50 [illegible] 237.50 237.50 जमा रहे 06.10.91 [illegible] 437.50 जमा है
7.10.91	[illegible]	05	[illegible]	[illegible]
12.10.91	महेश [illegible]	4	145/- जमा	[illegible] लिये गये [illegible] 12.10.91
5.10.91	[illegible]	03	300/-	तीन सौ [illegible] द्वारा लिये गये [illegible] 15.10.91

64

D-130

दिनांक	कमरा नम्बर	टेलीफोन जिले/शहर/गांव	नम्बर	चार्ज	M.R. No. जिससे चार्ज जमा हुई	रिमार्क
8-10-91	03	मिलाई	5817	1=00	—	कैन्सिल
8-10-91	03	मिलाई	5817	1=00	—	—"—
9-10-91	03	मिलाई	5817	1=00	—	—"—
9-10-91	03	दुर्ग (भिलाई)		45=00	18/82 से जमा 45/- प्राप्त	
17-10-91	[illegible]	इकबाल - पिपरिया होशंगाबाद पिपरिया	3238 42	15=00 05=00	20-18/89 से जमा 20 जमा 18/98 से	
20-10-91 [illegible] 22-10-91	05 [illegible] 576	[illegible]	03 75261 —	06=00 2[illegible]=00 6=00 26/10 [illegible]	18/99 से 12= जमा 26/10 [illegible]	[illegible]
6/11/91	[illegible]	[illegible]	4632121	60/00	19/16 [illegible]	[illegible]
7/11/91	—"—	—"—	4632121	60/-00	M.R.No 19/21	[illegible]
7/11/91	—"—	[illegible]	24861	40/-00	M.R.No 19/21 [illegible]	[illegible] 6/11/91
—"—	—"—	—"—	—"—	90/-00	M.R.No 19/22 [illegible]	[illegible]
[illegible]-11-91	[illegible]	[illegible] 106106	-	92=50	1382 19/22 से जमा	M.R.N 19/23
8-11-91	शेखर [illegible]	[illegible] 2635-	2187 (111)	55=00		

दू.जि.अ. खण्डवा TELECOM DISTRICT ENGINEER KHANDWA

SUBSCRIBER TELEPHONE NO.: PCM 2639
BILL DATE: 11/11/91
DUE DATE: ~~5/11~~/91 5/12
CODE (41)

THE S.D.O. SADI
SPECIAL AREA DEV. AUTHORITY
PACHMARHI

D-131

PREVIOUS METER READING	CURRENT METER READING	METERED CALLS	DEBIT CALLS	CREDIT CALLS	FREE CALLS	NET CHARGEABLE CALLS

विवरण DETAILS

TC	1	19/09	PPA	54	0	1		5.00
TC	1	29/09	BY	5010504	0	C	3	27.50
TC	1	8/10	BSP	5317	0			1.00
TC	1	9/10	BHIL	5317	0			1.00
TC	1	9/10	DURG	3354	0	3		45.00
TC	7	17/10	PPA	42	0	3		5.00
TC	7	17/10	HSD	3135	0	3		15.00
TC	1	20/10	PPA	5	0	3		5.00
TC	2	21/10	BPL	551359	0	3		25.00
TC	3	22/10	PPA	5	0	3		5.00

ITEM	PERIOD	AMOUNT
RENT	01/12/91 TO 31/01/92	150.00
LOCAL CALLS	26/08/91 TO 25/10/91	
TRUNK CALLS	26/08/91 TO 25/10/91	134.50
INTERNATIONAL CALLS	26/08/91 TO 25/10/91	
PHONOGRAMS	26/08/91 TO 25/10/91	
MISC.		
	LESS (S)	
NET AMOUNT		285.00
AMOUNT DUE		

D.P. Rao

लेखा अधिकारी ACCOUNTS OFFICER O/O T.D.E. KHANDWA

दू.मं.जि.अ. खण्डवा O/O T.D.E. KHANDWA 2PC 1 J PACHMARI

कैशियर की काउंटर फाइल CASHIER'S COUNTERFOIL

टेलीफोन नम्बर TELEPHONE NO.	बिल दिनांक BILL DATE	कुल रकम NET AMOUNT
18007 2639	11/11/91	285.00

पोस्ट ऑफिस अदायगी मोहर
P.O. PAYMENT SEAL

R. 131/2

[illegible]

दुकान की राशि 19-9-91 से 22-10-91 तक [illegible] मेरे द्वारा कार्यालय में जमा किया गया।

दुकान	18/78 से	30-00
	18/80 "	11-00
	18/82 "	15-00
	18/85 "	20-00
	18/95 "	12-00

[illegible]

21-10-91 [illegible]

[illegible]

D-132

RECEIPT MEMO

Date :- 4-12-1991

Case No. :- RC-9(S)/91-SIU-V/SIC-II/C.B.I.

Offence :- u/s 302 IPC 25/27 Indian Arms Act, SU

From whom received :- Shri Jacob Kurian, Asstt. Manager (Personnel) Blast Furnaces, Bhilai Steel Plant, Bhilai (M.P.)

By whom received :- Mr. J.C. Prabhakar, Inspector/CBI/SIC-II C.G.O. Complex, Block No. 3, Lodhi Road New Delhi-3 Camp at Bhilai (M.P.)

PARTICULARS OF DOCUMENTS

1. One leave Book of Shri Akhay Kumar Singh bearing personal No. 148213 and Token No. 22906 N-3 operator, Blast Furnaces, B.S.P. Bhilai for the period from 12-3-87 to-date, containing pages 1 to 39 (written). First and last page of this Book are initialed by Sh. Jacob Kurian.

2. Medical certificate bearing O.P.D No. 3713 issued by Dr. M.B Mall, ENT Surgeon, Dist. Hospital, Ghazipur for 10 days w.e.f 12-11-90 issued in favour of Shri Akhai Kumar Singh S/o Shri Bikram Singh.

3. Medical certificate bearing O.P.D. No. 5610 issued by Dr. M.B. Mall, ENT. Surgeon, Dist. Hospital, Ghazipur for 8 days w.e.f. 30-1-91 issued in favour of Shri Akhai Kumar Singh S/o Shri Vikrama Singh

Note:- Both the documents at Sl. 2 & 3 above are initialed with today's date by Shri Jacob Kurian.

...and one copy
Kurian
4/12/91

Handed over by
Kurian 4/12
(JACOB KURIAN) Asstt. Manager (Personnel) Blast Furnaces. B.S.P. Bhilai (M.P.)

Taken over by
[signature] 4/12/91
(J.C. PRABHAKAR) Inspector/CBI/SIC-II New Delhi-3 Camp at Bhilai (M.P.)

D-133

133

प्रो. एफ पत्र.
टी. के-17

पास बुक

Reg/CS/91/514/D/CRT

नाम: Shri Abhay Kumar Singh

पे. सं. 148218 टोकन सं. 22906

कोड: D-5 पदनाम: C. Operative

विभाग: Blast Furnaces

अनुभाग: [illegible]

पता: [illegible]

OB2
MR No-42
[illegible]

A.K. Singh S/o R.K. Tiwari
[illegible]

	कर्मचारी	प्राधिकृत अधिकारी
हस्ताक्षर	Abhay Kumar	[illegible]
दिनांक	23/3/84	23/3/84

FOR APPLICANT								For Rec./Sanctioning Authority				
Date of Appln.	Nature of Leave	Leave applied Date From	To	No. of Days	W. off	Reasons	Initial	R/NR	No. of Days Recom.	Reason for NRC/FLW	INITIAL & DATE Rec. Authority	San. Auth.
29/11/90	H.P.L.	10/11/90	11/11/90	2	Mon	Urgent work	AKG	R			[illegible]	[illegible] 27/1/91
29/11/90	Commuted Leave	12/11/90	20/11/90	9	Mon	Dr. specialist	AKG	R			[illegible]	[illegible] 27/1/91
" "	F.W.P.	21/11/90	—	1	Mon	—	AKG	R			[illegible]	[illegible] 27/1/91
1991												
1/1/91	F/L	1/1/91	—	1	Sun	New year	[illegible]	NR				[illegible]
14/1/91	F/L	14/1/91	—	1	"	Makar Sankranti	AKG	NR				[illegible]
~~25/1/91~~												
25/1	C/off F/L	10/1/91 in place of 1/1/91		1 day		urgent work	[illegible]	R		R		[illegible]
25/1	C/off F/L	21/1/91 in place of 14/1/91		1 day		urgent work	[illegible]	R				[illegible]

(32) FOR - APPLICANT | For Rec./ Sanctioning Authority (33)

Date of Appln.	Nature of Leave	Leave Applied Date From	To	No. of Days	W. off.	Reasons	Initial	R/ NR	No. of Days recom.	Reason for NRC/FLW	INITIAL & DATE Rec. Authority	San. Auth.
25/1	19/1/91 C/off	19/1/91 founders day		1 day	Sunday	urgent work	[illegible]	NR		NR		[illegible]
28/1	E/L	23/1/91 ~~company founders day~~ Netaji Subhas Jaiyanti		1 day	Sunday	urgent work		R		R		[illegible]
28/1	C/off	25/1/91 in place of 19/1/91 Company founders day		1 day				R				[illegible]
28/1	E/L	28/1/91	to 31/1/91	4 days			[illegible]	R				[illegible] 28-1-91
9-1-91	Comd Leave	1-2-91	8-2-91	8 days	Sun	Self sickness (m/c attached)	[illegible]	R				[illegible] 9/2/91
12-2-91	F/L	12-2/91	—	1 day	Sun.	[illegible]	[illegible]	NR	1	—	[illegible]	[illegible]
"	Comp-off		13-2/91	1	—	—		R	1		[illegible]	[illegible]
"	C/L	14-2-92	—	1		[illegible]	[illegible]	R	1		[illegible]	[illegible] 23-2-91

34 — FOR APPLICANT | For Rec./ Sanctioning Authority — 35

Date of Appln.	Nature of Leave	Leave Applied Date From	Leave Applied Date To	No. of Days	W. off.	Reasons	Initial	R/ NR	No. of Days recom.	Reason for NRC/FLW	INITIAL & DATE Rec. Authority	INITIAL & DATE San. Auth.
4-3-91	E/L	5 3/91	9 3/91	5	[illegible]	urgent work	[illegible]	R	5		Ram	[illegible]
23-3-91	E/L	10 3/91	22 3/91	13	SUN	Family [illegible]	[illegible]	R	13		Ram 23/3/91	23/3
23 4/91	F/L	17 4/91	—	1	Sat	[illegible]	[illegible]	R	1		Ram	23/4
20-5/91	E/L	14 5/91	—	1	Sat	urgent [illegible]	[illegible]	R	1		[illegible]	[illegible]
"	C/L	19 5/91	—	1	"	urgent [illegible]		R	1		[illegible]	21/5/91
	C.H.	22 5/91	—	1	"	CH	[illegible]	N/R	1		R[illegible]	[illegible]
	Coff	26 5/91	—	1	—	Urgent work	[illegible]	R	1		R[illegible]	30/5

PTO

(36) (37)

FOR APPLICANT | **For Rec./ Sanctioning Authority**

Date of Appln.	Nature of Leave	Leave Applied Date From	Leave Applied Date To	No. of Days	W. off.	Reasons	Initial	R/ NR	No. of Days recom.	Reason for NRC/FLW	INITIAL & DATE Rec. Authority	INITIAL & DATE San. Auth.
15 6/91	C/L	16 6/91	18 6/91	3	-	go to [illegible]	[illegible]	R	3	R	[illegible]	[illegible] 15-6-91
25 6/91	HPL	15 6/91	22 6/91	4	-	Native place	[illegible]	R	4	R	[illegible]	[illegible] 25-6-91
12 7/91	C/L	12 7/91	~~12 7/91~~	1	-	urgent private work	AAG	R	1	R	AAG 12	[illegible]
"	"	13 7/91		1	Fri	" "	AAG	R	1	R	AAG 13	[illegible]
14 8/91	C/L	7 8/91	—	1	Fri Thur	urgent private work	AAG	R.	1	R.	AAG 14	[illegible]
~~27 8/91~~	~~N/S C/off~~	~~15 8/91~~										
15-8-91	NH	15/8/91		1 day		Urgent work	AAG	NR	1	NR	Ram	
27-8-91	C/off	19/8/91		in lieu of 15 August		urgent	AAG	R.		R	Ram	[illegible] 28/8
27-8-91	C/L	21/8/91		1	Fri	urgent	AAG	R		R	Ram	

(35) FOR APPLICANT

For Rec./ Sanctioning Authority (39)

Date of Appln.	Nature of Leave	Leave Applied Date From	To	No. of Days	W. off.	Reasons	Initial	R/ ~~NR~~	No. of Days recom.	Reason for NRC/FLW	INITIAL & DATE Rec. Authority	San. Auth.
19-9-91	C/L	11-9-91		1 day	Fri	Appointment	[signature]	R	1	R	[signature] 19/9	[signature]

2906

D-174

1

DISTT. HOSPITAL GHAZIPUR

CBI MRN042

Certified that Shri Abhai Kumar Singh S/o Shri Bikram Singh

R/o Khalishpur P.S Nonhara

District Ghazipur whose signature is attested below is suffering from DNS ... and is under treatment of this Hospital. He is advised complete rest for abt Ten days w. e. f 12.11.90 for his proper treatment and reupment of his health. Now he is fit to join his duty

O.P.D. No. 3713

Dr. M. B. Mall
M. S. D. L. O
E. N. T. Surgeon
Distt. Hospital, Ghazipur

Signature Attested

Dr. M. B. Mall
M. S. D. L. O
E. N. T. Surgeon
Distt. Hospital, Ghazipur

No 2906 P/F

RC-9(S)/91/SIU ... CBI/SIC ...

D-174

2

DISTT. HOSPITAL GHAZIPUR

CBI MRN042 3

Certified that Shri Abhai Kumar Singh S/o Shri Vikrama Singh

R/o Khalishpur P.S Nonhara

District Ghazipur whose signature is attested below is suffering from DNS ... and is under treatment of this Hospital. He is advised complete rest for about 9 days w. e. f 30 ... 91 for his proper treatment and reupment of his health. and is fit to join his duty

OPD ... No ...

Dr. M. B. Mall
M. S. D. L. O
E. N. T. Surgeon
Distt. Hospital, Gh...

Signature Attested

Dr. M. B. Mall
M. S. D. L. O
E. N. T. Surgeon
... Ghazipur

Memo

D-

Case No RC 7(S)/91-SIU-V, CBI/SIC
Hamidullah u/s 302 IPC & 25/
Arms Act

Date of taking over 5-12-91

From whom taken over Sri. K.S. Bhatia
Accountant: Triveni [illegible]
Pvt. Ltd. 33-B Industrial
Estate Chilka

Particulars

1. Job work Register of [illegible]
Bhatia containing written pages 1 to 14 [illegible]
the year 1990-91

2. Job work Register for the year 1991-92-[illegible]
[illegible] containing [illegible]
1-to 5 only.

Note: First & last written pages have been signed [illegible] Bhatia & a certificate is also recorded [illegible] on last page.

Handed over.
[signature]
5.12.91

Taken over
[signature]
(B. S. [illegible])

[illegible]
[illegible]
12.91

RC-9/(CS)91-S14-V/CBI/SIC

OSWAL IRON & STEEL PLTD.

INDUSTRIAL ESTATE BHILAI.

JOB WORK REGISTER.

1990 - 91.

D-136

D-136/1

CBI
MR No 43
Item No 1

Date	Bill No.	Particulars		Amount		Nature of Job	Challan No.	Quantity
2-4-90	001	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	3391.90			001 002	13.310
6-4-90	002	" " "	"	813.75			003	13.510
11-4-90	003	" " "	"	2142.50			004	17.140
[illegible] 90	004	" " "	"	1969.40			005	15.755
[illegible] 4. 90	005	" "		1650.60			006	[illegible]
[illegible] 4. 90	006	" " "	"	846.25			007	6.770
20-4-90	007	" " "	"	718.50		M.S. Melting Scrap (Light)	008	2.395
"	008	" "	"	627.–		" "	009	2.090
23-4-90	009	" " "	"	1934.00		SBIM	010	13.675
23-4-90	010	" " "	"	1946.00		SBIM	011	15.570
24-4-90	011	" " "	"	2186.00		SBIM	012	17.685
"	012	" "		2069.00		SBIM	013	16.555
25-4-90	013	"	"	1715.00		SBIM	014	[illegible]

Date	Bill No	Particulars	[illegible]	Amount	L/F	Nature of Job	Challan No.	Quantity
27.4.90	014	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	2296.00		S.B.M	015	[illegible]
				24368.75				174.365
15.5.90	015	"		[illegible]		Rejected Foundry S.B.M.	16 017	[illegible] / 13.445
"	016	"		3965.00		S.B.M	18 019	31.720
"	017	"		[illegible]		S.B.M	[illegible]	[illegible]
24.5.90	018	"		[illegible]275.00			001	[illegible]
"	019	"		[illegible]			002	[illegible]
"	020	"		3660.00			006	8.[illegible]
31.5.90	021	"		1350.00		SBTH	021	[illegible]
"	022	"		1766.00		S.B.M	022	[illegible]130
"	023	"		1601.00		Rejected Foundry	023	[illegible]210
"	024	"		1846.00			024	14.770
[illegible]	025	"		1750.00			025	14.005
				22273.00				

Date	Bill No.	Particulars	Place	Amount	Challan No.	L.F.	Quantity	Nature of Job	Invoice
15.6.90	026	[illegible]	[illegible]	4,273.00	26&28		[illegible]305	SBIM Breaking charges simplex ingot.	
16.6.90	027	"	"	3,345.00	29&30		26.790	SBIM Breaking Charges	[illegible]
20.6.90	028		"	1,510.00	31		[illegible]	SBIM Breaking Charges.	
20.6.90	029	"	"	3,659.00	32		[illegible]455	C.I. Skull (Shear)	[illegible]
21.6.90	030		"	1,954.00	33		[illegible]	SBIM Breaking	
[illegible].6.90	031		"	3,467.00	34		[illegible]	C.I. Skull (Shear)	
[illegible].6.90	032		"	1,514.00	35		[illegible]	Ejected Foundry Scrap	[illegible]
[illegible].6.90	033	"	"	1,487.00	36		11.295	Ejected Foundry Scrap.	[illegible]
23.6.90	034	"	"	4,930.00	37		16.025	C.I. Skull Shear.	
23.6.90	035	"	"	1,148.00	38		9.180	SBIM Breaking	[illegible]
27.6.90	036	"	"	1,554.00	39		12.430	SBIM breaking	[illegible]
28.6.90	037	"	"	854.00	40		4.250	M.S. Rolling Scrap (Rolling Site)	[illegible]
30.6.90	038	"	"	1,448.00	41		11.585	Duplex Mould	[illegible]

Date	Bill No.	Particulars	Place	Amount	Challan No.	C.F.	Quantity	Nature of Job	Remarks
30.6.90	039	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	590/00	042		7.530	Duplex Ingot Mould	
30.6.90	040	" " "	"	1037/00 3229/00	043	(16)	8.295	S.B.M.	24,327.60
5.7.90	041	" "	"	1112/00	044		8.915	S.B.M.	[illegible]
6.7.90	042	" "	"	551/00	045		5.510	M.S. casting	
6.7.90	043	" "	"	1559/00	046	S/S	12.475	Duplex C.I. Ingot Mould	
7.7.90	044	"	"	2115/00	047	S/S	16.220	C.I. [illegible]	
11.7.90	045	" "	"	992/00	048	S/S	7.935	Duplex Ingot Mould	93,[illegible]
1.7.90	046	"		[illegible]/00	049	S/S	[illegible]	Duplex Ingot Mould	
20.7.90	047	Bhilai Engineering Corpn.	"	2,122/50	050	S/S	14.550	C.I. Ingot Mould	
20.7.90	048	Simplex Castings Ltd	"	1,044/00	051	S/S	3.355	C.I. Duplex Mould	
23.7.90	049	Bhilai Engg Corpn.	"	1,514/00	052	S/S	10.095	C.I. Ingot Mould	[illegible]
25.7.90	050	Bhilai Engg. Corpn	"	1,699/00	053	S/S	11.260	C.I. Ingot Mould	
25.7.90	051	Bhilai Engg. Corpn.	"	1,764/00	054	S/S	11.760	C.I. Ingot Mould	1,03,448.90
26.7.90	052	Bhilai Engg Corpn	"	1,501/00	055	S/S	12.585	" "	[illegible]
									1,05,349.90

[illegible]	067	SCL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C.I. Ingot mould
13.08.90	068	SCL	Bhilai	099,00	72	[illegible]	8.790	C.I. Duplex
13.08.90	069	BEC	Bhilai	1,374,00	70	[illegible]	9.155	C.I. Ingot Mould
13.08.90	070	BEC	Bhilai	2,024,00	73	[illegible]	13.490	C.I. Ingot Mould. 122,642.90
17.08.90	071	BEC	Bhilai	1,762,00	74	[illegible]	11.745	C.I. Ingot mould
17.08.90	072	BEC	Bhilai	1,420,00	74 A	[illegible]	9.465	C.I. Ingot mould
20.08.90	073	BEC	Bhilai	1,493,00	75	[illegible]	9.955	C.I. Ingot mould
20.08.90	074	SCL	Bhilai	1,101,00	76	[illegible]	8.810	SBIM Scrap
24.08.90	075	SCL	Bhilai	1,196,00	75	[illegible]	9.570	SBIM
24.08.90	076	BEC	Bhilai	1,673,00	77	[illegible]	11.155	C.I. Ingot mould
27.08.90	077	SCL	Bhilai	2,385,00	79/80	[illegible]	19.100	C.I. duplex Ingot mould
28.8.90	078	B.EC.	Bhilai	1,742,00	81	[illegible]	11.615	C.I. Ingot Mould
28.8.90	079	B.EC.	Bhilai	1,629,00	82	818	10.860	C.I. Ingot Mould
29.8.90	080	SCL	Bhilai	1,693,00	84	8/2	13.540	Rej. Foundry Scrap
29.8.90	081	SCL	Bhilai	809,00	85	[illegible]	6.470	Rej. Foundry Scrap

Date	Bill	Party	Place	Amount	Challan	L.F.	Quantity	Name of Vehicle	Remarks
[illegible]	82	S.C.L.	Bhilai	506/00	83	[illegible]	4.[illegible]		[illegible]
30.8.90	83	B.E.C.	Bhilai	1485/-	86	[illegible]	13.200		
[illegible]	84	S.C.L.	Bhilai	1723/-	87	[illegible]	13.[illegible]		
[illegible]	85	B.E.C.	Bhilai	1742/-	88	[illegible]	[illegible]		
1.9.90	86	B.E.C. [illegible] X	Bhilai	1945/-	89	[illegible]	12.[illegible]		
1.9.90	87	S.C.L.	Bhilai	1524/	90	5/9	12.[illegible]		
[illegible]	88	B.E.C.	Bhilai	1415/-	91	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	89	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1564/	92	[illegible]	[illegible]		
	90	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1376/-	93	[illegible]	11.[illegible]		
[illegible]	91	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1414/-	94	[illegible]	11.[illegible]		
	92	Bhilai Engineering Corpn.	Bhilai	2031/-	95	[illegible]	13.[illegible]		
[illegible]	93	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1507/-	96	[illegible]	12.[illegible]		
	94	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1471/-	97	[illegible]	11.[illegible]		
"	95	Bhilai Engineering Corpn.	Bhilai	1753/-	98	[illegible]	11.[illegible]		
"	96	Bhilai Engineering Corpn.	Bhilai	1645/-	99	[illegible]	11.[illegible]		
"	97	Simplex Casting Ltd	Bhilai	854/-	100	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	98	Bhilai Engineering Corporation	Bhilai	2013/-	101	[illegible]	13.[illegible]		
[illegible]	99	Bhilai Engineering Corpn.	Bhilai	1941/-	102	1/5	12.9[illegible]		
[illegible]	100	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1595/-	103	[illegible]	12.[illegible]		
[illegible]	101	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]	105	[illegible]	12.[illegible]		
[illegible]	102	Simplex Casting Ltd	Bhilai	935/-	107	[illegible]	7.[illegible]		
[illegible]	103	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1518/-	106	8/9	12.[illegible]		
27.9.90	104	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1612/-	104	8/5	10.725		
27.9.90	105	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1529/-	108	8/5	12.230		
27.9.90	106	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1508/-	109	5/5	12.600		

Date	Bill	Party	[illegible]	Amount				[illegible]	Quantity
25-9-90	107	Bhilai Engineering Corporation	Bhilai	[illegible]	[illegible]	113	[illegible]	Rejected foundry	15.345
1-10-90	108	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]		111			[illegible] 9 [illegible]
1-10-90	109	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]		114			[illegible]
1-10-90	110	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]7		[illegible]		"	4.[illegible]
[illegible]	111	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]					[illegible] 75
[illegible]	112	Bhilai Engineering Corporation	Bhilai	[illegible]					[illegible]
[illegible]	113	Bhilai Engineering Corporation	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	114	Bhilai Engineering Corporation	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	115	Simplex Casting Ltd	[illegible]	[illegible]					7.[illegible]
[illegible]	116.	Bhilai Engg. Corporation	[illegible]	[illegible]	[illegible]	121			6.[illegible]
[illegible]	117.	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1255	[illegible]	123	[illegible]		10.[illegible]50
[illegible]	118	Simplex Casting Ltd		[illegible]		[illegible]			10.[illegible]
[illegible]	119	Bhilai Engineering Corpn.	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]			11.[illegible]5
[illegible]	120	"	"	1775	[illegible]	125			11.[illegible]5
[illegible]	121	Simplex Casting Ltd	"	[illegible]	[illegible]	126			10.[illegible]25
[illegible]	122.	"	"	[illegible]	[illegible]	127			[illegible]
				[illegible]					
3-11-90	123.	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]	[illegible]	128.	[illegible]	Rejected foundry	14.870
"	124	Bhilai Engg Corpn.	"	[illegible]	[illegible]	129	[illegible]	"	13.965
[illegible]	125	Bhilai Engineering Corpn.	Bhilai	[illegible]	[illegible]	130.	[illegible]	C. I. Engg[illegible]	13.[illegible]35
3-11-90	126.	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	1448	[illegible]	131.	[illegible]	C. I. [illegible] Engg[illegible]	11.580
	127	"	"	1339	[illegible]	132	[illegible]	"	10.710
	128.	"	"	1418	[illegible]	133	[illegible]	C. I. [illegible] Engg[illegible]	11.340
4-11-90	129.	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	1768	[illegible]	134	[illegible]	C. I. [illegible] foundry	14.140
	130.	"	"	1665	[illegible]	135	[illegible]	"	11.[illegible]

Date	Bill	Party's Name	Address	Amount Rs.	Challan No.	L.F.	Nature of Job Work	Qty.
16.11.50	131.	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	1042	136.	[illegible]	C. I. Skull.	6. 945
18.11.50	132.	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	1555	137.	[illegible]	C. I. Reg Foundry.	12. 440
20.11.50	133.	Simplex casting Ltd.	[illegible]	598	138. 139.	[illegible]	"	2. 785
22.11.50	134	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	148	140.	[illegible]	"	1. 590
"	135	"	"	157	141	[illegible]	C. I. Skull.	1. 005
"	136.	"		122	142.	[illegible]	C. I. Reg Foundry.	2. 125
24.11.50	137	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	233	143.	[illegible]	C. I. [illegible]	1. 885
	138.	"		23	144		C. I. Reg Foundry.	19. 505
26.11.50	139.	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	1140	146.		C. I. Skull.	4. 800
	140.	"	"	1541	145		C. I. Reg Foundry.	2. 325
28.11.50	141.	Simplex Casting Ltd.	[illegible]	2238	147.	4/9	C. I. [illegible]	4. 900
"	142.	"	"	1695	148.	4/9	C. I. Reg Foundry.	5. 560
				3,333				

FOR

Date	Bill	Party's Name	Address	Amount		L/T	Job No.	Nature of Job Work	Qty	
1.12.90	143	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]	00	[illegible]	143	C.I. Ingot [illegible]	11.	23[illegible]
1.12.90	144	Simplex Casting Ltd	Bhilai	31[illegible]	00	[illegible]	150	C.I. Rejected Foundry	1[illegible]	555
4.12.90	145	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]	00	[illegible]	152	C.I. Rejected Foundry	12.	3[illegible]
5.12.90	146	Simplex Casting Ltd	Bhilai	157[illegible]	[illegible]	[illegible]	153	C.I. Rejected Foundry	10.	3[illegible]
6.12.90	148.	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]	00		151	C. [illegible]	10.	[illegible]
"	149.	" "	"	[illegible]	00	[illegible]	154		08.	3[illegible]
"	147	" "	"	[illegible]	00	[illegible]	155	" "	07.	325
7.12.90	150	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]	00		15[illegible]	C. [illegible]	11.	[illegible]
8.12.90	151	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	[illegible]	00	[illegible]	157	C. [illegible]	10.	[illegible]
11.12.90	152.	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	[illegible]	00	[illegible]	158	C.I. Rej Foundry	7.	[illegible]
"	153	" "	"	[illegible]	00	[illegible]	159	C.I. [illegible]	9.	[illegible]
13.12.90	154	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	1368	00	S/9	160	C.I. Rej Foundry	10.	945
15.12.90	155	"	"	1739	00	[illegible]	161	"	13.	915
"	156	"	"	678	00	[illegible]	162	C.I. Skull	11.	185
"	157	"	"	1569	00	S/9		C.I. Rejected Foundry	12.	555
17.12.90	158	"	"	1609	00	S/9	163	C.I. Scrap	10.	725
				24673	00					

Date	Bill No.	Party's Name	Address	Amt. Rs	Ps	V/C	T.R. No.	Nature of Job work	Qty.
				29,673	00				
18.12.90	158 A	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	1579	00	99	165	C. I. Scrap Mould	12. 790
22.12.90	159.	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	1718	00	3/5	166.	C. I. Scrap Mould	18. 7[illegible]
"	160	"	"	1888	00	[illegible]	167	C. I. Scrap Skull.	12. 525
23.12.90	[illegible]		"	1358	00	[illegible]	[illegible]	C. I. [illegible]	[illegible]
27.12.90	162.	"	"	1526	00	[illegible]	[illegible]	C. I. Skull.	[illegible] 175
"	163	"	"	[illegible]5	00	[illegible]	[illegible]	C. I. [illegible]	[illegible]
"	[illegible]	"	"	[illegible]67	00	[illegible]	[illegible]	C. I. Scrap.	[illegible] 535
28.12.90	[illegible]5	"	"	[illegible]04	00	[illegible]	[illegible]	C. I. [illegible]	[illegible] 525
29 [illegible]				[illegible]					

Date	Bill no.	Party's Name	Address	Amount Rs.	P.	L/F	Challan no.	Nature of Job Work	Remarks
1.1.91	166	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1331	00	3/9	174	C. I. Ingot mould	10.645
1.1.91	167	Simplex Casting Ltd	Bhilai	1559	00	3/9	173	"	10.350
3.1.91	168	Simplex Casting Ltd	"	1676	00	3/3	175	C. I. Scrap Skull	11.155
3.1.91	169	Simplex Casting Ltd	"	1577	00	3/3	176	C. I. Rej. Foundry	12.475
[illegible].1.91	170	Simplex Casting Ltd	"	1556	00	[illegible]	177	C. I. Mould Scrap	12.570
7.1.91	171	Simplex Casting Ltd	"	1423	00	[illegible]	178	C. I. Skull	13.355
9.1.91	172	Simplex Casting Ltd	Bhilai	[illegible]	00	[illegible]	179	C. I. Rej. mould Scrap	13.335
11.1.91	173		"	[illegible]		3/5	180	Duplex Mould	5.485
15.1.91	174	"	"	[illegible]	00	[illegible]	182	C. I. Foundry Rej. Scrap	[illegible]
18.1.91	175	" "	"	[illegible]	00	[illegible]	183	C. I. Foundry Scrap	14.250
19.1.91	176	" "	"	19[illegible]	00	[illegible]	184	C. I. Skull	12.865
21.1.91	177			[illegible]	00	[illegible]	185	C. I. Foundry Scrap	27.545
21.1.91	178			19[illegible]	00	[illegible]	186	C. I. mould Scrap	10.735
24.1.91	179	" "	"	1587	00	3/3	187	C. I. Skull	10.560
24.1.91	180	" "	"	1327	00	3/9	188	C. I. Scrap	8.[illegible]15
24.1.91	181	Bhilai Engg. Corporation	Bhilai	[illegible]	00	[illegible]	189	Foundry Scrap	27.330 MT
28.1.91	182	Simplex Casting Ltd.	"	[illegible]63	00	[illegible]	191	"	3.325
"	183	"	"	2233	00	[illegible]	190	Duplex Mould	16.205
29.1.91	184	Bhilai Engg. Corporation	"	[illegible]	00	[illegible]	192	Foundry Scrap	25.380
"	185	Simplex Casting Ltd	"	1990	00	[illegible]	193	C. I. Rej Foundry	13.720
31.1.91	186	Simplex Casting Ltd	"	1675	00	[illegible]	194	Duplex Mould	13.410
31.1.91	187	Bhilai Engg. Corporation	"	1441	00	[illegible]	195	Heavy Foundry Scrap	13.605
~~1.2.91~~	~~188~~	~~Simplex Casting~~	"	~~1133~~	00	[illegible]	~~196~~	~~Duplex mould Scrap~~	~~5.535~~
				34360	—				247.905

Date	Bill No.	Party's Name	Address	Amount	P.	[illegible]	Challan No.	Nature of Job work	Remarks
1.2.91.	188.	Simplex Casting Ltd.	Bhilai	1122	00	59.	196.	Cupola Mould Scrap	[illegible]
12.2.91.	189.	Bhilai Engg. Corporation	"	1034	00	83	[illegible]7.	Foundry Scrap.	[illegible]
"	190.	Simplex Casting Ltd	"	1839	00	[illegible]	[illegible]8.	Cupola Mould Scrap	[illegible]
"	191.	"	"	[illegible]	00	[illegible]	[illegible]	R.I. Foundry Scrap.	[illegible]
"	192.	"	"	[illegible]	00	[illegible]	[illegible]2.	Cupola Mould	[illegible]
"	193.	"	"	[illegible]	00	[illegible]	[illegible]2.	[illegible]	[illegible]
3.2.91.	194.	"	"	[illegible]	00	[illegible]	202.	[illegible]	[illegible]
"	195	"	"	1391	00	[illegible]	203.	R.I. Foundry Scrap	[illegible]
[illegible].2.91.	196.	"	"	[illegible]	00	[illegible]	204.	[illegible]	[illegible]
20.2.91	197	"	"	[illegible]	[illegible]		205	[illegible]	[illegible]
[illegible].2.91	198	"	"	1951	[illegible]	[illegible]	206	Foundry [illegible]	[illegible].510
"	199	"	"	1124	00	[illegible]	207	[illegible]	[illegible]
25.2.91.	200	"	"	1599	00	[illegible]	207	Foundry [illegible]	[illegible]
[illegible].91	201	"	"	1699	[illegible]	57	[illegible]	Foundry [illegible]	[illegible]
[illegible].2.91	202.	"	"	2406	[illegible]	57	[illegible]	[illegible] Scrap [illegible]	[illegible]
[illegible]		"							
				[illegible]					169.[illegible]
				J/S					
				2245[illegible]					

Date	Bill No.	Party's name	Address	Amount Rs.	P.	[illegible]	Challan no	Nature of Jobwork	Remarks
20.3.91	203	Simplex Casting LTD	Bhilai	1106	00	5/5	212	C.I. Scrap Mould	7.370
21.3.91	204	"	"	1091	00	[illegible]	213	C.I. Skull	7.275
26.3.91	205	"	"	1191	00	[illegible]	214	[illegible]	[illegible]
27.3.91	206	"	"	1574	00	5/9	215	C.I. Suplex Mould	[illegible]
25.3.91	207	"	"	723	00	5/9	216	C.I. Skull.	5.[illegible]
				[illegible]	—				[illegible]

[illegible]

D-13[illegible] (1)

[illegible]	Name of the party	[illegible]	Amount	P.	Challan No.	Name of the [illegible]	[illegible]
[illegible].4.01 01	Simplex Castings Limited	Bhilai	1397	-	[illegible] 01	C.G. Rej. Fund Suri	11.175
			1397	-			11.175

Date	Bill no.	Name of the [illegible]	[illegible]	Amount		[illegible]	Challan no.	Nature of [illegible]	[illegible]
1.5.91	02.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	770	-	[illegible]	02	C.I. Skull.	5.30
"	03.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	1023	-	[illegible]	03.	C.I. Rej Found Scrap	3.25
3.5.91	04.	Simplex Castings Ltd	Bhilai	984	-	[illegible]	04	Rej. Foundry Scrap.	[illegible]
10.5.91	05.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	1230	-	[illegible]	05.	C.I. Rej Found Scrap	[illegible]
"	06.	Simplex Castings Ltd	Bhilai	939	-	[illegible]	06	C.I. Rej Found Scrap.	7.[illegible]
17.5.91	07.	Simplex Castings Ltd	Bhilai	1124	-	[illegible]	07, 08	C.I. Rej Found. Scrap.	8.990
[illegible].5.91	08.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	1262	-	[illegible]	09.	C.I. Rej Found Scrap	12.[illegible]
[illegible].5.91	09	Simplex Castings Ltd	Bhilai	1522	-	[illegible]	10.	C.I. Rej Found Scrap	[illegible]
[illegible].5.91	10.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	940	-	[illegible]	11.	Rej. Found Scrap.	7.[illegible]
"	11.	Simplex Castings Ltd	Bhilai	1324	-	5%	12.	Found. Rej Scrap.	10.[illegible]
[illegible].5.91.	12.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	608	-	5%	13	C.I. Rej Foundry Scrap	4.[illegible]
31.5.91	13.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	1446	-	5%	14.	C.I. Rej Found. Scrap	11.570
				13 17[illegible]	-				

D-[illegible]

JUNE '91.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.6.91	14.	Simplex Castings Limited	Bhilai	4813 -	s/ 15,16,17	Rej. Found. Scrap.	35 570
5.6.91	15	Simplex Castings Limited	Bhilai	928 -	s/ 18.	C. I. Scrap.	7 420
	16	Simplex Castings Limited	Bhilai	834 -	s/ 19.	C. I. Box Metal Scrap	6 875
14.6.91	17.	Simplex Castings Limited	Bhilai	1054 -	s/ 20.	C. I. Casting	5 455
21.6.91	18.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	3650 -	s/ 21, 22.	Foundry Rej. Scrap.	[illegible]
24.6.91	19.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	1646 -	s/ 23.	C. I. Found. Rej. Scrap.	13 [illegible]
29.6.91	20.	Simplex Castings Ltd.	Bhilai	697 -	s/ 26.	Foundry Rejection	5 875
				13,022 -			[illegible]

JULY '91.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].7.91	21	Simplex Castings Limited	Bhilai	1176 --	37.	[illegible] Casting (Rejected)
3.7.91	22.	Pragati Engg. Works.	Bhilai	[illegible]	[illegible]	[illegible] C.I. Scrap.
[illegible].7.91	23.	Simplex Castings Limited	Bhilai	[illegible]	[illegible]	F.Y. Foundry Scrap.
[illegible].7.91	24.	Boxi Enterprises.	Bhilai	[illegible]	[illegible]	[illegible] Scrap.
				[illegible] -		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Amount		P	Challan No.	[illegible]	[illegible]
[illegible].8.91	25.	Simplex Castings Limited	[illegible]	1544	-	[illegible]	35.	C. [illegible] Foundry [illegible]	15. [illegible]
[illegible].8.91	26.	Simplex Castings Limited	[illegible]	2641	-	[illegible]	36.	[illegible] Foundry	21 [illegible]
[illegible].8.91	27.	Simplex Castings Limited	[illegible]	1909	-	[illegible]	38, 39.	Rej. Foundry [illegible]	15. [illegible]
[illegible].8.91	28.	Simplex Castings Limited	[illegible]	1722	-	[illegible]	40	Rej. Foundry [illegible]	15. 775
24.8.91	29.	Simplex Castings Limited	[illegible]	1291	-	[illegible]	41	Rej. Foundry [illegible]	[illegible]
				[illegible]					[illegible]

Date	Bill No.	Name of the Party		Amount		L.R. Challan No.	[illegible]		
13.9.91	30	Hari Ram Agarwal	Siliguri	1285	-	11/2	Centring Plate	8.	565
16.9.91	31	Sharma Steels	Siliguri	839	-	4/[illegible]	Centring Plate	5.	[illegible]
13.9.91	32	Simplex Casting Units	Siliguri	1451	-	5/11	Rej. Foundry scrap	11.	6.5
				3575	-			[illegible]	[illegible]

Date	[illegible]	Name of the Party	[illegible]	Amount		Challan No.	Nature of [illegible]	[illegible]
7.12.91	33.	Simplex Castings Limited	Bhilai	3264 -	5''	43, 44.	Rejected Mould.	[illegible]
3.12.91	34	Simplex Castings Limited	Bhilai	2952 -	5''	45, 46.	C.I. Rej. foundry Scrap	[illegible] 615
[illegible].12.91	35	Simplex Castings Limited	Bhilai	2545 -	5''	48, 51	Duplex Mould.	[illegible]
"	36.	Simplex Castings Limited	Bhilai	2250 -	5''	49, 50.	Rej. Foundry (Mould)	[illegible]
[illegible].12.91.	37.	Simplex Castings Limited	Bhilai	2173 -	5''	52, 53.	Rej foundry Scrap	[illegible]
"	38.	Simplex Castings Limited	Bhilai	1455 -	5''	54, 55.	Rej. Foundry Scrap	11. 67.
29.12.91	39.	Simplex Castings Limited	Bhilai	767 -	5''	56.	C.I. Rej. foundry.	[illegible] 135
				15,406 -				[illegible]

NOVEMBER '91

Date	[illegible]	Name of the [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Nature of [illegible]	[illegible]
[illegible].11.91	40.	Simplex Castings Limited	Bhilai	[illegible]311 - [illegible]	57,58,59,63	C. I. Rejected Found. Scrap	38.[illegible]
	41	Simplex Castings Limited	Bhilai	3626 - [illegible]	62.	C. I. Skull	10.360
[illegible].11.91	42.	Simplex Castings Limited	Bhilai	[illegible] - [illegible]	[illegible]	C. I. Rej. Foundry Scrap	[illegible]
[illegible].11.91	43	General Engg. Works	Bhilai	[illegible] - [illegible]	[illegible]	Bottom Plate	[illegible]
[illegible].11.91	44.	Simplex Castings Limited	Bhilai	[illegible] - [illegible]	[illegible]	C. I. Rej. Foundry Scrap	[illegible].965
				[illegible] -			

This is to certified that this is [illegible] Register of [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] All entries made on the basis of challan & bills.

[illegible]
5.12.91 [illegible]

D-13

RECEIPT MEMO

1. Crime No. & Section : RC.9/S/91/CBI/SIU-V/ U/Sec.302 IPC

2. Received by : P. Murali, Inspr. of Police SIT/CBI/Madras

3. Produced by : Paul Rajkumar
Manager
Hotel President
16 Edward Elliots Road,
MADRAS 600 004.

4. List of documents seized :

(i) Hotel Arrival Report reg.No.70062 dt.15.10.91 Registered by Shah Chandra, No.34 Civec Conter Bhilai Durg (M.P.)

(ii) Hotel Receipt No.117865 dt.18.10.91 for Rs.1549/-

(iii) Board and Apartment Guest Bill for Rs.1549/- issued to Shah Mr.Chandra dt.18.10.91

Received by me

20/10/91

(P. MURALI)
INSPR. OF POLICE
CBI:SIT:MADRAS

Produced by me

Re 97(S)97-SH 2/CBI/SIC II

hotel
president

HOTEL REGISTRATION
THE REGISTRATION OF FOREIGNERS
RULES 1939
FORM C
HOTEL ARRIVAL REPORT
(RULE 14)

Registration Nº 7006?

Edward Elliots Road, Madras-4

NAME (Surname First): SHAH CHANDRA Mr.

Designation & Co. Address: 34, Civic-Center Bhilai, Durg. (M.P.)

Nationality: Indian No. of Persons: one

Arrived from: Calcat Proceeding to: Bhilai

Date of Arrival: 15-10-91 Time: 6.30 pm.

Date of Departure: Time:

Whether Employed in India: Yes/No.

CHECK OUT TIME: 24 HOURS

I agree to abide by the rules and regulations of the hotel

Manager's Signature Guest Signature

FOR FOREIGNERS ONLY

Passport No:

Date of Issue: Place:

Date of arrival in India:

Proposed duration of stay in India:

Registration No:

Date of Issue: Place:

Bill by: ☐ Cash ☐ Travel A... ☐ Airlines ☐ Compan... ☐ Credit Card ....

FOR OFFICE USE ONLY

Room No. 401 Tariff ...

Booked by ...

Billing Instructions ... Dre

....

Bill No. .... Recepti...

RE 97(S)97-SH 2/CBI/SIC II

hotel
president

EDWARD ELLIOTS ROAD
MADRAS-600 004

Phone: 832211
Fax: 044-832290
Tlx: 041-6699 ARIS-IN
Grams: GAYTIME

D-139

RECEIPT

Nº 117865

DATE 17/10/91

Received with thanks from Mr. Shah Chandra

the sum of Rupees One thousand five hundred and forty nine only Cheque/Cash In Full/Part Settlement

towards 7006 # 401

For HOTEL PRESIDENT

Rs. 1549/-

(Cheques are subject to realisation)

CASHIER/RECEPTIONIST

BOARD & APARTMENT GUEST BILL

hotel president

Edward Elliots Road, Madras [illegible] Phone [illegible]
Fax [illegible] Tlx [illegible] Cable GAYTIME

NAME [illegible] Bill No. : [illegible]

ADDRESS [illegible]

No. of Persons : [illegible] Room No. : [illegible]

Date of Arrival [illegible] Time [illegible] Date of Depit. [illegible] Time [illegible]

Particulars	1	2	3	4				Total
Room Tariff	[illegible]25.00	325.00	[illegible]					975.00
Restaurant	22.00	[illegible].00	[illegible]					126.00
Telephone		[illegible].00	[illegible]					[illegible]
Laundry			[illegible]					[illegible]
Misc.								0.00
Adl. Charges	65.00	65.00	[illegible]					[illegible]
Luxury Tax	[illegible]	62.00	[illegible]					[illegible]
Daily Total	[illegible]07.00	[illegible]	[illegible]					[illegible]
Balance B/F		[illegible]	[illegible]					
Receipts Receipt No.								[illegible]
Final Balance								[illegible]
Less Advance								0.00
RECEIVED [illegible]								[illegible]

117866

Guest's Signature

Receptionist

Date : [illegible]
Time : [illegible]

G.B. No. [illegible]

Prepared by
Checked by

- Bills are presented weekly
- All bills are payable on presentation
- Cheques are not accepted
- Checkout Time [illegible] hours
- E.& O.E.

- [illegible]
- [illegible] leave room key at Reception
- [illegible]

D-141

RECEIPT MEMO

1) CASE NO. : RC 9(S)/91-SIU-X/SIC-II/CBI/SPE N-Delhi

2) PLACE & DATE OF RECEIPT : BHADRACHALAM (DISTT. KHAMMAM) 30-11-91.

3) FROM WHOM RECD. : Sh. M. Mohan Receptionist, Hotel Godavari Bhadrachalam.

4) BY WHOM RECD. : SHAMSHER Inspr/CBI/SPE/SIC-II N-Delhi Camp- BHADRACHALAM.

5) PARTICULARS OF DOCUMENTS RECEIVED.

I) A bunch of Register of Arrivals Form with S. No 1050 to S. No 1100 of Hotel Godavari, Bhadrachalam (Total (51) Receipt Sheet 1052)

II) One copy of advance receipt No 6573 dt 11/10/91 of Hotel Godavari vide which C.K. Shah paid an advance of Rs. 50/- only, duly attested by M. Mohan, receptionist.

Recd from
M. Mohan 30/11/91
(M. Mohan)
Receptionist
Hotel Godavari, Bhadrachalam

Recd By
Shamsher 30/11/91
(SHAMSHER)
Inspr/CBI/SIC-II
N-Delhi
Camp: Bhadrachalam.

Received a copy
[signature]
30/11/91

Grams : "GODAVARI" Phones: [illegible]

HOTEL GODAVARI

Opp. Bus Stand, BHADRACHALAM-507 111

ALL RESIDENTS AND VISITORS TO THE HOTEL MUST SIGN AS AN INDICATION TO THE MANAGEMENT THAT THEY ARE WILLING TO ABIDE BY THE RULES OF THIS HOTEL.

1052

D-142

REGISTER OF ARRIVALS

Date	Time	Regd. No.	Room No.	No. of Persons	Name and address (in block letters) accompanied by	Full Address & Permanent Place of Residence	Arrived from	Occupation	Purpose of Visit	Probable date of departure and destination	Nationality	Signature
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]							
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	3-30	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible] Civic Center, Bhilai (M.P.	Bhilai	Bins		11-10-91	Indian	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Business		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	17-50	1742	[illegible]		[illegible]	[illegible] Nallakunta Hyderabad	Hyd		Temple		Indian	
[illegible]	[illegible]	1743	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	1744	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

(CBI) 95
(MADRAS) 2

Copy of Receipt No - 6593 of Hotel Godavari
Bhadra Chalam 507112

Gram: Godavari

Phones {2692
2693
2694

NO - 6593

HOTEL GODAVARI
A.C. Boarding & Lodging
Opp. Bus stand Bhadra Chalam 507112

Advance Receipt

Dt. 11-10-91

Received with thanks from Smt/Sri. C.K. Shah
The Sum of Rupees - 60/- (Rupees Sixty only)
being an Advance Receipt, on account of
Room No. 201

Sd/-
Manager
(Ch. Sekhar)
Receptionist

Attested
(M. Malayan Rao)
M. Malaya
Receptionist
For HOTEL GODAVARI
30/11/91
Manager

[illegible] D-1191

1) Case [illegible] RC [illegible] / [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible]

2) Date and place [illegible] [illegible] 1991
of receipt [illegible]

3) From whom [illegible] [illegible]
received [illegible]
[illegible]
[illegible]

4) By whom [illegible] [illegible]
[illegible] / [illegible] / [illegible]
[illegible]
[illegible]

5/ Brief [illegible] of the document [illegible]

I) [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
([illegible])
Asstt. Executive [illegible]
[illegible]
[illegible] ([illegible])
[illegible]

[illegible]
[illegible]
([illegible])
[illegible] / [illegible]
[illegible]
[illegible]

Received [illegible]
[illegible]

27 ([illegible]) D-[illegible]

185	614	[illegible]	Car	3.00	3.00
	15	[illegible]	Car	2.00	5.00
	16	[illegible]	Van	[illegible]	8.00
	17	[illegible]	Car	[illegible]	10.00
	18	[illegible]	Car	2.00	12.00
	19	[illegible]	Car	2.00	14.00
	20	[illegible]	Van	2.00	16.00
	21	[illegible]	Car	2.00	18.00
	22	HR 29 [illegible]	L	9.00	27.00
	23	KL [illegible]	Car	2.00	29.00
	24	FIP		2.00	31.00
	25	FIR		2.00	33.00
	26	GJ 10 T 5442	L	9.00	42.00
	27	GJ 10 T 6272	L	9.00	51.00
	28	KL 11 5819	L	6.00	57.00
	29	HR 29 5645[illegible]	L	9.00	66.00
	30	KL 10 3397	L	6.00	72.00
	31	AB [illegible]	Car	2.00	74.00
	32	AB [illegible] 1035	Van	3.00	77.00
	33	AHW 6611	Car	2.00	79.00
	34	TN 09 B1632	Car	2.00	81.00
	35	KL 5 A 1141	L	6.00	87.00
	36	AA [illegible] 3844	Car	[illegible]	89.00
	37	Cancelled			
	38	AF [illegible] 5226	[illegible]	9.00	98.00
	39	TN [illegible]	L	6.00	104.00
		([illegible])			
	D[illegible]	13-10-91 To 14-10-91 10.00 pm to 6.00 am		[illegible]	
1856	40	A[illegible] 3[illegible]	Car	2.00	2.00
	41	AAC 89[illegible]	Com	6.00	8.00
	42	[illegible]	Car	2.00	10.00
	43	A[illegible] [illegible]	"	2.00	12.00
	44	[illegible] 300	Car	2.00	14.00

[illegible] only.

[illegible] [illegible] 14/10/91

[illegible] [illegible] /10/91.

Asst. Executive Engineer (R&B)
N.H. Section (Original Works)
GUDUR, Nellore Dt.

D - 1

1) Crime No. [illegible] /SIC-II/ [illegible] /SPE/ [illegible]

2) Date and place [illegible] 4-11-91
of Recovery [illegible] Hotel Savera, Nagpur.

3) From whom [illegible] Shri [illegible] Room No. [illegible]
Recovered [illegible] [illegible], [illegible]
Hotel Savera, Nagpur

4) By whom recovered: SHANKAR [illegible]
Inspr/CBI/SPE/SIC-II/N
Camp: Nagpur

5) Brief particulars of material recovered

i) [illegible] / [illegible] Hotel Savera, Nagpur for the period of [illegible] 3-11-91 to 4-11-91 ([illegible] GS. [illegible] (IW) [illegible])

II) Photocopy of the [illegible] NS, [illegible]
[illegible]

[Signature] 4/11/91

Received a copy
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

D-147

D-147

HOTEL SONA

33, Gandhi Grain Market, Central Avenue, Nagpur-440 008.

SERIAL NO.	DATE	PASSENGER'S FULL NAME	PASSENGER'S PERMANENT ADDRESS	ROOM NO.	MALE FEMALE	AGE	STATION FROM ARRIVED	[illegible]
665	8/10/91	C.K.SHAH	34, Civec Center Bhilai	104	M/F	35	Durg	-

ARRIVED TIME	ARRIVED DATE	DEPARTURE TIME	DEPARTURE DATE	ADVANCE DEPOSIT	FINAL BILL	TOTAL DAY'S	SIGNATURE	REMARKS
9.30 p.m.	8-10-91	6.00 A.M.	9/10/91	125/-	B.No.105 Rs. 81=90		Sd/-	Paid Am.

RC 9/(S)/91-SIU-V/CBI/SIC II

CBI
MR No. 47
Item No. 2

D-148

8-10-91 K. Shah 9-10-91

105

1 one day

Mr. C. K. Shah
34 ... Complex Bhilai
9-10-91

4/11/91

D-1

SEIZURE - MEMO.

1. Case No - RC- 9(S)/91-SIC-II/SIC-II/N. Delhi
U/s 302, 34, 120-B IPC &
25/27 Arms Act

2. Date and Place of seizure: 11/12/91; State Bank of India, Industrial Estate Branch, Nandini Road, Bhilai M.P

3. By whom seized :- M. D. Pandey, Dy. S. P., CBI/SIC-II/N Delhi/Camp.

4. From whom seized :- Sh. D.K. Dubey, Branch Accountant, SBI, Indl. Estate

5. Particulars of documents seized :-

1. A/c Opening form & S.S. Card of C.A. No - 10/1033 of Oswal Iron and Steel Pvt Ltd dated 3.5.88 (One

2. A/c Opening form and S.S. card of C.A. No - 4/611 of Oswal Steel Industries, ~~dated~~ M (Two sheets)

~~Both~~ M All the documents have been signed by Sh. C.K. Shah.

Copy Received
[signature]
11/12/91

Handed Over
[signature] 11/12/91.
(D.K. Dubey)
Branch Acctt
SBI / Indl. Estate Branch
Bhilai, (M.P.)

TAKEN OVER.
M D Pandey 11/12/9
(M.D. Pandey)
Dy. S.P.
CBI/SIC-II/N Delhi
Camp :- Bhilai

[redacted] Industrial Estate - Branch [redacted]

Please open a CURRENT ACCOUNT in the name of my/our firm as per undernoted particulars.

NAME OF FIRM COMPANY	ADDRESS	NATURE OF BUSINESS
Oswal Iron & Steels Private Limited	17-F Industrial Estate Bhilai	Steel Process

NAMES OF ALL PARTNERS/PROPRIETOR(S)	NATIONALITY	ADDRESS
1 Mr. Chandrakant Shah	Indian	1915 West Nehru Nagar Bhilai
2 Mrs Prafulla Rajesh Shah	Indian	MIG 73, Vaishali Nagar. Bhilai
3		
4		
5		

D-15/1

MODE OF OPERATION*	NAME AND ADDRESS OF INTRODUCER
ANY ONE	[illegible]

I/We agree to abide by the Bank's Current Accounts Rules. (Only those partners operating the account should sign below)

(NAME)	(SIGNATURE)	FOR OFFICE USE Signatures of verifying official
Chandra Kant Shah	OSWAL IRON & STEEL PVT. LTD. [signature] DIRECTOR	[signature]
Smt. Prafulla Rajesh Shah	OSWAL IRON & STEELS PVT. LTD. Prafulla Shah. Prafulla Shah DIRECTOR	[signature]

DATE 3-5-88 19

The proprietor/partners of the above firm are personally known to Me/Us for a period of ______ months/years and confirm his/her/their occupation & address.

SIGNATURE OF INTRODUCER A/c No. (if any) 26/595

OPEN	ACCOUNT OPENED	DATE AND NO. OF PARTNERSHIP LETTER	DATE OF PARTNERSHIP DEED (IF OBTAINED)
DR. MANAGER.	LEDGER KEEPER OFFICER		NUMBERS OF CHEQUE BOOK ISSUED FROM TO

Please indicate a suitable choice viz. All Partners Jointly / Severally, Partner 1 & 2 Jointly / Severally etc.

RF. 39 [illegible] SS 1342

फर्मों के लिए चालू खाता खोलने का फार्म—

भारतीय स्टेट बैंक

शाखा

खाता क्रमांक

कृपया मेरे / हमारे फर्म के नाम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक चालू खाता खोल दें।

फर्म का नाम	पता	व्यवसाय का विवरण

सभी भागीदारों/मालिकों के नाम	राष्ट्रीयता	पता
१.		
२.		
३.		
४.		
५.		

परिचालन विधि*	परिचयदाता का नाम और पता

मैं / हम बैंक के चालू खाते के नियमों का पालन करने के लिये सहमत हूँ / हैं (केवल खाते का परिचालन करने वाले भागीदार ही नीचे हस्ताक्षर करें)

नाम	हस्ताक्षर	कार्यालय के उपयोग के लिए (सत्यापित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक ....19......

मैं/हम ... भागीदारों/फर्मों से ... हूँ।	खोला गया	खाता खोल दिया गया	भागीदारी पत्र का क्रमांक और दिनांक	भागीदारी विलेख का दिनांक (यदि लिया गया हो)

REQ/S1/01-SIU 2/LAL/SEC 2 P. 500

D - 15/1/2

MR No. 48 92 No 2 95

AM./26,000/79

CURRENT ACCOUNT (FIRMS) 2-5-55

STATE BANK OF INDIA, BRANCH : [illegible]

DEAR SIRS,
I/WE REQUEST YOU TO OPEN A CURRENT ACCOUNT IN YOUR BOOKS IN THE NAME OF MY/OUR FIRM STYLED AS FOLLOWS :
BLOCK LETTERS

OSWAL STEEL INDUSTRIES

NATURE OF BUSINESS I.T. SCRAP PROCESSING PROPOSED MINIMUM BALANCE IN THE ACCOUNT : Rs. 500
THE NAMES OF ALL THE PARTNERS OF OUR FIRM ARE GIVEN BELOW/I AM THE SOLE PROPRIETOR OF THE FIRM.

	NAME	NATIONALITY	OCCUPATION	ADDRESS & TELEPHONE NO.
1	CHANDRA KANT SHAH	INDIAN	INDUSTRIALIST	52, PADMANABHPUR 2[illegible]
2	MANISH KUMAR SHUKLA	—"—	INDUSTRIALIST	25, NEHRU NAGAR
3	SMT. PRAFULLA R. SHAH	—"—	INDUSTRIALIST	71, VAISHALI NAGAR 5[illegible]
4				
5				
6				

WE AGREE TO COMPLY WITH THE BANK'S RULES IN REGARD TO CURRENT ACCOUNTS. THE ACCOUNT WILL BE OPERATED BY SL NO 1 ONLY OF THE ABOVE MENTIONED PARTNERS JOINTLY/SEVERALLY.
INTRODUCTORY REFERENCE :

NAME	MR R Mishra	OCCUPATION	Business
ADDRESS	[illegible]		

PLEASE ISSUE US A CHEQUE BOOK FOR USE ON THE ACCOUNT.
YOURS FAITHFULLY,

1 [signature] 3 5

2 4 6

NOTE : ONLY THOSE PARTNERS WHO WILL BE OPERATING ON THE ACCOUNT NEED SIGN HERE.

I HERE BY INTRODUCE TO THE BANK, FOR PURPOSE OF OPENING ACCOUNT, THE ABOVE FIRM, WHICH IS KNOWN TO ME, THE PARTNERS ARE ALSO KNOWN TO ME PERSONALLY.

For, Mishra Industrial Traders
[signature]
Partner
SIGNATURE OF INTRODUCER

A/c No. 4/611

FOR OFFICE USE

PARTNERSHIPS DEED OBTAINED / GIVE DATE OF DOCUMENT IF OBTAINED

NO. AND DATE OF PARTNERSHIP LETTER

[illegible] PARTNERS ARE NOT AVAILABLE, AT [illegible]OSE OPERATING THE ACCOUNT SHOULD [illegible] PARTNERSHIP LETTER [illegible] [illegible] OBTAINED LATER PROVIDED PART[illegible] [illegible] IS OBTAINED. IF PARTNERSHIP [illegible] OBTAINED, THEN ALL THE PARTNERS [illegible] THE PARTNERSHIP LETTER BEFORE [illegible] CAN BE OPENED.

OPEN ACCOUNT

SIGNATURE OF DIV. BRANCH MANAGER

ACCOUNT OPENED, INDEXED AND "NEW ACCOUNT" LABEL AFFIXED

LEDGER KEEPER

LEDGER HEADINGS AUTHENTICATED

SUP. OFFL.

		(i. e. will sign on behalf of the firm as)	
1 Shri Chandrakant Shah	[signature]	[signature]	[signature]
2 Shri Manish Kumar Shukla	Manish Kumar Shukla	Manish Kumar Shukla	[signature]
3 Smt Prafulla R. Shah	Mrs. Prafulla R Shah	Prafulla R Shah	[signature]
4			
5			
6			

NOTE: Only those partners who will be operating on the account need sign here.

PARTICULARS OF APPLICANTS

ARE THE APPLICANTS ALREADY KNOWN TO THE BANK? IF SO, STATE HOW AND FOR HOW LONG?

INITIALAS OF DIV. BRANCH MANAGER

APPLICANTS CALLED AT THE BANK AND WERE INTERVIEWED AT

SIGNATURE OF OFFICIAL

APPLICANTS DID NOT CALL AT THE BANK BUT WERE INTERVIEWED AT..............BY

SIGNATURE OF OFFICIAL

...R OF THANKS FOR OPENING NEW ACCOUNT SENT ...ER BY POST MESSENGER AND ACKNOW- ...EIVED

...NCE TO THIS FORM)

PARTICULARS OF INTRODUCER

IF INTRODUCER IS A STAFF MEMBER, STATE DESIGNATION AND SERVICE.

STAFF MEMBER TO STATE HERE OVER HIS SIGNATURE HOW HE KNOWS THE APPLICANTS AND FOR HOW LONG.

SIGNATURE

IF INTRODUCER IS A CONSTITUENT, STATE PARTICULARS OF HIS ACCOUNT:

Seized by me vide ... 11/5/81 ...

IF INTRODUCER IS NOT A STAFF MEMBER OR A CONSTITUENT BUT IS A PERSON WELL KNOWN TO THE BANK, STATE DETAILS.

M. Franco
DSP
CBI SIC II

INTRODUCTION DETAILS

INTRODUCER CALLED AT THE BANK AND SIGNED IN THE PRESENCE OF.

SIGNATURE OF OFFICIAL

INTRODUCER DID NOT CALL AT THE BANK BUT CONFIRMED THE FACT OF INTRODUCTION (GIVEN ON THIS FORM SEPARATE LETTER) ON TELEPHONE TO

(PIN THE LETTER OF INTRODUCTION TO THIS FORM)

LETTER OF THANKS SENT TO INTRODUCER BY POST MESSENGER AND ACKNOWLEGEMENT OBTAINED.

(PIN CORRESPONDENCE TO THIS FORM)

मियादी जमा/विशेष मियादी जमा/ RE-4/(53)/... भारतीय स्टेट बैंक

A/c No. 4/611.

D-151/2

5.5.597

Oswal Steel Industries

जन्म तिथि

For OSWAL STEEL INDUSTRIES

PARTNER

For O... STEEL INDUSTRIES

...PARTNER

State Bank of India Industrial Estate

State Bank of India Industrial Estate

आवेदक के हस्ताक्षर

* आवेदक

• गैर्बुर्ग

797031

टी. डी. 1
आर एफ. 47

कृपया अपना उपयुक्त विकल्प लिखें, जैसे–कोई एक या उत्तरजीवी, पूर्वकथित/परचातकथित या उत्तरजीवी.

ACCOUNT OPENING FORM FOR TERM DEPOSITS/ SPECIAL TERM DEPOSITS/CASH CERTIFICATES

STATE BANK OF INDIA

BRANCH

ACCOUNT NUMBER

Please open the account ticked (✓) as follows:

[ ] TERM DEPOSIT [ ] SPECIAL TERM DEPOSIT [ ] CASH CERTIFICATE

FULL NAME (BLOCK LETTERS)	NATIONALITY	OCCUPATION	ADDRESS
A			
B			
C			

DATE OF BIRTH (In case of Minor (s))

THE PRINCIPAL AND INTEREST TO THE ABOVE ACCOUNT WILL BE PAYABLE TO*

Nomination ☐ Not required ☐ Required form No. D. A. 1 furnished on........

Name and address of Introducer

I/We agree to abide by the rules pertaining to the Bank's Term Deposits/Special Term Deposits/Cash Certificates.

SIGNATURES OF APPLICANTS

A

B

C

DATE..........19........

FOR OFFICE USE

Signature of Verifying Official

OPEN

BRANCH MANAGER

ACCOUNT OPENED

LEDGER KEEPER

OFFICER

**I know the applicant(s) personally for a period of.........months/years and confirm his/her/their occupation and address

SIGNATURE OF INTRODUCER

A/c No.:
(if any)

PARTICULARS OF TERM DEPOSIT RECEIPTS/CASH CERTIFICATES

NUMBER	DATE OF ISSUE OR RENEWAL	MATURITY VALUE	PERIOD	RATE	FOLIO

शुभाशी

छोटी-छोटी नदियां मिलकर महानदी बनती है
अनेक कल-कारखानों के मजदूर मिलकर महातीर्थ बनता है
एकता की पुकार लेकर

आओ । हम, नया भिलाई बनायें ।

साथियों,

भिलाई के पूरे उद्योगों में हलचली मची हुई है और सिम्प्लेक्स बी. ई. सी., केडिया, बी. के. बी. को, भिलाई वायर्स, जनरल फेब्रीकेटर्स, [illegible] मिल्स, [illegible] स्टील इन्डस्ट्रीज, भिलाई आक्सीजन, इन्डस्ट्रीज [illegible] सभी उद्योगों में मजदूर हिम्मत के साथ लाल-हरा झंडा अपनाकर अधिकार की बात कर रहे हैं ।

भिलाई के मेहनतकश मजदूरों में एक के लिए सब, सब के लिए एक यह विचार के तहत मजदूरों में अटूट एकता कायम हो सकता है, यह पहले कभी नहीं सोचा था ।

आज भिलाई के उद्योगपतियों की धड़कन बढ़ चुकी है । वे चमचों को इकट्ठा कर रहे हैं, [illegible] को हराम का खाना खाने का पर्याप्त सुविधा प्रदान कर रहे हैं । कुल मिलाकर मालिक फिकर में पड़े हैं । उन्हें मालूम हो गया है कि इस एकता के सामने उनकी शोषण की व्यवस्था नहीं चलेगी ।

मजदूर एकता बनाकर, एकता का गाना गाते हुए, एकता का हथियार से अपने [illegible] प्राप्त करने के लिये कदम-कदम आगे बढ़ रहे हैं ।

मजदूर नारा लगा रहे है,
हमें न्याय चाहिये,
हमें मुक्ति चाहिये,
हमें इज्जत चाहिये,
हमें निश्चित भविष्य चाहिये ।

आईये, विश्वकर्मा पूजा के पावन दिवस पर एकता का बांध बनाकर नये भिलाई का निर्माण [illegible]

मजदूर एकता जिंदाबाद
लाल-हरा झंडा जिंदाबाद
शहीद साथी अमर रहे ।

पूनम वामनकर प्रगतिशील ट्रान्सपोर्ट श्रमिक संघ	जनकलाल ठाकुर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	[illegible] महामंत्री इस्पात श्रमिक संघ, भिलाई

दिनांक १७-९-९० दिन सोमवार को इंडस्ट्रीयल स्टेट मैदान में (एम.पी.ई.बी. [illegible] बोर्ड के पास) आमसभा में भाग लीजिए । हर कारखाना से जुलूस लेकर [illegible] पर आना है ।
समय – दोपहर १ बजे

[illegible] प्रिंटर्स, [illegible]

(3)

अंत में हम एक मौका और देते हैं। सारे औद्योगिक क्षेत्र की हड़ताल न होकर अब इस क्षेत्र के दो बड़े घरानों भिलाई वायर्स भिलाई तथा सिम्पलेक्स साम्राज्य के पांचों इकाइयों में ही होगी।

हमारी शक्ति का एहसास सभी को हो गया होगा फिर भी ए. सी. सी. सहित सभी उद्योगपतियों को एक मौका हम और देते हैं कि वे चर्चा के जरिये समस्याओं के निराकरण तत्काल करें।

१. क्योंकि सिम्पलेक्स समूह ही मजदूर नेताओं पर हमला चलाता रहा है।

२. क्योंकि सिम्पलेक्स ने ही सबसे बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से निकाला।

३. क्योंकि सिम्पलेक्स मैनेजमेंट लाल हरा झंडे को कुचल डालना चाहते हैं इसलिए अब हड़ताल सिर्फ सिम्पलेक्स समूह की उरला, भिलाई टेड़ेसरा स्थित पांचों इकाइयों में ही होगी।

- o उद्योग स्थाई है अतः मजदूरों को स्थाई करना होगा।
- o जीने लायक वेतन देना होगा।
- o २० प्रतिशत बोनस देना होगा।
- o तानाशाही रवैया हमेशा के लिए समाप्त करना होगा।
- o निकाले गये श्रमिकों को काम देना होगा।

अन्य मांग–

- o सी.पी.एफ. तथा ग्रेच्युटी की सुविधाएं नियुक्ति की तारीख से दी जावे।
- o दुर्घटना से बचने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण दी जावें।
- o कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को बी.एस.पी. अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिले।
- o श्रमिक की चिकित्सा के दौरान उसे पूरा वेतन मिले।
- o हर श्रमिक को अपना घर बनाने की दृष्टि से ऋण उपलब्ध कराया जाय।

हर श्रमिक को साल में १५ दिन की आकस्मिक अवकाश मिले,

१० दिन का फेस्टिवल लीव

३० दिनों का मेडिकल लीव

नियमानुसार अर्जित अवकाश मिले

भिलाई के उद्योगपतियों से फिर एक बार अपील है कि उत्पादन करने वाले श्रमिकों के जायज हक संयम होकर मजदूरों को दें ताकि उत्पादकता तथा हाथों के बीच सहज संबंध बना रहे।

प्रगतिशील श्रमिक संघ जिन्दाबाद, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद,

शहीद साथी अमर रहे,

एन. आर. घोषाल जनकलाल ठाकुर शंकर गुहा नियोगी

बजाज प्रिन्टर्स, राजहरा.

4	Six torn pieces of a letter written in Hindi alongwith (wrapped) in small pieces of newspaper (Hindi) (Each piece signed by witnesses)	Cabinets of ... Prop/Partner – corner of open cupboard.	of the shop was not available. Hence the services of Shri Dildar Khan S/o Shri Ibrahim Khan r/o Camp No-2, Gandhi chowk near power house, Bhilai who is working as lock repairer near the shop of M/s Rajlaxmi, Nehru Bhawan, Supela, were obtained. He opened the lock of the above premises in presence of above witnesses, Rajesh P. Shah and other members of the raiding party. After opening the lock, the members of the raiding party and witnesses offered their personal search and thereafter after observing all legal formalities of search the search of the premises commenced under the provisions of 165 Cr.P.C. Throughout the search both the aforesaid witnesses and Rajesh P. Shah remained present. Only the documents mentioned in the list have been taken into possession. The documents taken have been signed by the witnesses.

15/12/91
S. SASMAL
Master Technician
Printing Press
Bhilai Steel Plant

15-12-91
(A.C. Toppo)
Dy. Mgr. (V)
Bhilai Steel Plant

R. P. Shah
15/12/91

15/12/91
Dy. SP/CBI SPE(I)

15/12/91
(R. S. Prasad)
CBI/ND
15/12/91

D-156

Details of Property Seized by Police Officers acting under the provisions of section 103 & 165 CrPC.

Name of SPE Branch — CBI/SPE II/SIU(V)/N.Delhi
Crime No. & Section — RC 9(S)/91-SIU(V) U/ss 120B, 382 IPC [illegible]

Date and hours of search — 15.12.91. Commenced at 12.10 PM, Completed at 14.30hrs.

Name and addresses of witnesses present at search — 1) Shri S. Sasmal, Master Technician, Printing Press, BSP, Bhilai (M.P.)
2) Shri M. Toppo, Dy Manager (Vigilance) Bhilai Steel Plant, Bhilai (M.P.).

Name and address of persons whose house is searched — Office premises of Jain-Shah & Co., 108, Akash Ganga Complex, Supela, Bhilai of Sh. Chandrakant Shah.

Sl.no	Description of articles seized/recovered.	Description of place from where articles seized/found	Remarks.
1)	Four envelopes of Jain-Shah & Co.; 108, Akashganga, Supela, Bhilai - 490023 (blank)	From desk in front of Prop./Partners chairs	I alongwith Sh. B.N.P. AZAD, DySP/CBI/SPE II/N.Delhi, Shri J.C. Prabhakar, Inspector, Shri G.N. Dubey, SI., witnesses S/Shri S. Sasmal, Master Technician Printing Press, BSP, Bhilai, M. Toppo, Dy Manager (Vigilance) BSP, Bhilai and Rajesh P. Shah, Manager [illegible] Oswal Iron and Steel Private Ltd., and nephew of Shri Chandrakant Shah reached office premises of Jain Shah and Co., 108, Akash Ganga, Supela,
2)	Five blank letter heads of M/s Sreyans Indian Construction Co. Private Ltd., 111, Akash Ganga Complex, Supela, Bhilai	From cupboard in front of Prop/Partner	
3)	One greeting card from Deepak Advertisers with envelope having address to M/s Jain-Shah & Co., 108, Akash Ganga Complex, [illegible]	— do —	

RE-9/(S)/91.SIU-V/CBI/SIC-II

MRAIO-20
Jhum No-4

15.12.91

15/12/91

[illegible]

[illegible]।

[illegible]

शेष मिलने पर।

आपका [illegible] शर्मा

श्याम [illegible]

D-157

D-158

Production Memo

1. Case No — RC [illegible]-V | CBI | SIC-II New Delhi

2. Date & Place of production — 23/12/91
Centre Point, 2 Inner Circle Road, Bistupur, Jamshedpur

3. By whom produced — Shri Raashid Rizvi, Receptionist, Front Office, Centre Point (Hotel) Bistupur, Jamshedpur

4. Name of the police officer taking over document — R. S. PRASAD, DSP | CBI [illegible]-II | New Delhi Camp. Jamshedpur

Details of Documents

(1) Guest Registration Form Sl. No 1650 in the name of H.K. Shah, address 34 Civic Centre, Bhilai (M.P.) of Centre point.

(2) Carbon Copy of Bill no 11/171 in respect of Mr. H.K. Shah, Reg. No 1650 for Rs 1349-40.

Raashid Rizvi
23/12/91

23/12/91

RC. 7/(S)/91-SIU-I/CBI/SIC-IV

D-159

Centre Point

II Inner Circle Road, Contractors Area,
Bistupur, Jamshedpur-831 001. Srl. No. 1650

Guest Registration Form

Name H.K. Shah Nationality Indian

Organisation [illegible] Passport No

Designation Purpose of tour

Permanent Address [illegible] Bhilai (M.P.)

Date & Place of Issue of P. P. Arrival date in India Proposed duration of Stay in India

Arrival date 23-11-91 Arrival Time 11 P.M. Arrival from

Departure Date 25-11-91 Next destination

Room No 105 Rate 325/- Pax 01

Mode of Payment : ☐ Bill to Company then Company's Name

☐ Credit Card then Number Name

☐ Cash ✓

I agree to release my room by 12.00 noon On

[signature]

Signature of the Guest

SL. No. GB 11/171 — Reg. No. 165

CBI

Room No. : 105

Name : Mr. H K Shah

Address :

Nationality - Indian

Centre Point

2, INNER CIRCLE ROAD, BISTUPUR
JAMSHEDPUR, BIHAR, INDIA 001
Phones : 26759, 28608, 26770 Gram : CENTRPOIN

REMARKS :

15% discount

Date	Code	Charges	H. E. Tax	L. Tax	TOTAL
23/11/91	RM	531.25	106.25	37.20	674.7
24/11/91	RM	531.25	106.25	37.20	674.70
					1349.
					1349.

ARRIVAL DATE	23/11/91
TIME	11 P.M.
DEPARTURE DATE	25-11-91
TIME	9 A.M.
PAX RATE 01	Rs. 625/-

CODE EXPLANATION

RM ROOM
LT LUXURY TAX
RS ROOM SERVICE
LN LUNDRY
AD ADVANCE
TC TRUNK CALL
FX FAX
LC LOCAL CALL
CR CORRECTION
AL ALLOWANCE
HET HOTEL EXP. TAX

PAYMENT
IN FAVOUR OF
PARIKH INN PVT. LTD.

Charge to :

Address :

RECEPTIONIST

Rizvi

Approved by

BILL ARE DUE ON PRESENTATION

I AGREE THAT I AM RESPONSIBLE FOR THE FULL PAYMENT OF THIS BILL IN THE EVENT IT IS NOT PAID BY THE COMPANY, ORGANISATION OR PERSON INDICATED.

MR/11/12

GUEST SIGNATURE

(Parikh Inn Pvt. Ltd., 2. Inner Circle Road, Jamshedpur-831 001. Bihar, India)

SEIZURE MEMO D-

1. Case No. :- RC (S)/11-SIU-IV/CBI/SIC-II

2. Date and Place of seizure :- 26/12/11 ; Bayjeera Mahal, Srinagar, Siwan

3. From whom Seized :- Sh. Bhupender Singh, Manager, Bayjeera Mahal, Sr..., Siwan.

4. By whom seized :- N.M. Shrawat, I..., CBI/SIC-II/N.Delhi, Camp Siwan.

5. Particulars of documents seized :-

1. One Telephone Register written up to page-21.

2. Two Bill books bearing Pages 1101 to 1150 and 1051 to 1100.

Received copy
Bhupender Singh 26/12/11

Handed Over
Bhupender Singh 26/12/11
(Bhupender Singh)
Mgr.
Shringar Mahal
Srinagar, Siwan
Bihar

TAKEN OVER
N.M. Shrawat
(N.M. Shrawat)
Inspr.
CBI/SIC-II/N.Delhi
HQ - Siwan.

12.10.90 Sister [illegible] [illegible] 1 Mt

18.10.90 . C[illegible] [illegible] 1 Minute

20.10.90 Hotel Shanti Niwas R.No. 207

31/10.90 Delhi Chandni [illegible] 6435455 1 Mt

1.11.90 R.N. 66 [illegible] 2564

5.11.90 Chintu Delhi

" Chintu Delhi

11.11.90 Local Alim 2707

14.11.90 R.N. 111 P.N. Patna 224421

15.11.90 R.N. 111 Durg (M.P.) 07742-5181 2 mts

" " R.N. 111 " " " 3 mts

16.11.90 R.N. 111 Patna 224421 3 mts

Total Rs. (300)

17.11.90 R.N. 111 Gorakhpur 4845 - 3 mins

" " " [illegible] - 35/-

18.11.90 R.N. 111 Gorakhpur 4845 2 Mts 35/-

19/xi/90 R.N. 101 Bhilai 07742-5958 3 mts

Chintu Singh Patna

22/xi/90 R.N. 101 Gorakhpur - 3 mt

25/xi/90 R.N. 101 (Brajesh Prasad Sr.) Patna 224421 2 Mts

26/xi/90 Ajay Kumar Sr. [illegible] 2204

27/xi/90 A.K. Singh Patna 222782

" " " " 222752

" " " Hajipur 2204

28/xi/90 Chintu Babu Delhi

Chintu Babu Delhi [illegible]

ANJARA

1064

Sri Gyan Prakash Mishra

D-103

Coils Extra Bed	19/x/90 – 15/x/90	15/x/90 – 16/x/90	16/x/90 – 17/x/90	17/x/90 – 18/x/90	18/x/90 – 19/x/90
	175.00	175.00	175.00	125.00	125.00
	175.00	175.00	175.00	125.00	125.00

775.00

Sri Gyan Prakash Mishra

(12-11-P.M.
C.i

1105

Sri Gyan Prakash Mishra
9/12/90 11.30 —

111
13/12/90-9
125/- (Rupees One Hundred Twenty...

9/12/90 – 10/12/90	11/12/90 – 11/12/90	11/12/90 – 12/12/90	12/12/90 – 13/12/90
125 00	125 00	125 00	125 00
125 00	125 00	125 00	125 00

D-165/4

500 00

500 00

Sri Gyan Prakash Mishra

500/- (Rupees Five Hundred only)

13/12

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल दुर्ग

क्रमांक [illegible]/आरडी दिनांक 28-11-91

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,

एस आई सी II नई दिल्ली ,कैम्प भिलाई

विषय :- केश संख्या आर सी 9(एस)/91 एस आई यू 5 नई दिल्ली की विवेचना के संबंध में।

महोदय,

श्री एन के पाठक ,निरीक्षक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,नई दिल्ली के पत्रांक मिसलेनियस/9(एस)91,एस आई यू 5/सी बी आई2एस आई सी 2,नई दिल्ली, दिनांक 28-11-91 के द्वारा उपरोक्त केश के विवेचना हेतु जानकारी संलग्न कागजात में दी जा रही है, जो जिला जेल दुर्ग में रखे अभिलेख के आधार पर संकलित की गई है। इसके अलावा यदि कोई अन्य जानकारी होगी तो उसे बाद में प्रदान किया जावेगा ।

अधीक्षक,

जिला जेल दुर्ग

[illegible]

क्र	विचाराधीन बंदी क्रमांक	नाम व पिता का नाम तथा पता	जेल प्रवेश दिनांक	अपराध धारा	प्रविष्ट[illegible]
1	107	[illegible]	6-4-85	307	[illegible] 10
2	2635	व0 [illegible] निवासी [illegible]	8-11-85	147/148/149 294/506	24-3[illegible]
3	321	रो क्र018 स्टील नगर	29-4-88	147/148/307	9-5-[illegible]
4	1241	कैम्प -1 भिलाई	27-6-88	25/27आर्म्सएक्ट 342/218/349	18-[illegible]
5	3894		26-10-91	302/201/109/34 [illegible] 25/27 आर्म्स एक्ट91 [illegible]	जेल [illegible]
1	2437	पलटन मल्लाह व0 गोसाई निवासी[illegible]नगर भिलाई 3	7-10-86	107/116जा0फौ0	10-10-[illegible]
2	7666		22-1-88	109	28-1-[illegible]
3	8196	[illegible]	1-3-88	[illegible] 353/307/397/341 294/506[illegible] 25/27 आर्म्स एक्ट	[illegible]
4	8927		29-1-91	457/380/379/394 25/आर्म्स एक्ट	27-3-[illegible]
1	1400	अवधेशराय वल्द आशाितराय नि0सेक्टर 4 गली 4 क्वा07ए भिलाई	23-7-85	107/116 जा0फौ	24-7-[illegible]
2	7211		19-12-87	302/349	2-7-[illegible]
3	3893		26-10-91	302/120बी/109/34 25/27आर्म्सएक्ट	29-10-[illegible]

रायपुर जेल स्थानांतरित

अधीक्षक,
जिला जेल दुर्ग

D 161

Office of the Regional Transport Officer (RTO) R.

No. [illegible] /RTO Raipur Dated [illegible]

To
Superintendent of Police
SIT [illegible]
Camp Bhilai

Sub: Reg. M/c No. MIR 227

Ref: Your letter No. 3C/7/9.1(?) dated :

1) With reference to the above cited letter this is to inform that the above mentioning vehicle MIR 227 is car Premier Padmini. Its model is 1957. Its chassis No. [illegible] 452 and Engine No. PAXF [illegible] 9445. It is registered on 2-9-87 in the name of Smt Meena Bai Kathri w/o [illegible] Kathri C/o Anilkumar [illegible] Near Jain Dharamshala [illegible] Raipur

(2) After [illegible] the above vehicle is transferring in the name of Dr. [illegible] [illegible] s/o [illegible] Mahanadi [illegible] Hospital [illegible] on 6/6/90

[signature] 3/12/91
Regional Transport Officer
[illegible] 3/12/91

D- 166

कार्यालय अतिरिक्त [illegible] [illegible] अधिकारी

क्रमांक 1949/ 11 दिनांक 10.12.91

प्रति

पुलिस अधीक्षक
सी.बी.आई. [illegible]
नई दिल्ली ([illegible])

विषय : वाहन क्रमांक MPT 7011 की
जानकारी के [illegible] [illegible]।

संदर्भ : पत्र क्रमांक [illegible] [illegible]

उपरोक्त विषय के
संबंध में वाहन क्रमांक MPT 7011
की जानकारी इस पत्र के साथ [illegible]
भेजी जा रही है।

[illegible] 10/12/91

परिवहन कार्यालय
Dewas [illegible]

अति. क्षे. परिवहन अधिकारी
[illegible]
10/12/91

ORPRS—PS/101—12/90—3,00,000.

D-167

S.P.E.C.-II

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT .... BRANCH

25

प्रथम सूचना

FIRST INFORMATION REPORT

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन)

(Recorded u/s 154 Cr. P.C.)

Crime No. RC.9(S)/91-SIU(V) .... Date and time of Report 06.11.91 at 5.30 P.M.

Place of occurrence with State: MIG I/55, Hudco, Bhilai Nagar, Distt.-Durg (M.P.)

Date and time of occurrence: 28.9.91 at .45 A.M.

Name of complainant or informant with address: Shri Jagannath Sori s/o Shri Milap Singh Sori, Constable No. 509, P.S. Bhilai Nagar, Distt.- Durg (M.P.).

Offence: U/Ss 302 I.P.C., 25/27 Indian Arms Act,1959

Name and address of the accused:
(1) Unknown.
(2) ....
(3) ....

Action taken .... R.C. Registered.

Investigating Officer .... Shri R.S. Prasad, DySP, CBI, SPE, SIC.II, New Delhi.

सूचना

INFORMATION

The Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), Government of India, New Delhi vide notification No. 228/53/91-AVD.II dt. 4.11.91 has entrusted the investigation of the case FIR No. 580/91 of P.S. - Bhilai Nagar, District - Durg (M.P.) to the Delhi Special Police Establishment consequent upon the request received from the Govt. of Madhya Pradesh.

The F.I.R. of case No. 580/91 dt. 28.9.91 of P.S. - Bhilai Nagar

H 86-M/P(D)532CBI(ND)-200Pads-13-3-87-GIPS

(M.P.) U/S 307 IPC, 25/27 Indian Arms Act is reproduced below:-

मैं थाना पिछ नगर में आर0 के पद पर कार्यरत हूं । उप निरीक्षक श्री जे0एस0 दुबे के साथ में हुडको गया था उप निरीक्षक जे0एस0 दुबे साहब ने देने के लिए अप0 क्र0 0/91 धारा 307 भा0द0वि0 के नालसी दिये थे जिसे लाकर पेश कर रहा हूं जो जैल है - सही अस्पष्ट जगन्नाथ शोरी क्र0 509.

धारा 307

देहाती नालिसी धारा 154 जा0फौ0 थाना पिछ नगर अप0 क्र0 0/91/भा0द0वि0 25, 27 आर्म्स एक्ट नाम- बलराम, पिता का नाम लक्ष्मण साहू उम्र 29 साल, पेशा ड्राईवर पता- एस0आई0जी0- 1/55 हुडको दिनांक समय घटना -- 28.9.91 के 3.45 बजे घटना स्थल - एस0आई0जी0 - 1/55 हुडको 4 किलोमीटर फोरपाः दिनांक समय सूचना - 28.9.91 के 5.15 बजे सुबह कहां लिखा - हुडको।मैं राजहरा में कोडे पावरहाउस कालोनी में रहता हूं और शंकर गुहा नियोगी का जीप क्र0बी0जे0 7571 में ड्राईवरी करता हूं । एम0आई0जी0 1/55 हुडको में नियोगी जी ने किराया/लेकर मकान लिया है और उसी में रहते हैं कल दिनांक 27.9.91 जीप आफिस एम0आई0जी0- 1/273 में खड़ी कर करीबन 9.00 को मैं घरआया हूं । मकान की चाबी मुझे बसंत ने दिया था रात खाना बनाकर मैं और अनूप बाबू दोनों खाए थे करीबन 9.30 बजे/अनूप अपने घर चले गए । मैं घर में अन्दर सोया था, रात में शंकर गुहा नियोगी अपनी कार एम0आई0आ0र0 225 में ड्राईवर सरकार के साथ घर पर आए और आवाज देकर दरवाजा खुलवाए और बोले कि तुम सो जाओ । सरकार कार लेकर चला गया और गुहा नियोगी बाबू अपने कमरे में सो गए, रात मुझे टांय से गोली की आवाज सुनाई पड़ी । अन्दर कमरे से गुहा नियोगी चिल्लाया कि मां गो की आवाज सुनकर मैं उनके कमरे में गया दरवाजा खुला था बत्ती जल रही थी पंखा चल रहा था । मच्छरदानी के अन्दर नियोगी जी लेटे थे । मैं बाबू-बाबू कहकर आवाज दिया, तो वह मेरे साथ कोई बात नहीं किए तब मैं अपने कमरे का दरवाजा अन्दर से खोलकर बाहर आया । सामने का लोहे का गेट बंद था जिसे खोलकर मैं बाहर सामने वाले दादा जी का गेट पकड़कर जोर से चिल्लाया तो वह अन्दर से बोले कि क्या बात है । मैंने कहा कि मेरा दादा कैसी-कैसी कर रहा है । वह मेरे साथ नियोगी के कमरे में गए तो देखा कमरे की खिड़की बाहर की ओर खुली थी मच्छरदानी हटाकर मैंने देखा तो शंकर गुहा नियोगी के बांए कन्धे के पास से खून निकल रहा था । हम लोगों से कोई बात नहीं किए । सांस चल रही थी हम दादा दोनों बाहर आ गए तो सामने वाले दादा ने कहा कि इन्हें सेक्टर 9 अस्पताल ले चलते हैं । मैंने कहा कि आफिस में और आदमी सोए हैं पहले उन्हें खबर कर देता हूं मैं दादा के साथ

स्कूटर में लेकर एम0आई0जी0- 273 गया वहां जनकलाल ठाकुर, एस0एन0 यादव, शंकर साहू, देवराम साहू को बताया कि उनको मालूम, शंकर गुहा नियोगी को किसी ने गोली मार दिया है वह अपने बिस्तर में पड़े हैं कि हम सब तीन चार जीप से भागकर शंकर गुहा नियोगी को उनके कमरे से उठाकर कार में डालकर सेक्टर 9 अस्पताल उपचार कराने ले जा रहे थे कि उसी समय अस्पताल की एम्बुलेंस आ गई और उन्हें उठाकर सेक्टर 9 अस्पताल एम्बुलेंस से ले गए। ड्यूटी डाक्टर ने उन्हें सीरियस होने से उन्हें आई0सी0यू0 में भर्ती कर लिया है। मकान के अंदर खिड़की खुली थी किसी ने बन्दूक से गोली मारकर उनके ऊपर प्राण घातक वार किया है जिसकी रिपोर्ट करता हूं मेरी रिपोर्ट पढ़कर देखा जैसे बताया हूं लिखी गई है जांच की जावे।

हस्ता0 - पी0एन0 दुबे
उप निरीक्षक
28.9.91

हस्ता0 - पी0एस0 उइके
स0उ0 निरी0
28.9.91

दिनांक 28.9.91 को शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 307 भा0दं0वि0 को धारा 302 भा0दं0वि0 में परिवर्तित किया गया।

ए0राजेश तिवारी
थाना प्रभारी
भिलाईनगर, जिला दुर्ग (म0प्र0)

The above facts disclose commission of offences punishable under sections 302 I.P.C. & 25/27 Indian Arms Act. A regular case

...4/-

is, therefore, registered and entrusted to Shri R.S. Prasad, DySP, CBI, SPE, SIC.II, New Delhi for investigation.

/

(A. W. DEGWEKAR)
SUPDT. OF POLICE
CBI/SIC.II/SIU(V)/
NEW DELHI

Endorsement No. 5211 /3/9(S)/91-SIU(V)/CBI/SIC.II/N. Delhi

Dated: 6.11.91

Copy to :-

1. The Special Magistrate for SPE cases, Jabalpur (M.P.)
2. Chief Judicial Magistrate, Durg (M.P.)
3. The Dy. Inspector General of Police, CBI, SIC.II, New Delhi.
4. The Director (Vigilance), DP&T, New Delhi.
5. The Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Home Department, Bhopal (M.P.)
6. The Jt. Secretary (Shri Badal K. Das), M.H.A., New Delhi.
7. Shri R.S. Prasad, DySP, CBI, SIC.II, New Delhi.

Degwekar 06/11/91
(A. W. DEGWEKAR)
SUPDT. OF POLICE
CBI SIC.II NEW DELHI

To
The President of India,
Rashtrapati Bhawan,
NEW DELHI

SUB : For ressolving the longstanding problems of workers and their

i) Right to Life and Body Security as per Section 21 of Indian Constitution

ii) Right to form Trade - Union as per Section 19 (1) (a), (b) & (c) of Constitution of India

are protected.

Sir,

It is with great pain that we inform you that 4-5 neo-rich industrialists of Raipur, Rajnandgaon, Durg, Bhilai belt have been exploiting their workers working in Engineering and Foundry industry or in chemical industries such as Liquor manufacturing. They have not accepted that the workers have right to form Union in their factories. By bribing the Union Leader or by a threat on their lives and when that too didn't work then by unleashing physical violence upon workers with the aid of police these employers have crushed all the previous attempts of the workers to form Trade Union.

Last year the workers of these industries have organised once again and have raised chiefly two demands :

i) The workers be regularised when the work is of permanent nature in the industry [as per the section 10(a) of Contractual Labour Regulation & Abolition Act.]

ii) A living wage be decided for the workmen basing upon the considerations of Industry and Region.

Most of the employers refused to even accept the demand letters. Yet these demand letters were submitted to the Asst. Labour Commissioner so that the workers' right to form Trade Union and their just demands are fulfilled. Industrialists tried their utmost to break workers organisation. In failing to do so they resorted to physical violence upon workers and have gone to the extent of physically eliminating the workers. Kesho Rao of Chattishgarh Distilleries Ltd. and Mani Ram of Simplex Group were murdered at the instructions of their employers. Apart from that there had been attempts on the lives many workers including Sri Ravindra Shukla.

...2

Sri Jagdish Verma, Sri Purushottam who sustained knife injuries. More recently, police acting on behalf of the industrialists, resorted to a barbarous lathi charge on the workers. During this lathi charge the workers' leaders were pointedly tortured inhumanely. When all these attempts have failed now the employers are bent upon creating a large scale bloodshed whereby there is a danger to the lives and bodies of the workers and workers' leaders. On August 19th Sri Uma Shankar Ray, Vice President, Pragatisheel Engineering Shramik Sangh (Bhilai) was surrounded by the hired goons of the employers who assaulted him with knives and iron rods and left him on the road thinking him to be dead. Sri S.K. Singh Vice President PESS (Urla), Sri Haldhar Secretary and Sri Suk Lal, Treasurer were assaulted with swords and iron rods on 24th August while they were asleep.

Throughout the police is giving protection to the criminals. Not only that the Bhilai police has yet to arrest a single culprit, they have in fact, acted to protect them.

In this situation there is a danger to the security of lives and bodies of workers and their leaders.

Hence, His Majesty, is requested to bring in check on these acts of violence by the industrialists and to order a C.B.I. inquiry so that the workers are not denied of their constitutional rights.

Here we are;

the workers of Bhilai, Dalli-Rajhara, Rajnandgaon, Urla, Tedesara, Baloda Bazar, Hiri and citizens of Chhattisgarh.

PW 55

धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान

D-168/1 = 26 Sheets

दिनांक 3.12.91 आयु 21 वर्ष

इकबाल अहमद

पु० अहमद अली ड्राईवर

पता- कैम्प 1, ब्लॉक नं. -6, मकान नंबर 8ए, लेबर कालोनी, भिलाई।

शपथ पूर्वक :-

प्रश्न 1:- नियोगी हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर :- 1/ मेरी पैदाईश भिलाई की है और मैं भिलाई में ही पढ़ा हूं। मैंने हायर सेकेण्डरी की परीक्षा पुरानी भिलाई जोन-1 से पास किया है। मैं भिलाई में अपने पिता के साथ रहता हूं। मेरी माँ जसरा थाना मेजा जिला इलाहाबाद में रहती है।

2/अभय सिंह मेरे घर के सामने क्वार्टर नं0 7/जी, {एल0सी0} कैम्प-1 भिलाई में सन् 87-88 से रहता था, फुटबाल खेलता था, मैं भी फुटबाल खेलता था इसलिए हमारी पहचान हो गई और हम एक-दूसरे के घर जाने लगे।

3/एक डेढ़ साल से अभय सिंह के साथ ज्ञान प्रकाश मिश्रा और अवधेश राय आना जाना चालू किये। अभय सिंह के यहां कभी कभी पार्टी होती थी जिसमें मुर्गा वगैरह बनता था। उसमें शराब अभय सिंह पीता था और कौन कौन पीते थे, यह मुझे नहीं मालूम।

4/सन् 90 में विश्वकर्मा पूजा के दिन अभय सिंह ने मुझसे बोला था कि सिम्पलैक्स कंपनी चलना है क्योंकि नियोगी को जुलूस को रोकना है। अभय सिंह ने और लोगों से यह बात कही थी। दो टैम्पो भरके लड़के लोग गए थे, जिसमें 1-2 मेरे मोहल्ले के व बाकी दूसरी जगह के थे। अभय सिंह व ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश की काइनेटिक होंडा पर थे। जब हम लोग सिम्पलैक्स पहुंचे तब वहां पर पहले से ही 2-ढाई सौ लोग इकट्ठे थे, उनके लोग इकट्ठे थे। इनके हाथ में लाठी-डंडा था, वे लोग

-------2

T.C.
C.S. SPS

नियोगी को रोकने के लिए खड़े थे । वहां पर खाने का भी इंतजाम था । हमने नाश्ता वगैरह ~~खाना~~ वगैरह खाया । एक डेढ़ घंटे रुककर घर आ गए । जब तक मैं रुका तब तक करीब 1000 लड़के वहां इकट्ठे हो गये । ये सब लड़के नियोगी को रोकने के लिए थे ।

5/फिर मार्च 91 में मैं अपने गांव चला गया । फिर मैं जुलाई 91 में लौटा जिस दिन मोहर्रम था । जब मैं गांव गया था तब क्वार्टर नं0 - 6 एफ (एल0सी0) में सरकारी सील लगी हुई थी । गांव से वापिस आया तो उसमें ताला लगा हुआ था । तब मैंने अभय सिंह से पूछा तो उसने बताया कि उस घर में रवि उर्फ पलटन नामक लड़का रहता है । रवि उर्फ पलटन सुजुकी में कभी कभी आया जाया करता था ।

6/ दि0 28.9.91 को सबेरे करीब 5 बजे के आसपास मैंने अभय सिंह के यहां एक मोटर साईकिल आने व जाने की आवाज सुनी थी । उसी दिन सबेरे साढ़े 5 बजे मुझे अभय सिंह ने आवाज देकर बुलाया और डब्बे में सामान दिया और मुझसे कहा कि नियोगी की हत्या हो गई है जिसे रवि उर्फ पलटन ने की है । और मेरे को सामान देते हुए कहा कि पुलिस मेरे यहां छापा मार सकती है, तुम्हारे यहां नहीं मार सकती । तो सामान मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया । मैंने उस सामान को खोलकर नहीं देखा । न ही अभय सिंह ने ही बताया था कि क्या सामान है । अभय सिंह पहले भी गांव जाता था तब भी सामान मेरे यहां रखता था ।

7/ दि0 3 और 4 अक्टूबर की रात को अभय सिंह ने एम्बेसडर कार से जाते हुए मुझे कहा कि घर की चाबी रख लो, गांव से वापिस आकर अपना सामान वापिस ले लूंगा । इसके बाद 27.11.91 को अभय सिंह पुलिस हिरासत में आया और मुझे आवाज देकर बुलाया और अपना सामान मुझसे वापिस मांगा । तब मैंने अलमारी में से उतारकर उसका सामान वापिस कर दिया । तो पुलिस दल के लोगों ने उस डब्बे को खोला । उस डब्बे में रैगजीन का बैग निकला जिसमें दो देशी रिवाल्वर और 10 छोटे

T.C.
C.S. S.B.S

----3

उड़े कारतूस निकले । पुलिस वालों ने जप्ती के कागज बनाये थे जिसमें उन्होंने मेरे व उसके भी दस्तखत लिए । उसके बाद मैंने रोज उर्फ पलटन को नियोगी की हत्या के बाद से कभी नहीं देखा । रोज के यहां राजा आटा चक्की में काम करने वाला एक लड़का रहता है, वह वहीं सोता भी है ।

B/ इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया,

सही होना स्वीकार किया ।

न्या0दं0
दुर्ग

न्या0दं0
दुर्ग

T.C.
C.S. SPA.

RW 168

D-168/2

विटनेस नं0 - 4 धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान

दिनांक 20.11.91 आयु 41 वर्ष

जयनारायण त्रिपाठी पुत्र

श्री हरगोविंद त्रिपाठी

पूर्व पार्षद

पता- गमोचरी बाजार, बिलासपुर।

शपथ पूर्वक :-

प्रश्न 1:- नियोगी हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर :- मैं ग्राम पोखिला तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जब मैं 9 साल का था तब से मध्य प्रदेश में निवास कर रहा हूं। मेरे पिता सी0एम0डी0 कालेज, बिलासपुर में क्लर्क थे, अभी वे रिटायर्ड हो चुके हैं। हम लोग 2 भाई व 2 बहन हैं। सन् 1969-70 में मेरे बड़े भाई श्री प्रकाश त्रिपाठी की हत्या हो गई। मेरी बहनें सुनैना अम्बे में रहती है। दूसरी बहन की शादी ग्राम मुंगेली, बिलासपुर में हुई है। मेरी शादी कैम्प-1 भिलाई में हुई है। मेरे दो साले हैं। एक का नाम प्रभुनाथ मिश्रा तथा दूसरे का नाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा है।

2/मेरे पास बंदूक का लायसेंस है। सन् 80 में मैंने आत्मरक्षा के लिए 12 बोर बंदूक कलेक्टर, बिलासपुर से लिया था। उक्त बंदूक जो कि दो नली की है उसे सन् 80 में 3000/- रुपए में खरीदी है। उस लाइसेंस में एक बार में 10 कारतूस तथा साल भर में 50 कारतूस खरीदने की अनुमति दी गई थी।

3/ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपने मकान में रहता है और पढ़ता है। ज्ञान प्रकाश मिश्रा वृंदा सिंह-हत्याकांड में जेल जा चुका है।

4/दि0 3.10.91 को करीब 2 बजे अभय सिंह और ज्ञान प्रकाश मिश्रा मेरे घर बिलासपुर आए थे। जो कि सिम्पलैक्स ग्रुप की थी। "मिश्रा ने मुझे कहा कि जीजा जी मुझे एल0जी0 की तीन गोलियां चाहिये। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या

-----2

T.C.
C.S.

मतलब है, एल0जी0 से । तो उसने कहा कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या एल0जी0 से हुई है । और मैं 3 एल0जी0 ग0के0 सिंह लाइसेंस धारी से लिया था और उसी गोली से शंकर गुहा नियोगी की हत्या हुई है । तब मैंने ज्ञान प्रकाश मिश्रा को कहा कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या से आपका क्या संबंध है । तब ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या एक पेशेवर हत्यारा पलटन ने की है यदि 3 गोली जी0के0 सिंह को लौटा देंगे तो हम लोग बच जायेंगे । तब मैंने उससे कहा कि यहां तो बिलासपुर जिले भर में ऐसी गोली नहीं मिलेगी । तब अभय सिंह ने कहा कि रायपुर में मिलेगी । तब मैंने कहा कि मैं न कभी रायपुर गया हूं और न कभी रायपुर से गोली खरीदा हूं । उस पर अभय सिंह ने कहा कि मिलेगी, मैं जानता हूं, मैं लिया भी हूं, आप केवल हमारे साथ चलो । तब मैं लाइसेंस रखकर उनकी गाड़ी में बैठ गया । ड्राईवर सीट में ज्ञान प्रकाश था, अभय सिंह सामने की सीट में और मैं पीछे की सीट में बैठा था । फिर हम लोग रायपुर आए । उस दिन जैन समाज का जुलूस था । आजाद थाने से पुलिस ने रास्ता रोक दिया था । अभय सिंह हमें रास्ता बताते हुए बंदूक वाले की दुकान तक ले गया । जहां पर दो दुकानें एक साथ लगी हुई हैं, दोनों दुकाने बोहरा मुसलमान भाईयों की है । जिसमें एक दुकान ... एल0जी0 की गोली नहीं मिली तो दूसरी दुकान बदरुद्दीन, की दुकान पर ... । उससे हमने एल0जी0 की 3 गोली अभय सिंह ने ली । और मैंने 7 ब्लैक कारतूस ... । अभय सिंह ने सबका पैसा पटाया । एक एल0जी0 140/- में मिली और ब्लैक कारतूस प्रति एक 18/- रु0 में मिली । हम लोग गाड़ी में सामान ... बैठ ... । ज्ञान प्रकाश व अभय सिंह ने मुझे बिलासपुर ... भिलाई ... छोड़ दिये । ज्ञान प्रकाश व अभय सिंह 3 एल0जी0 की गोलियां लेकर ... वहीं पर छोड़ गए । तब मैं 3-4 दिन भिलाई में ... । तब ... गोविंद को मेरे पास खोजने के लिए भेजा । ... गोविंद ... और दूसरे दिन छत्तीसगढ़ से बिलासपुर चले गए ।

... पुलिस ने ... बदरुद्दीन, शमसुद्दीन एंड संस आर्म्स डीलर का रजिस्टर दिखाया और जिसमें मेरे द्वारा दिनांक 3-10-91 को 3 एल0जी0 और 7 ब्लैक कारतूस

T.C.
C.S.

--- 3

खरीदने के संबंध में मेरे हस्ताक्षर हैं ।

6/जब ज्ञान प्रकाश भिलाईपुर आया था तब मैंने उससे पूछा था कि उसका मोलियों से क्या संबंध है । तब उसने बताया था कि सिम्पलैक्स के नवीन शाह और चंद्रकांत शाह मेरे पीछे पड़े थे । क्योंकि उनके उद्योग में शंकर गुहा नियोगी हड़ताल करवाया था । इसलिए उनकी हत्या कराना जरूरी है । उस समय अभय सिंह भी था । तब मैंने उससे कहा कि तुमने गलती की है और मैंने कहा कि जिस व्यक्ति का जिला प्रशासन जिला-बदर कर चुका है वह हाईकोर्ट के स्टे से कितने दिन तक रुकता था, और तुम्हें उसकी हत्या नहीं करानी थी । तो ज्ञान प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया ।

7/ चंद्रकांत शाह अच्छा आदमी नहीं है और वह हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और अभी ज्ञान प्रकाश मिश्रा को तब लफड़े में डालता है ।

8/ भिलाईपुर में मुझे ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने बताया था कि उसने पेशेवर हत्यारे पलटन को 19,000/- रु० दिए हैं ।

9/ इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया ।

न्या०दं०स०   न्या०दं०स०
दुर्ग   दुर्ग

T.C.
SBS.

P.W. 62

अपराध क्र0-580/91· थाना भिलाई नगर·
धारा - 302, 120 बी, 25/27 आर्म्स एक्ट

धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन,

1·11·91 | 21 वर्ष

जीतेन्द्र कुमार सिंह·
पुत्र राम बहादुर सिंह, पोलिस अफसर
सिक्योरिटी गार्ड
बीईसी कंपनी भिलाई

पता- संतोषी पारा, भिलाई जिला दुर्ग (म0प्र0)

सशपथ:-

1/ मैं बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं । मेरे पिता रायपुर में पुलिस विभाग में हवलदार हैं । हम लोग पांच भाई बहन हैं । मैं दसवीं कक्षा तक पढ़ा हूं । मैं सन् 86 से बी0ई0सी0 कंपनी कोहका में गार्ड के पद पर नियुक्त हुआ था अभी वर्तमान में मैं पोलिस आफिसर हूं । मेरी ड्यूटी रात को रहती है । वर्तमान में मेरा वेतन करीब साढ़े बारह सौ रूपया है ।

2/ दुर्ग में मैंने गन खरीदने के लिये कलेक्टर आफिस में आवेदन दिया था और मुझे 12-13 सितम्बर 91 को गन खरीदने का लायसेंस मिल गया । मुझे 12 बोर वाली सिंगल नली वाली बंदूक का लायसेंस मिला था ।

3/ दिनांक 14·9·91 को मैं बंदूक खरीदने रायपुर जा रहा था । सबेरे 9-10 बजे पलटन और ज्ञान प्रकाश मेरे घर उसी दिन आये थे । उन्होंने मुझे घर में कहा उन्हें चार एल0जी0 (कारतूस) चाहिये । मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने मुझे कारण नहीं बताया और बोले कि तुम्हें समझ में नहीं आयेगा । वे लोग दादा किस्म के लोग हैं । मैं पूर्व से ही जानता था कि ज्ञान प्रकाश भिलाई का दादा है । वे दोनों मेरे घर 14 सितम्बर को ही मेरे बंदूक खरीदने जाने के पहले आये थे ।

4/ उसी समय ज्ञान प्रकाश ने पलटन को पांच सौ रुपये दिया मुझे गन खरीदने जाना था इसलिए मैं पलटन को लाल रंग की सुजुकी मोटर साईकिल में हम दोनों रायपुर सदर

----2

T.C.
C4, SBS

D - 168/S.S

बाजार गए । हम लोग दोनों गन की दुकान में गए । उसके सुजुकी मोटर साईकिल का नंबर मुझे याद नहीं है ।

5/ मैंने गन दुकान से [illegible] सौ रूपए में अपनी गन खरीदा । मैंने बारह बोर की गन खरीदा । मैं अपने लायसेंस पर पांच एल० एल० नंबर का छर्रा (कारतूस) खरीदा था । मैंने सत्यनारायण के [illegible] एक 10 छर्रा और तीन एल0जी0 खरीदे थे । सत्यनारायण मेरे [illegible] है उसने मुझे कारतूस लाने के लिए उसका लायसेंस दिया था । एक छर्रा (कारतूस) सौ रूपये में तथा एक एल0जी0 कारतूस, 120 रूपए में आता है । तीन एल0जी0 का 420/- रूपया पल्टन ने मुझे दिया था । शेष 10 छर्रा का पैसा मैंने स्वयं दिया । छर्रा कारतूस को मैं स्वयं रखा और तीन एल0जी0 कारतूस को पल्टन रख लिया था । फिर मैं उसके साथ वापस जी0ई0सी0 कंपनी आ गया । पल्टन मुझे छोड़कर ज्ञान प्रकाश के पास चला गया ।

6/ 27 सितम्बर 1991 को शाम को पल्टन उसी लाल सुजुकी में मेरे पास आया और मुझे कहा कि ज्ञान प्रकाश गन मांगता है । मैंने कारण पूछा तो उसने कारण नहीं बताया । मैंने उसे कहा कि मैं गन नहीं दूंगा क्योंकि नया नया खरीदा हूं । तब पल्टन ने अपना शर्ट उठाकर पैंट में खोंचे हुए रिवाल्वर कट्टा और कारतूस दिखाते हुए कहा कि किसी को बताना नहीं तो जान से मार दूंगा । उसके बाद पल्टन वापस चला गया ।

7/ 28.9.91 को सवेरे छः साढ़े छः बजे पल्टन पुनः आया उसका टिफिन मेरे पास छूट गया था उसे लेने आया । उसने मुझे बताया कि उसने नियोगी का काम कर दिया है अर्थात उसे जान से मार दिया है । उसने यह भी कहा कि केवल तुम्हें ही जानकारी है कि वे लोग कारतूस मांगे थे अतः तुम किसी को बताना नहीं अन्यथा तुम्हें जान से मार दिया जायेगा । उसने यह भी बताया कि पल्टन और ज्ञान प्रकाश नियोगी को मारने गये थे । ज्ञान प्रकाश बाहर खड़ा था और वह खिड़की के पास जाकर बारह बोर के कट्टा से नियोगी को मार दिया है । उसने पुनः कहा कि तुम किसी को मत बताना अन्यथा ज्ञान मिश्रा मुझे जान से मार देगा । फिर वह पुनः चला गया और उसके बाद दिखाई नहीं दिया ।

-------3

T.C.
CS, SBS.

8/ 29.9.91 को कैम्प -1 में टेलर की दुकान में ज्ञान प्रकाश मुझे मिला था । मैंने पेपर में नियोगी की हत्या का समाचार पढ़ा था अत: मैंने उससे तीन एस0जी0 कारतूस वापिस मांगा तो ज्ञान प्रकाश ने कहा कि वह तुम्हारे एस0जी0 कारतूस से नियोगी को नहीं मारा है, उसने यह भी बताया कि एक गोली पल्टन के पास है पल्टन आयेगा तो तुम्हारे पास भिजवा दूंगा तुम मेरे पास मत आना ।

9/ 1.10.91 को [illegible] गार्ड एस0एन0 राव से ज्ञान प्रकाश ने मेरे तीनों एस0जी0 कारतूस पेपर में लपेट कर मेरे पास भिजवा दिया था ।

10./ उसी रात मैंने जी0सी0 यादव गार्ड के द्वारा ये तीनों कारतूस सत्यनारायण सिंह को भिजवा दिया क्योंकि उसी के लायसेंस से मैंने उक्त कारतूस खरीदा था ।

11/ श्रीराम गन मैन को मैं चार छर्रा दिया था । छ: छर्रा मेरे पास हैं । उसमें से एक कारतूस को मैं गणेश पूजा के लिए जी0डी0ओ0 अपनी के सामने बंदूक को टेस्ट करने के लिए चलाया था जिसका खोखा मेरे पास है । मेरे लायसेंस पर मैंने पांच कारतूस खरीदे थे जिसमें एक चलाया है, चार मेरे पास हैं । एक का खाली खोखा भी मेरे पास है ।

12/ मैं पूर्व में जब रात को ड्यूटी कर रहा था तब दो लोहा चोरों को पकड़वाया था जिसके कारण कुछ लोग मेरे दुश्मन हो गए थे । मैं रात को ड्यूटी करता था तब मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उक्त गन लेने के लिए आवेदन दिया था और मुझे लायसेंस मिला था ।

पढ़कर सुनाया, सही स्वीकार किया ।

न्यायिक दंडाधिकारी.

(अनिल गायकवाड़)
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
दुर्ग (म0प्र0)
1.11.91

T.C.
C.S, SBS.

D-168/4

विटनैस नं0- 1* धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान

दिनांक 26.11.91 आयु 26 वर्ष

सूरज मल जैन

पुत्र मिश्रीलाल जैन

सूरज ऑटो ट्रेडर्स, आकाश गंगा सुपेला

पता- एम0डी0 -5 मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पद्मनाभपुर, दुर्ग ।

शपथ पूर्वक :-

प्रश्न 1:- नियोगी हत्याकांड की घटना के बारे में क्या कहना है ?

उत्तर:- मैं और चंद्रकांत शाह दुर्ग में ही पढ़ते थे । मैं सुराना कालेज में व चंद्रकांत साईंस कालेज में पढ़ता था । उस समय से जान-पहचान होते होते चंद्रकांत शाह मेरा मित्र बन गया । चंद्रकांत शाह मुझसे करीब एक साल छोटा है । मैंने सन् 1978 में व्यवसाय आटो मोबाइल का चालू किया था । उस समय चंद्रकांत शाह के पिता की सिविक सेंटर में गोदरेज की एजेंसी थी और चंद्रकांत शाह उसी दुकान में बैठता था । चंद्रकांत शाह ने स्वयं का अपना बिजनेस सन् 1984 में चालू किया । इसके बाद हम दोनों लोगों का मिलना जुलना बढ़ता गया, व मित्रता बढ़ती गई ।

2/ मैं अक्टूबर 90 से जून 91 तक नेहरू नगर में चंद्रकांत शाह के मकान के पास किराए से रहता था और इसलिए पड़ोसी होने के कारण आना जाना और बढ़ गया ।

3/ मार्च 91 में चंद्रकांत शाह ने एक गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर एम0पी0 24बी0 6622 खरीदी थी । चंद्रकांत शाह ने मुझे कहा कि नेपाल घूमने जाना है, कोई ड्राईवर हो तो बताओ । तब मैंने कहा कि मेरे पास ड्राईवर था वह साडा में नौकरी करता है, यदि वह जायेगा तो उसे पूछ लूंगा । उस ड्राईवर का नाम रवि था । इसके पश्चात रवि गाड़ी के ड्राईवर के रूप में चंद्रकांत शाह के साथ नेपाल गया । उनके साथ ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अवधेशराय, अभय सिंह ये तीनों गाड़ी में गए थे । जब ये लोग वापिस आ गए तब गाड़ी सर्विसिंग में देने जा रहे थे तो रवि ने गाड़ी को दुकान के

-------2

T.C.
C.S. S.B.S.

 D-168/4

पास रोड में खड़ी किया और डाबल जैन उतारा और मुझे बोला कि भैया, कैसे आदमी के साथ मुझे भेज दिया था । और रवि बोला कि पैसा मांगा तो पैसे नहीं दिए तथा दो साल मैंने आपके [illegible] तो आपने कभी गाली नहीं दिये परंतु इन लोगों ने मुझे गालियां दी [illegible] घूमने जा रहे हैं कहकर बताये और ये लोग हथियार खरीदकर लाये । तब मैंने [illegible] चले जाओ, मैं बाद में बात कर लूंगा । उस समय अशोक और ज्ञान प्रकाश गाड़ी [illegible] थे । ज्ञान प्रकाश ड्राईवर की सीट पर बैठा था ।

4/ रात को मेरी मुलाकात चंद्रकांत शाह से हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने रवि के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों किया और मैंने उससे कहा कि तुम बोले कि तुम घूमने जा रहे हो और वहां से झूठ बोलकर हथियार खरीदकर लाये हो । चंद्रकांत शाह ने मुझे खिलौने वगैरह लाये थे उसे दिखाया परंतु हथियार नहीं दिखाया और बोला कि समय आने पर हथियार वह दिखा देगा । उसके बाद चंद्रकांत शाह से हथियार के बारे में मेरी बात नहीं हुई और हम लोगों का व्यवहार सामान्य चलता रहा ।

5/ दि0 27 सितम्बर 91 को रात को दुर्गा समिति वाले मुझे इंदिरा मार्केट में मिले थे जिसमें देवेन्द्र पाटनी, सोहन जैन, उत्तम बरोड़िया, मिले । और केडिया के घर जाना है, बोले । क्योंकि दुर्गा उत्सव के लिए चंदा लेना था और केडिया को कवि सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाना था । ज्ञान प्रकाश ने हमें टाईम दिया कि आ जाना, हम केडिया से मिला देंगे । हम लोग 9.15 बजे के करीब ज्ञान प्रकाश के घर गए परंतु वह घर में नहीं था । तब देवेन्द्र पाटनी ने कहा कि वह अभय सिंह के घर देखकर आता है । अभय सिंह का घर ज्ञान प्रकाश के घर के पास ही है । देवेन्द्र पाटनी अभय सिंह के घर गया तो ज्ञान प्रकाश वहां नहीं मिला । तब देवेन्द्र पाटनी अभय सिंह को लेकर वापस आ गया । हम लोग 10 बजे तक ज्ञान प्रकाश के घर इंतजार किए । परंतु [illegible] नहीं आया । तब हमने कहा कि ठीक है, सबेरे मिलेंगे और अपने अपने घर वापिस चले गए ।

——3

T.C.
CS. SBS.

6/ अगले दिन सवेरे 28 सितम्बर - 91 को मैं अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो मार्केट के दुकानदार खड़े थे। उन लोगों ने मुझे बताया कि नियोगी जी को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है जिसके कारण श्रमिक लोग चक्का जाम कर रहे हैं। तब तब दुकानदारों ने मुझे पूछा कि दुकान खोलना है या नहीं। मैं उस मार्केट का अध्यक्ष हूं। मैंने कहा कि दुकान खोल लो, यदि कोई ऐसी बात होती है तो दुकान बंद कर लेंगे। जब मैं अपनी दुकान का शटर उठवा ही रहा था, उस समय सवेरे का करीब 9.15 बजे थे, उस समय वहां पर चंद्रकांत शाह आया और उसने पूछा कि तुम्हें मालूम है क्या नियोगी की हत्या हो गई। तब मैंने कहा कि यहां पर काफी हल्ला है, इसलिए मालूम हो गई। तब चंद्रकांत शाह ने मुझे कहा कि मेरे लिए तो ये एक नया लफड़ा पैदा हो गया है। ले-देकर मैं अपनी गाड़ी लाईन पर लाया था अब मेरे से पूछताछ होगी। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है तो तुमसे क्या लेना देना है। और कुछ पूछताछ होगा तब उसको फेस करना। तब चंद्रकांत ने मुझसे कहा कि मेरे ही लड़कों का हाथ है। मैंने लड़कों का नाम नहीं पूछा लेकिन मैं उन लड़कों को जानता था कि ज्ञान प्रकाश, [illegible] राव, छोटू, अवध सिंह हो सकते हैं।

7/ इसके बाद 30 सितम्बर - 91 को मेरे बच्चे का जन्मदिन था। तो मैं चंद्रकांत शाह के घर जन्मदिन के लिए बुलाने गया था। क्योंकि मैंने जान पहचान वालों को भी बुलाया था। जन्मदिन में चंद्रकांत शाह अपने परिवार के साथ आया था परंतु भीड़ होने के कारण नियोगी के संबंध में कोई बातचीत नहीं हो सकी थी। इसके बाद मैं चंद्रकांत शाह व उसके परिवार को बाहर तक छोड़ने गया था। तो मैंने उससे पूछा कि कोई पूछताछ हुई है क्या, उस समय करीब 10.30 बजे थे। तब चंद्रकांत शाह ने मुझसे कहा कि अभी तक तो कोई पूछताछ नहीं हुई है। उसके बाद चंद्रकांत शाह चला गया। उसके बाद चंद्रकांत शाह मार्केट में 1-2 बार मिला लेकिन नियोगी हत्याकांड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जिस समय चंद्रकांत को जन्मदिन के लिए बुलाने गया था उस समय उसके घर में ज्ञान प्रकाश बैठा था।

----4

T.C.
C.S. SBS

D-168/4

दि० 5.10.91 को मैं अस्पताल में भर्ती हो गया । क्योंकि मेरे पेट में में बीमारी थी जिसे डाक्टर ने कोलाइटेस बताया था । अस्पताल में मुझे पता लगा कि चंद्रकांत फरार हो गया है । यह बात मुझे 7 दिसम्बर 91 को अखबार से मालूम हुआ। शाम को उसी दिन मेरा नौकर कोदू मुझे देखने आया था । तब उसने अस्पताल में बताया था कि चंद्रकांत शाह मेरे [illegible] के गैरेज में फियेट कार नं० एम०पी०डी० 23, 7736 छोड़कर गया है और चाबी मेरे नौकर के पास है अर्थात कोदू के पास है । उसी दिन तब मैंने कहा कि गाड़ी खड़ी है तो खड़ी रहने दो । उसके बाद नौकर कोदू चला गया । मैं अस्पताल में करीब एक हफ्ते तक भर्ती रहा । उसके बाद डिस्चार्ज किए, उसके बाद तकलीफ होने से भर्ती फिर किए । बाद में डिस्चार्ज किए । इसके बाद से दुकान चला रहा हूं और इसके बाद से मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई । मैं दुकान पर बैठता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि चंद्रकांत शाह कहां है तब मैं बोलता था कि मैं तो अस्पताल में भर्ती था, मुझे नहीं मालूम । पुलिस वालों को भी मैंने यही बातें बताई थी ।

9/ इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया,
उसने सही होना स्वीकार किया ।

न्या०दं०प्र० दुर्ग

न्या०दं०अ० दुर्ग

T.C.
CS. SBS

पृ0 -1   धारा 164 सी0आर0पी0सी0

2. दिनांक 23.10.91 ।   उम्र 26 साल

D-168/5

नाम रॉय उर्फ रॉय कुमार

पिता राजा शेट्टी, पेशा साडा में ड्राइवर

पता नकोदा सेक्टर - 2, मार्केट 36 ए, भिलाई, दुर्ग

मैं साडा में ड्राईवरी करता हूं । इसी मार्च में होली के बाद मैं चंद्रकांत शाह, अवधेश के साथ नेपाल गया था । चंद्रकांत के गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर एम0पी0 24-6522 में गए थे । उनके साथ अभय सिंह एवं अवधेश भी थे । गाजीपुर के पास खालिसपुर में अभय सिंह के घर में रात में रुके । दूसरे दिन सुबह 4 बजे उस वाहन से निकले सीवान होते हुए बीरगंज नेपाल पहुंचे । वहां पर होटल कैलाश में रुके । वहां ज्ञान प्रकाश पहले से मौजूद था । उसे मैंने नेपाल में पहली बार देखा था जो दुर्ग से कलकत्ता गया था एवं कलकत्ता से हवाई जहाज से ~~रक्सौल~~ नेपाल गया था । बीरगंज में 2 दिन रुकने के बाद काठमांडू गए वहां जनक होटल में 2 कमरे लेकर रुके । एक कमरे में ज्ञान प्रकाश और चंद्रकांत शाह रहे दूसरे कमरे में अवधेश, अभय सिंह और मैं थे । वहां 2-3 दिन रुककर पशुपति नाथ मंदिर और अंग्रेज भवन इत्यादि घूमे वहां से बीरगंज वापिस आए थे और वहां खरीददारी किए । बीरगंज में कैलाश होटल में रुके । चंद्रकांत शाह काठमांडू में रुक गए थे । 2 दिन बाद चंद्रकांत शाह हवाई जहाज से बीरगंज आए । उसके बाद हम लोग रक्सौल गए । वहां पर चंद्रकांत शाह ने टेपरिकार्डर, जिप्सी के टायर, एक बंदूक और थैलों में कुछ कारतूस गाड़ी में रखवाए । वहां से हम लोग बेतिया के लिए रवाना हुए । मैं बेतिया के कुछ देर पहले गाड़ी रोका था । रक्सौल से एक आदमी मेरे गाड़ी में बैठा था जिसे मैं जानता नहीं था जिसे चंद्रकांत ने दो पिस्तौलें दी । उस आदमी को चंद्रकांत शाह ने वापिस रवाना कर दिया । कुछ दूर जाने पर चंद्रकांत शाह ने वापिस रवाना कर दिया । कुछ दूर आने पर चंद्रकांत शाह ने फिर गाड़ी रुकवाई । एक विदेशी शराब की बोतल निकालकर चंद्रकांत शाह, ज्ञान प्रकाश, अभय सिंह और अवधेश ने एक एक पेग पिया । मुझे भी दे रहे थे, मुझे ड्राईविंग करना है कहकर मना कर दिया ।

T.C.
C.S. SBS.

-----2

 D-168/35

उसके बाद चंद्रकांत शाह ने [illegible] अभी तो हमारे पास अच्छे अच्छे पिस्तौल और बंदूकें मिल गई हैं । अब हमें नियोगी के काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । ज्ञान प्रकाश ने [illegible] पिक्चर मत करो मैं सब देख लूंगा । चंद्रकांत ने कहा कि नियोगी ने हम लोगों के नाक में दम कर दिया है तुम काम नहीं कर सको तो मैं अकेला काम कर दूंगा ।

2/ ज्ञान प्रकाश ने कहा कि [illegible] करीब गाडी [illegible] देख लेंगे । चंद्रकांत शाह ने [illegible] पैसा [illegible] 15-20 भी हो परंतु यह काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए । दूसरे दिन हम लोग बनारस के लिए रवाना हुए । बनारस में सुबह ज्ञान प्रकाश ने मुझे धमकी देते हुए कहा [illegible] रात वाली बात तुमने सुनी नहीं है अगर सुनी है तो किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो तुम्हें खत्म करेंगे उसके बाद नियोगी को खत्म करेंगे । उसके बाद हम लोग इलाहाबाद जबलपुर होते हुए मंडला होते हुए भिलाई आए । भिलाई में चंद्रकांत शाह नेहरू नगर के अपने मकान में रुके । वहां सब को छोड़कर मैं चंद्रकांत शाह के अपने घर गाड़ी को सर्विसिंग के लिए आटोमोबाइल में छोड़कर अपने घर गया । चंद्रकांत शाह ने मुझे पारिश्रमिक 400-500/- रु0 दिया था ।

मेरे निर्देश पर टंकित

न्या0दं0स0प्र0श्रे0
दुर्ग

न्या0 दं0स0प्र0श्रे0
23.10.91

T.C.
C.C., SBS

D-168/6

विटनेस नं० - 3   धारा 164 सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत बयान

दिनांक 27.11.91   आयु 25 वर्ष

विक्रम सिंह ठाकुर

पुत्र रघुराज सिंह ठाकुर   पढ़ाई

मोती पारा, दुर्ग ।।

शपथ पूर्वक :-

प्रश्न 1 :- नियोगी हत्या के बारे में तुम क्या जानते हो ?

उत्तर:- मैं अपने परिवार के साथ मोतीपारा दुर्ग में रहता हूं । तथा एल०आई०सी० का एजेंट हूं तथा एम०एस०सी० फाईनल ईयर में पढ़ रहा हूं । मूलत: 80 साल पहले बांदा से मेरा परिवार यहां आया । ज्ञान प्रकाश मिश्रा कालेज के जमाने से मेरा दोस्त है और ज्ञान प्रकाश के साथ अभय सिंह मिलने आता था तब उसे भी जानता हूं, मैं देवेन्द्र पाटनी को जानता हूं, वह उम्र में मुझसे बड़ा है, पर मेरा दोस्त है । जिसे मैं भैया बोलता हूं ।

2-देवेन्द्र पाटनी के प्लाट को आसपास के लोगों ने घेरकर पीछे व आजू बाजू से घेर कर कब्जा कर लिया है । देवेन्द्र पाटनी को ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा था वह प्लाट को के खाली करायेगा और देवेन्द्र पाटनी ज्ञान प्रकाश मिश्रा को खाली प्लाट दे देगा । ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, अवधेश राय, छोटे पहलवान, बलदेव सिंह, महेन्द्र, हितेश मलैया और चौबे, देवेन्द्र पाटनी से मिलने दुर्ग आते थे तब उनसे मेरी भी मुलाकात उनसे होती थी । शिवनाथ मिनरल या शोला होटल के पास हमारी बातचीत होती था ।

3-संगीत नाम के आदमी ने देवेन्द्र पाटनी से पैसे मांगे थे । देवेन्द्र पाटनी लाता हूं कहकर चला गया और नहीं आया । उसी दिन पुलिस आई और संगीत जोकि फरार था, उसे पकड़ लिया इसलिए संगीत ने देवेन्द्र पाटनी से मुखबिरी करता है कहकर झगड़ा हुआ । इसलिए देवेन्द्र पाटनी ने ज्ञान प्रकाश मिश्रा से संबंध बनाए थे कि भविष्य में कभी झगड़ा हो तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा मदद करेगा ।

T.C.
C.S. SBS.

——2

 D-168/6

4 - सितम्बर 91 में करीब 10-15 बार ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपने साथ अशोक राय, अभय सिंह, बलदेव, छोटे पहलवान, टोनी, के साथ मेरे से व पाटनी से मिलने आते थे । उनके पास मारुति होंडा, आटोमेटिक होंडा, लूना, लाल रंग की टी0वी0 एस0 सुजुकी गाड़ियां थी ।

5. नियोगी की हत्या के करीब 10-15 दिन पहले ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, टोनी, बलदेव, छोटे पहलवान वगैरह अभय सिंह के घर में थे । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने वहां पर खाना बनवाया था और हम सभी ने खाना खाया । फिर हम सब अपने घर चले गए ।

6. नियोगी की हत्या के एक सप्ताह पहले ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने संदेश भिजवाया था कि देवेन्द्र पाटनी का भाठा में फाईल निकलवानी है इसलिए मैं और देवेन्द्र पाटनी मारुति कार या जिप्सी में दिन के 1-2 बजे ज्ञान प्रकाश के घर गए वह वहां नहीं था । वहां से पता चलने पर कि ज्ञान प्रकाश अभय सिंह के घर होगा, हम वहीं गए । जहां पर फिर ज्ञान प्रकाश से रवि नामक आदमी था, पता चला । बाद में फोटो देखने पर पता चला कि वही पलटन है । उस समय रवि टी शर्ट व लुंगी पहने हुए था । इसके बाद ज्ञान प्रकाश रिक्शे में बैठकर आगे व हम लोगों के साथ भाठा गया । मैं गाड़ी में था । भाठा ज्ञान प्रकाश व देवेन्द्र पाटनी अंदर गए व 15-20 मिनट बाद वापिस आ गए । मुझे यदि अभी रवि उर्फ पलटन की फोटो दिखाई जावे तो मैं उसे पहचान लूंगा ।

7-मैंने देवू के पास एक रिवाल्वर देखी थी । तब मुझे ज्ञान प्रकाश ने बताया कि उसने चंद्रप्रकाश शाह से रिवाल्वर लेकर देवेन्द्र पाटनी को दी । रिवाल्वर काले रंग की छोटी सी थी और जेब में रखने लायक थी । नियोगी की हत्या के 6-7 दिन पहले वह रिवाल्वर चंद्रकांत शाह देवेन्द्र पाटनी से मांगकर ले गया । उस समय चंद्रकांत ने मुझसे पूछा था कि देवेन्द्र पाटनी कहां है तो मैंने बताया कि अंदर है तब देवेन्द्र पाटनी बाहर आ गया और चंद्रकांत शाह ने देवेन्द्र पाटनी को ल अलग ले जाकर कुछ बातचीत की जो कि मुझे नहीं मालूम । परंतु दूर से देखने पर पता चला कि चंद्रकांत शाह ने देवेन्द्र पाटनी को रिवाल्वर दी ।

———3

T.C.
C.S.

ईसी स्तर पर साक्षी ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह खड़ा नहीं रह सकता, अतः इस साक्षी को बैठने के लिए उसकी प्रार्थना पर कुर्सी बैठने को दी गई

8-इसके बाद चंद्र[illegible] शाह चला गया ।

9-27 तारीख को रात में 9-10 बजे देवेन्द्र पाटनी जिसने बाजार में दुर्गी रखी थी, कोठिया से [illegible] और ज्ञान प्रकाश मिश्रा के मार्फत कोठिया से मिलना चाहता था । तब देवेन्द्र पाटनी, सुरेश कोठारी आदि लोग ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर गए । ज्ञान प्रकाश नहीं मिले [illegible] तो वापिस.. आ गए और बोले कि आज नहीं मिला है तो सबेरे अगले दिन 10 बजे आयेंगे । 28 तारीख को सबेरे साढ़े नौ-दस बजे ज्ञान प्रकाश मिश्रा मेरे घर आए । और उसने बताया कि देवु लोग घर आए थे । दिनांक 28.9.91 को यह बात है । ज्ञान प्रकाश मिश्रा के चेहरे में थोड़ी सी घबराहट थी और उसने मुझे बताया कि नियोगी का मर्डर हो गया है । देवेन्द्र पाटनी को बता देना कि कोठिया के घर नहीं जाना क्योंकि वहां माहौल खराब है । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने मेरे थोड़े पास आकर बताया कि किसी को बताना नहीं, हम लोगों ने नियोगी ने नियोगी को गोली मार दिए । इसके बाद मैं, ज्ञान प्रकाश देवेन्द्र पाटनी के घर गए । वहां पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने देवेन्द्र पाटनी को बताया कि कोठिया के यहां नहीं जाना है फिर [illegible] कि हम लोगों ने नियोगी को गोली मार दिया है । इसके बाद मैं, ज्ञान प्रकाश, देवेन्द्र पाटनी के आफिस गए । जोकि शिवनाथ मिनरल है । वहां 10-15 मिनट बातचीत किए । वहां पर, राय उर्फ पलटन लाल रंग की टी0वी0एस0 सुजुकी में आया और वह आफिस के अंदर आया तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा उसे लेकर आफिस के बाहर गया । इसके बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा अंदर आया, पलटन बाहर ही रहा । इसके बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने पाटनी से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या। तब देवेन्द्र पाटनी ने गल्ले और जेब से सब पैसे निकालकर ज्ञान प्रकाश मिश्रा को दिए और ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने भी अपनी जेब से 50 के नोटों की गड्डी निकालकर पलटन को दी ।

T.C.
C.S.

और फिर रोबू उर्फ पलटन को ज्ञान प्रकाश ने बोला कि तुम गांव चले जाओ, 1-2 माह बाद आना। तब रोबू उर्फ पलटन जिस गाड़ी से आया था, उसी गाड़ी से चला गया। हम लोग वहां बैठे आधे घंटे तक बातचीत कर रहे थे और पूछा कि माजरा क्या है ? ज्ञान प्रकाश मिश्रा हंसने लगा और कुछ नहीं बताया। हम लोग ठंडा वगैरह पीए और चले गए।

10- 30 सितम्बर को ज्ञान प्रकाश मिश्रा मुझे सुर्या मुल कार्नर के पास मिला था। उस समय वह सफेद सिफ्ट कार में था, हमने जुहार किया फिर वह चला गया।

11- 4 या 5 अक्टूबर को अभय सिंह, ज्ञान प्रकाश, टोनी, मेरी होटल में आए थे और मुझसे पूछा कि देवेन्द्र पाटनी कहां है। तब मैंने उन लोगों से पूछा कि देवू को क्यों पूछ रहे हो तो उन्होंने मुझे बताया कि अपेक्षा राय की नियोगी हत्याकांड में पुलिस ने पकड़ लिया है और ज्ञान प्रकाश ने बताया कि वह कोर्ट गया था तो उसका भी 307 का जो कि पुराना केस था, का वारंट निकलवाया है। क्योंकि पुलिस वाले मेरे को उठा नहीं पा रहे हैं, वारंट में ले जाकर पूछताछ करेंगे तो वह वारंट कैंसिल करवाना है। फिर उन लोगों ने नाश्ता किया। तब मैं, ज्ञान प्रकाश देवेन्द्र पाटनी के घर गए। अभय सिंह व टोनी देवेन्द्र पाटनी के आफिस चले गए। मैं और ज्ञान प्रकाश देवेन्द्र पाटनी के घर गए। देवेन्द्र घर पर नहीं मिला तो आफिस चले गए। थोड़ी देर बाद देवेन्द्र पाटनी आफिस पहुंच गया। उसके अगले दिन शनिवार या इतवार था अतः कोर्ट बंद थी। अतः देवेन्द्र पाटनी ने बोला कि सोमवार को देखेंगे। इसके बाद अभय सिंह व टोनी बाहर चले गए। इसके बाद ज्ञान प्रकाश को देवेन्द्र पाटनी ने कहा कि 2-4 दिन के लिए घूमने चले जाओ। इसके पहले ज्ञान प्रकाश ने अभय सिंह से बात की थी, जिसे मैंने नहीं सुना था। इसके बाद एक एम्बेसेडर कार में मैं, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह के घर गए। अभय सिंह घर के सामने खड़ा था, हमें देखकर सुटकेस व बेग वगैरह अंदर से लाया और कार में डाल दिया। उसी कार में हम चारों दुर्ग आ गए। इसके बाद

T.C.
C.S.

देवेन्द्र पाटनी से ज्ञान प्रकाश ने कहा कि इसी कार से हम लोग पचमढ़ी घूम आते हैं, तो देवेन्द्र पाटनी ने कहा कि कार खराब है । वह कहा कि देवेन्द्र पाटनी दूसरी कार लाता है तब तक देवेन्द्र पाटनी की दाल मिल में बैठो । इसके बाद देवेन्द्र पाटनी ने टैक्सी स्टैंड से सफेद रंग की मारुति वेन लाया और ज्ञान प्रकाश को बोला कि पेट्रोल फुल करा दिया हूं । और कहा कि पचमढ़ी में ड्राईवर को छोड़ देना ड्राईवर वापिस आ जाएगा । और खबर के लिए छिंदवाड़ा में देवेन्द्र पाटनी का जीजा रहता है, आपलोग वहां चला जाना और वहां तुमको तुम्हारे वारंट के बारे में खबर मिल जाएगी । यह बात 9-10 तारीख की है । कि देवेन्द्र पाटनी ने अपने जीजा को फोन किया था और बताया कि अभय सिंह व ज्ञान प्रकाश उसके जीजा के घर पहुंच गए हैं और बताया कि ज्ञान प्रकाश को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा । फिर रात को देवेन्द्र पाटनी ने विश्वनाथ मिनरल से अपने जीजा को फोन लगाया । और देवेन्द्र पाटनी ने ज्ञान प्रकाश को बोला कि तुम यहां आ जाओ । और बोला कि दुर्ग स्टेशन पर नहीं उतरना, राजनांदगांव स्टेशन पर उतरना । क्योंकि दुर्ग स्टेशन में पुलिस पकड़ लेगी, वारंट कैंसिल नहीं हो पाया है । इसके बाद ज्ञान प्रकाश ने फोन में मुझसे बातचीत की और मैंने उसका हालचाल पूछा इसके बाद फोन रख दिया । इसके बाद देवेन्द्र पाटनी ने मुझसे कहा कि अगले दिन 10-11 बजे राजनांद गांव चले जाना ।

12- अगले दिन सबेरे 10 तारीख को राजनांद गांव निकलने के पहले मैं देवेन्द्र पाटनी से मिला था तब उसने मुझे बताया था कि दोनों ने बताया है कि अभय सिंह के यहां पुलिस गई है और किसी को पकड़ कर ले गई है । इसके बाद मैं घर आया, खाना खाया उसके बाद टैक्सी स्टैंड जलेबार से टैक्सी के बारे में बात किया तो उसने मुझे बताया कि उसके पास अभी टैक्सी नहीं है, वह दूसरे से टैक्सी दिलवा देगा । मैं टैक्सी लेकर राजनांद गांव चले गया । फिर राजनांद गांव में करीब पौने चार बजे ट्रेन आई । वहां ज्ञान प्रकाश व अभय सिंह मिले वे मेरी टैक्सी में आ गए । फिर तीनों हम लोग दुर्ग में पाली साहब के कोर्ट में आ गए । कोर्ट में ज्ञान प्रकाश मिश्रा का वारंट कैंसिल हो गया ।

T.C.

C.S.

......6

इसके बाद हम लोग विश्वनाथ मिनरल गए । वहां हम ठंडा पिये । अभय सिंह को आफिस में छोड़कर मैं और ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश के घर गए । ज्ञान प्रकाश अपने घर के अंदर गया, मैं बाहर ही खड़ा था । 10 मिनट बाद ज्ञान प्रकाश बाहर आया । वह वापिस देवेंद्र पाटनी के आफिस दुर्ग आया । देवेन्द्र पाटनी ने बताया कि अभय सिंह को स्टेशन छोड़ दिया है । उसके बाद ज्ञान प्रकाश अभय सिंह को गांव जाने के लिए बोल चुका था । उसके बाद ज्ञान प्रकाश को मैं आफिस भिलाई छोड़ दिया ।

13- अगले दिन मुझे पता चला कि ज्ञान प्रकाश को पुलिस ने पकड़ लिया है है । चंद्रकांत शाह को मैं 2-3 साल पहले मुलाकात हुई थी उसके बाद वह मुझे सूरज कांकेरिया के दफ्तर में मिला था । मुझे वहां पर ज्ञान प्रकाश व देवेन्द्र पाटनी ही लेकर जाते थे ।

14-एक साल पहले सिम्पलेक्स में मजदूरों की हड़ताल हुई थी जिससे कंपनी को नुकसान हुआ था । यह मुझे ज्ञान प्रकाश ने बताई थी । जब भी हड़ताल होती थी तो चंद्रकांत के कहने पर चंद्रकांत का सहयोग करता था ।

15- ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने जो मुझे बताया उससे मुझे लगता है कि नियोगी की हत्या ज्ञान प्रकाश मिश्रा व पलटन ने की । चंद्रकांत शाह क्रिमीनल व गुस्सैल आदमी है । उसके रास्ते में कोई आ जाए तो वह उसे हटा देगा । मैं चंद्रकांत शाह व ज्ञान प्रकाश मिश्रा से डर रहा था इसलिए मैंने पुलिस को ये सब बातें पहले नहीं बताई ।

~~16~~ 16- इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया,
उसने सही होना स्वीकार किया ।

न्याO दंOप्राO
दुर्ग

न्याO दंOप्राO
दुर्ग

T.C.
C.S. SBS

D-168/7

विटनेस नं0 -2   धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत बयान

दिनांक 26.11.1991   उम्र 23 वर्ष

महेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र महात्मा सिंह

मौर्या चंद्रा साईकिल स्टैंड में गार्ड ए0सी0सी0 कालोनी, जामुल। स्थाई पता- यू0पी0 इलाहाबाद।

<u>शपथ पूर्वक :-</u>

प्रश्न 1 :- नियोगी हत्याकांड के बारे में तुम क्या जानते हो ?

उत्तर:- मेरे पिता ए0सी0सी0 में [illegible] विभाग में खलासी के पद पर कार्यरत थे। जिनका स्वर्गवास हुए 5 वर्ष हो गए। मेरे साथ मेरी मां और मेरा बड़ा भाई रहते हैं। मेरे पिता जी के निधन के पश्चात हम लोग अपने मामा उपेन्द्र सिंह यादव -जोकि ए0सी0सी0 में रहते हैं, के पास रहते हैं। मेरे मामा ए0सी0सी0 में इलेक्शन विभाग में हार्ड प्रेशरपिन्डर का काम करते हैं।

2-मैं कक्षा 5वीं तक पढ़ा हूं। मेरे पिताजी खत्म हो गए थे इसलिए मैं प्राय: बेकार रहता था और छोटे-मोटे काम कर लेता था। चंद्रप्रकाश सिंह और बलदेव सिंह को मैं पिछले 3-4 वर्षों से जानता हूं। वे मेरे अच्छे मित्र हैं। चंद्रप्रकाश सिंह के पिता ए0सी0सी0 में ऑपरेटर हैं। और चंद्रप्रकाश सिंह ए0सी0सी0 में अपने पिता के साथ रहता है। बलदेव सिंह नंदिनी रोड के एम0पी0 हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहता है। मैं इन लोगों के घर आता जाता हूं व वे भी मेरे घर आते जाते हैं।

3-सन् <u>1990 में</u> विश्वकर्मा पूजा के दिन मैं चंद्रप्रकाश सिंह के साथ ओसवाल आयरन इंडस्ट्री के कारखाने में गया था जहां मुझे चंद्रप्रकाश सिंह ले गया था। यह कारखाना चंद्रकांत शाह का है। वहां विश्वकर्मा पूजा का व खाने पीने का आयोजन था। चंद्रप्रकाश सिंह ने मेरा परिचय ज्ञान प्रकाश मिश्रा से करवाया। वहीं पर अभय सिंह भी थे। चंद्रप्रकाश सिंह ने मेरा परिचय अवधेश राय से कराया। वहां पर करीब 150 लोग थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे। तभी बीच ज्ञान प्रकाश ने जोर

T.C.
C.S. SBS

-----2

से आवाज लगाई कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वाले कारखाने को बंद कराने आ रहे हैं, कारखाने का गेट बंद नहीं होना चाहिए । और सामने ज्ञान प्रकाश, अवधेश राय और अभय सिंह भी थे । और उनके साथ 35-40 लड़के और भी थे । यह देखकर मैं और चंद्रप्रकाश सिंह भी दौड़े । ज्ञान प्रकाश मिश्र, अवधेश राय और अभय सिंह व कुछ लड़कों ने मिलकर मजदूरों की पिटाई की । [illegible] बाद पुलिस आ गई । इसके बाद हम लोग बलदेव सिंह के घर गए क्योंकि वहां उनका जन्म दिन था । इसके बाद मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अवधेश राय व अभय सिंह से जून 91 [illegible] में मिला ।

4- जून 1991 [illegible] नारायण तिवारी जो कि बी0एस0पी0 में ठेकेदारी करता है, पार्टनरशिप में मैं भी ठेकेदारी का काम करने लगा, उसमें मैंने 8-10 हजार रुपए लगाये थे । उसके साथ मैंने मोदी सीमेंट कंपनी में भी काम किया था लेकिन मुझे घाटा हो गया । फिर मैं गांव चला गया ।

5- गांव में मेरे जीजा नरेंद्र सिंह, जो भिलाई में काम करते हैं, उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि चंद्रप्रकाश सिंह व बलदेव सिंह ने मुझे जल्दी भिलाई में बुलाया है और बताया कि बलदेव व चंद्रप्रकाश ने बताया है कि मेरे काम का इंतजाम हो गया है, जल्दी बुलाया है, काम लग जायेगा । खबर मिलने के करीब 4 दिन बाद मैं भिलाई आ गया और चंद्रप्रकाश व बलदेव सिंह से मिला । उन्होंने बताया कि अभी हम ज्ञान प्रकाश मिश्रा के यहां जायेंगे और ज्ञान प्रकाश से नौकरी के बारे में बात करेंगे । बलदेव सिंह व चंद्रप्रकाश सिंह भी बेकार थे । फिर बलदेव सिंह को स्कूटर लेकर ज्ञान प्रकाश मिश्रा के यहां गये । ज्ञान प्रकाश मिश्रा के नौकर से हम लोगों ने ज्ञान प्रकाश को घर से बुलवाया । तब ज्ञान प्रकाश मिश्रा बाहर निकला । बलदेव सिंह व चंद्रप्रकाश सिंह ने मेरी नौकरी के बारे में बात किया तब ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि ठीक है, अच्छी जगह नौकरी लगवा दूंगा । और इस प्रकार हमारा ज्ञान प्रकाश मिश्रा व अभय सिंह के घर आना जाना शुरु हुआ । वहां पर अभय सिंह, अवधेश राय, छोटू, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, बलदेव सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह और टोनी आदि इकट्ठे होते थे । तब ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने बलदेव सिंह और चंद्रप्रकाश सिंह को कहा कि उरला में नवीन शाह को

————-3

D-168
7

टिम्पलैक्स कंपनी है, वहां जाकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वालों के साथ जाकर मारपीट करो । उसके बाद बलदेव व चंद्रप्रकाश सिंह मेरे पास मारुति वैन लेकर आए । मैं, चंद्रप्रकाश सिंह, [illegible] मारुति वैन में उरला गए । वहां पर चंद्रप्रकाश सिंह ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मजदूरों को दो हाकी स्टीक से मारा । हल्ला होने के बाद ~~[illegible] मजदूरों~~ हम लोग भिलाई वापिस आ गए । हम लोग ज्ञान प्रकाश मिश्रा, चंद्रप्रकाश, बलदेव के साथ नवीन शाह के कारखाने जाते थे और वहां पर ज्ञान प्रकाश इन लोगों को नौकरी के लिए बात करेंगे कहकर ले जाते थे । इस बीच उमाशंकर राय जो कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का है, उसको जाकर इंडस्ट्री में जाकर लोहे के पाईप से चंद्रप्रकाश सिंह, बलदेव सिंह और अवधेश सिंह मारे थे । इस मारपीट के बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने चंद्रप्रकाश सिंह व बलदेव सिंह को चलाने के लिए टी०वी०एस० 50 दी । और बोला कि यह गाड़ी चंद्रकांत की है इसे तुम चलाओ और पता करो कि नियोगी की मीटिंग कहां कहां होती है । इसी गाड़ी में मैं, चंद्रप्रकाश सिंह, व बलदेव सिंह अभय सिंह के घर आते जाते थे । इस प्रकार आना जाना शुरू हुआ । इसके बाद अभय सिंह के घर में 3-4 बार मटन-मुर्गा वगैरह बनता था और हम लोग उस प्रोग्राम में जाकर खाते थे । दो बार वहां पर बी०के० सिंह और पलटन भी आये । अभय सिंह के घर के सामने रवि उर्फ पलटन रहता था । इन अवसरों पर ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह, अवधेश राय, रवि उर्फ पलटन नियोगी के बारे में बातें करते थे कि ये न तो खुद चैन से रहते हैं और न हमें चैन से रहने देता है । अभय सिंह के घर में एक सूटकेस था जिसमें एक रिवाल्वर रखा था । जब अभय सिंह उस रिवाल्वर को निकाल रहा था तब मैंने उसे देखा था । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने मेरा उसी दिन चंद्रप्रकाश सिंह, बलदेव सिंह से परिचय कराया । वह रवि है, और यह भी बताया कि उन लोगों ने उसे बाहर से बुलाया है, नियोगी को जान से मारने के लिए । उसके बाद हम लोग नवीन शाह की फैक्टरी गए । फैक्टरी में मैं, बलदेव, चंद्रप्रकाश सिंह, अवधेश राय, अभय सिंह ज्ञान प्रकाश मिश्रा गए । अवधेश राय, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह नवीन शाह के चैम्बर

T.C.
C.S. SBS

-----4

D-168

के अंदर गए । हम लोग बैठे रहे । इसके बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा बाहर आया और हम लोगों को बोला कि नियोगी अभी दिल्ली गया है और उसके आते ही नियोगी को जान से मारना है । फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने घर वापिस चले गए ।

5- नियोगी हत्या के करीब एक माह पहले नवीन शाह के घर गए थे । मेरे साथ चंद्रबक्श, बलदेव ... बी०एस० 50 से गए थे । अभय सिंह व अवधेश राय अभय सिंह के स्कूटर से गए थे । ज्ञान प्रकाश मिश्रा काइनेटिक होंडा से गया था । ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपने पास एक रिवाल्वर रखा था । ज्ञान प्रकाश मिश्रा चंद्रबक्श सिंह व अवधेश राय को एक चिट्ठी ... मूलचंद सिंह को बुलाने के लिए । मैं, चंद्रबक्श सिंह, बलदेव व ज्ञान प्रकाश मिश्रा चंद्रकांत शाह की नई गाड़ी टैम्पो ट्रैवलर से ईंटा भट्ठा गए और जो कि पाटन सोनपुर में है, हम लोग दो बार गए, दोनों बार गाड़ी चंद्रकांत शाह की थी । ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने हम लोगों को बोला कि चलो तुम लोगों का ईंटा भट्ठा घुमाकर लाता हूं । मैं, चंद्रबक्श, अवधेश, बलदेव, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अभय सिंह आदि लोग ईंटा भट्ठा गए । वहां से घूम फिर कर हम लोग वापिस आ गए । नियोगी की हत्या के 8-10 दिन पहले ज्ञान प्रकाश मिश्रा हम लोगों से टी०वी०एस० -50 वापिस ले लिया । यह बोलकर कि गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए देना है । इसके बाद उस गाड़ी को रवि उर्फ पलटन चलाने लगा । नियोगी की हत्या के एक दिन पहले ज्ञान प्रकाश मिश्रा के घर के सामने देबू भाई सुरज भाई और उनके साथ 5-6 लोग आए हुए थे । उसके बाद मैं और चंद्रबक्श भी पहुंचे । हम लोग बलदेव सिंह की स्कूटर से पहुंचे । देबू भाई हम लोगों को बोले कि ज्ञान प्रकाश हमें बुलाये थे । इसके बाद देबू भाई ने चंद्रबक्श से पूछा कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा कहां गया है, चंद्रबक्श बताया कि वह के०के० झा के यहां गया हुआ है। तब चंद्रबक्श ने बताया कि नंदिनी रोड के हाउसिंग बोर्ड के०के० झा के यहां गया है । तब देबू भाई ने बोला कि हाउसिंग बोर्ड के०के० झा के घर चलकर देखा कर आते हैं।जब हम लोग के०के० झा के यहां गए,तब नौकर से पता चला कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा वहां नहीं आया है । उसी बीच वहां पर अभय सिंह पहुंच गया था । तब अभय सिंह ने कहा कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है ।

-----5

T.C.
C.S. S.B.S.

D-168/7

6- चंद्रा मार्केट में साईकिल स्टैंड अवधेश राय ने ठेके से ली थी । ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अवधेश राय और अभय सिंह ने बताया कि साईकिल स्टैंड ठेका पर ले रहे हैं । और तुम लोग, मैं चन्द्रमा, व अवधेश सिंह काम करेंगे । जहां पर और कम काम मिलने पर 500-600 रु0 प्रतिमाह ज्यादा मुनाफा होने पर 1000-1100 रु0 मिलेंगे और 20/- रु0 प्रतिदिन भत्ता भी मिलेगा । 28 तारीख को मालूम चला कि नियोगी की हत्या होगी । दि0 1-10-91 से हम लोग साईकिल स्टैंड में काम करना चालू कर दिए । हम लोग साईकिल स्टैंड में ही रहते थे । हमारे सहयोग के लिए साईकिल स्टैंड में और अन्य कर्मचारी भी रहते थे । जिसका पैसा अवधेश राय का पिता रोज के रोज ले जाया करते थे । ज्ञान प्रकाश मिश्रा व अवधेश राय के गिरफ्तार होने के बाद भी हम लोग साईकिल स्टैंड में काम करते थे ।

7- इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया,
उसने सही होना स्वीकार किया ।

न्याय0दंडा0
दुर्ग

न्याय0दंडा0
दुर्ग

T.C.
C.S. S.B.S.

[illegible] 636/20 [illegible] थाना जामुल

[illegible]	[illegible]	[illegible]	रोजनामचा D-16/1
636	इस्त० एरिया रिपोर्ट [illegible] मारपीट [illegible] कार्यवाही	20/40	आज मैं सूचना है कि गौतम S/o मुलाल शर्मा उम्र 20 साल सा० हेलार कैम्प खुरशीपार के पास का थाना हाजिर आकर उक्त [illegible] रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज [illegible] के [illegible] सिम्पलेक्स इन्जीनियरिंग के पास मैदान में [illegible] तथा उसके साथी मिले और बोले [illegible] में क्यों आ रहे हो कहकर इसे राड तथा लाठी से मारपीट करना कहता है कि मारपीट से इसके दाहिने पैर के जांघ व घुटने में [illegible] पीठ में चोट आकर दर्द होना कहता है कि चोट का मुलाहिजा कराने सै. 692 के द्वारा दुर्ग अस्पताल रवाना किया गया। नतीजा आने पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

सत्य प्रतिलिपि

सैनिक - संतोष कुमार हिरवानी
क्र० - 2360 दिनांक 3/12/93

थाना प्रभारी
जामुल, जि० – दुर्ग
(म० प्र०)

[illegible] दिनांक 2,6/9/92 [illegible]

क्रमांक	विषय (संक्षेप में)	समय	विवरण
626	रिपोर्ट छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील संघ द्वारा जुलूस एवं आमसभा केसार नगर में करने प्रकाश केडिया (केडिया) के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जुलूस ओवरटेक करके [illegible] से [illegible] एवं कुछ लोगों को [illegible] देना गाली [illegible] रिपोर्ट [illegible] बाहर, [illegible] के मालिकों [illegible] में रामावतार [illegible]	20/05	दर्ज है कि सूचना मुखबिर T.I. सलाम की है कि आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील संघ का जुलूस एवं आमसभा केसार नगर मैदान में था / केसार नगर मैदान में 12:00 बजे दिन से मजदूर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए लेकिन इकट्ठा हुए मैदान में [illegible] होना था / मैदान से करीब 2:00 बजे मजदूरों का जुलूस झंडा लेकर नारेबाजी दुनिया के मजदूर एक हैं / हम [illegible] कमाते हैं और मालिक खाते हैं / छत्तीसगढ़ के मजदूर अब सहन नहीं करेगा इत्यादि सिम्पलेक्स की दादागीरी नहीं चलेगी केडिया की दादागीरी नहीं चलेगी इत्यादि नारे लगाते थाना [illegible], [illegible] होकर हाउसिंग बोर्ड कालोनी होकर [illegible], [illegible] के सामने से नारेबाजी करते हुए जुलूस [illegible] से फिर मैदान में आकर आमसभा में बदल गया / जुलूस में करीब 1000 से 1200 सौ के लगभग मजदूर थे जो अपने-अपने कम्पनी [illegible] से लेकर चल रहे थे / मजदूरों के जुलूस निकलने से पूर्व केडिया कम्पनी के [illegible] असामाजिक तत्व रायफल, लाठी लेकर [illegible] हाउसिंग बोर्ड [illegible] जुलूस के [illegible] खड़े रहे थे / जिनमें रायफल लिए हुए मुख्य रमेश सिंह सुपरवाइजर

P.T.O.

निवासी, मेहमान भैंसा खताल सुपेला जुलूस निकाला, अदालत सुपेला का बना रुखी
प्रभुनाथ मिश्रा, मु० एन० आशुरंकर थे। प्रदीप देवांगन, डॉ० श्रीवास्तव भी जायेंगा। ये अपने-
अपने कार में घूम रहे थे। जिन्हें समझा बुझाकर वापस किया गया। हाउसिंग बोर्ड
चौक में भी कुछ दुर्ग के लड़कों को बुलाकर विरोध कराने के इरादे से थे परन्तु
उन्हें मोटर साइकिल सहित थाना लाया गया बाद तस्दीक के छोड़ा गया। जुलूस सिम्प्लेक्स कम्पनी
के सामने से निकली उस समय कुछ मजदूर सिम्प्लेक्स कम्पनी के अंदर थे गेट बंद
था अंदर में ज्ञानमिश्रा भी खड़ा था जो अंदर में ही रिवाल्वर रखना बताते हैं। जुलूस
निकलते समय ही शंकर गुहा नियोगी तथा जनकलाल ठाकुर, हरसिंह ठाकुर भी
सभा स्थल में पहुंचे। जुलूस करीब 12.20 बजे मैदान में पहुंची। सभा की अध्यक्षता
चिन्हारामसाहू ने किया। मुख्य आतिथि श्री शंकर गुहा नियोगी, श्री जनकलाल ठाकुर
एवं आर० के० तिवारी थे स्टेज में वक्तव्य देनेवाले मुख्य कामगार्ड महिला मुक्ति मोर्चा
नांदगाँव की प्रेमनारायण वर्मा बी०एन० सी० मिल राजनांदगांव श्री अनूपसिंह दलवीर परन्तु
जनकलाल ठाकुर एवं शंकर गुहा नियोगी के भाषण दिये भाषण में मुख्य रूप से निकाले
गये मजदूरों को वापस लेने तथा ठेकेदारी मजदूरों को नियमित करने के बारे में बोला
गया। मुख्य रूप से भिलाई वायर कम्पनी, सिम्प्लेक्स कम्पनी, बी० के० कम्पनी, केडिया कम्पनी
को राक्षस राज्य चलाने वाले कहा केडिया कम्पनी के द्वारा गुंडो को बुलाकर उद्यम
कराना चाहता है उनसे भी निपटने तथा शांति एवं क्रांति से लड़ने को बोला गया। अगर
शांति से एवं क्रांति से नहीं मानेंगे तो लात से बात करेंगे। नियोगी ने अपने भाषण में मजदूरों
के दिल में चोट पहुंचानेवाली उदाहरण देकर भाषण दिया जिससे मजदूर को संगठित कर सके
नियोगी जी रोषपूर्ण भाषण रहा B.S.P मैनेजमेंट के बारे में भी कहा मनमानी नहीं चलने देंगे
जनकलाल ठाकुर ने भी उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया पुलिस को भी लांछन लगाया कि पैसा लेकर फैक्ट्री
मालिकों के पास बिक जाते हैं। आमसभा 6=25 बजे समाप्त हुई शांतिपूर्ण रहा। 2 अक्टूबर को फिर जुलूस निकालने का
आह्वान किया गया।
सत्यप्रति लिपि सं० संतोष कुमार तिवारी क्र० 334/ए ओ 9.2.91

थाना प्रभारी
भिलाई नगर, जि० दुर्ग (म० प्र०)

रोजनामचा ... दिनांक 16/9/90 थाना जामुल जिला-दुर्ग

D 119/3

क्रमांक	[illegible]	[illegible]	
०४८४	इस्तगासा द्वारा रिपोर्ट बाबत जुलूस में सम्मिलित होने पर से मारपीट करना प्रार्थी को लाठी से अज्ञात लोगों द्वारा आने चोट कराने बाबत कार्यवाही रिपोर्ट प्रार्थी में	१/१५	आज मैं सूचना है कि प्रार्थी सुरेन्द्र वर्मा पिता श्री जगतधन वर्मा 34 वर्ष साकिन [illegible] कालोनी रामविलास गोंड़ का हमराह मुन्नालाल वर्मा रामविलास [illegible] के थाना हाजिर आकर 30 [illegible] के समक्ष मौखिक रिपोर्ट किया कि यह भिलाई वायर्स कम्पनी में काम करता है। आज 16/9/90 के करीब [illegible] बजे दिन शिवालय [illegible] के पास [illegible] के जुलूस में [illegible] लोगों द्वारा जिसे यह नाम से जानता है पहचानता कहता है कि लाठी से मारपीट किये है जिससे बांये पैर दाहिने जांघ के पास चोट आई है पसली में दर्द होना कहता है मारपीट का कारण जुलूस में शामिल होने से होना कहता है रिपोर्ट यह बेहोश हो गया था जिसे ले जाकर कौन अस्पताल में इलाज कराया है याद नहीं है प्रार्थी का प्राइवेट अस्प० में कहीं इलाज हुआ [illegible] पैर में [illegible] है कि रिपोर्ट किया प्रार्थी का मुला० कराया जाता है बाद कार्यवाही की जाती है।

सत्यप्रतिलिपि

थाना प्रभारी
जामुल, जि० [illegible]
(म०[illegible]

[illegible] - [illegible] दिनांक २१/०७/९८ थाना - जामुल - जि दुर्ग

D - 1[illegible]

[illegible] अग्रवाल के पास [illegible] तथा कहा गया [illegible] रिपोर्ट [illegible] निष्पादन की गई

सत्य प्रतिलिपि

प्र० आ० [illegible] कुमार

क्र० 369

थाना प्रभारी
जामुल, जि० -- दुर्ग
(म० प्र०)

थाना [illegible] आवक [illegible] जिला दुर्ग

क्र.	[illegible]	समय	[illegible] D-169/5
[illegible]	[illegible] प्राप्त आदेश [illegible] दर्ज [illegible] [illegible]	00/30	लेख है कि थाना छावनी को मा. वीरेन्द्र कुमार [illegible] द्वारा श्री मान अनु. दण्डा. महोदय ~~[illegible]~~ दुर्ग के आदेश क्रमांक 249/[illegible] दि 30 दिनांक 24/09/90 प्राप्त हुआ जिसमें भिलाई वायर्स कम्पनी के [illegible] [illegible] औद्योगिक [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] एवं [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अधिक [illegible] के [illegible] [illegible] प्रतिबंधित किया तथा उक्त [illegible] [illegible] एवं उनके [illegible] के [illegible] को प्रतिबंधित किया जाकर तथा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] उक्त आदेश [illegible] [illegible] [illegible] पर प्रतिबंधित किया गया है [illegible] धारा 144 के प्रक्रिया [illegible] लागू [illegible] [illegible] दिनांक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा दर्ज [illegible]) रिपोर्ट [illegible] [illegible] आदेश प्रसारित किया जावेगा

[illegible] प्रति [illegible]

[illegible]

नकल जी० डी० [illegible] थाना [illegible] [illegible]

क्रमांक	क्रम रिपोर्ट	समय	वि व र ण D-169/6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

थाना — जामुल — जिला — दुर्ग —

क्रमांक	प्रतिलिपि के प्रमाण	

दि० ७ — २ — ८७ —

D-1697

[illegible] पुलिस द्वारा [illegible] ठेकेदार [illegible] मजदूरों के [illegible] ACC [illegible] मजदूरों को [illegible] करने के [illegible] ACC [illegible] [illegible] ACC [illegible] ACC से [illegible] ACC के [illegible] [illegible] ACC [illegible] ACC [illegible] ACC [illegible]

क्रमशः २

नकल पर्चा दिनांक [illegible] शाखा [illegible]

दिनांक	[illegible]	[illegible]	वि व र ण D-169/8

[illegible] किया गया [illegible] को [illegible] की [illegible] को उठाने [illegible]
प्रशासन को [illegible] का आरोप लगाये
[illegible] को [illegible] कि [illegible] हमारे [illegible]
के [illegible] के [illegible] किये [illegible] हमारे [illegible]
[illegible] किया गया [illegible] के
[illegible] [illegible] हमारे [illegible]
का [illegible] और [illegible] के [illegible]
[illegible] और [illegible] कि [illegible] के
लगभग [illegible] अपने [illegible] था तो देखा कि [illegible] के [illegible]
बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था जिसमें बहुत से आदमी मौजूद थे मैंने
सोचा कि [illegible] की [illegible] है। [illegible] बाद में पता चला कि यह [illegible]
[illegible] और [illegible] के [illegible] में [illegible] के [illegible]
[illegible] के पास [illegible] की [illegible]
[illegible] में [illegible] कि [illegible] में [illegible] देखा [illegible]
[illegible] के [illegible] को [illegible]
[illegible] देखा [illegible]
[illegible] के [illegible]
नहीं है और [illegible] की [illegible] नहीं [illegible]
[illegible] की [illegible] के लिये [illegible]

[illegible] 8

169/9

[illegible]

D-169/1

[illegible]

17.12.91

367

[illegible]

[illegible]

(प्र० प्र०)

D. 169/11

[illegible]

9.12.91

D. 169/12

[illegible]

थाना प्रभारी
जामुल, जि० – दुर्ग
(म.प्र.)

[illegible]

D-167/13

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]

P T C

[illegible]

D-167/14

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

थाना प्रभारी
आमुल, जि० –
(म० प्र०)

नकल रोजनामचा आम जी०डी० / दिनांक ४/६/७९ थाना [illegible] जिला दुर्ग

क्रमांक	प्रविष्टि	समय	वि व र ण D-169/15
२८८	रिपोर्ट (भा० द० मजदूरों द्वारा [illegible] आम सभा [illegible] [illegible] [illegible] नियोगी द्वारा मजदूरों को [illegible] तोड़ फोड़ करने हेतु भड़काने बाबत	23/50	अभी मैं [illegible] [illegible] मालूम हुआ है कि आज दि० ४/६/७९ को [illegible] मजदूर आंदोलन में [illegible] [illegible] में करीब ६० महिला तथा ६० पुरुष मजदूर [illegible] [illegible] तथा जुलूस के रूप में [illegible] [illegible] आये सिम्प्लेक्स कास्टिंग उद्योग [illegible] मिल [illegible] महेश्वरी [illegible] इंटरप्राइजेस मिल [illegible] [illegible] [illegible] में भी नारेबाजी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में नारेबाजी कर [illegible] पर मजदूर अपने काम पर चले गये [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] आया है ने भाषण दिया तथा [illegible] [illegible] तथा नियोगी ने भी भाषण दिया सभी ने [illegible] [illegible] के बारे में [illegible] [illegible] [illegible] करने की मांग [illegible] [illegible] [illegible] नियोगी ने अपने [illegible] भाषण में कहा कि अब हम तोड़ फोड़ पर उतरना है हमारी मांग [illegible] [illegible] कर रहे हैं [illegible] के [illegible] में [illegible] नहीं [illegible] रहा है और काम करो तथा [illegible] तथा [illegible] में [illegible] हमारे [illegible] तोड़ फोड़ करके [illegible] करे उसी प्रकार सिम्प्लेक्स कास्टिंग, उद्योग तथा मिल [illegible] में भी मांग मनवाने के लिये तोड़ फोड़ करना है अब आरपार पर उतरना है यह कह कर मजदूरों को भड़काया उत्तेजना पूर्ण भाषण देकर उत्तेजना पूर्ण नारेबाजी किया —

PTO

R-169/15/2

किसानो मजदूर शोषित हो रहे उनको भी आपूर्ति करना चाहते केसलापोशा ग्राम को सड़क मार्ग जामुल से भी केवल 4 कि॰ मीटर अन्तर स्थित होकर आज तक विकास नहीं जिसे जनक वाले ठाकुर तथा सांसद प्रदीप गांधी ने संबोधन किया जिसमें 700, 800 लोगो का टीम शहीद तैयार कर ताकि आगे की आवश्यक कार्यवाही की जा सके यहां भी सांसद प्रदीप गांधी ने तोड़फोड़ व आलोकबिन्दु पर मारपीट करने हेतु मजदूरों को उत्तेजित किया रिपोर्ट दाखिल हुआ है।

सत्य प्रति
निरी॰ [illegible] [illegible]
क्र. 666
[illegible]

थाना प्रभारी
जामुल, जि० – दुर्ग
(छ० ग०)

नकल रोजनामचा सान्हा आमद [illegible]

क्रमांक	कैफियत	[illegible]	दि. [illegible]
20	रिपोर्ट लोकल C.I.D. संगठित मजदूर [illegible]	[illegible]	D-169/16

बजे मैं सूचना है S.I. [illegible] प्राप्त होती है कि आज छत्तीसगढ़ मुक्ति-
मोर्चा संगठित मजदूर आन्दोलन रत मजदूरों द्वारा आज विभिन्न
मोहल्ले गाँव से आये बच्चों के जुलूस के रूप में करीब 20 जुलूस
50-100 के समूह में जामुल, प्यारेदास नगर, ढौर, कुरुद, खेरधा,
[illegible], हाऊसिंग बोर्ड, फौजीनगर, छावनी गाँव, राजीव नगर, शंकरनगर
[illegible] तरफ से आकर
[illegible] मजदूरों-
बच्चों को मिलाकर करीब [illegible] जो विधायक राजेन्द्र साहू
राष्ट्रीय [illegible] सचिव लोक स्वतंत्रता संगठन के अध्यक्षता में
गिरीश [illegible] पत्रकार जबलपुर, आर. डी. एस. [illegible]
[illegible] एवं [illegible]
मजदूरों को संबोधित किया। मजदूरों को [illegible] एवं उत्तेजित
करने योग्य भाषण पटवा सरकार फैक्ट्री मालिकों व पुलिस के
खिलाफ भाषण दिए सभी ने पटवा सरकार को पूँजीपतियों
की सरकार कहा पूँजीपतियों के इशारे पर मजदूरों के
ऊपर आतंक फैलाने की बात कहे इसका जवाब [illegible]
मजदूर [illegible] माह से मजदूर हड़ताल पर है इनके बच्चे

P.T.O.

नये सत्र में स्कूल खुल रहे हैं [illegible] D-19/11/2
[illegible] खोला गया है जिसमें [illegible] लोग चौंका दिए
[illegible] छत्तीसगढ़ [illegible] मजदूर के
पुस्तक कापी तथा स्कूल ड्रेस वितरण करना है। [illegible] ने [illegible]
बच्चों को पुस्तक कापी वितरण किया गया। [illegible] दिया है [illegible]
तथा [illegible] श्री [illegible] को [illegible] इससे आन्दोलन
[illegible] के बारे में [illegible] दिया है [illegible] होती है तो
[illegible] नहीं [illegible] की [illegible] होती है तो
[illegible] सरकार के नेताओं को [illegible] दिया
[illegible] के प्रिंसीपल [illegible] आखिर [illegible]
[illegible] है। [illegible] ने कहा कि
[illegible] एस० पी० [illegible] है। [illegible] 15 अगस्त
15 अगस्त के बाद जो कार्यवाही होगी [illegible] उस दिन मजदूर
[illegible] जायेगा [illegible]
[illegible] कर्मचारी [illegible] दिया जायेगा
[illegible] हो जायेंगे
[illegible] दिया।
इस प्रकार मजदूरों को हिंसा पर [illegible] D.I. महोदय
[illegible] 19-7-[illegible] [illegible]
को अवगत कराया गया। रिपोर्ट [illegible] दर्ज की गई।
[illegible]
सत्य प्रतिलिपि
[illegible] सन्तोष कुमार [illegible]
[illegible] – [illegible] / ए [illegible]
[illegible]

सनहा नं० दिनांक – 5/8/19 थाना – जामुल – जिला दुर्ग

D – 169/17

वापस 9.30

उपरोक्त समय में सनहा S.I. की ओर से नोट किया जाता है कि हमराह स्टाफ के साथ हाशिया में अंकित दिनांक समय को ड्यूटी आर्डर किश्ती हेतु केडिया डिस्टलरी गया था इस समय वापस आया। विवरण इस प्रकार है कि केडिया डिस्टलरी के हड़ताली श्रमिक 30 महिला एवं 80 पुरुष गेट के सामने रोड पर खड़े होकर शासन प्रशासन एवं मैनेजमेन्ट के खिलाफ रविन्द्र सुमन सतेन्द्र सिंह सुरेश प्रजापति, भुवनराय के नेतृत्व में आक्रोश एवं उत्तेजना पूर्ण नारे लगाये जिससे हड़ताली श्रमिकों में काफी उत्तेजित हुए। नारेबाजी पश्चात सभी श्रमिक रैली के रूप में सिरसाकला इंदिरानगर एवं कारखाना की ओर चले गये। स्थिति नियंत्रण में रही किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। रिपोर्ट इत्तलान दर्ज है।

सत्य प्रतिलिपि

ह० – संतोष कुमार हिरवानी
प्र.आर. – 1386/ए 5/8/19

थाना प्रभारी
जामुल, जि० – दुर्ग
(छ० ग०)

[illegible] तारीख – 08-8-09 [illegible] / [illegible]

D-167/18

[illegible]

... बजे मैं सूचना है कि मुखबरी द्वारा आसामी ... राजू गुप्ता उम्र 34 वर्ष
सा० ... खुर्दसीयार [illegible] थाना खुर्दसीयार का ह०मा० शान्तिलाल फरवतीय
के साथ थाना हाजिर आकर जबानी रिपोर्ट सा० उप० नि० गजपाल के पास
किया कि यह [illegible] ग्राम [illegible] है आज दिनांक
8-8-09 को 11 बजे के लगभग आर० के० पंचाल के पास गया तो
20 [illegible] कार [illegible] को बोला तो आपने को काम नहीं आता
है नहीं कर सकता तो इसके ठेकेदार से छुट्टी मांगना कहता है
ठेकेदार छुट्टी नहीं देने से इसके विभाग के पर्सनल मैनेजर के
दफ्तर के पास जाना कहता है [illegible] इसी बात में बोलता है कि तुम
[illegible] नहीं लगे तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी ऐसा बोलता है एवं
बहुत देर तक [illegible] रहने कहता है इसके बाद ठेकेदार के पास आना
कहता है कि ठेकेदार यह बोला कि तुम दफ्तर के पास क्यों गये
तो ठेकेदार को एरियर्स देना एवं छुट्टी नहीं देना बोलता है [illegible]
[illegible] बात पर अनावेदक ठेकेदार आर० के० पंचाल जो कालर पकड़ा
एवं लात से मारना कहता है मारते समय शिवकुमार राजाराम
को डरवाना बोलाता है एवं ठेकेदार द्वारा पेमेंट में हस्ताक्षर करवाना
एवं पैसा कम देने को कहता है कि अनावेदक द्वारा [illegible] से मारने पर
P.T.O.

D-169/18

प्र० कमर में एवं पैर जोड़ों में चोट लगना बताता है कि रिपोर्ट पर मुत०
फार्म भर कर डाक्टर रवाना किया जाता है एवं मुत० द्वारा कल मुला०
करवाने के लिए कहने पर ५/१२/९९ को मुलाहिजा करवाया गया।

सत्यप्रतिलिपि

कां० - संतोष कुमार हिरवानी

क्र० - 33.6/ ६/१२/९९

थाना प्रभारी
आमुल, जि० – दुर्ग
(म० प्र०)

नकल / रोजनामचा सान्हा दिनांक ४/०८/१९ थाना जामुल - जिला दुर्ग

क्र. / कायमी का समय	नकल	
६/ रवानगी ACC कंपनी हमराह स्टाफ एवं L/C केडली कोरिया फिल्ड में जाकर श्रमिक सम्बन्धी उचित जानकारी एवं जन प्रर्दशन एवं देखरेख वापसी	१०/००	(रि० ६ — २ ८) D-16/17 थाने से सूचना मिलने पर ए.सी.सी. गेट पर पहुँची है कि हमराह स्टाफ L/C निकली मैं केलिया (फिल्ड) साथ हमराह हाजिरी को अंकित दिनांक समय स्थान को रवाना हुआ था इस समय वापस आया विवरण इस प्रकार है कि सूचना के आधार पर ए.सी.सी. के ठेकेदारी श्रमिक २५ मजदूर एवं ४० प्रदर्शन श्रमिक रैली, बलराम प्रजापति, सतेन्दर सिंह, मुकुल राय, शशि कुमार के नेतृत्व उत्तेजनापूर्ण एवं अश्लील नारे जनता सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन के खिलाफ लगभग १.३० बजे नारेबाजी और श्रमिकों उपस्थिति में स्टेशन हड़ताली श्रमिकों द्वारा किया गया बाद रैली के रूप में सिमसेक्स कासिंग की ओर चले गये। स्थिति नियंत्रण में रही। रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

सत्य प्रतिलिपि

सै० - संतोष कुमार तिवारी

प्रा० - उ.नि. ए ५/१२/१९

थाना प्रभारी
जामुल, जि० - दुर्ग
(छ०ग०)